

Volume 2, Issue 1. January-March 2016 ISSN-2395-7468

THE Equanimist

A peer reviewed journal



The Equanimist

... A peer reviewed journal

Chief Editorial Board

Dr. Manoj.Kr.Rai (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr.Virendra.P.Yadav (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Nisheeth Rai (Volume Editor) (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Dr. Roopesh.K.Singh(Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Mr. Ravi S. Singh (Assistant Professor. M.G.A.H.V.)

Editorial Board

Prof. S. N. Chaudhary (Barkatullah University, Bhopal)

Prof. R. N. Lohkar (University of Allahabad)

Prof. U.S. Rai (University of Allahabad)

Prof. D.P.Singh (TISS,Mumbai)

Prof. V.C.Pande. (University of Allahabad)

Prof. Anand Kumar (J.N.U.)

Prof. Nisha Srivastava (University of Allahabad)

Prof. Siddarth Singh (Banaras Hindu University)

Prof. Anurag Dave (Banaras Hindu University)

Dr. H. S. Verma (Lucknow)

Dr. Vijay Kumar (An.S.I. Jagdalpur)

Dr. Pradeep Kr. Singh (University of Allahabad)

Dr. Shailendra.K.Mishra (University of Allahabad)

Dr. Ehsaan Hasan (Banaras Hindu University)

Mr. Dheerendra Rai (Banaras Hindu University)

Assistant Editorial Board

Rajeev Ranjan (Res. Sch. B.H.U.)

Ajay Kumar Singh (Res. Sch. I.G.N.O.U.)

Abhisekh Kr. Rai (Res. Sch. B.H.U.)

Abhisekh Tripathi (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shiv Kumar (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shreekant Jaiswal (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Shiv Gopal (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Vijay.K. Kanaujiya (Res. Sch. M.G.A.H.V.)

Sanjay Dwivedi (Res. Sch. University of Allahabad)

Managerial Board

Mr. K.K.Tripathi (Managing Editor) (M.G.A.H.V.)

Mr. Uma Shankar (M.G.A.H.V.)

Mr. Rajesh Agarkar (M.G.A.H.V.)

Mr. Manoj Kumar (M.G.A.H.V.)

Mr. Arvind Kumar (M.G.A.H.V.)

The Equanimist

Volume 2, Issue 1. January-March 2016

S.NO.	Content	Pg. No.
	Editor's Note	
	Research Articles	
1	Aspects of B. R. Ambedkar and the Making of Dalit Ideology Hitendra K Patel Girish C Pande	1-7
2	Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform Satendra Kumar ,Deepshikha Sonker and Pradeep Kumar Singh	8-26
3	Emotional Intelligence in Tribal and Non-Tribal students Mahesh Kumar Tiwari	27-34
4	An Exploratory Analysis of Evolution of Reproductive Health in India with special reference to Communication Subhash Chandra Bose	35-46
5	Micro-politics in educational institute and Curriculum Development Ajeet Kumar Rai and Manoj Kumar Rai	47-53
6	Formation of Society, Community and Identity in Diasporic World : With special reference to Indian Diaspora Jitendra and Shree Kant Jaiswal	54-59
7	Social Media: A Compatible Field for Political Campaign (With reference to Bihar Assembly Election 2015) Harinath Kumar	60-66
	पुस्तक समीक्षा	
8	वर्मा, हरनाम सिंह. (2015).अपने-पराये-एक संस्मरण, कुरुक्षेत्र, कौशल पब्लिकेशंस; राज रोग (संस्मरण) एवं पर्त-दर-पर्त (संस्मरण), दिल्ली, शब्दार्ंभ प्रकाशन, तृप्ति सिंह	67-72
	शोध पत्र	
9	मनुष्य होने के संघर्ष का स्वर : दलित साहित्य पम्मी राय	73-78
10	मध्य भारत में जनजातियों में विस्थापन व पुनर्वास सौरभ	79-88
11	‘आखिरी कलाम’ में धर्म और राजनीति स्कंद स्वामी नारायण सिंह	89-95
12	मध्य भारत के अदिवासियों में जल, जंगल और जमीन की समस्याएँ एवं समाधान पवन कुमार पांडेय	96-100
13	आदिवासी और दलित का अंतःसंबंध अंकिता	101-107

The Equanimist

Volume 2, Issue 1. January-March 2016

14	भारत-पाक संबंधों में चीन फैक्टर दीपक	108-117
15	मैत्रीभावना : सुखद जीवन हेतु मानसिक योग पंकज कुमार सिंह	118-128
16	नवें दशकोत्तर हिंदी उपन्यासों में आदिवासी विमर्श निशांत मिश्रा	129-133
17	सूफ़ी साहित्य की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि गौरव वर्मा	134-139
	शोध आलेख	
18	परंपरा बनाम आधुनिकता: जाति बनाम वर्ग अनुराग कुमार पांडेय	140-145
19	समाज कल्याण एवं प्रबंधन में सरकारी प्रयासों का वस्तुपरक अध्ययन कुशकुल दीप	146-153
20	देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय वस्त्र उद्योग की भूमिका नरगिस बानो	154-159
21	पर्यावरण संरक्षण एवं बौद्ध धर्म रवि शंकर सिंह	160-167

Editor's Note

Dear Readers,

This issue of the Equanimist coincides with the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. This time it was also celebrated by United Nation by examining the relevance of his legacy and global development goals, the world body heard a plea to declare 14th April as “International Equality Day”. Helen Clark (Former Newzealand, Prime Minister) emphasized the relevance of Ambedkar’s ideals in achieving sustainable development goals. While the world is aspiring to achieve the goals set by Ambedkar, In India political parties were busy to achieve their own selfish goals by using Ambedkar as a mean. They were busy in petty politics by appeasing a particular section of society. Each of them clamming themselves to be the real follower and admirer of Ambedkar. As mentioned above their real goal is to acquire the vote share of that group.

The Equanimist is the person who possesses the quality of Equanimity. Equanimity is, “the quality of having an even mind”. As an English word, it has been used in the context of fairness, or weighing things in the balance, as if it were synonymous with “equity”, a word often offered as a substitute for it.

The word equity, however, has an altogether different Latin root, *aequitas*, meaning “reasonableness”. Equanimity has a Latin counterpart as a root word, *aequanimitas* which has its own roots in Latin: *aequus* meaning “even” and *animus*, meaning “soul, mind”. In Latin, soul and mind are one word with one and the same meaning. In Latin, *aequanimitas* refers to a state of the mind and soul, a balanced state of peace, clarity, health, wisdom and insight.

Meanwhile the common people of that group were also celebrating the birth anniversary by carrying out procession with DJ songs. While the lyrics of the songs describes the glory of Ambedkar but its music were of cheap bollywood songs. The young boys and girls were dancing with the tunes. Idol worship of Ambedkar is also very prevalent. It is a known fact that Ambedkar was always against all these, yet the followers are still practicing it blindly. If a lecture, debate, quiz contest related to Ambedkar or the money collected on

the name of celebrating Ambedkar's birth anniversary could be used in organizing mass marriages of the underprivileged girls .

To commemorate the 125th Anniversary the very first research paper brilliantly explains the aspects of B.R. Ambedkar and the making of dalit ideology. In this the liberal aspect of Ambedkar along with his historicist approach is skillfully explained. Besides this, the present issue consists of 15 research paper, 01 book review and 04 research articles.

The second research paper deals with the Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform. This paper utilizes the granger causality test to find out the relationship between manufacturing sector and trade balance. The paper concludes that in order to improve the sustainability of the manufacturing sector in the long run, it is the need of the hour to promote the memorandum of understanding (MoUs) for industrial sector, Industrial SEZs, Park schemes and industrial corridor schemes, etc. The third research paper compares the emotional intelligence of tribal and tribal students and shows that score of tribal students were comparatively higher than that of the non tribal students. It is followed by the role of communication for the betterment of reproductive health of women. The fifth paper raises the issue of micro-politics in educational institute and curriculum development.. It shows the way how micro-politics can serve as a positive force and enhance collegiality. Formation of society, community and identity in diasporic world follows next. The seventh paper succinctly illustrate the role of social media as a Compatible Field for Political Campaign by taking Bihar Assembly Election 2015 as an example.

The book review in this issue is of reminiscence of H.S. Verma viz. अपने-पराये-एक संस्मरण, राज रोग (संस्मरण) एवं पत-दर-पत (संस्मरण). They are the perfect example of holistic auto ethnography and serious social sarcasm. The research papers in Hindi ranges from dalit literature and the voice of struggle for being human; displacement and rehabilitation of tribes of central India; Religion and politics in 'Aakhri Kalam'; The problem and solution of water, forest and land of tribes of central India; The inter relationship between dalits and tribes; the china factor in Indo-Pak. Relationship; Friendliness as a tool of mental meditation for peaceful life; tribal discourse in Hindi novels and the historical and social background of Sufi literature. The research articles in Hindi consists of Tradition vs Modernity vis a vis Caste vs Class; Objective study of government efforts in social welfare and management; role of Indian textile

industry in the economy of India and last but not the least environmental conservation and Buddhism.

The responsibility for the content and the opinions expressed and provided in the Research articles and articles published in this issue of the journal are exclusively of the author(s) concerned. The publisher/editor is not responsible for errors in the contents or any consequences arising from the use of information contained in it. The opinions expressed in the research papers/articles in this journal do not necessarily represent the views of the publisher/editor of journal. Its Chief editors/ editors/Assistant editors and Managing Editor are not responsible for any of the content provided/ published in the journals.

I hope this issue will seed few ideas upon which the readers can develop their own creative and *equanimus* thought.



Dr. N.Rai
(Volume Editor)

Aspects of B. R. Ambedkar and the Making of Dalit Ideology**Hitendra K Patel¹****Girish C Pande²**

Dr. Bhim Rao Ambedkar's iconic status as one of the central figures of modern Indian history is very well recognized now. In recent times fairly large numbers of social scientists have seen him as one of the makers of modern India. Still, we need to think more on Ambedkar's ideas and changes he made to adjust to the political needs of the time. Trained as a liberal academician in Colombia University, USA, he carried liberal ideas while moving ahead to champion the cause of the depressed classes. He did not inherit institutional support base to carry forward the struggles of the depressed classes, and, naturally, he had to adjust at different levels, sometimes going against the drift of his ideology. His writings were not compiled and made available in English till recently and there is still need to study his writings to understand how this remarkable thinker had to struggle for shaping what later identified as 'Dalit ideology'.

Ambedkar was not the first leader of depressed classes who thought for a pan-Indian struggle. The caste discriminations had troubled many reformers and depressed class leaders since the days of Jotirao Phule, but there is a crucial difference between the approaches of Ambedkar and his predecessors. Earlier thinkers and activists such as Jotirao Phule and Narayan Guru Swami articulated "within the framework of the caste system"¹. Despite all shifts, Ambedkar sought to stick to his line that the depressed classes must assert their distinctiveness and separateness from the caste Hindu society for their emancipation. He gathered the necessary arguments and evidences in course of his engagements with political activism of 1920s and finally in the first half of 1930s, he boldly challenged Gandhi in his famous 'Reply to the Mahatma' and other writings. A close examination of his writings makes it clear that his progression towards the Dalit ideology was linked with his liberal academic training and he was consistent in his thoughts. Ambedkar stepped in a crucial juncture in post-1917 scenario, when the Congress first took up the issue of removal of social disabilities suffered by the Depressed Classes, to argue that the emancipation of 'Untouchables' had to be fought by the 'Untouchables' themselves.² In this short paper, an attempt is made to discuss how he consistently sought to work for dalit politics out of the ambit of the Congress led national political space since early days of his political activism till the last. He was convinced about the impossibility of the reformation of Caste Hindu society, the hope leaders like Gandhi sincerely believed in, as leaving caste was to leave Hinduism. His argument was that caste and untouchability did not let Hindus act as a community.³

¹ Professor Of History, Ravindra Bhartiya Vishwavidyalaya, Kolkata.

² Professor of History, T.M. Bhagalpur University, Bhagalpur.

This paper also tries to register, very briefly, the presence of a liberal self of Ambedkar. Ambedkar can be seen as a liberal thinker as well. In fact, the liberal ideas of Ambedkar seem to have informed his outlook throughout his life in a very complex manner. He employed his liberal training most effectively in his address - *Ranade, Gandhi and Jinnah* in which he praised Ranade for his critique of Hindu society and criticized Gandhi's thinking on caste system.⁴ Some of the other related ideas, such as the way he argument that once an identity becomes a political force the consequences of its formation have to be faced, can be a good indicator of the depth of his ideas as a thinker.⁵ One can say that seeing Ambedkar merely as a leader of the depressed classes would be to miss out him as a thinker who could help us in understanding political issues beyond the Dalit issues. Unfortunately, he is not seen as thinker of the entire society. Ambedkar was a liberal thinker of the first order. Historian Christopher Bayly has analyzed his thoughts as a liberal in his influential work on Indian liberalism.⁶ In this small piece an attempt is also made to touch upon Ambedkar's original thinking as an anthropologist.

In 1916 he delivered a lecture which can be considered a significant point of intellectual history of modern India. In this lecture, Ambedkar had argued that any community or caste cannot be inferior on any biological reasons. In his view, the castes and communities are *made* inferior by historical. The people who were called 'untouchables' were 'broken men' who had been identified as people forced to move out of the village social space. These 'broken men' could be found in any society. One can refer to Frederic Seebohm⁷. Among the people who had influenced Ambedkar in his academic career also included John Dewey, a Pragmatic liberal thinker, Franz Boas, the founder of American Anthropology, Edwin Seligman and A. A. Goldenweiser. Some of these thinkers had talked about the psychic unities of human society and had dismissed the differences based on differences of births.

One of the interesting things about the approach of Ambedkar was his attempt to used historicist approach to read history in such a way that the tools could be used to write a "counter history". This way, he created an alternative view of history, much like Jotirao Phule. In this process, young Ambedkar had carried some thoughts which carried the imprints of his age's limitations. He was heavily influenced by Renan's thoughts on nationalism and he accepted Syed Ahmed Khan's view that the Muslims constituted a separate nation. His attitude towards village society was negative and he was solidly behind the idea that for the deprived societies the city life was much better.

If we closely follow the evolution of Ambedkar's thoughts we can notice some very significant points as an original liberal thinker even in his young days. Ambedkar had done his Ph D in Anthropology at Columbia University in 1916. In those days the influence of race theory had been all pervasive. But, Ambedkar did not accept it. On 9th May, 1916, in a seminar organized by A. A. Goldenweiser, he

presented a paper which was later published in *Indian Antiquity* Journal in May 1917. On the basis of the central argument of this paper he later prepared a presidential address for 'Jat-Pat Todak Mandal' conference with the title – 'Annihilation of Caste'. This is a document of historical significance in which underlined that the basis of caste system was not any inhuman practice but being religious. To follow religion was to follow the caste rules. In this revolutionary formulation Ambedkar makes most significant point of his ideology: to eradicate caste the shastra (religious texts like the *Veda*) are to be discarded as this is the basis of the sacredness of caste system. At that time it was considered too radical and he was advised to edit out some objectionable paragraphs. Ambedkar refused and the annual conference was cancelled.⁸

In Ambedkar's early writings there was a strong sense of condemnation for the unjust social practices prevailing in Indian societies. When he was a student of Colombia University during 1913 and 1916 the 'Harlem Renaissance' (the renaissance of the blacks) was in wide circulation and this must have had impact on Ambedkar's mind. In those days DuBois's *The Souls of Black Folk* and Booker T. Washington's *Up from Slavery* had been in circulation and he must have been influenced by these. Ambedkar had believed that there was a conscience among the Americans which made them ashamed of their injustices towards the blacks. That was why there were so many publications which dealt with the subject. But, in India, he believed, the upper castes were devoid of any conscience and their religion had sanctioned these injustices. This criticism of the upper castes' was categorically stated when Lala Lajpat Rai criticized Catherine Mayo's *Mother India* saying that here in this country the religion has never sanctioned injustices such as those were meted out by the Whites against the Blacks of America. Ambedkar wrote that these injustices had been very much part of Indian Hindu societies as well but, due to the absence of conscience among the upper castes, these things never get recognized.

One of the significant aspects of the ideas of Ambedkar was that he did not consider the Congress as the party of the Hindus, the view of Muslim League, rather, he saw it as a party of the upper castes.⁹ To appreciate Ambedkar as a thinker, we must see his role as the maker of dalit ideology in opposition to the Congress ideology at a time when it was very difficult. He began as a liberal, secular thinker, he soon realized that the Congress was heavily dominated by upper caste Hindus. He was the first leader who demanded separate electorate to ensure adequate representation of Dalits. Initially other depressed class leaders, such as M. C. Rajah of Tamilnadu, were in favour of joint electorate and Ambedkar was criticized for his stand. Ambedkar had first demanded separate electorate in his evidence before the Simon Commission in 1928. By that time a national political organisation of dalits had come into existence in the form of All India Depressed Classes Association with M. C. Rajah as President and Ambedkar as one of its vice-presidents.¹⁰ Eva-Maria

Hardtman has argued that this was the beginning of a “crystallized” Depressed class movement outside the Congress fold. But, all this was not so obvious before 1932. In fact, the organizations which dealt with depressed caste issues reached out in three different directions: (a) *The Depressed Classes Federation* was Amdekarite and connected with Ambedkar’s Independent Labour Party; (b) *The Depressed Classes League* was linked with the Congress; and (c) *The Depressed Classes Association* which was linked to Hindu Mahasabha.¹¹

It has already been said earlier that it was Ambedkar who envisaged the essentiality of keeping the dalit ideological struggle outside the Congress fold and leaders who later followed his line were initially in opposition to him.

The negotiation between the Ambedkar and Gandhi is a well attested area and scholars have discussed how Ambedkar ultimately decided to agree to Poona Pact much against his ideological line under huge pressure. The Communal Award was announced according to which the Depressed Classes were given the right of double vote –both as a general Hindu and the depressed. This was welcomed by Ambedkar but it was seen as a great threat to divide Hindus by Gandhi and others. Ambedkar ultimately agreed to keep the dalits in Hindu fold in a very critical situation. He has explained it himself:

It was a baffling situation... There was before me the duty, which I owe as a part of common humanity, to save Gandhi from sure death... I responded to the call of humanity and save the life of Mr Gandhi by agreeing to alter the Communal Award in a manner satisfactory to Mr Gandhi.”¹²

For the time being, it looked like the nationalistic solution to untouchability problem had been successful. But, Ambedkar soon realized that the upper caste led Congress could not be depended for Dalits’ emancipation. In March, 1935, the Congress floated a political front –the All India Depressed League with Jagjivan Ram as its president which made it clear to Ambedkar that the Congress was not willing to rely on his leadership of dalits. In 1936 he floated his own party – Independent Labour Party which was very successful in 1937 Bombay elections by winning 11 out of total 15 reserved seats. In the Central Provinces and Berar also his party did well.

Ambedkar’s role in the next decade as a leader of the dalits was to work primarily for the Dalits. For him, the issue of citizenship in the new projected independent Indian nation state was more important than the ongoing national movement under the Congress. He was willing to be part of ongoing national movement if the fair share of Dalits was ensured in the polity. The Congress failed to ensure this and he and his followers were not enthusiastic about the ongoing national movement. In July 1942, he was appointed the Labour Member in the Viceroy’s

Council. Around this time he started his All India Schedule Caste Federation whose constitution claimed that the dalits were not Hindus and they had a separate identity. By now, other leaders like M. C. Rajah, after their experiences of seeing the Congress ministries work in the late thirties, had come to support Ambedkar's line. This declaration, coming few days before the beginning of Quit India movement, was reiteration of Ambedkar's position which shaped the ideological framework of dalit movement. But, Ambedkar failed to match the organizational strengths of the Congress and the support it enjoyed among the people due to the enthusiasm for the national movement and, he failed to make much of an impact in the crucial 1946 elections. His party could win only two out of 151 reserved seats. The government support was lost when the Cabinet Mission recognized the Congress' claim of representing the dalits of the country, much to the protests of Ambedkar.

A moment of reconciliation came when Ambedkar was offered a seat in the Constituent Assembly, made chairman of the committee to draft the Indian Constitution and later appointed as the first Law Minister of Independent India. In all those roles Ambedkar tried his best to fight for dalits with the hope that the Congress could be made to understand how imperative it was to ensure the social justice to the dalits of the country. In a prophetic statement made by Ambedkar in 1950 when India adopted the new constitution he said:

... we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality... We must remove this contradiction... or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy...¹³

Ambedkar soon realized that he could not make much of a difference when Hindu Civil Code was discussed and he decided to resign in 1951.

Kancha Ilaiah has written that for the dalits there are three images to fight against the divine Brahmanical images –Buddha, Jesus Christ and Ambedkar. These images are vital for any challenge to the Brahmanical hegemony. Ambedkar had identified Capitalism and Brahmanism as enemies of the dalits but he was well aware of the significance of religion in the modern system so he was not a materialist thinker.

Ambedkar's writings remain a great source for writing any history of the struggle for dalits in modern India. He also has lot to offer to understand how we can tread to our path without being deterred by the power of his ideological opponents. The way he countered Gandhi is unique. Nowhere else the great Mahatma looked so vulnerable ideologically than before Ambedkar's succinct critique of Gandhi's defense of *Varna* and criticizing *Caste*. To get a taste of how fearless and convincing Ambedkar is one can see few examples:

“A Hindu does treat all those who are not of his caste as though they are aliens,... there can be a better or a worse Hindu. But a good Hindu there cannot be. ...To a slave his master may be better or worse. But there cannot be a good master. To a low caste man a high caste man can be better or worse as compared to other caste men... a society based on *Varna* or caste is a society which is based on a wrong relationship.”

Countering Gandhi's idea of following ancestral calling, Ambedkar said that, “Must a man follow his ancestral calling ...? Then a man must continue to be a pimp because his grandfather was a pimp and a woman must continue to be a prostitute because her grandmother was a prostitute...his ideal of following one's ancestral calling is not only an impossible and impractical ideal, but it is also morally an indefensible ideal.” Before writing all this, Ambedkar had humbly described how Gandhi and his family had violated this idea!¹⁴

Ambedkar attempted to move towards the construction of a separate Shudra identity during the second half of the 1940s. In this effort, he identified himself with the non-Brahmins and attempted to build a non-Aryan Naga identity. He could not move much towards this but his writings clearly give us the idea how dalit ideology was moving towards a shudra identity involving a bigger social composition. This direction was followed by other leaders in coming decades with great success. But, these followers never had the depth of Ambedkar's thinking and they still need to carefully make use of Ambedkar's legacy. Ambedkar is not only an icon and image with which dalits can think of using to contest against the Brahmanical images, as suggested by Kancha Ilaiah, referred above, but also as a great Indian thinker.¹⁵

Endnotes

¹ Rodrigues, Velerian. (2012). *The Essential Writings of B. R. Ambedkar*. (ed.), New Delhi : OUP. pp. 6.

² Kumar, Prasanna. Chaudhary., and Srikant. (1917). Ibid. For a very lucid and chronological discussion on how post. the depressed class issues became talking point see (ed), *Swarga Par Dhawa*. Attack on the Paradise. Delhi : Vani Prakashan.

³ Ibid, pp. 22.

⁴ I am grateful to Bhaskar Chakraborty for his insightful address delivered at Rabindra Bharati University in which he saw in this address a true liberal mind in Ambedkar.

⁵ Velerian, Rodrigues. *op. cit.* pp. 13.

⁶ Bayly, Chris. (2011). *Recovering Liberties: Indian Thought in the Age of Liberalism and Empire*. Cambridge.

⁷ Seebohm, Frederick. (1904). *The tribal system in Wales, being part of an enquiry into the structure and methods of tribal society*. London : cited in. Bayly, C. A. (2012). *Recovering Liberties: Indian Thought in the Age of Liberalism and Empire*. Cambridge.

⁸ Kapoor, S. D. (2004). *Dalits and African Americans: A Study in Comparison*. Delhi : Kalpaz Prakashan. pp.15.

⁹ Even in (1947). when he had been close to the Congress, he insisted on separate political representation for the Depressed Classes. *Dawn* reported that, “As one who has suffered in his earlier days from the caste Hindu tyranny and ostracism he cannot easily be brought round the trust the Upper Classes among the Hindus nor can he safely place the destiny of his community to their tender mercies. Ambedkar, Dr. Babasaheb. *Writings and Speeches*. (Vol. XVII. Part 2), pp. 285-86. cited in Mahajan, Sucheta. (1947). *Towards Freedom*. (Part 1), Delhi : OUP. (2013). pp. 583-84.

¹⁰ Bandyopadhyay, Sekhar. (1920) has rightly pointed out that an All India Depressed Classes Conference was held in at Nagpur under the presidency of the Maharaja of Kolhapur, the actual dalit movement of national level started in this 1926 conference. See Sekhar Bandyopadhyay, *From Plassey to Partition: A History of Modern India*, Delhi, Orient Longman. (2004). pp. 354.

¹¹ Omvedt, Gail. (1994). *Dalits and the Democratic Revolution . Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India*. New Delhi : Sage. cited in Hardtman. Maria, Eva. (2015). *The Dalit Movement in India: Local Practices*. New Delhi : *Global Connections*. OUP. pp. 62.

¹² Babasaheb, Dr. Ambedkar. (1991, 1945). *Writings and Speeches*. (Vol 9), *What Congress and Gandhi have done to the Untouchables*. Bombay : cited in Hardtman. *op. cit.* pp.65.

¹³ Babasaheb, Dr. Ambedkar. (1994). *Writings and Speeches*. (Vol. 13), Bombay : cited in Hardtmann. *op. cit.* pp. 69.

¹⁴ Babasaheb, Dr. Ambedkar. (2012). All these passages are taken from Reply to the Mahatma. Valerine Rodrigues, *The Essential Writings*. New Delhi : OUP. pp. 306-322.

¹⁵ Ilaiah, Kancha. (1997, November). *The God of Little Men*. New Delhi : Biblio.

**Role of Manufacturing Sector in India and
Its impact on Trade Balance since Economic Reform**

Satendra Kumar¹

Deepshikha Sonker²

Dr. Pradeep Kumar Singh³

Overview-Manufacturing holds a key position in the Indian economy. The term industrialization is widely accepted as an indicator of economic development because by the development of industries and with the creation of its linkage effects, the economy gets a prime moving force. This results a faster increase in economic development of an economy. The manufacturing sector which is an essential component of industrial sector is treated as the back-bone of industrial development. If we trace out the development of manufacturing sector in India during the neo-liberalization period then it clearly reflects that it makes an essential contribution in industrial development. The contribution of manufacturing sector in GDP is approximately around 14 to 16 percent and its share in employment generation is about 12.0 per cent of the total India's labour force. India (with the exception of China) is currently the largest producer of textiles, chemical products, pharmaceuticals, basic metals, general machinery and equipment, and electrical machinery.

In the coming year, the sector importance to the domestic and global economy is set to increase even further as a combination of supply-side advantages, policy initiatives, and private sector efforts set India on the path to a global manufacturing hub. But the growth rate of manufacturing sector is not consistent rather its rate has fluctuating or volatile over the time period. This happens due to there are several internal as well as external hindrances exist. This has resulted a pressure on trade approach and according to the commercial approach it is believed that if the performance of manufacturing sector is up to the mark then it will directly reflect the better performance in terms of export and import policy. To maintain the sustaining growth in manufacturing sector it is important to implement the New Manufacturing Policy and New Investment Manufacturing Zones. It is also of utmost importance that mutual relationship between export-import for industrial development must be recognized by the union budget 2015-16. In the budget of 2015-16, infrastructure investment trust (IITs) and real Investment Trust (REITs) has been introduced for the purpose of industrial development, whose mechanism will be based on the modal of FDI and PPP. Kicking off the "MAKE IN INDIA" campaign, government's focus is on

¹ Junior Research Fellow, Deptt. of Economics, University of Allahabad, Allahabad - 211002.

² Assistant Professor, Department of Economics, University of Allahabad, Allahabad - 211002.

³ Assistant Professor, Department of Economics, University of Allahabad, Allahabad - 211002.

physical infrastructure creation, which would be beneficial for the development of industry areas.

Introduction

Manufacturing holds a key position in the Indian economy. The term industrialization is widely accepted as an indicator of economic development because by the development of industries and with the creation of its linkage effects, the economy gets a prime moving force. This results a faster increase in economic development of an economy. The manufacturing sector which is an essential component of industrial sector is treated as the back-bone of industrial development. If we trace out the development of manufacturing sector in India during the neo-liberalization period then it clearly reflects that it makes an essential contribution in industrial development. The contribution of manufacturing sector in GDP is approximately around 14 to 16 percent and its share in employment generation is about 12.0 per cent of the total India's labour force. India (with the exception of China) is currently the largest producer of textiles, chemical products, pharmaceuticals, basic metals, general machinery and equipment, and electrical machinery. The earlier perception about slow industrial growth during the last three years is at variance with the latest gross domestic product estimates, based on a new methodology and with 2011-12 as base year. The latter indicates an industrial recovery lead by mining and manufacturing. However, in the current year; credit growth, corporate performance, and the Index of Industrial Production continue to point towards slow industrial growth. Infrastructure growth in terms of eight core industries has been higher than industrial growth since 2011-12 and this trend is expected to continue.

Role and Importance of Manufacturing Sector

Manufacturing holds a key position in the Indian economy, accounting for nearly 16 per cent of real GDP in FY12 and employing about 12.0 per cent of India's labour force. Growth in the sector has been matching the strong pace in overall GDP growth over the past few years. For the, while real GDP expanded at a CAGR of 8.4 per cent over FY08-FY12, growth in the manufacturing sector was marginally higher at around 8.5 per cent over the same period. Consequently, its share in the economy has marginally increased during this time to 15.4 per cent from 15.3 per cent. Growth however has remained below that of services, an issue that has not escaped the attention of policy makers in the country. Strong growth has been accompanied by a change in the nature of the sector evolving from a public sector dominated set-up to a more private enterprise-driven one with global ambitions. In fact, according to UNIDO, India (with the exception of China) is currently the largest producer of textiles, chemical products, pharmaceuticals, basic metals, general machinery and equipment, and electrical machinery. In the coming year, the sectors importance to the domestic and global economy is set to increase even further as a combination of

supply-side advantages, policy initiatives, and private sector efforts set India on the path to a global manufacturing hub. India has emerged as a global manufacturing hub due to its cost competitiveness, skilled workforce and favorable government policies.

Furthermore, the most fundamental factor fostering growth in the sector is the presence of strong market locally. India is one of the fastest growing economies. The Consumer trend in the country is enabling domestic players to flourish and also attracting international players. During FY11, 41 out of 121 manufacturing sub-sectors registered excellent growth of more than 20 per cent. While the sector predominantly has been expanding, just five of 121 sectors shrunk during the period. Though the sector has registered strong growth in the past, the Indian market offers a wide range of untapped opportunities. India, which has placed high priority on infrastructure development, offers high growth for cement and power equipment manufacturers, with its current consumption pattern way below the world average. Another example is prospects in the food processing industry. The world second most populous country and one of the largest food producers processed a meager six per cent of the perishables.

Research problem

The manufacturing sector played an important role in the development of the industrial sector as the index of industrial production shown a higher growth rate since economic reform period. This has the dual effect on the economy on one hand; it increases the consumption level and on the other hand it rapidly providing the vent for surplus which in turn increases the exports of goods and services. But in the economic reforms period the growth of manufacturing sector showed more fluctuations (i.e. high prices of raw materials, lack of infrastructural facilities, impact of global crisis and other economical and political aspects) which further causes the fluctuations in export and imports of the India. But the rates of change of growth in the manufacturing sector as compare to the trade balance are not same. So, it becomes necessary to study these aspects in the light of the role of manufacturing sector in the industrial development as well as the trade development of the country.

Objectives

- To analyze the composite effect of manufacturing sector and Index of industrial production (IIP) on Trade Balance of India since Economic reforms period.
- To access the economic efficiency and growth of the manufacturing sector with its relation to export and import of India.
- To analyze the international competitiveness in areas of comparative advantages in industrial exports.

Research Methodology

This paper is based on secondary data. Secondary data are collected from various sources i.e. Annual Report of RBI, Economic Survey of India, CMIE, CSO, DGCIS, reputed periodicals, and journals, etc. To identify the trends in reference to the IIP and their impact on export–import growth of India, Compound Annual Growth Rate (CAGR) is used.

$$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\text{No. of years}} \right)} - 1$$

$$CAGR(t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{\frac{1}{t_n-t_0}} - 1$$

The collected time series data is analyzed by following four steps. Initially, correlation test is performed on the time series data to check the existence of multi-collinearity problem. The summary statistics for the different variables is calculated to know the basic characteristics of the variables. The ADF Test is applied to test the existence of stationarity problem in the time series data. Lastly, Granger-Causality Test is applied to test the causal relationship among the two important variables i.e. unidirectional as well as bidirectional.

Granger Causality Test

To answer the question related to the time series analysis whether there is any causal relationship (uni-directional or bi-directional) between two variables, a technique was developed by Granger in 1969 called Granger Causality Test. The Granger Causality Test involves testing whether lagged information on a variable Y provides any statistically significant information about a variable X in the presence of lagged X. The process of testing the Granger Causality is done with the autoregressive specification of bi-variate Vector Auto Regression (VAR). Compute $\text{lag_A} = \text{lag}(A)$, where A is the DV and lag_A is the INDV. $A_t = a + b_1 A_{t-1} + u_t$ This is the restricted regression. $A_t = a + b_1 A_{t-1} + b_2 B_{t-1} + u_t$ This is the unrestricted analysis.

Strategy of industrial development in Indian economy

In order to achieve the above objectives, it is important to formulate a suitable industrialization strategy. The strategies are-


- The sustainable industrial strategy of manufacturing- To create and develop appropriate institutions to promote the manufacturing industrialization and create a conducive environment for industrial development in the Indian economy.
- The industrial strategy of SOC and DPA- To promote inter and intra-sectoral linkages technique of manufacturing and index of industrial production (IIP).

Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform

And create an appropriate infrastructure and financial environment and their impact on exports and imports.

- The Strategy of trade promotion policy-Promote industrial exports and Develop national technological capability. Then promote the technological adaptation and innovation by introducing appropriate legal and incentive mechanisms of foreign trade policy.

Use based classification of India's Manufacturing Sector (Chart-1)



Source: Reserve Bank of India (RBI), Aranca Research

Trends analysis of manufacturing and IIP sector of India since reform period

Table: 1- Index numbers of industrial production (IIP)

Base Year : 1980-81 = 100				
Year	Mining & Quarrying	Manufacturing	Electricity	General
Weight	11.46	77.11	11.43	100
1991-92	222.5	206.2	257	213.9
1992-93	223.7	210.7	269.9	218.9
1993-94	231.5	223.5	290	232
Base Year : 1993-94 = 100				
Weight	10.47	79.36	10.17	100
1994-95	109.8	109.1	108.5	109.1
1995-96	120.5	124.5	117.3	123.3
1996-97	118.2	133.6	122	130.8
1997-98	126.4	142.5	130	139.5
1998-99	125.4	148.8	138.4	145.2
1999-00	126.7	159.4	148.5	154.9
2000-01	130.3	167.9	154.4	162.5
2001-02	131.9	172.7	159.2	167
2002-03	139.6	183.1	164.3	176.6
2003-04	146.9	196.6	172.6	189
2004-05	153.4	222.5	181.5	211.1
Base Year : 2004-05 = 100				
Weight	14.16	75.53	10.32	100
2005-06	102.3	110.3	105.2	108.6
2006-07	107.6	126.8	112.8	122.6
2007-08	112.5	150.1	120	141.7
2008-09	115.4	153.8	123.3	145.2
2009-10	124.5	161.3	130.8	152.9
2010-11	131	175.7	138	165.5
2011-12	128.5	181	149.3	170.3
2012-13	125.5	183.3	155.2	172.2
2013-14	124.7	181.9	164.7	172
2014-15	124.5	183.9	178.8	174.9

Source: Annual Survey of Industries & Economic survey & RBI portal, Government of India 2013-14.


Manufacturing sectors recent growth spurt: Clues from IIP

Manufacturing accounts for a large chunk of Indian industry, a fact borne out by the sectors 75.5 per cent share in the Index of Industrial Production (IIP). With CAGR of 8.7 per cent during FY08-FY12(FY 12 includes data from April 2012 to Feb13), the manufacturing sector helped the overall industrial sector get over low growth in the other two sub-segments of IIP, Mining and Quarrying (14.16 weightage in IIP) and Electricity (10.32 weightage in IIP) witnessed CAGR of 3.4 percent and 5.8 per cent respectively. On an even more encouraging note, the manufacturing sector has strengthened in FY11 compared to the previous fiscal analysis of 121 sub-sectors by the Confederation of Indian Industry (CII) reveals that only 5 of them recorded declines in FY11 compared to 25 in FY10. At the same time, key sub-sectors like

Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform


machine tools, ball and roller bearings, textile machinery, and utility vehicles recorded either excellent (above 20 per cent) or high (10-20 per cent) growth, thereby adding to value creation in manufacturing.

Figure: 2- Size of Manufacturing Sector in India



Source: RBI

Figure: 3: Growth in Real GDP, manufacturing and services



Source: RBI

Table: 2- Index numbers of major industry groups of the manufacturing sector

Serial no	Products	Weights Base:1993- 94 = 100	Weights Base: 2004- 05 = 100
1	Basic Chemicals & Chemical Prods.(except prods. of Petroleum Coal)	14.00	
2	Machinery and equipment other than transport equipment	9.57	
3	Food products	9.08	
4	Basic Metal and Alloy Industries	7.45	
5	Rubber, Plastic, Petroleum and Coal Products (5.73	
6	Cotton Textiles	5.52	
7	Non-Metallic Mineral Products	4.40	
8	Transport Equipment and Parts	3.98	
9	Metal Products and Parts (except Machinery and Equipment)	2.81	
10	Wood and Wood Products, Furniture and Fixtures	2.70	
11	Paper & Paper Products and Printing, Publishing & Allied Industries	2.65	
12	Other Manufacturing Industries	2.56	
13	Textile Products (including Wearing Apparel)	2.54	
14	Beverages, Tobacco and related Products	2.38	
15	Wool, silk and man-made fiber textiles	2.26	
16	Leather and Leather & Fur Products	1.14	
17	Jute and other vegetable fiber Textiles	0.59	
18	Basic metals		11.34
19	Chemicals and chemical products		10.06
20	Food products and beverages		7.28
21	Coke, refined petroleum products & nuclear fuel		6.72
22	Textiles		6.16
23	Other non-metallic mineral products		4.31
24	Motor vehicles, trailers & semi-trailers		4.06
25	Machinery and equipment n.e.c.		3.76
26	Fabricated metal products, except machinery & equipment		3.09
27	Wood and Wood Products, Furniture and Fixtures		3.00
28	Wearing apparel, dressing and dyeing of fur		2.78
29	Rubber, Plastic, Petroleum and Coal Products		2.03
30	Electrical machinery & apparatus n.e.c.		1.98
31	Other transport equipment		1.83
32	Tobacco products		1.57
33	Publishing, printing & reproduction of recorded media		1.08
34	Wood and products of wood & cork except furniture, articles of straw & plating materials		1.05
35	Paper & Paper Products and Printing, Publishing & Allied Industries		1.00
36	Radio, TV and communication equipment & apparatus		0.99

Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform

37	Luggage, handbags, saddler, harness & footwear, tanning and dressing of leather products	0.58
38	Medical, precision & optical instruments, watches and clocks	0.57
39	Office, accounting & computing machinery	0.31

Source: Annual Survey of Industries & Economic survey, Government of India 2013-14.

Table: 3- Index numbers of industrial production –Use-Based Classification

Year	Basic Goods	Capital Goods	Intermediate Goods	Consumer Goods	Consumer Durables	Consumer Non-durables
Base Year: 1993-94 = 100						
Weight	39.42	16.43	20.51	23.65	2.55	21.10
1991-92	226.9	266.8	173.2	190.8	320.5	175.1
1992-93	232.9	266.4	182.6	194.2	318.1	179.3
1993-94	254.9	255.4	203.9	202.0	369.4	181.7
Base Year: 2004-05 = 100						
Weight	35.57	9.26	26.51	28.66	5.37	23.30
1994-95	109.6	109.2	105.3	112.1	116.2	111.2
1995-96	121.4	115.0	125.7	126.5	146.2	122.1
1996-97	125.0	128.2	135.9	134.3	152.9	130.2
1997-98	133.6	135.6	146.8	141.7	164.9	136.5
1998-99	135.8	152.7	155.8	144.8	174.1	138.1
1999-00	143.3	163.3	169.5	153.0	198.7	142.5
2000-01	148.5	166.2	177.4	165.2	227.6	150.8
2001-02	152.5	160.6	180.1	175.1	253.7	157.0
2002-03	159.9	177.4	187.1	187.5	237.8	175.9
2003-04	168.6	201.5	199.0	200.9	265.4	186.1
2004-05	177.9	254.2	220.5	229.8	322.4	208.5
Base Year: 2004-05 = 100						
Weight	45.68	8.83	15.69	29.81	8.46	21.35
2004-05	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2005-06	106.1	118.1	106.6	110.7	116.2	108.6
2006-07	115.6	145.6	118.8	128.6	145.6	121.9
2007-08	125.9	216.2	127.5	151.2	193.8	134.3
2008-09	128.1	240.6	127.6	152.6	215.4	127.7
2009-10	134.1	243.0	135.3	164.3	252.0	129.5
2010-11	142.2	278.9	145.3	178.3	287.7	135.0
2011-12	150.0	267.8	144.4	186.1	295.1	142.9
2012-13	153.6	251.6	146.7	190.6	301.1	146.9
2013-14	156.9	242.6	151.3	185.3	264.2	154.0
2014-15	167.8	258.0	153.8	178.9	231.0	158.3

Source: Annual Survey of Industries, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, 2013-14.

India is on the threshold of major reforms and is poised to become the third-largest economy of the world by 2030. In the words of our Hon'ble Prime Minister, India offers the 3 'Ds' for business to thrive- democracy, demography and demand.

India's manufacturing sector has evolved through several phases from the initial industrialization and the license raj to liberalization and the current phase of global competitiveness. Indian manufacturing companies in several sectors are targeting global markets and are becoming formidable global competitors. Many are already amongst the most competitive in their sectors. An India account for 1.8 per cent of the world's manufacturing output. World quarter and 3.0 per cent in the second quarter of 2014-15, according to the United Nations Industrial Development Organization's (UNIDO) Quarterly Report on World Manufacturing Production. Growth rates in manufacturing are uniformly low worldwide because industrialized economies are experiencing slow growth and emerging economies are finding it difficult to sustain growth as they are facing low demand in the global market and in their domestic economies. The main items which have boosted world manufacturing output are tobacco products, other transport equipment, basic metals, radio, TV and communication equipment, and machinery and equipment. India ranks second in the world as per the 2010 global manufacturing competitiveness index (GMCI), prepared by the US Council on Competitiveness and Deloitte(USCCD).

The index factors in market dynamics as well as policy issues influencing the sector. India is ahead of major developed and emerging economies like the US, South Korea, Brazil and Japan. Looking ahead, India's competitiveness will increase further with its index score set to improve to 9.01 (out of 10) in the next five years from the 2010 figure of 8.15. In terms of rank, the country is set to maintain its global second rank over the same period. India's growing manufacturing exports: Tapping the global market India's manufacturing exporters have played a key role in promoting the sector's prowess to consumers across the world. While on one hand sectors such as textiles and gems and jewelry have been India's brand ambassadors in global markets since ancient times, the country has also made its presence felt in key industries such as engineering goods and chemicals. In fact, analysis of India's export data for FY11 reveals that engineering goods had the highest share in manufacturing exports (40.4 per cent), followed by gems and jewelry (25.2 per cent) and chemicals and related products (17.2 per cent). Overall, total manufacturing exports in FY11 grew to USD168.0 billion from USD115.2 billion in FY10. The sector's exports grew at a CAGR of 19.6% during FY08-11.

Statistical analysis of Net manufacturing value and trade balance of India

Table: 3 –Value of NVMS, IIP and Trade Balance

Base year 2004-0 5 (Incrore rupees)

Year	Net values of Manufacturing	Values of IIP	Values of exports	Values of imports	Trade balance
1991-92	243863.25	325151.12	44041.3	47851.1	-3809.8
1992-93	252537.10	336716.23	53688.4	63375.5	-9687.1
1993-94	267927.75	357237.45	697488.5	731773.5	-34285
1994-95	297729.93	389903.78	826734.1	899707.9	-72973.8

Role of Manufacturing Sector in India and Its impact on Trade Balance since Economic Reform

1995-96	333588.59	436863.12	106351.4	122678.4	-16327
1996-97	357477.05	468147.90	118817.2	138919.8	-20102.6
1997-98	369265.51	483585.67	130106.5	154176.9	-24070.4
1998-99	385225.51	504486.25	139751.7	178331.9	-38580.2
1999-00	409084.19	535731.34	159095.2	215528.3	-56433.1
2000-01	435688.02	570571.56	201356.5	228306.4	-26949.9
2001-02	447447.46	585971.45	209017.7	245199.2	-36181.5
2002-03	486699.55	637375.10	255137.8	297208.7	-42070.9
2003-04	516829.68	676833.90	293366.5	359107.6	-65741.1
2004-05	568695.68	744756.35	375340.3	501064.4	-125724
2005-06	622325.36	824272.80	456418.6	660408.0	-203989
2006-07	701113.385	928627.15	571779.9	838042.9	-266263
2007-08	773118.49	1023998.34	655863.5	1012313	-356449
2008-09	809119.91	1071682.80	840755.6	1374437	-533681
2009-10	885682.95	1173090.78	845533.5	1363736	-518202
2010-11	953355.11	1262722.11	1142921	1683468	-540546
2011-12	1034298.66	1369932.02	1459280	2345973	-886693
2012-13	1518183.45	2010839.08	1446627	2436565	-989937
2013-14	1700502.36	2252321.80	1905011	2715435	-810423
2014-15*	1795475.32	2378113.39	1465172	2134284	-669112

Source: Annual Survey of Industries, Ministry of Statistics and Programme Implementation & Economic Survey, Government of India 2013-14.[Note- * Two quarter]

Table: 4- Correlation Matrix

Variables	NVMS	VIIP	VX	VM	TB
NVMS	1.00	0.91	0.69	0.54	-0.78
VIIP		1.00	0.79	0.53	-0.83
VX			1.00	0.51	-0.88
VM				1.00	-0.91
TB					1.00

Source- Author's Calculation.

Note: NVMS- Net value of manufacturing sector, VIIP- Value of index of industrial production, VX - Value of exports, VM - Value of imports, TB- Trade balance.

The above table shows the correlation matrix among the variables. The correlations matrix helps to understand the problem of multi-colinearity in regression analysis. The variables for the correlation matrix are used in the analysis for their original levels as well as with the other variables. The correlation between net value of manufacturing sector and value of index of industrial production is very high i.e. 0.91, while it has average correlation with the value of exports and it has low correlation with value of imports.

Table: 5- Summary Statistics

Variables	NVMS	VIIP	VX	VM	TB
Effective number of observations	24	24	24	24	24
Minimum	47851	325151	44041	47851	-989937
Maximum	2715435	2378113	1905011	2715435	-3809

Sum	20747883	21348921	14399646	20747883	-6348226
Sample mean	864495.12	889538.37	599985.25	864495.12	-264509.41
Sample variance	706397537737	353885863598	290877632649	706397537737	100569485790
Sample standard error	.67	.41	.06	.67	.42
	840474.59	594883.06	539330.72	840474.59	317126.92

Source- Author's Calculation

Annual data collected from original sources are transformed into natural log to compress our data series. The Descriptive statistics is calculated to know the basic characteristics of the data and the concerned result is shown in table -5.

Table: 6-Augmented Dickey Fuller (ADF) statistics

Variables	Parameter Estimate	p-value	Level of significance at 5%	Stationarity
NVMS	-0.15	0.93	No	Non – stationary
D ₁ (NVMS)	-1.94	0.02	Yes	Stationary
VIIP	-0.15	0.89	No	Non – stationary
D ₁ (VIIP)	-1.61	0.03	Yes	Stationary
VX	-0.95	0.76	No	Non – stationary
D ₁ (VX)	-1.36	0.00	Yes	Stationary
VM	-0.06	0.63	No	Non – stationary
D ₁ (VM)	-1.11	0.04	Yes	Stationary
TB	-0.07	0.67	No	Non – stationary
D ₁ (TB)	-1.28	0.01	Yes	Stationary

Source- Author's Calculation [Note- D₁ – First difference]

The results of ADF test (has been used to check the stationarity of the series) are tabulated in table-4. The results show that all the series are non-stationary at the 5% significance level as the p-values of NVMS, VIIP, VX, VM, and TB is 0.93, 0.89, 0.76, 0.63, and 0.67, respectively. Their first differences of the series are found to be stationary at the 5% significance level as the p-values are near 0.00.

Granger Causality Test (uni-directional)

In the regression analysis, the dependent variable is (-TB) and independent variables is NVMS. Model $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + U_i$. Where, X_1 = - (Trade Balance), b_1 = Parameter Estimate of Trade Balance, X_2 = Net value of manufacturing sector, b_2 = Parameter Estimate of Net value of manufacturing sector, X_3 = Constant value, b_3 = Parameter Estimate of Constant value, UE = error term [$U | X_1, \dots, X_3$] = 0.

Table: 7: Granger Causality Test

Variables	Parameter Estimate	t- value	p-value	Level of significance at 5%
L_1D_1 (TB)	0.38	1.10	0.27	Insignificant
L_1D_1 (NVMS)	0.074	1.08	0.01	Significant
L_2D_1 (NVMS)	0.027	0.73	0.03	Significant
Constant	-50499.52	-1.78	0.02	Significant
R-square (R^2)			0.3141	

Source- Author's Calculation [Note- D_1 – First difference, L_1 & L_2 - First & second lag]

The net value of manufacturing sector is significant at first lag as well at second lag also. This means that there is granger causal relationship exists between the net value of manufacturing sector and trade balance.

Important facts:

Effective sample size (n):22, effective degrees or freedom is only 19, Variance of the residuals: 9610561538.19, Standard error of the residuals (SER): 98033.47, Residual sum of squares (RSS): 153768984611.18 (Also called SSR = Sum of Squared Residuals), Total sum of squares (TSS): 224179761375.51, R-square: 0.3141, Adjusted R-square: 0.1426

Granger Causality Test (bi- directional)

In the regression analysis, the independent variable is (-TB) and dependent variables is NVMS. Model $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + U_i$. Where, X_1 = Net value of manufacturing sector, b_1 =Parameter Estimate of Net value of manufacturing sector, X_2 = - (Trade Balance), b_2 = Parameter Estimate of Trade Balance, X_3 = Constant value, b_3 = Parameter Estimate of Constant value, UE =error term[$U|X_1, \dots, X_3$] = 0.

Table: 8: Granger Causality Test

Variables	Parameter Estimate	t- value	p-value	Level of significance at 5%
L_1D_1 (NVMS)	0.48	2.11	0.03	Insignificant
L_1D_1 (TB)	-0.25	-1.14	0.25	Insignificant
Constant	-30776.54	-1.11	0.16	Insignificant
R-square (R^2)			0.2633	

Source- Author's Calculation [Note- D_1 – First difference, L_1 & L_2 - First & second lag]

The net value of manufacturing sector is insignificant at first lag. This means that there is no granger causal relationship exists between the net value of manufacturing sector and trade balance.

Important facts:

Effective sample size (n):22, effective degrees of freedom is only 19, Variance of the residuals: 8944947635.44, Standard error of the residuals (SER): 94577.73, Residual sum of squares (RSS): 169954005073.39 (Also called SSR = Sum of Squared Residuals), Total sum of squares (TSS): 210679757838.70, R-square: 0.2633, Adjusted R-square: 0.1284

Multiple Regression Model

Model $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + U_i$. Where, $X_1 =$ - (Trade Balance), $b_1 =$ Parameter Estimate of Trade Balance, $X_2 =$ Net value in manufacturing sector, $b_2 =$ Parameter Estimate of Net value in manufacturing sector, $X_3 =$ Value of index of industrial production $b_3 =$ Parameter Estimate Value in index of industrial production, $X_4 =$ Value in exports, $b_4 =$ Parameter Estimate Value in exports, $X_5 =$ Value in imports, $b_5 =$ Parameter Estimate Value in imports, $X_6 =$ Constant value, $b_6 =$ Parameter Estimate of constant value, $UE =$ error term $[U | X_1, \dots, X_6] = 0$. In regression analysis, dependent variable is (-TB) and independent variables are NVMS, IIP, VM and VM.

Table: 7- multiple regression model

Variables	Parameter Estimate	t- value	p-value	Level of significance at 5%
D₁(NVMS)	4.34	1.24	0.03	Significant
L₁D₁(NVMS)	3.78	1.05	0.04	Significant
D₁ (VIIP)	5.23	1.18	0.03	Significant
D₁(VX)	9.58	4.89	0.31	Insignificant
L₁D₁ (VX)	6.96	3.34	0.04	Significant
D₁ (VM)	12.87	6.02	0.49	Insignificant
L₁D₁ (VM)	10.91	5.03	0.69	Insignificant
L₁D₁ (TB)	-8.73	-2.45	0.05	Significant
Constant	- 3402.239	- 3.01	0.01	Significant
Standard errors			49716.60	
R-square (R²)			0.5149	
Adjusted R-square (R²)			0.2471	

Source- Author's Calculation, [Note: D₁ – First difference, L₁ - First lag]

Important facts:

Effective sample size (n): 22, Variance of the residuals: 2956968641.9498, Standard error of the residuals (SER): 49716.604901, Residual sum of squares (RSS): 47311498271.1968 (Also called SSR = Sum of Squared Residuals), Total sum of squares (TSS): 224209991084.591, R-square: 0.5149, Adjusted R-square: 0.2471

Description of the analysis

The alternative hypothesis is accepted which means net manufacturing value has positive impact on trade balance. In addition to that, the net manufacturing values has also positive on trade balance on its first difference as well as first lag which

reflects that policies framed for manufacturing sector has immediate effect on trade balance without any time lag. Since economic reform period, the net manufacturing value has positive impact on exports but it has no impact on imports. The impact of net manufacturing value on exports is exactly equal to weight assigned to exports. This is also supported by the value of R^2 which comes to be significant. The significant result may be supported because of policies adopted regarding liberalisation in industrial sector (i.e. demand and supply driven), acting manufacturing policy, and supportive economic policies, etc.

It is also of utmost important that mutual relationship between export-import for industrial development must be recognized by the union budget 2015-16. In the budget of 2015-16, infrastructure investment trust (IITs) and real Investment Trust (REITs) has been introduced for the purpose of industrial development, whose mechanism will be based on the modal of FDI and PPP. Kicking of the “MAKE IN INDIA” campaign, government’s focus is on physical infrastructure creation, which would be beneficial for the development of industry areas.

Boost up approach of manufacturing and industrial development

In present scenario, to make faster increase in manufacturing and industrial sector and to reduce the impact of global financial crisis and sovereign debt crisis, government have introduced the incentive policies related to the sector concerned.

Ease of Doing Business and industry: To improve India’s low Ease of Doing Business Index ranking, reforms are being undertaken in areas such as starting a business, dealing with construction permits, registration of property, power supply, paying taxes, enforcing contracts, and resolving insolvency. The important measures that have been undertaken are liberalization of licensing and deregulation of a large number of defense products, processing of environment and forest clearances online, reducing the number of documents for exports, adoption of best practices by states in granting clearances and ensuring compliance through peer evaluation, self-certification, etc.

Make in India and development of industry: The Make in India programme is aimed to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property, and build best-in-class manufacturing infrastructure. Information on twenty-five sectors has been provided on a web portal along with details of FDI policy, National Manufacturing Policy, intellectual property rights, and the Delhi-Mumbai Industrial Corridor and other National Industrial Corridors. An Investor Facilitation Cell has been created in 'Invest India' to guide, assist, and handhold investors

E-Biz Project: Under the project a Government to Business (G2B) portal is being set up to serve as a one-stop shop for delivery of services to the investors and address the

needs of the business and industry from inception through the entire life cycle of the business. The process of applying for industrial license (IL) and industrial entrepreneur memorandum (IEM) has been made online and this service is now available to entrepreneur on 24x7 basis at the E-Biz website. Other services of the central government are being integrated on top priority.

Skill development: After the setting up of a new Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to promote skill and entrepreneurial activities, work is being undertaken on setting up common norms for skill training across central ministries/departments. Thirty- one industry/employer-led Sector Skill Councils (SSCs) are now operational and these have been aligned with the twenty-five sectors of 'Make in India'. To create a common standard for skills training and certification in the country efforts are on to align the National Council for Vocational Training (NCVT), school boards, and the University Grants Commission (UGC).

Labour sector reforms: A Shram Suvidha portal has been launched for online registration of units, filing of self-certified, simplified, single online return by units, introduction of a transparent labour inspection scheme via computerized system as per risk-based criteria, uploading of inspection reports within seventy-two hours and timely redressal of grievances. In infrastructure, the focus has been on resolving long-pending issues like pricing of gas, establishing processes and procedures for transparent auction of coal and minerals, and improving power generation and distribution. In railways, there have been several policy announcements such as 100 per cent foreign direct investment (FDI) to build a variety of rail infrastructure and new initiatives.

Limitations of study

In the Granger Causality Test the effect of net value of manufacturing sector on trade balance have been analysed though the Index of Industrial Production get affected by other economic and non-economic factors. In this analysis the other aspects like the depreciation value of industrial production, the capital consumed value of core industries and the production techniques are given. In contrast to this the evaluation in trade balance has been done on the basis of gross value of import and export. The analysis does not explain the effects of manufacturing sector on the current account of BOP. But the analysis could be done separately for the goods and services account. In this analysis the standard error or the estimation of the parameters in decimals of the regression model are recognised upto two digits. Instead of these errors the analysis has been performed to justify the objectives of the study in a simple way.

Conclusion

In economic reform period, the production of manufacturing sector has not been target oriented and due to this it hampers the target of Index of Industrial

Production (IIP). This has resulted wide fluctuations in the trade balance deficit over the time period. It can be recognized that there may be institutional and external factors which are responsible for this cause. As far as institutional factors is concerned, it consists of financial, managerial, labour related issues, etc and external factors includes international market fluctuations, global financial crisis, and rigidity in trade policies.

To wipe out these problems, it may be required to maintain proper coordination between monetary and fiscal policies, clear cut distinctions for investments in social overhead capitals and directly productive activities for the industrial sector, and it is also needed to properly evaluate the national manufacturing policies on regular basis i.e. quarterly, and half yearly. To improve the sustainability of the manufacturing sector in the long run, it is the need of the hour to promote the memorandum of understanding (MoUs) for industrial sector, Industrial SEZs, Park schemes and industrial corridor schemes, etc. For foreign trade policy, the focus must be given on FDI and DIPP. In nutshell, we can conclude that to achieve a faster and sustainable growth in the industrial sector the thrust must be provided on balanced and inclusive growth policies related to the sector by the government.

References

1. Ahluwalia, I. (1991). Productivity and Growth in Indian Manufacturing. New Delhi : Oxford University Press. pp. 14-18.
2. Annual Survey of Industries, (1994-95 & 1999). Various Issues (e.g), Department of Statistics Ministry of Planning and Programme Implementation. New Delhi.
3. Bishwanath, G. (2004, June). Productivity Trends in Indian Manufacturing in Pre and Post Reform Periods. Working Paper 137. ICRIER. New Delhi.
4. Bishwanath, G. (2011). Growth in Organized Manufacturing Employment in Recent Years. Economic and Political Weekly. (Vol. 46. No. 7).
5. Bishwanath, G. (2011). Organized Manufacturing Employment: Continuing the Debate. Economic and Political Weekly. (Vol. 46. No. 14).
6. Boyce, J. K. (1986). Kinked Exponential Models for Growth Rate Estimation, Oxford Bulletin of Economics and Statistics. (Vol. 48. No. 4), pp.345-391.
7. Chandra, P., & Sastry, T. (2002, June). Competitiveness of Indian Manufacturing. Findings of the 2001. National Manufacturing Survey. IIM. Ahmedabad : India.
8. Debroy, B. (2005, March). Unshackling India's manufacturing the ingredients of a strategy.

9. Deepita, C. (2003 & 2008, September 6-12). India's Manufacturing Sector & Policy Framework, *Economic and Political Weekly*. (Vol. 38. No. 36), pp. 3801-3805.
10. *Economic Survey*, (2014-15). Ministry of Finance. Government of India.
11. *Global Competitiveness Report (GCR)*, (2005). World Economic Forum (WEF).
12. Government of India, (1999). Various Issues. Index Numbers of Wholesale Prices and industry in India: Base (1993-94). *Monthly Bulletin* Ministry of Commerce and Industry. New Delhi : Udyog Bhavan.
13. Jose, J. Thomas. (2010). A review of Indian manufacturing, *India Development Report* (2002). & (2008). New Delhi : Oxford University Press.
14. Kohli, A. (2006, April). Politics of Economic Growth in India. 1980-2005. Part I: The 1980s. *Economic and Political Weekly*. (Vol. 16. No. 08.),
15. Lin, J. (2010). *New Structural Economics : A Framework for Rethinking Development*. Policy Research Working Paper 5197, And Washington D. C : World Bank.
16. Malhotra, R .E. d. (2012). policies for India's Development: A Critical Decade. New Delhi : Oxford University Press. pp. 25-47.
17. Nagaraj, R. (2006). *Aspects of India's Economic Growth and Reforms*. New Delhi.
18. *National Income Statistics*, Economic Intelligence Service. CMIE. (2005, August).
19. *National Sample Organization* (2000-05). Various Rounds, *Survey of Unorganized Manufacturing Sector*. New Delhi : Department of Statistics, Government of India.
20. Nayyar, D. (1994). *Industrial Development in India : Some Reflection on Growth and Stagnation* in Deepak Nayyar (Ed.), *Industrial Growth and Stagnation: The Debate in India* Bombay. Sameeksha Trust. Oxford University Press. pp. 219-243.
21. Rani, U., & Unni, J. (2004, October 9). Unorganized and Organized Manufacturing in India-Potential for employment generating growth. *Economic & Political Weekly*.
22. *Report on Reforming investment approvals and implementation procedures*. Dept. of IPP. (2002, November).
23. Reserve Bank of India, *Handbook of Statistics on Indian Economy* (Various Years e. g. 2009-10, 2012-13 & 2014-14), Mumbai : India.
24. Singh, A. (2009 & 2013). *The Past, Present and Future Of Industrial Policy in India: Adapting to the Changing Domestic and International Environment*. *Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation*.

25. Trivedi, P., & Lakshmanan, L. Jain, R. and Gupta, Y. (2011, June & 2014, April). Productivity, Efficiency and Competitiveness of Indian Manufacturing sector. Development Research Group Study (No. 37), Reserve Bank of India.
26. Union Budget, (2015-16). Ministry of finance, Government of India.

Emotional Intelligence in Tribal and Non-Tribal students

Mahesh Kumar Tiwari¹

Introduction :

Education forms one's attitude. Admittedly, this attitude is developed through three Hs – Head, Heart and Hand. This must have made Nelson Mandela (1995) to synthesize that it is a good head and good heart that makes a formidable combination. The three H concept develops 'whole person'. Each of them defines and determines the cognitive, affective and conative function of what Benjamin Bloom's taxonomy of educational objectives. While the head confines to cognitive domain, the heart to affective – on feeling and emotion; and hands to motoring – on kinaesthetic and action. A finetuning of these three domains will enhance the academic excellence of an individual. That was the immediate and distant goal. Daniel Goleman (1995, p 80) vividly places this: "To the degree that our emotions get in the way of or enhance our ability to think and plan to pursue training for a distant goal, to solve problems, and the like, they define the limits of our capacity to use our innate mental abilities, and so determine how we do in life. And to the degree to which we are motivated by feelings of enthusiasm and pleasure in what we do – or even by an optimal degree of anxiety – they propel us to accomplishment. It is in this sense that emotional intelligence is a master aptitude, a capacity that profoundly affects all other abilities, either facilitating or interfering with them."

Goleman (1995) has adapted Mayer and Salovey (1990)'s model into a version. He found most useful for understanding how these talents matter in working life. His adaptation includes the following emotional and social competencies:

Self-Awareness: This involves knowing what we are feeling at the moment and using this understanding to guide our decision making, having a realistic assessment of our own abilities and a well-grounded sense of self confidence. It also implies observing ourselves and recognizing our feelings; building a vocabulary for feelings and knowing the relationship between thoughts, feelings and reactions.

Self regulation: It includes self-acceptance, assertiveness, conflict resolution, communication and personal responsibility, handling your emotions, so that they facilitate rather than interfere with the task at hand, being conscientious and delaying gratification to pursue goals and recovering well from emotional distress. It involves feeling pride and sensing yourself in a positive way, recognizing your strengths and weaknesses; being able to laugh at yourself; stating your concerns and feelings without anger or passivity.

¹Research Scholar, Psychology, B.H.U.
E-mail. - tiwari141mahesh@gmail.com

Motivation: This involves using your priorities to move and guide yourself towards your goals; to help yourself to take the initiative and strive to improve and to preserve in the face of setbacks and frustrations.

Empathy: Empathy is sensing what people feel, being able to take their perspective and cultivate rapport and attunement with a broad diversity of people; understanding others' feelings and concerns and their perspectives and appreciating the differences in how people feel about things.

Social Skills: Social skills enable handling emotions in relationship well and accurately reading social situations and networks, interacting smoothly using these skills to persuade and lead and negotiating and setting disputes for cooperation and teamwork.

Personal Decision-Making: Examining your actions and knowing their consequences; knowing if thought or feeling is ruling a decision; applying these insights to issues such as sex and drugs.

Managing Feelings: Monitoring "Self-talk" to catch negative messages such as internal put-downs; realizing what is behind a feeling (e.g., the hurt that underlies anger); finding ways to handle fears and anxieties, anger and sadness.

Handling Stress: Learning the value of exercise, guided imaginary relaxation method.

Communication: Talking about feelings effectively; becoming a good listener and question-asker; distinguishing between what someone does or says and your own reactions or judgments about it.

Self-Disclosure: Valuing openness and building trust in a relationship knowing when it is safe to risk taking about your private feelings.

Insight: Identifying patterns in your emotional life and reactions, recognizing similar patterns in others.

Self acceptance: Feeling pride and seeing you in a positive light recognizing your strengths and weaknesses; being able to laugh at yourself.

Assertiveness: Stating your concerns and feelings without anger or passivity.

Personal responsibility: Taking responsibility; recognizing the consequences of your decisions and actions, accepting your feelings and moods, following through commitments (e.g. studying).

Group Dynamics: Cooperation, knowing when and how to lead, when to follow.

Conflict Resolution: How to fight fair with other kids, with parents, with teachers; the win-win model for negotiating compromise.

There cannot be a full-fledged and clear-cut definition for the concept “tribe”. In general terms a tribe may be defined as “indigenous, homogenous unit, speaking a common language, claiming a common descent, living in a particular geographic area, backward in technology, preliterate, loyally observing social and political customs based on kinship.” Etymologically, the term ‘tribe’ is derived from the Latin word ‘*tribus*’ meaning a particular kind of social and political units existing in our society.

“The adivasis are the indigenous or original inhabitants of India. According to Jacobs and stem, “cluster of village communities which share common tertiary, language and culture and are economically interwoven is often designed as tribe” (Samkara Rao, 1987, P.153).

In the present investigation, tribe refers to the tribe of Sonbhadra, Uttar Pradesh. Gond, Kharwar, Pannika and Koal are the four major tribes in District Sonbhadra.

Aim of the Study:

The aim of present study is to examine the relationship of Emotional Intelligence with self esteem and academic achievement among Intermediate school students.

Objective of the Studies:

Formulation of research objectives is a very important step in research investigation. Research objective is a statement that provides the basis for investigation and ensures proper direction in which the study should proceed. Research objectives are significantly important in every scientific investigation because they are the working instruments of the theory, have prediction values and also they are powerful tools for the advancement of knowledge and making meaningful interpretation.

The following research objective was formulated considering the investigation purpose to study the relationship between Emotional Intelligence and Self-esteem, Emotional Intelligence and academic Achievement, and Self-esteem and academic achievement.

- To find out the difference in Emotional Intelligence of Intermediate school Tribal and Non-Tribal student.

Hypothesis:

Tribal students will score less on Emotional Intelligence scale as compared to Non-tribal students.

Methodology:

In any scientific research, methodology plays a very significant and crucial role. In carrying out any research, it was necessary to carefully adopt appropriate research design, selecting standardized tools, choosing appropriate sample through appropriate sampling techniques, undertaking sound procedures for collecting data, tabulating them and analyzing the data by running suitable statistics. The details of the methodological steps of the present study follows:-

Participants:

In order to collect data the survey method was used. The sample for the present study consisted of 200 students of 15-19 years. Intact classes of XI and XII were taken from the eight inter-mediate schools of district Sonbhadra in which 100 tribal students and 100 non-tribal students. The mean age of the tribal participants was 16.73 years and the mean age of the non-tribal participants was 16.43 years. Further the sample was divided on the basis of gender. There are 50 tribal males and 50 non-tribal males, 50 tribal females and 50 non-tribal females. The mean age of male participants was 16.69 years and the mean age of female participants was 16.47 years. The sample was selected by purposive random sampling method.

Tool:

Emotional Intelligence Scale (Ajawani, 2008) was used to measure emotional intelligence level of the participants. The scale comprises total of 75 items, which intend to give scores on 15 dimensions of emotional intelligence broadly covered by 5 realms meta-factors: Intra-personal, Interpersonal, Adaptability, Stress management, and Mood management. This scale provides scores on 15 components of emotional intelligence apart of total EI score (Table 1). The fifteen components are: (i) Emotional Self-Awareness, (ii) Assertiveness, (iii) Self-Regard, (iv) Self-Actualization, (v) Independence, (vi) Empathy, (vii) Interpersonal Relationship, (viii) Social Responsibility, (ix) Problem Solving, (x) Reality Testing, (xi) Flexibility, (xii) Stress Tolerance, (xiii) Impulse Control, (xiv) Happiness, and (xv) Optimism.

All the items are framed in the form of a positive or a negative statement. The subject has to put to tick mark (✓) out of five options i.e., Always, Usually, Sometimes, Rarely, and Never, given in front of each item on a separate answer sheet. Positive items are scored as 5, 4, 3, 2, 1 for responses. Reverse scoring is done for negative items. On the basis of responses selected, total score is calculated. There is no time limit for completing the test. The maximum score on this scale is 375 and minimum score is 75. The test is found to be highly reliable and valid, the coefficients ranging from .69 to .88. Percentile norms have been developed to convert raw scores into standard scores. Higher score on emotional intelligence test is indicative of higher emotional intelligence.

Table 1: Details of 15 Dimensions of Emotional Intelligence Scale and Related Items (Ajawani, 2008)

S.No	Dimension	Description	Related Item
1.	A	Emotional Self-Awareness	1,16,31,46,61
2.	B	Assertiveness	2,17,32,47,62
3.	C	Self-Regard	3,18,33,48,63
4.	D	Self-Actualization	4,19,34,49,64
5.	E	Independence	5,20,35,50,65
6.	F	Empathy	6,21,36,51,66
7.	G	Interpersonal Relationship	7,22,37,52,67
8.	H	Social Responsibility	8,23,38,53,68
9.	I	Problem Solving	9,24,39,54,69
10.	J	Reality Testing	10,25,40,55,70
11.	K	Flexibility	11,26,41,56,71
12.	L	Stress Tolerance	12,27,42,57,72
13.	M	Impulse Control	13,28 43,58,73
14.	N	Happiness	14,29,44,59,74
15.	O	Optimism	15,30,45,60,75

Procedure:

The researcher collected the data from different schools from district Sonbhadra. Before the administration of the tools, the permission from the principals of the schools randomly selected for the purpose of the study was sought. After taking the permission of the Principal, the researcher introduced himself to the students and established rapport with them. Then, Emotional Intelligence Scale was distributed to the selected students. The students were imparted necessary instructions regarding filling general information about them in the scale. They were asked to put a tick mark (✓) in the category in which they think to be most appropriate for each item. When the scale was filled by all the students then Researcher took it back. Here, it is important to mention that when the tools were administered on the students, no school teacher was present with the researcher which helped in getting reliable and original information. To test the proposed hypotheses, the obtained data were analyzed in terms of Mean, Standard Deviation and t-ratio to compare the emotional intelligence.

Delimitations of the Study:

- The study is confined to the district Sonbhadra of the Uttar Pradesh.
- Only school of district Sonbhadra is included in the present study.
- The study is confined to secondary school students only.
- The study is confined to the +1 and +2 class students only.

Results and Discussion

This section embodies the results of the present investigation, its interpretation and discussion in the light of previous research findings related to the problem at hand. In order to ascertain the acceptability of the hypothesis formulated for the present study, the obtained data were analysed in different statistical terms.

Table-2: Mean, SD'S, and t-values between Tribal and Non-Tribal School Students on Emotional Intelligence Scale and its dimensions (N = 100 in each group).

Group	Tribal			Non-Tribal			t-Value
	N	Mean	S.D.	N	Mean	S.D.	
Emotional self Awareness	100	11.23	3.03	100	10.08	2.97	2.71**
Assertiveness	100	14.71	3.18	100	14.16	2.81	1.28 NS
Self Regard	100	14.47	3.36	100	13.75	2.80	1.65 NS
Self Actualization	100	15.21	3.37	100	15.19	2.78	0.05 NS
Independence	100	14.79	2.72	100	14.80	3.12	0.02 NS
Empathy	100	14.55	3.24	100	15.10	3.39	1.17 NS
Inter personal Relationship	100	16.80	3.14	100	16.69	2.61	0.27 NS
Social Responsibility	100	12.21	3.30	100	10.96	3.23	2.71**
Reality Testing	100	12.80	3.26	100	11.61	2.91	2.73**
Problem Solving	100	14.97	3.07	100	13.42	3.04	3.59**
Flexibility	100	15.44	3.08	100	16.26	3.07	1.89 NS
Stress Tolerance	100	14.57	2.99	100	14.42	2.57	0.38 NS
Impulse Control	100	14.13	3.26	100	14.79	3.16	1.45 NS
Happiness	100	14.63	3.06	100	15.16	2.94	1.25 NS
Optimism	100	14.76	3.17	100	14.28	2.86	1.13 NS
Over all Emotional Int.	100	215.27	12.87	100	210.67	9.33	2.89**

Note: ** = Significant at 0.01 level of significance, NS = Not Significant.

Scrutiny of the Mean Scores (Table 2) obtained by Tribal and Non-Tribal students on various dimensions of emotional intelligence reflects that tribal students scored higher on emotional self-awareness (M=11.23), social responsibility (M = 12.21.), reality testing (M = 12.80), problem solving (M= 14.97) dimensions as compared to non-tribal students.

Table 2 also shows that over all emotional intelligence score of tribal students were comparatively higher than that of the non-tribal students.

In the next step t-test was conducted to establish the statistical significance/ insignificance, of the pattern of mean difference between tribal and non-tribal students and it was found that mean difference was statistically significant only for emotional awareness, social responsibility, reality testing and problem solving dimensions, whereas mean difference for all other dimensions could not be established statistically significant. Again it may be noted that ethnic difference were found on over all emotional intelligence scores.

References :

1. Bandura, A., & Freeman, W. H. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York : & Co.
2. Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (Eds). (2000). *The Handbook of Emotional Intelligence*, San Francisco : Jossey-bass.
3. Baron. R., & Parker, J. D. A. (Eds). (2000). *The Handbook of Emotional Intelligence*, San Francisco : Jossey-Bass.
4. Boyatzis, R. E., & Goleman, D. and Rhee., K. (2000). *Clustering competence in Emotional Intelligence*. Insight from the *Emotional Competence Inventory (ECI)* in R. Baron and J. D. A. Parker (Eds). *The Handbook of Emotional Intelligence*. San Francisco : Jossey-Bass.
5. Cuilarrochi, J. Forgas., & John, D. Mayer. (Eds). *Emotional Intelligence in Everyday Life : A Scientific Inquiry*. NY : Psychology Press.
6. Daniel, Goleman. (1996). *Emotional Intelligence*. New York : Bantam Books.
7. Gakhar, John. Lakra. (2007). *Tribal Culture*. Ranchi : Catholic Press.
8. Goleman, D. (1950). *Emotional Intelligence: Why It Matters More Than IQ*. New York : Bantam Books.

9. Nandwana, S., & Joshi, K. (2010). Assessment of Emotional Intelligence of Tribal Adolescents of Udaipur : An Exploratory Study. *Stud Tribes Tribals*. (Vol. 8. Issue 1), pp. 37-40 retrieved from.
10. Talesara, H. (1994). *Social Background of Tribal Girl Students*. Udaipur : Himanshu Publications.
11. www.google.co.in/url?Sa=t&rct=j.Sg=AFQjCNE303bEDCuYSmWfdk2YFNEJXvuEQ retrieved on 24/04/2013.

An Exploratory Analysis of Evolution of Reproductive Health in India
with special reference to Communication

Subhash Chandra Bose¹

Overview-Health is an important segment of human life on which building of development of human being is based. In condition of bad health, no one can growth properly. There are many health problems which affect the development of human being but reproductive health is one of them. It is understood that problems of reproductive health might be exist since advent of human civilization but it came to known widely when communication started to focus on it. The government of India had included the problem of reproductive health in its agenda. Consequently, the government started programme on control of population under reproductive health from its first five year plan.

Though, after some time communication had been seen as a tool to make successful the population control programme and was involved in third five year plan in 1961. From then to now efforts from many agencies are going on in the health sector but still result is dissatisfactory. Health is a fundamental right which is described in Charter of the United Nations. Article 55 of the chapter 9th of the Charter of United Nations focuses on health along with other issues which is committed to promote health and other issues in respect people to live with self-respected and peaceful life.

Many steps have been taken by the government to keep better maternal health, infant health, etc. in which National Health Mission and National Rural Health Mission are one of the important step but it is still inadequate. The researcher will look the status of reproductive health in India before and after independence. The objective of the present study is to analyze the data of reports and also to go in the historical background of reproductive health with special reference to communication as what communication can do for the betterment of vulnerable segment of society regarding reproductive health.

Introduction:

Health awareness has increased during the last years. Whether it is television, radio, web media or newspapers and magazines, all have given space to the health issues in their programmes. It has been rightly said long time back that 'health is wealth'. If health is in bad condition, then all things would be in bad condition. It is the result of education and awareness campaigns that people are conscious about health. Among all the health issues reproductive health is one of the major issues which has significance in human society. Reproductive health issues have attained

¹ Research Scholar, Deptt. of Journalism and Mass Communication, BHU.

higher international visibility and renewed social and political commitments in recent decades. After International Conference on Population and Development (ICPD) 1994, the concept of Reproductive Health attracted a wide attention among academicians, researchers and in various government and NGOs' programmes and activities. It has a multidimensional sphere which generally includes pregnancy, child birth and post partum care, breast feeding, maternal and infant nutrition, infertility, sexual behaviors, STDs and HIV/AIDS, reproductive rights and freedom and women's status and empowerment.

If we look into the attempts made by Indian government in this sector, we find that the government launches several programmes related to reproductive health from time to time and keep on updating its strategies in order to improve health status of women and children like national health mission, national rural health mission etc. These efforts can be seen on the international level as well, like the one of the targeted goal of Millennium Development Goal Programme of United Nations is to combat with serious diseases and improve maternal health. However, despite of all these programme and efforts, many studies have revealed that the situation of reproductive and child health in India is very alarming. Therefore, the researcher tries to understand the nature, necessity and importance of reproductive health. This is an attempt to develop a basic idea in light of the reproductive health in India in relation to communication having particular reference of its historical background.

Reproductive Health

Reproductive health is defined as a state of physical, mental, and social well-being in all matters relating to the reproductive system, at all stages of life. Good reproductive health implies that people are able to have a safe sex life, the capability to reproduce and the freedom to decide when, and how often to do so. Men and women should be informed about and have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of family planning of their choice, and the right to appropriate health-care services that enable women to safely go through pregnancy and childbirth.

It is an integral part of the vision that every child is wanted, every birth is safe, every young person is free from HIV, and every girl and woman is treated with dignity. Implicit in this vision is the idea that men and women will be able to exercise their rights to information on and access to safe, affordable and acceptable methods of fertility regulation as well as quality health care services. The latter will enable women to experience safe pregnancy and childbirth, across the world. Poor women, especially in developing countries like India, suffer disproportionately from unintended pregnancies, maternal death and disability, sexually transmitted infections including HIV, gender based violence and other problems related to their reproductive system and sexual behavior. For having better understanding about

these issues let us have an eye on its historical and current status in particular reference with India.

Historical Reference of Reproductive Health

The above mentioned statements clearly signify the importance of reproductive health in human life. It covers a wide range of well being of women along with nurturing of infants. Here, the researcher has made an attempt to know the status of reproductive health issues during the colonial era in India. Since, it is very vast to investigate about reproductive health with a historical touch. Therefore, it would be appropriate to categorize the era as Pre-Independent and Post-Independent for better understanding about the inception.

Pre-Independent Phenomena: The issues of reproductive health is as old as human civilization but it came in the notice of the society and recognized with term as Reproductive health during nineteenth and twentieth century. During this era reproductive health was not given much importance, 'Zenana' or 'Dai' were the key persons who were playing their role as a service provider for the sake of safety of women during parturition.¹ These services were quite risky and dangerous as far as women health was considered. It appears from the available record that due to untrained 'Dai' the delivery of baby was unsafe and maternal health (**Maternal Health** is the health of women during pregnancy, childbirth, and the postpartum period. It encompasses the health care dimensions of family planning, preconception, prenatal, and postnatal care in order to reduce maternal morbidity and mortality) was also badly affected. There were no agencies or institutions for medicalization of child birth. Communication was not directly linked with the health care sector. Whereas, abroad communication was being used as a tool for effective solutions related to health issues as Rockfellow Foundation (a philanthropic organization) emphasized on communication to sort out the mental problem but in the field of reproductive health it was not included. India accepted the importance of communication and consequently included it in the third five year plan in 1961 regarding population control and family planning.

Colonial Era: In a Study on '*Contraception, Colonialism and Commerce-Birth Control in South India, 1920-1940*' Dr. Sarah Hodges focuses on Birth Control in India during colonial period. She tells that people were familiar with history of family planning in India which was taken up as a social reform movement during this period. It was never a part of policy of government. The people who were involved to persuade women for adapting contraception, they were social worker. Birth control was taken up by some colonial constituency as a social work only. At that time child marriage was commonly practiced. To stop child marriage various efforts in form of social movement had begun. If a girl is married off in her early age, she would not be able to conceive baby and if she conceives then baby would not grow and mother

would suffer from various diseases like anemia, weakness etc. In these ways it was found that the reproductive health of mother was in dangerous condition.

She further tells that in colonial rule, women health was cured and cared by administration and social agency. As a result, private hospitals for women were opened during mid-century in India, but for most part, the colonial state funded entirely or substantially funded the budgets for the majority of health provisions for women, including private philanthropic initiatives and mission medicine. Further it appeared that by the last third decade of the nineteenth century, missionaries were functioning across India. It provided more attention on female medical care through qualified medical practitioners than the state. While on the other hand, the industrial sector played a significant role in providing health care for women labourers.

Missionaries: Missionaries have contributed a lot for the sake of betterment of women health in India. With the endeavour effort of missionaries and other agencies, child birth started to register and maternal mortality rate began a steep decline after 1940. Available data suggested that maternal and infant mortality rates were significantly higher in India than in England during the final decades of the nineteenth and the first decades of the twentieth centuries. Yet the move to medicalise birth (hospital birth), began in India during the middle of the nineteenth century, far before there were any substantive improvements in hospital birth outcomes for mothers or their babies. Whereas, the other sources tells that colonial setting in India worked significantly in the field of women health as missionaries started to give training to health care workers. ‘Dais’ were made aware medically so that they could serve women better. For example, Lady Curzon established the relatively high profile Victoria Memorial Scholarship Fund in 1903 to train indigenous midwives. By 1912 this fund had set up centers in fourteen different states and trained 1395 midwives.

Dufferin Fund: By the last decades of the nineteenth century, momentum for the medicalization of childbirth in India gained a high profile due to the initiative of the Countess of Dufferin. In 1885, the Countess of Dufferin set up the National Association for Supplying Female Medical aid to Indian women, with Queen Victoria as its patron. The fund aimed to provide medical relief to each woman, and also to provide women’s medical education. The Fund employed women doctors and began to build hospitals. Although the Fund lost momentum after 1888, it provided a lasting institutional legacy and infrastructure for a more formalized provision of medical care to women by women.²

This Fund advocates argued that practices of gender segregation in India urgently called for the supply of medical women. This fund helped to women doctors in India mobilized the category of the ‘zenana women’. Zenana or secluded women were portrayed as prevented from seeking qualified medical aid in childbirth due to

bearing the double burden of the absence of qualified women medical practitioners and their reluctance to consult male physicians. These arguments were supported retrospectively by figures that reported that by the 1920, female doctors in the United Province in North India were making more than seven thousand visits to women in their homes. In other words, the services offered were readily taken up.

Women's Medical Service: A separate agency was made in this sector in 1914 in India as Women's Medical Service (WMS). The officer of WMS not only served as clinicians, but the WMS also produced a pool of practitioners with specific expertise on the health of Indian women. Members of this agency were deputed throughout the early decades of the twentieth century to run official enquiries into any number of medical conditions peculiar to women in India. In addition to serve as the rationale by which medical women in India were able to enter the profession, zenana principles also served as the basis for a distinct design of maternity hospitals and changed the figure of number of women in case of visiting hospital for institutional delivery and medicalization of child birth. By 1885, figures presented that women between 15-20 percent of the total number of patients attending hospitals (Yet it was only 2.5 percent of the total number of women who went to hospital).³

Given the centrality of the 'zenana' to women's entry into medicine as patients and practitioners, there was a substantial correlation between the gender of the doctor and that of the patient. As it has been observed that there were only two female doctors in India in 1929, the medical women in India are regarded from the beginning more or less as a specialist in obstetrics and gynecology. Formal medical education for women started in India in 1875 when four women got the opportunity to study in Madras Medical College. Bombay followed closely behind and Agra and Lahore also began educating medical women in the 1880s. By 1884 Calcutta Medical College began to take women students, and the Dufferin Fund prompted municipalities to provide scholarships for women to be trained in medicine. In 1916 the Lady Harding Medical School for Women opened in Delhi. By 1937, four hundred and seventy five women were studying in medical colleges in India.

Post Independent Phenomena: After the freedom one of the biggest problems for the country emerged in the form of large population. Hence, government focused on controlling the population and made different policies as population policy and started five year plan as well. Through the first five year plan population control was taken care in which reproductive health was one of the most important agenda. Whereas, communication was sought as key to achieve the target of population control and included in policy during third five year plan in 1961.⁴ Indian government started to promote national efficiency and hygienic progress in this sector. There are some conclusion based on reproductive health which is analyzed from different articles, journal and reports of scholars.

A study on health status and access to health care services which is done in 2004, presents the scenario of women health in India. The report suggests that the status of Maternal Health and Child Health in India are not satisfactory. It tells that public health services in India provide immunization services, especially, to children and pregnant women. Certain nutritional supplements are also being provided under the child development programmes. Maternal health services include care during parturitions, procreation and post partum period is also provided free by primary health care centers, government maternity home and hospitals. Many private hospitals also provides maternal as well as children health care services. Yet, maternal and children health care is in dissatisfactory condition. Further, it also specifies that infant mortality rate was very high in the middle of the twentieth century. Every fifth of the newborns died before completing their one year. Though, it was declined substantially over a period of time but its level is still high than the level of any other developed country of the world. It says that about 500,000 women die every year from complications during pregnancy and childbirth and most of these deaths occur in developing countries (WHO 1999 cited in IIPS, ORC Macro, 2000, P-195). Since, it fails to appear in the report of all countries, yet it is estimated that maternal mortality rate in South Asia is very high. Whereas, the NFHS-2 (1998-99) reported that the maternal mortality rate were quite high in India i.e. 540 per 100,000 live births. This clearly states that more than 100,000 women in India die annually due to complications related to pregnancy and childbirth.⁵ The finding of this study reinforces the urgency of ensuring that all pregnant women receive adequate antenatal care during pregnancy, and that all deliveries take place under hygienic conditions with the assistance of trained medical practitioners.

On the other hand, National Family Health Survey (NFHS-3) India 2005-06 (2009) presents the nutritional status of women and children in India. This provides a clear evidence of the poor state of nutrition among young children, women and men in India and the lack of progress over time, based on measurements of height and weight, anemia testing, testing for the iodization of household cooking salt, utilization of nutrition programmes, and information on child feeding practices and vitamin A supplementation. Young children in India suffer from some of the highest levels of stunting, underweight, and wasting observed in any country in the world and seven out of every ten young children are anemic. The percentage of children under five years who are underweight is almost 20 times as high in India as would be expected in a healthy, well nourished population and is almost twice as high as the average percentage of underweight children in sub Saharan African countries. Since poverty is an important factor regarding the poor nutrition situation, nutritional deficiencies are widespread even in households that are economically well off. Inadequate feeding practices for children make it difficult to achieve the needed improvements in children's nutritional status, and nutrition programmes have been unable to make much headway in dealing with these serious nutritional problems.


An Exploratory Analysis of Evolution of Reproductive Health in India with special reference to Communication

Adults in India suffer from a dual burden of malnutrition. Almost half of Indian women age 15-49 (48 percent) and 43 percent of Indian men age 15-49 have one of these two nutritional problems. Although the percentage of women and men who are overweight or obese is not nearly as high as it is in many developed countries, this is also an emerging problem in India that especially affects women and men in rural and urban areas both.⁶ The frequency of anaemia among women can be understood by the figure giving underneath.


Trends in Anemia among ever-married women 15-49 years

Ratio of Anemia among ever married women (15-49)

■ Severe ■ Moderate ■ Mild ■ Non Anemic




Source: NFHS-2



From the above figure, it is clear that around half of the total populations of women are suffered from anemia. This is a serious issue in context of health of women which create pressure on think about women health.

Whereas, In another study on maternal and child health in India some facts has been explored which deals with mainly the social determinants related to rural women and children's health and analyze the accessibility of services to the targeted people and status of their health. The study gives the positive sign of above initiatives and indicates a huge increase in utilization of the JSY scheme. In order to reach the stated goal of 80 percent institutional deliveries, more capacity needs to be created in health systems to cater to the JSY, it is necessary to state that the impact of the policy initiatives on addressing inclusion have to be seen in deductive terms. The measurable change is in terms of health indicators i.e. MMR and IMR. However, it is possible to assume that such changes are due to the policy and programme shifts focusing on the women below the poverty line who by and large belong to the under privileged castes in India.⁷ Moreover, the strong linkage between such focused action and the reduction in inequity is evident from a larger share of JSY beneficiaries among the women accessing facility based care for deliveries under which status of maternal and infant health have proven better. In this regard, the reports of the National Rural Health Mission that shows a good improvement in maternal mortality and infant mortality rate.⁸



Source: www.nrhmms.nic.in

Indian government is committed to provide affordable healthcare access to every one through public sector initiatives. Hence, the government is focusing more on health care sector and has made a good shape of budget for health care sector, as it was allocated 1,40,135 crore rupees for eleventh five year plan (2007-2012) whereas it has been allocated 3,84,223 crore rupees for twelfth five year plan (2012-17) for sake of good health and access to affordable healthcare to all.⁹

Another study talks about analysis of the National Rural Health Mission Programme and shows vast improvement in the health sector especially in rural sector which is quite surprising. It reveals that the number of primary health centres (PHCs) have increased from 22,699 in 2006 to 24448, Sub Centres (SCs) from 1,46,026 to 1,51,684 and Community Health Centres (CHCs) from 3,910 to 5,187 in 2013. Number of government hospitals and beds has increased slightly from the year 2007 to 2008, which was fixed until 2011, followed by a steep rise in the year 2012. At present average rural population covered by SCs are 5,624 against the norm of 3,000-5,000, by PHCs 34,876 against the norm of 20,000-30,000 and by CHCs 173,235 against the norm of 80,000-120,000¹⁰ indicating that at least there are

enough health care centers to serve the population but it is still inadequate. However, due to their uneven distribution between urban and rural area a large population is still far from these facility.

Communication and Health Information:

It is defined that communication is a process of sharing ideas between two or more individuals. Communication is linked with various activities and sector of human being. Within the health communication field, communication is conceptualized as the central social process in the provision of health care delivery and the promotion of public health. The centrality of the process of communication is based upon the pervasive roles communication performs in creating, gathering, and sharing "health information." Health information is the most important resource in health care and health promotion because it essential in guiding strategic health behaviors, treatments, and decisions (Kreps, 1988).

Health information is the knowledge gathered from patient interviews and laboratory tests that is used to diagnose health problems. Health care providers and consumers use their abilities to communicate to generate, access, and exchange relevant health information for making important treatment decisions, for adjusting to changing health conditions, and for coordinating health preserving activities. The process of communication also enables health promotion specialists to develop persuasive messages for dissemination over salient channels to provide target audiences with relevant health information to influence their health knowledge, attitudes, and behaviors.

While communication is certainly a powerful process in health care, the dynamics of communication in health contexts are quite complex. The communication channels used are numerous, and the influences of communication on health outcomes are powerful. In the present era there are many powerful medium of communication channels and one amongst them is in the form of New Media. It is a new platform of communication where people can interact via mobile/smart phone, internet, social networking platforms, etc. These new medium tools can be used for propagating health information in respect of women as well as other segment of society. In India where most of the women in rural areas are facing enormous challenges particularly problem of maternal health, mortality, morbidity, malnutrition, child birth complexity, etc. mobile phones can play its positive role in making aware about reproductive health among women of rural areas. An example of case study herewith is presented in this regard.

This study was initiated by Vodafone Foundation in association with Digital Empowerment Foundation on the issue of 'Maternal Health Services on Mobile.' It was projected at 4 primary and 5 other neighboring villages of the Katari cluster in the Ghatampur block in Kanpur Dehat (Rural) district of Uttar Pradesh. Mobile

phone was used to circulate vital information regarding Reproductive and Child health related information services directly to the pregnant and lactating women through localized SMS in Hindi. To receive the service, firstly, registration is done manually of pregnant women and then the details are recorded on the Content Management System (CMS) and it automatically sends out 2 SMS alerts to the registered users at calculated time for 40 weeks during pregnancy. General healthcare information, nutrition, specific messages for ante-natal check-up, vaccine, iron folic supplements and movement of baby are delivered to the registered women during this phase.

This mobile based health care project can directly influence the understanding of Maternal Health Services among rural population. Such communication through this new medium with masses can improve the health conditions of pregnant women significantly leading to a healthy society.

Conclusion:

The case study mentioned above is seen as one of the tools of communication which played its role for the betterment of '*aadhi abadee*' (women). If all the tools of communication would be used to improve reproductive health of women then the status would be completely different. Undoubtedly, communication is a powerful weapon to solve the health related issues especially about reproductive health in rural areas so that the women could play their role in growth of society. The studies have already stated that reproductive health concerns cut across many socio-economic aspects and the health sector alone cannot resolve them. To a greater extent several health problems and their costly consequences can be averted if reproductive health is routinely addressed within the context of primary health care as a first line of prevention and care. To achieve this, it is vital to strengthen health systems, build trust among the communities they serve and expand access the various reproductive health programmes where new medium of communication can play a big role. It will be a step towards making access to affordable health care services especially to the rural women and children who are considered as vulnerable section of the society.

Endnotes

¹ Sarah, Hodges. Reproductive Health in India- History, Politics, Controversies, Orient Longman Private Limited, New Delhi. pp. 4.

² Sarah, Hodges. Reproductive Health in India- History, Politics, Controversies, Orient Longman Private Limited. New Delhi. pp. 6. Website : [http://www.youtube.com/An interview of Sarah Hodges on Reproductive health in colonial India](http://www.youtube.com/An%20interview%20of%20Sarah%20Hodges%20on%20Reproductive%20health%20in%20colonial%20India).

³ Sarah, Hodges. Reproductive Health in India- History, Politics, Controversies. Orient Longman Private Limited. New Delhi : pp. 7.

⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Retrieved on 10.12.2015.

⁵ <http://www.dalitstudies.org.in/download/wp/0604>. pdf retrieved on. 23.10.2014.

⁶ <http://www.dalitstudies.org.in/download/wp/0604>. pdf.

⁷ http://www.who.int/sdhconference/resources/draft_background_paper8_india.pdf retrieved on 4.09.2015.

⁸ <https://nrhmmis.nic.in/Pages/RHS2015.aspx?RootFolder=%2FRURAL%20HEALTH%20STATISTICS%2F%28A%29RHS%20-%202015&FolderCTID=&View={C50BC181-07BB-4F78-BE6F-FCE916B64253}> retrieved on 2.2.2016.

⁹ Website: [http://www.nistads.res.in/images/bulletin/Healthcare%20Bulletin%20Final%2028-3-15%20\(1\).pdf](http://www.nistads.res.in/images/bulletin/Healthcare%20Bulletin%20Final%2028-3-15%20(1).pdf) On 5.2.2016.

¹⁰ <https://nrhmmis.nic.in/Pages/RHS2015.aspx?RootFolder=%2FRURAL%20HEALTH%20STATISTICS%2F%28A%29RHS%20-%202015&FolderCTID=&View={C50BC181-07BB-4F78-BE6F-FCE916B64253}> retrieved on 2.2.2016.

Micro-politics in educational institute and Curriculum Development

Ajeet Kumar Rai¹

Manoj Kumar Rai²

Introduction:

Curriculum development is a comprehensive and concerted process that demands a series of deliberations by those involved in the process taking into consideration a plethora of issues ranging from practical problems of the curriculum implementers to the nations ideals. Any institute of education maintains and sustains its relevance through its curriculum. Curriculum development is a regular feature of any institute of higher education. Higher Education Institutes are responsible for the development of its own curriculum within the broader framework of guidelines and recommendations from concerned apex bodies in the relevant discipline (for example NCTE provides guidelines for developing curriculum for teacher trainees). This is the trend observable in autonomous institutes of higher education.

Curriculum development is however a complex process since multiple perspectives should be ideated and explored in understanding the process of curriculum development within an organizational structure. Institutes are organizations and organizations are considered as “socially constructed artifacts”(Letiche, 2007,188 as quoted in Willner, 2011). Being *socially constructed artifacts*, the institutional or organizational activities as well has a social facet that should be taken into consideration while deciphering or explaining the organization or its activities. By extension of this argument, curriculum development as an organizational activity should be investigated or explored with an eye on the social aspects of the process.

The conventional trend to interpret the process of curriculum development is to adopt a purely rationalist approach wherein the whole process is considered to be highly structured. The conventional approach is therefore also termed as the structure centred approach. The ‘structure centred’ approach suggests that any educational institute “functions in linear logical way” and that the decisions are made “formally within the boundaries of prescribed structures”. Within the structure centred approach the curricular decisions are therefore considered to be free of the context in which the decisions are taken. Such structure centred approach however fails to capture the nuances of the social forces operational in the process and their manifestations. One cannot decipher a human enterprise including the process of curriculum development without taking into considerations the form and nature of human forces involved. Whenever human forces are involved there is inevitable involvement of dominance and power strategies, that takes the form of “co-operation or collegiality” at one end

¹ Assistant Professor, Department of Education, B.H.U., Varanasi.

² Assistant Professor, Deptt. Of Peace and Development, M.G.A.H.V., Wardha, Maharashtra.

and of “ambiguities, ambivalences, and contradictions” at the other end (Willner, 2011).

What is being emphasized over here is not a negation of the structured centred or rationalists approach to curriculum development. Rather the aim is to highlight that the context in which curricular decisions are taken are as important as the rationalist ideals in the process of curriculum development and the significance is substantiated by the social nature of the whole process. To be more specific there is a need to explore and understand the phenomena of curriculum development from a wider perspective including the perspective offered by understanding of human interactions that inevitably involves politics or power display to achieve individual or collective goals. Curriculum development like any other institutional activity is also infested with politics which is a regular feature rather than an exception.

Deciphering Micro-politics

Politics and hence micro-politics refers to display of power in human interactions to influence others and take decisions to achieve personal or collective goals where power is interpreted as a vehicle for “altering behaviour of others” and its use is subject to “opportunities to exercise influence” (Blasé, 1991, p.74). In terms a person P has power over another person Q if P can cause change in relational behavior of Q along some predetermined course (Ball & Peters, 2005 [1971], p.33). The context for politics in education can be a micro level activity or situation or it may be some macro-level event or phenomena involving educational issues and policies at a much broader level. Politics in education irrespective of the level of the context (micro or macro) is a substantiated reality the existence of which is acknowledged unequivocally.

Micro-politics is a term that was used in the literature for the first time by Innaccone (1975) originally in the context of school management and administration. According to Innaccone (1975) micro-politics signifies a conflict of ideologies of different social sub-systems (teachers, administrators, students etc.) constituting the internal organizational system. It is sort of nexus between the formalized structure of the organization and its functioning on one hand and the informal structure of various sorts of influences and dominance operational within the comprising of various organizations (2009, al., et., Smeed) organization

politics involves micro analysis-Micro. It involves analysis of the decision making process and politics inherent to such processes. Blasé (1991) has further defined micro-politics taking a comprehensive view as :

Micro-politics is the use of formal and informal power by individuals and groups to achieve their goals in organizations. In large part, political actions result from perceived differences between

individuals and groups, coupled with the motivation to use power to influence and/or protect. Although such actions are consciously motivated, any action, consciously or unconsciously motivated, may have political significance in a given situation. Both cooperative and conflictive actions and processes are part of the realm of micropolitics. (p.11)

Thus, micro-politics connote political interactions and social influence in different small scale activities within the broader framework of education politics that deals with political interactions at a macro level in context of major educational issues and policies (Ball, 1987; Hoyle, 1982). It is basically concerned with display of power (Corbett, 1991; Hoyle, 1986; Blaise, 1991) through formal and informal means (Blasé, 1998), in specific contexts manifested in form of decisions and entailing the phenomenon of conflict in the decision making process (Pillay, 2004).

Thus, micro-politics is all about assertion of social influence to achieve ends or goals. The assertions can be constructive in nature promoting collaboration, co-operation and collegiality (Willener, 2011). However, many often the assertions takes unethical form (Pfeffer, 1984) aimed at realization of individual interests (Porter et al. 2003) thus creating a sub-world "of informal, illegitimate, and self-interested manipulation" within the organizational life (Hoyle, 1986, p. 126). Thus the assertion of social influence and dominance may appear at times as conventional procedures of decision making in day to day life of the institute and at times it may take the form of illegitimate and self-interested or prejudiced assertion of ones views (Hoyle's 1986)..

The issue of micro-politics in education is further complicated by the fact that micro-politics in a social situation is more often covert or hidden rather than overt (Lukes, 2005, p.23) and most often the covert micro-politics has negative connotations. Often such covert micro-politics are of common occurrence underlying an overtly speaking rationalist and structured decision making process claimed to betaken in conformity with democratic ideals.

Pillay (2004) therefore, argues that it is a naïve approach to interpret the power display from any one perspective. For example the micro-politics involved can be interpreted naively from the perspective of status of the key players in the decision making process where the person lower in status in the cohort will be less influential than those higher in status. There are other perspectives as well such as the overt or covert strategies used, the element of rationality involved in the process, the individualistic or collective philosophy of those involved in the decision making process, etc. the sophisticated approach is using a social constructivist approach involving multiple perspectives to decipher the phenomenon of micro-politics in variegated educational contexts.

Micro-politics and Curriculum Development

Curriculum development, it has already been stated, is a regular feature of any institute of higher education and the process is a complex process. There are several aspects of the overall process that are of significance for different interest groups in education. However, the concern of the author in this paper is the exploration of the decision making process involved in curriculum development and the politics involved therein.

The process of curriculum development is an organizational activity that involves making decisions and hence the context is “confronted with different actors and their interests, strategies, and power struggles” making it a relevant context to discuss about micro-politics. Micro-politics is a conceptual frame and this conceptual frame can be utilized to decipher the nuances of curriculum development process that involves political interactions. It offers a mean to explore the process of curriculum development, particularly its decision making aspect, from the perspective of human interactions against the backdrop of conflicting views, interests and egos.

Development of curriculum involves making decisions of various sorts ranging from the experiences to be provided to the students, the strategies to be used in everyday classroom, the content to be included in particular course of studies, the assessment philosophy to be accepted etc. thus, curriculum development entails a decision making process and the decision making process involves existence of conflict of views, ideas, egos and interests. The author in tandem with many other researchers (Pillay, 2004) favours a synthesized view on the decisions taken in context of curriculum development. This synthesized view acknowledges the structured and designed approach to curriculum development and at the same time it also emphasize on the inclusion of perspective offered by the phenomena of micro-politics since micro-politics and political vetting is often seen in the entire process of curriculum development even at the organization level.

The decisions, in development of curriculum, are to be taken by human beings and the whole process is quite susceptible to deviate from its rationalist ideals (in form of the rationally derived goals and objectives of the curriculum, corresponding content and strategies for transaction and evaluation). The extent to which the deviation is not a distortion of the rationalist ideals, to that extent micro-politics serves as an inevitable positive force. However it is the large scale distortion of the rationalist ideals that makes micro-politics emanates negativity. Thus, micro-politics as a concept does not connote anything positive or negative. It is the way in which it is shaped in particular context (the context of curriculum development in the present case) that brings in a positivity or negativity to the term.

Curricular decisions are from being a simple task. The process entails conflicts arising between or among different ideologies, interests, views and egos.

These conflicts are expected to be sorted out through rational discussions within a democratic framework. However the ground reality is far more complex. The process is often infested with display of power and efforts of dominance of one group over the other. The presence of power play in fact substantiates the salience of micro-politics to curriculum development process. The crux of the matter is not the involvement of the micro-politics in the process. It is inevitable. Rather the matter of concern is the particular shape that micro-politics acquire in the situation, the strategies employed in display of power and the extent to which it deviates the decision from a rationalist decision that is expected.

There exists a multitude of virtues by which one individual or group dominate another individual or group in different settings. Most often individual or groups in a social setting has a dominance over the others by virtue of their status. The group or individual least in status has the least influence in decision making process. To a large extent people claim to overcome the ill effects of such status influenced decisions by adopting a democratic approach where participation and consensus is the rule rather than the status of individuals in the organizational structure. Most of the institutes of higher education in India claim to follow a democratic approach and hence boast of the quality of their decisions.

However there are other factors operating even in a democratic setup that demeans the self-claimed supremacy of the decisions taken in the democratic set up. Pillay () presents the example of a cabinet minister in a key position who can will and assert his or her preference in the curriculum policies at the national level. Such situations are not uncommon at the micro-level. Within the educational organization itself the key personnel can assert their own preferences and assertively dominates the group through determination, will and indication of direct or indirect consequences of any deviation, even though the decision taken can be refuted easily on rational and practical grounds. Such assertiveness and coercion are distinct manifestation of individuals preferences and ego satiation for which the actor(s) displays power in form of assertion of will through covert coercion or manipulations independent of any rationality in those preferences or ego satiation. Thus an individual in a key-position can either shape or hold up decisions if determined enough.

Individual preferences in curricular decisions make the whole process of curriculum development a spurious phenomenon leading to emergence of undesirable apathy towards the curriculum so developed. Eventually such apathy that might at times lead to aversion causes deterioration of the quality of curricular experiences lowering the quality of the institute on the whole. In such situation one is able to successfully dominate other even in a democratic set-up compromising with the quality of the curriculum on the one hand and the goals and objectives of the course or program on the other hand. An inquiry into the curriculum of teacher education

across institutes against the criterion ideals of the national framework as proposed by the apex body can reveal the dark side of micro-politics in context of curriculum development within different institutes. The creeping in of such forces as individual preferences or ego satiation or interest focus are all apt to thwart the democratic ideals of decision making process on the one hand and lead to acknowledgement of curriculum far removed from its ideals on the other hand thereby compromising the quality of the educational program as a whole.

Conclusion:

The political inter-actions that take place in social setting at a micro or small scale is termed as micro-politics. The political inter-actions within a classroom setting is an example of micro-politics whereas the political interactions in context of framing of national policy on education is termed as macro-politics. By the same yardstick the political interactions in context of curriculum development is qualified as a case involving micro-politics. In either case micro-politics is inevitable in a social setting and in contexts demanding presence of multiple views and hence ideological conflicts.

Provided that micro-politics is inevitable the focus should be to take measures so that such micro-politics can serve as a positive force and enhance collegiality rather than apathy and aversion (Bennett, 1999; Hargreaves, 1991). Highlighting the positive character of micro-politics Blaise (1991) argues that micro-politics can also foster co-operation and make people work together in a constructive way to achieve the common goals of uplifting the quality of the curriculum. The need is not to remove micro-politics but to nurture the culture of decision making where the rational ideals should guide the equation of power display and dominance rather than illicit overt or covert ego or interests or preferences of individuals. The power display when takes such form as coercion or manipulation (Bachrach and Baratz's typology of power as quoted in Lukes 2005, p. 21) that micro-politics takes on negative connotations and need to be avoided.

There are two strong implications of the discussion presented so far. First micro-politics is a relevant construct and its significance should be acknowledged in the day to day affairs of the institutional life. Rather than being an impeding element it has a positive side as well that need to be explored, underscored and translated into practical strategies. Second, there is need to investigate into the phenomena of micro-politics in variegated contexts within the institute. So far there has been very little work in the field of micro-politics since the first conceptualization of the term by Innaccone (1975). Although several studies has been conducted that used micro-politics as a conceptual framework to analyse the processes within school setting (Salo, 2008), there exist scarcity of studies that uses the theoretical framework in other organizational context. The multitude of strategies used by different individuals

and groups to dominate in a social setting are open field for exploration and little work has been carried out thus far.

References:

1. Ball, S. J. (1987). *The Micro-politics of the School: Towards a theory of school organisation*. London : Routledge.
2. Bennett, J. (1999). micropolitics in the Tasmanian context of school reform *School Leadership & Management*. 19. (2), pp 197-200.
3. Blasé, J. (1991). The micro-political perspective. In Blasé, J (ed.), *The politics of life in schools: Power, conflict and cooperation*. London : Sage Publications.
4. Blase, J., & Blase, J. (1997). The micro-political orientation of facilitative school principals and its effects on teachers' sense of empowerment. *Journal of Educational Administration*. 35. (2), 138–164.
5. Corbett, H. (1991). Community influence and school micro-politics. In J. Blase (Ed.), *The politics of life in schools; Power, conflict and cooperation*. Newbury Park. CA : Sage. pp. 73-95.
6. Hargreaves, A. (1991). Contrived collegiality: The micropolitics of teacher collaboration. In Blase J. (ed.), *The politics of life in schools: Power, conflict and cooperation*. London : Sage Publications.
7. Hoyle, E. (1986). *The politics of school management*. London : Hodder and Stoughton.
8. Hoyle, E. (1999). The two faces of micro-politics. *School Leadership and Management*. 19. (2), 3213-223. Online : <http://ehost16.global.epnet.co>.
9. Innacone, L. (1975). *Education policy systems: A study guide for educational administrators*. Fort Lauderdale, FL: Nova University Press.
10. Lukes, S. (2005). *Power: A radical view*. Palgrave : Macmillan.
11. Pfeffer, J. (1984). The micropolitics of organizations. In Marshall W. Meyer (Ed.), *Environments and organizations*. San Francisco : Jossey-Bass. pp. 29-50.
12. Pillay, V. (2004). Towards a broader understanding of the micro-politics of educational change. *Perspectives in Education*. (Volume. 22, 4),
13. Porter, L. W., Allen, R. W., & Angle, H. L. (2003). The Politics of Upward Influence in Organizations. In L. W. Porter (Ed.), *Organizational influence processes*. Armonk. NY : Sharpe. pp. 431-445.
14. Salo, P. (2008). Decision-making as a Struggle and Play: On Alternative Rationalities in Schools as Organizations. *Educational Management Administration & Leadership*. (36), pp. 495-509.
15. Willner, R. (2011). Micro-politics: An Underestimated Field of Qualitative Research in Political Science. *german Policy Studies*. 7 (3), pp. 155-185.

Formation of Society, Community and Identity in Diasporic World :
With special reference to Indian Diaspora

Jitendra¹Shree Kant Jaiswal²

Abstract

The present paper discusses and analyses how the people of different diasporas form their identities with a particular nation such as Indian Diaspora, Chinese Diaspora and their society & community at a particular place of a nation at later stage such as Panjabi Diaspora, Tamil Diaspora, etc. It tries to seek various reasons why the people of Indian Diaspora keep their identity of Indianness with them even after their final departure from India & the circumstances of that time of that nation in which they migrated. Why they resided as Indian community at particular place of a nation. If a person migrates from his country to another country to settle permanently there, he has the option either to accept & assimilate himself with the culture of the country or reject the culture of that country and scrap himself with that of the old one (root country or homeland). These (acceptance & assimilation & rejection of culture) depend upon the circumstances & situations of the nation & upon the behaviors & treatments of the natives of the land (nation). When they immigrate in the country, they suffer with the crisis of identity due to feeling of alienation. This feeling becomes more critical when they regarded as 'Others'. There starts the clash of identities. This paper aims to capture writers concern of renewing a kind of novel where his searches for a sense of Identity & Home and need to establish a past on which the present can properly stand that have a special force. Today Diaspora is bringing people of the Third World under the banner of Non-Alignment for the progress of the nation and this (Indian Diaspora) talks & believes in the nationality without borders.

Keywords: identity, community, diaspora, doubles consciousness.

Migration is inevitable on the earth. It has its long history. Everyone on the earth migrated to different countries for various reasons at various periods of its history, so do the people of Indian subcontinent. It is never willed or denied. Each

¹M. Phil. - Scholar, Department of Migration & Diaspora Studies, M.G.A.H.V., Wardha, Maharashtra - 442001.

Mob. No. +917720808793, +918601805485. E-mail: joshlyn.jeet@gmail.com

² Ph. D. - Scholar, Department of Migration & Diaspora Studies, M.G.A.H.V., Wardha, Maharashtra - 442001.

Mob. No. +919405510817, +918574114062. Email: shrikant2187@gmail.com

and every individual migrated from somewhere to somewhere. If he doesn't, his father did. If his father didn't, his grandfather did, so is the case with his great grandfather. This fact is clearly stated in José Saramago's *The Notebook*,

“Let him who has not a single speck of migration to blot his family escutcheon cast the first stone...if you didn't migrate then your father did, and if your father didn't need to move from place to place, then it was only because your grandfather before him had no choice but to go, put his old life behind him in search of the bread that his own land denied him...”

People migrated not to escape from life but simply they did not want to give up. It brings many effects in the lives of people especially to those who have ever migrated. They separate from their motherland with a wish of having a new place where they can feel at home. After displacement from homeland to a new land, migrant tries to identify him with the identity of that land, but the natives of the land reject him to identify with that of. They call him 'other'. This state gives a sense of alienation and migrant undergoes lots of psychological change.

Double consciousness is one of the psychological effects that often experienced by the migrant. In the words of Du Bois *“It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness, an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder. The history of the American Negro is the history of this strife- this longing to attain self-conscious manhood, to merge his double self into a better and truer self. In this merging he wishes neither of the older selves to be lost. He does not wish to Africanize America, for America has too much to teach the world and Africa. He wouldn't bleach his Negro blood in a flood of white Americanism, for he knows that Negro blood has a message for the world. He simply wishes to make it possible for a man to be both a Negro and an American without being cursed and spit upon by his fellows, without having the doors of opportunity closed roughly in his face”*. This is not only true about African American but also about all the individuals whosoever migrated. Migration to a new land i.e. destination made migrants master over others or became subjects of master of their new homes. Often, they became subject of the master of their new home. For example; in V.S. Naipaul's *'A House for Mr. Biswas'* protagonist named Mohun Biswas underwent with this psychological effect. The story is set in Trinidad and the narrator tries to maintain equilibrium between Mr. Biswas' inner self and the disinterested outer world. As far the mastership in destination is concerned, it is Mrs. Tulsi is master and Mohun Biswas became the subject matter of Tulsis.

As far as migration is concerned, it has a vast history. So we'll focus our attention only upon the migration of colonial period which constitutes Indian Diaspora. Actually the concept of Diaspora emerged in 1990 and it is as old as post-colonial theory. Diaspora traditionally refers to

"The movement of Jewish people away from their own country to live and work in other countries". (Hornsby, 421)

Chief cause of this double consciousness is indenture labor that deals with migration or separation towards migrated from their motherland. As a result of the experience of this conflict (conflict of being others and loss of their ancestral or national identity) he suffers from a confusing state of about his identities. Previous ties of inclusivity and 'belonging' emerge from a deep and almost instinctive human need. Yet, it is this very need to belong to something we consider our own that creates the category of non-belonging or the other. Actually, the idea of 'otherness' is central to how identities everywhere are constructed.

Migration to a new lands made migrants master over others or became subjects of mater of their new homes. In case of Mohun Biswas, he became subject of mater of their new home in Trinidad. Mr. Biswas' experience is the result of slavery in Hanuman House and longing for home that deals with displacement. As a decent of migrants who lives in Diasporic population in Trinidad he feels being trapped between two different cultures. One is Indian native culture and other is the new mixed culture of Trinidad. In this conflict Mr. Biswas was unable to decide which culture really he belongs to. Actually displacement leads the migrant into dilemmatic feeling about their authentic identity since they cannot decide which one they are in.

These expressions of feelings are not fictional or only limited to different literary genres. It is true. It has its ground which is expressed through the pens and characters. Divakaruni, who migrated to U.S. from Calcutta in 1976, at the age of 19 recalls an accident. She was walking down the streets of Chicago with some relatives, wearing a saree, when some teenagers called them 'nigger' and threw slush at them. She writes, *"That was such a shock to me; I realized that people didn't know who we were. I never talked anyone about it: I felt ashamed. Writing was a way to go beyond the silence"*. She further states, *"Coming to America for me was an amazing experience that began to change me from the minute I sat in the airplane, but the experience took years to process I was full of fear, excitement, opportunity I have been waiting for now for almost 20 years but I still make discoveries..."*(22). Again, *"I didn't really see my culture until I came to America and discovered what it meant to be woman of colour in the U.S. This gave me the impetus to write, to explore new identities. Badly and tentatively I began writing early poems, you think I'm being modest but I'm not. I destroyed those sentimental and bad poems recently so no archivist could find them..."* (53)."

Migration often creates an intense desire for home. The members of a migrated community share a collective memory of 'their original homeland', 'idealized their ancestral home' and sought ways in which to 'relate to that homeland' (Safran, 1991, 83-84). Avtar Brah (1996, 180) dethrones the idea of a foundational homeland when she argues that *"the concept of a diaspora offers a critique of discourses of fixed origins, while taking account of a homing desire, which is not the same thing as desire for 'homeland'"*. Through this intervention of homeland becoming a homing desire which transforms into a placeless place, home becomes open to various interpretations that include place of origin, place of settlement or a matrix of a local experience, such that

"...home is the also lived experience of a locality. Its sounds and smells, its heat and dust, balmy summer evenings, or the excitement of the first snowfall, shivering winter evenings, somber grey skies in the middle of the day...all this, as mediated by historically specific everyday of social relations" (Brah, 1996, 192).


Homesickness, nostalgia, homelessness and longing for home became motivating factor in this state of Mr. Biswas conflict. Home can only have meaning once of experience a level of displacement from it and Mr. Biswas is far away from his own home. At the end of the novel Mr. Biswas died with a satisfaction of having a place of which he can call his own. Moreover, if one pays one's attention on the title of the novel, will find the more emphasis is given on the preposition 'for'. It's not titled like '*A House of Mr. Biswas*' instead it is '*A house for Mr. Biswas*'. Title itself clearly shows that Mr. Biswas is homeless and have an intense desire for home. For Mr. Biswas, home didn't mean only to have home, but it had a sense of identity; social, psychological collective and moreover individual.

Identity is a problematic subject, especially for those who are culturally displaced. They live in different cultures which are totally different from their own which caused ambivalent identity. The past culture shadows their paths because it has developed since they were born while they have to accept the new culture as their efforts to do adaptation in their new environment. It becomes the reason why immigrants are considered living in two worlds. This cultural problem creates a negotiation between old and new cultural. Immigrant who cannot successfully do adaptation in his new land maintains his past culture finds himself as a new identity. This identity is the problem of diaspora in cultural study. Stuart Hall, in his journal entitled Cultural Identity and Diaspora, states;

"Cultural identity, in this second senses, is a matter of, 'becoming' as well as of, 'being'. It belongs to the future as much as to the past. It is not something which already exists, transcending place, time, history and culture. Cultural identities come from somewhere, have

histories. But, like everything which is historical, they undergo constant transformation (1990).”

Cultural identity is the fact of being that is related to the past as well as to the future. It experiences constant transformation since it walks across place, time, history and culture. Diaspora sees immigrant phenomena as the „recognition of diversity“ between the past culture and the new culture. It leads the production of new identity. Moreover it does not only happen in reality but also in literary work (Hall, 1990: 713).



If we talk about the theoretical aspects of Social identity, it is proposed by Henry Tajfel and John Turner to predict and describe certain intergroup behaviours on the basis of the perceived status permeability of the intergroup environment. If we consider and go through the lives of the writers of Indian Diaspora, we can know why their writing is so. They struggle to establish themselves. They suffer a lot. In this context, Gaiutra Bahadur writes,

“we picked up the locale newspaper to find their crudely scrawled manifesto. They signed their note “The Dot Buster”. It was a few years after the release of the ‘Ghost-busters’, and their nom de guerre was a terrifying play on the movie title and on dothead, an anti-Indian slur mocking the bindis that some married Hindu women wear on their forehead. “We shall go to any extreme to get Indians to move out...” “we use the phone books and look up the name Patel. Have you seen how many of them there are?” Soon after this declaration of violence was published, three white men assaulted an Indian doctor with baseball bats...days after the attack, another Indian man was beaten to death less than a mile away, in the adjacent town.”

Such was the condition of the New Jersey, US. This condition was not only of USA or the experience of Gaiutra Bahadur but of all the places and of each &

every migrant wherever they moved. The experience of such feelings compelled them to keep their identity of Indianness with them at all the levels whether it is social, psychological or cultural. They united and formed their own community, community of Indianness. Today, Indian people in abroad playing a vital role in development of both countries destination as well as in homeland and making India to feel proud at them.

References:

1. Bahadur, Gaiutra. (2013). *Coolie Woman: The Odyssey of Indenture*. Hachette Book Publishing India Pvt. Ltd.
2. Brah, Avtar. (1996). *Cartographies of diaspora: Contesting identities (gender, racism, ethnicity)*. London : Routledge.
3. Divakaruni, Chitra Banerjee. (1997). *The Mistress of Spices*. Transworld Publishers Ltd.
4. Du, Bois. W. E. B. (1903). *The Souls of the Black Folk: Essays and Sketches*. Chicago : A. C. McClurg and Co.
5. Hall, Stuart., & Goy, Du. Paul. (2003). *Question of Cultural Identity*. London : SAGE Publications Ltd.
6. Hornsby, A. S. (2005). *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Oxford : OUP.
7. Karthikkumar, S., & Karunakaran, T. (2016). Women in Exile: A Study of Chitra Banerjee Divakaruni, Bharati Mukharjee, and Anita Rau Badami. *Journal of Progressive Research in Social Sciences*. (vol. 3, issue 2), Scitech Research Organisation.
8. Mishra, Vijay. (2008). *The Literature of the Indian Diaspora: Theorizing the diasporic imaginary*. Madison Ave, NY : Routledge.
9. Naipaul V. S. (1961). *A House for Mr. Biswas*. New Delhi : Penguin.
10. Raghunanadan, Kavyata. (2012). Hyphenated Identity: Negotiating 'Indianness' and being Indo-Trinidadian. *Caribbean Review of Gender Studies*, (no.6), (ed.), Gabrielle Hosein and Lisa Outar. pp. 1-19.
11. Saramago, José. (2010, April). *The Notebook*. trans. Daniel Hahn and Amanda Hopkinson. Verso.
12. Sharobeem, Heba. M. (2003). *The Hyphenated Identity and The Question of Belonging: A Study of Samia Serageldin's The Cairo House*. Egypt : Alexandria University.
13. Wati, Riski. Mulia., Setiawan, Ikwan., & Astutiningsih, Irana. (2015). *Cultural Identity and Cultural Dislocation in Jean Kwok's Girl in Translation*.

Social Media: A Compatible Field for Political Campaign
(With reference to Bihar Assembly Election 2015)

Harinath Kumar¹

Overview: Social media helps political parties, candidates and their managers to identify, sort, classify and target different categories of voters with different preferences. This has been proved in the Bihar assembly election 2015. In this election most interesting thing had been the social media for campaigning, because, the first time, Twitter and Facebook accounts were opened by veteran and rustic political leader, Lalu Yadav. Grand Alliance leader and Bihar chief minister Nitish Kumar, who before the assembly election shied away from social media, also realised its true potential at the poll season, answering thousands of questions raised by his fans. The traditional print media was no longer the dominant medium of communication on the campaign trail. Photos posted on Facebook from Khagariya district in Bihar carried the campaign messages far more effectively than a local newspaper or TV channel. Early morning tweets from BJP prez Amit Shah and Lalu Yadav set the stage for political debates during the rest of day. Tolerance and intolerance issue-cum-debate were found dominant on social media. In the light of these, this research paper aims to discuss whether social media is a compatible field for political campaigning. To meet the purpose of research objectives, content analysis has been adopted as method. The sources of data were only websites content.

Introduction:

While the Bihar assembly elections were fought bitterly on the ground, political leaders attempted to capture a social media windfall in their campaigns with Twitter hash tags and Facebook trends, despite a limited internet reach among the people of Bihar. The new-age trend, which began with Barack Obama using social media tools as a major campaign strategy in 2008 and found its way into the 2014 general elections with Narendra Modi's online brigade, played a big role in setting the tone for the five-phase polls in Bihar.

In electoral campaign face to face rallies and meetings are important, but social media and web messaging cannot be ignored any longer. Pursuing social media, web based communication and access to smart phone users access to smart phone users, access to large data is crucial for effective and comprehensive outreach

¹Ph.D. - Research Scholar, Department of Mass Communication and Journalism,
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (a central university), Lucknow.
E-mail: harinathkumar2007@gmail.com

to voters across various segments- women and men, young and old, rural and urban, employed or self employed, etc.

Ethnicity, caste and religion are also important variables in effective market segmentation of voters (and of course consumers). Yadav, Mahadalit and Muslim are important voter categories in Bihar; how do political leaders, parties and their campaign managers reach out to these different segments of voters in order to target their messages to their specific realities? In the same way that a multi-national company selling shampoo targets different segments of consumers globally?

This way of targeting is enabled by the new technology of 'search engines'. Such 'big' data is accessible through search engines like Google. While there are many search engines, there is near monopoly of Google in many countries and markets. Google controls 70% of data sets in Canada, and 95% in India (90% in Europe and 70% in America too). And, this monopolistic, anti-competition behaviour of Google is under investigation in Canada and India (and Europe).

Therefore, marketing the candidate and the party to voters is thus enabled by harnessing this technology. News, messages, visuals and appeals can also be spun through these media from a centralised election room, and watched, read and listened to on millions of smart phones, tablets and laptops.

Theoretical Framework:

Use of social media as a method of electoral campaigning and political messaging was first used at a large scale by President Barack Obama in America. Our Prime Minister Narendra Modi has made it a fine art during general election 2014 for his campaign and official communication. Now we can see and hear our politicians on Facebook, Hangout and Twitter. Before going in deep, we must know the theoretical background of the phenomenon.

Until recently, few studies have used social network theory (SNT) and metrics to examine how social network structure (SNS) might influence social behavior and social dynamics in non-human animals (Albert-László Barabási, 2004). Here, we present an overview of why and how the social network approach might be useful for behavioral ecology. We first note four important aspects of SNS that are commonly observed, but relatively rarely quantified: (1) that within a social group, differences among individuals in their social experiences and connections affect individual and group outcomes; (2) that indirect connections can be important (e.g., partners of your partners matter); (3) that individuals differ in their importance in the social network (some can be considered keystone individuals); and (4) that social network traits often carry over across contexts (e.g., SN position in male-male competition can influence later male mating success) (Albert-László Barabási R. A., 1999). We then discuss how these four points, and the social network approach in

general, can yield new insights and questions for a broad range of issues in behavioral ecology including: mate choice, alternative mating tactics, male–male competition, cooperation, reciprocal altruism, eavesdropping, kin selection, dominance hierarchies, social learning, information flow, social foraging, and cooperative antipredator behaviour.

Social Network Theory

Social Network Theory is the study of how people, organizations or groups interact with others inside their network. Understanding the theory is easier when you examine the individual pieces starting with the largest element, which is networks, and working down to the smallest element, which are the actors (Claywell, 2016).

Examining Networks

In some ways, networks can be thought of as neighbourhoods, since networks are comprised of the actors and the relationships between those actors. These actors, referred to as nodes, can be individuals, organizations or companies. Regardless of what they are, they are always the smallest single unit inside a network. If you view the United Nations as a social network, the United States would be a node or actor inside the network (https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network, 2016).

The three types of social networks that social scientists explore are ego-centric networks, socio-centric networks, and open-system networks. Ego-centric networks are connected with a single node or individual. For example, you, the node, connected to all your close friends. Socio-centric networks are closed networks by default. Two commonly-used examples of this type of network are children in a classroom or workers inside an organization. In open-system networks, the boundary lines are not clearly defined. A few examples in this type of network are America's elite class, connections between corporations, or the chain of influencers of a particular decision. Due to the lack of clearly-defined boundaries, this type of network is considered the most difficult to study (Latour, 09/2005).

Aim and Objectives:

The aim of the research paper is to discuss whether the social media is a compatible field for political campaign. The objectives of the research papers are following:

- To know the internet access ratio in the state,
- To analyze the role of digital divide in electoral campaign, and
- Whether social media is safe zone for free speech

Findings:

Google Search and Political Campaign

As we know the power of Google search engine, it helps candidates and political parties' managers to identify, sort, classify and target different categories of voters with different preferences. What if Google's search engine is fine-tuned to favour one candidate? Companies, organisations, products and services utilise Google's 'ad- word' technology so that they appear ahead of the competition when a consumer undertakes a Google search. The prevailing wisdom is that if your product or company does not appear on the first page of Google search, then it does not exist for the consumer.

Now imagine that similar technology is used to privilege one candidate and party over others? Imagine if Google can use its search engine technology to obstruct political competition, as it does commercial competitors? Imagine if sample sizes of opinion polls and their analyses are similarly 'tweaked' in Google search? Imagine if trend analyses of voters' preferences are 'tweaked' to show surging support for a particular candidate and party? Should we not worry a bit more, and scrutinise even more, the pervasive and dominant presence of search engine technology controlling big data, and our views and lives?

Social Media as medium of direct communication

Most of the political leaders made promises on Twitter and Facebook and asked for votes. The online platform allowed them respond directly. And for voters, it is the platform that allows voters to respond directly without any fear. In this way the social media give a platform to politicians, it also gives a voice to the common man. For instance, Lalu Prasad is also known for his tongue-in-remarks. During the election he released a Dubsmash video making fun of Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah in the campaign season.

Grand Alliance leader and Bihar chief minister Nitish Kumar, who before election shied away from social media, also realised its true potential at the poll season, answered thousands of questions put up by his fans. Kumar held hour-long question-answer sessions under the "Ask Nitish" and later extended it to Facebook. According to a report, the Bihar CM took time studying the questions, clubbing them under categories and responding to them personally. The BJP, living up to its popular image of a mean machine on social media platforms, conducted a constituency-wise social media mapping of the state, attempting to repeat its Lok Sabha poll success. The communication department of the saffron party focused on Twitter, Facebook and WhatsApp to enhance its reach.

Bitter on ground, smart on social media

Leaders from the NDA and the Grand Alliance indulged in mudslinging and attacked each other throughout the campaign on the ground. In the run up to the high-

Social Media: A Compatible Field for Political Campaign (With reference to Bihar Assembly Election 2015)

voltage elections, however, the Bihar Congress also adopted a high-tech strategy online to bolster its presence in the state. To catch up with the craze for social media, the party launched a mobile app named 'BPCC'. The app was designed to give out information about its activities and get feedbacks from the ground. The Bharatiya Janata Party (BJP) conducted a constituency-wise social media mapping of Bihar attempting to repeat its successful Maharashtra style campaign. The IT and communication department of the party were devising strategy the use of social media such as Twitter, Facebook and WhatsApp to maximise their effect in the polls.

Internet Connection and Election

The political parties, however, faced a challenge in the form of poor internet penetration. While there was a lot of ground to cover, things were looking up for Bihar. The total number of telephone connections went up about 10% to more than 60 million in 2013-14 and the new government will have to play a crucial role in ensuring more people get access to the internet. But all the party were also aware about its limitations because of shallow penetration of the Internet and smart phones in the state.

Digital Divide and Political Campaign

The digital divide has emerged as hindrance in the way of going big on cyber space to win over voters. This is why the BJP's IT department carried out the mapping keeping in view the Internet and smart phone users across individual constituencies and their demographic profile. Also, the survey comprised an exercise to develop localised content. The findings of the survey identified nearly 150 Assembly seats in Bihar which had significant social media penetration where the party could concentrate for favourable response to its technology based electoral campaign.

These constituencies were divided into three categories by the IT department, in the descending order of significance from the point of view of the popularity of social media platforms and demography. The first category comprised such Assembly segments that the party has branded "high impact" and 65 seats had been listed therein. The second one, of 16 seats, had been kept under the "medium impact" section, while another 66 Assembly constituencies had been deemed as "low impact". In all, the party is all set to unleash its tech campaign in these 147 seats.

Social Media reflects the popular mood

In the light of Assembly polls in Bihar, the political atmosphere was found charged up in the State. While the news media had already been reporting all that the politicians to whom they generally consider their news makers. Social media has been a reflection of the people's opinion on the high drama in the State. Team Nitish tracked the social media buzz over Bihar polls.

Social media: a safe zone for free speech

As JD(U)-led alliance ambled towards a scintillating victory in Bihar polls, the social media threw up a whole spectrum of responses, with some equating the win as the "triumph of democracy" while few others feared that it would lead to "return of jungle raj". From Patna to Muzaffarpur and Darbhanga to Delhi, people took to Facebook and Twitter to express their opinions, which ranged from overwhelming support for the Lalu-Nitish combine to abject disappointment over the poor results of Modi-Shah-led BJP campaign with hash tags.

- *"Ek Bihari Nagpuriyon par bhari" (one Bihari trounces Nagpuris),* wrote city-based Kumud Singh, with an apparent reference to RSS.
- Nabil Ashraf, a Bangalore-based IT professional from Patna, used humour-laced lines to express his satisfaction over the results. *"BJP says cow wasn't allowed to vote that's why we lost the ground#losers #modibhagao Jay Ho,"* he wrote on Facebook.
- Netizens, living in the US also posted and tweeted with much glee and even gave new twist to Bihar-related stereotypes, that otherwise populate the social media. *'Jo na kate aari se, wo kate Bihari se' (Those who can't be removed by tools, need a Bihari to get the boots),* said Ajit Chauhan, a US-based research professional.

But, BJP supporters were left high dry as results showed a thumping victory for the alliance.

- *'Mubarak ho...Jungle raj hua hay' (congratulations, its 'jungle raj'),* said Delhi resident Surbhi Prasad.
- The BJP camp had used the 'jungle raj' term as major bait to woo voters in their favour and suddenly the calendar in Bihar changes to year 1995. *Congrats to all the Proud Biharis,*" wrote Gurgaon-based Gaurav Dikshit.

Social Media and Election Result

The Bihar election results were a top trend on Twitter since counting started. In the early hours, as the counting began, projections from national media went all over the place — starting from declaring the Bharatiya Janata Party (BJP) the winner, only to later flip towards the Grand Alliance of Nitish Kumar and Lalu Prasad, and back again to the BJP. But as the day progressed, the Grand Alliance was favoured by Bihar's electorate, while the BJP, lost the race, were being subjected to a lot of criticism on social media. On Twitter, the hash tags #Bihar, #BiharElections and #BiharResults are some of the top trends. As per data taken from social analytics tools Topsy, #Bihar has been tweeted 6,67,760 times since Sunday (8 November) morning, while #Biharelections and #Biharresults has been posted 1,10,817 times by users, making them the top trends.

Conclusion and Recommendations

In nutshell, it can be said that now social media is playing big role for political parties in electoral campaign. To enhance this platform, government must ensure the internet access for all voters. There must be workable policy to bridge the digital divide, because, this is the only platform where free speech finds itself in safe zone.

References

1. Albert-László Barabási, R. A. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*.
2. Albert-László Barabási, Z. N. (2004). Network biology: understanding the cell's functional organization. *Nat Rev Genet* 5:101–113. *Nature Reviews Genetics*.
3. Claywell, C. R. (2016, March 18). http://socialnetworking.lovetoknow.com/What_is_Social_Network_Theory. Retrieved on 18.03. 2016. from socialnetworking web site.
http://socialnetworking.lovetoknow.com/What_is_Social_Network_Theory.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network. Retrieved on 18.03. 2016. from Wikipedia web site: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network.
5. Latour, B. (09/2005). Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network-Theory. *Oxford University Press*.
6. Varghese, J. (2015, November 8). <http://www.ibtimes.co.in/bihar-election-results-trend-twitter-top-reactions-social-media-users-65382>. Retrieved 18.03. 2016. from International Business Times.
<http://www.ibtimes.co.in/bihar-election-results-trend-twitter-top-reactions-social-media-users-653827>.

पुस्तक समीक्षा

होलिस्टिक आटो एथनोग्राफी और गंभीर सामाजिक व्यंग की तीन खंडों की एक

अभूतपूर्व शृंखला की एक समाजशास्त्रीय समीक्षा

तृप्ति सिंह¹



हरनाम सिंह वर्मा : 2015 : अपने-पराये-एक संस्मरण,
कुरुक्षेत्र, कौशल पब्लिकेशंस, ISBN:978-81-929815-3-6, 258 पन्ने, मूल्य : 150 रूपये।

हरनाम सिंह वर्मा : 2015 : राज रोग (संस्मरण), दिल्ली,
शब्दारंभ प्रकाशन, ISBN:978-81-931236-8-3, 216
पन्ने, मूल्य : 225 रूपए।

हरनाम सिंह वर्मा : 2015 : पर्त-दर-पर्त (संस्मरण),
दिल्ली, शब्दारंभ प्रकाशन, ISBN: 978-81-931236-9-0, 224 पन्ने, मूल्य: 225 रूपए।

हरनाम सिंह वर्मा के तीन खंडों के संस्मरणों की मेरी समीक्षा अन्य साहित्यकार/समाजविज्ञानी समीक्षकों से कई मायनों में भिन्न है। मैं अपनी समीक्षा को उनकी भाषा और शैली से इतर उनके कथ्य पर ध्यान केंद्रित रखते हुए उन्हें हिंदी साहित्य के दो दिग्गजों, फणीश्वर नाथ रेणु की 'मैला आँचल' और श्री लाल शुक्ल की 'राग दरबारी' द्वारा स्थापित दो अलग-अलग मानक रेखाओं (बेंच मार्क्स) के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहूँगी। ऐसा करते समय मैं प्रारंभ में ही यह साफ़ कर देना चाहूँगी कि मैं हरनाम सिंह वर्मा को हिंदी के इन दो दिग्गजों के ना तो समकक्ष ही रख रही हूँ और ना ही इन तीनों को एक दूसरे से छोटा बड़ा बताने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आप इन तीनों के इन कृतियों के कथ्य पर एक गंभीर नजर डालें तो आपको यह तुरंत स्पष्ट हो जायेगा कि विषयवस्तु के हिसाब से फणीश्वर नाथ रेणु की 'मैला आँचल', श्री लाल शुक्ल की 'राग दरबारी' और हरनाम सिंह वर्मा की 'अपने-पराये', 'राज-रोग' और 'पर्त-दर-पर्त' यह पाँचों ही एक दूसरे की पूरक कृतियाँ हैं। हाँ, यह अवश्य सही है कि फणीश्वर नाथ रेणु की 'मैला आँचल', और श्री लाल शुक्ल की 'राग

¹समाजशास्त्र विभाग, आइशाबेला थूबर्न कॉलेज, शृंखला लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

दरबारी' हरनाम सिंह की कृतियों के कई दशक पूर्व समयावधियों की है और इस वजह से उनके कथ्य में ऐतिहासिक दूरी प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। हरनाम सिंह की कृतियों के आँकलन के पूर्व यह भी देख लेना उचित होगा कि रेणु और शुक्ल की इन कृतियों में क्या क्या दर्शित किया गया है और उनके कथ्य की पारिस्थितिकी के हिसाब से जो कुछ अवश्यमेव होना चाहिये था उसमें से क्या क्या छूट गया है। ऐसा करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि रेणु और शुक्ल की रचनाएं क्रियात्मक लेखन थीं जबकि वर्मा की कृतियाँ भुक्तभोगी यथार्थ पर आधारित हैं। कदाचित् वर्मा और भी बहुत कुछ लिख सकते थे लेकिन यदि वह उनके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में घटा ही नहीं है तो वह उसे भली-भांति परिचित होते हुए और शायद चाह कर भी नहीं लिख सके। कल्पना आधारित या देखे हुए यथार्थ को मन चाहा रूप देने की स्वतंत्रता रेणु और शुक्ल के पास मौजूद थी लेकिन वर्मा के पास नहीं।

पिछड़े वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक यथार्थ पर रेणु और वर्मा के कथ्य :

पिछड़े वर्गों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, और राजनैतिक यथार्थ को रेणु और वर्मा कैसे चित्रित करते हैं, यह उनकी तुलना में यक्ष प्रश्न है। रेणु के समर्थन में यह कहना सही है कि उन्होंने अपना 'मैला आंचल' लिखने तक पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का मात्र पहला चरण ही देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया में स्वयं एक सीमित भूमिका ही निभाई थी। इसके विपरीत वर्मा की स्थिति उनसे काफी भिन्न है। वर्मा एक विपन्न किसान परिवार में पैदा ही नहीं हुए; उनकी परवरिश और शिक्षा भी उनके मामा के घर रह कर 'रहुआ' के विशेषण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से झेली गई एक बड़ी त्रासदी के रूप में ही हुई है। एक बार किसी प्रकार सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाने के उपरांत भी पहले 12-13 साल उन्हें द्विजों के गंभीर शोषण का शिकार होना पड़ा। सही मायनों में वह अपनी मौलिकता का प्रदर्शन 1977 के पश्चात और विशेष कर अपनी पी-एच.डी. पूरी कर लेने के उपरांत ही कर पाए। इस प्रकार वर्मा के करियर का पूर्वार्ध एक पिछड़े की विभिन्न प्रकार की त्रासदी झेलने में ही गुजरा। उसके बाद का उनका समय पिछड़ों की सामाजिक पूँजी विकसित करने, उसके उपयोग को सहारा देने और उसमें आने वाली विभिन्न बाधाओं के समाधान निकलवाने में होम हुआ। रेणु की अपेक्षाकृत वर्मा ने पिछड़ों के सशक्तिकरण में स्वयं एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान दिया है और जो उनके इन तीन खंडों के संस्मरणों में बड़े मार्मिक रूप में देखने को मिलता है।

चूंकि हरनाम सिंह वर्मा की कृतियाँ 1940 से 2015 तक की समयावधि से संबंधित हैं, उनका समय फलक भी मुखर रूप से रेणु और शुक्ल दोनों से ही अधिक व्यापक है। वर्मा एक छोटे बच्चे की हैसियत से लोहिया के संपर्क में आए और लोहिया से ही उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का मंत्र प्राप्त किया और जैसा कि उनकी यह तीन कृतियाँ बड़ी सजीवता से दर्शित करती हैं, वह लोहिया के दिए हुए मंत्र को अपनी पूरी 75 साल की जीवन यात्रा में अपने साथ संजोए रहें हैं। पिछड़े वर्गों के बिंदु पर वर्मा रेणु की तरह मात्र एक कथाकार ही नहीं रहे हैं; उन्होंने उनमें सामाजिक पूँजी निर्माण, उनके वाजिब हक प्राप्त करने की सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और निजी लंबे, घुमावदार और पेंचीदा प्रोफेशनल जीवन के संघर्ष में स्वयं

एक ऐतिहासिक भूमिका संपादित की है जिसका बड़ा सजीव, और मार्मिक चित्रण 'राज रोग' में देखने को मिलता है यद्यपि वह 'अपने-पराये' और 'पत-दर-पत' में भी कमोवेश मौजूद है।

हरनाम सिंह वर्मा के संस्मरणों में पिछड़ों की सामाजिक पूंजी निर्माण और उसके उपयोग के चार पहलू दिखते हैं। इसमें से एक का संबंध उनकी गरीब किसान, कुर्मी जैसी खेती ही करने वाली जाति की एक निजी जिंदगी से है; दूसरे का पिछड़ों के जाति समूह की विभिन्न जातियों की सामूहिकता से; तीसरा पहलू है इस सामाजिक पूंजी के निर्माण में स्वयं उनका ऐतिहासिक योगदान और चौथा है पिछड़ों की सामाजिक पूंजी के उपयोग में आने वाली द्विजों द्वारा डाली जाने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाएँ जो देश में फल फूल रही सांस्थानिक और राजनैतिक अप-संस्कृतियों के कारण बड़ी सहजता से घटती रहती हैं। पिछले दस-बारह वर्षों में यह इतनी विकृत हो गई है कि सत्ता के शीर्ष नेतृत्व का दलीय चरित्र बदल जाने से भी उनके घटने में अब कोई ख़ास कमी नहीं दिखाई देती।

वर्मा के योगदान के आँकलन के लिए यह जानना आवश्यक है कि पिछड़ों की सशक्तिकरण यात्रा अब किस मुकाम पर है? सांस्कृतिक रूप से वह अभी भी सनातनी परंपरा, जिसमें उन्हें शूद्र कहा गया था, में ही रमे हुए हैं। वह अभी भी कठमुल्लई धार्मिक सोच रखते हैं और वही आँख मूंदे हुए सबसे अधिक चढ़ावा धार्मिक मंदिरों और मठाधीशों को दे रहे हैं। चरमपंथी हिंदू संगठन उन्हें ही अपने उपद्रवों में दुरुपयोग करते हैं जैसे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने और 2002 में गुजरात के नरसंहार में किया था। उनके परंपरागत पेशों का रूप तो बदल गया है लेकिन उन्होंने अपने पेशों को नए समय की आवश्यकता के अनुरूप नहीं बदला है। प्राकृतिक आपदाओं की सबसे अधिक मार वही खा रहे हैं। उनका एक अंश थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया है लेकिन सरकारी नौकरियों में उनमें से वही चुने जा रहे हैं जिनकी सामाजिक पूंजी में अपेक्षाकृत रूप से अधिक बदलाव आया है। 1994 से प्राप्त हो रहे 27% आरक्षण; जिसे दिलवाने में वर्मा ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, ने इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य ला दिया है। अब यदि आप लखनऊ के राज्य सचिवालय में जाएँ तब रेणु की समयावधि वाला माहौल, जिसमें 99% बाबू और अफसर उच्च जातियों के ही होते थे, वह काफी बदल गया है। सूबे के राजनीतिक आका भी अब पिछले 25 साल से समाज के पिछड़े/दलित वर्गों से संबंध रखते हैं। लेकिन पिछड़ों में आए इस सामाजिक बदलाव का लाभ मुख्यतः अधिक संख्या वाली एक दो पिछड़ी जातियों के हिस्से में ही गया है। शेष पिछड़ी जातियाँ अब इन अधिसंख्यक पिछड़ी जातियों का साथ छोड़ कर उच्च जातियों/दलितों द्वारा नियंत्रित दलों के साथ चली गई हैं। इन्हें सरकारी तंत्र द्वारा प्रदत्त सामाजिक और कल्याणकारी सेवाओं के ही सहारे रहना पड़ता है क्योंकि वह निजी क्षेत्र की इन सेवाओं के उपयोग हेतु वांछित रकम नहीं रखते। इस प्रकार सामाजिक पूंजी के निर्माण का जो चक्र उन्हें समाज में आगे ले जा सकता है वह उनके लिए अधिक कारगर नहीं हो पा रहा है। उधर उच्च जातियाँ सामाजिक बदलाव के इन रास्तों से अपना पूर्णरूपेण वर्चस्व समाप्त हो जाने के कारण हो हल्ला करने लगी हैं और हो सकता है कि जुमले फेंकने वाले मोदी की सरकार इस मुद्दे पर कुछ इतिहास परिवर्तन करने वाले बेवकूफी भरे निर्णय भी कर डाले। लेकिन अब पिछड़ों का मानस इतना प्रवर्तित तो हो ही गया है कि वह इससे ठीक तरह से निबटेंगे। शायद कुल मिला कर हरनाम सिंह वर्मा के सामाजिक न्याय के संघर्ष का यह उचित प्रतिफल है। इसमें बहुत

सुधार की गुंजाइश है और इस विषय पर वर्मा ने तमाम सुझाव भी केंद्रीय और राज्य सरकारों को काफी पहले ही दे दिए थे लेकिन वहाँ उन पर कोई जूँ नहीं रेंगी!

हर नाम सिंह वर्मा प्रकारांतर से कई स्थानों पर यह साफ़ तौर पर कहते हैं कि इसे बदलने के लिए मात्र पिछड़ों के ही नहीं बल्कि सभी वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की धार को बदलना होगा और एक दूसरे को साथ ले कर चलना ही नहीं होगा बल्कि उच्च वर्गों की साजिशों को बराबर नाकाम करते रहना होगा। इस समय हो यह रहा है कि उच्च वर्गों के राजा लोग वंचितों के तीनों मुख्य उप वर्गों के कुछ नेताओं को निजी चारा डाल कर वोट ले लेते हैं और उनके सशक्तिकरण का मुख्य कार्य का दिखावटी रूप ही चालू होता रहता है। हरनाम सिंह वर्मा ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के संबंध में ऐसे विभिन्न मार्मिक प्रकरण लिखे हैं।

शुक्ल का “राग दरबारी” और वर्मा का “राज रोग” और “पत-दर-पत” :

इस देश में दूसरों द्वारा अर्जित सर्वस्व येन केन प्रकारेण हथिया लेना एक सनातनी परंपरा रही है। यह छोटे से गाँव में शुरू हो कर पूरे देश के स्तर पर सतत चलती रही है। हिंदी की सनातनी परंपरा के साहित्यकार श्री लाल शुक्ल ने गाँव, तहसील और ज़िले के स्तर पर सक्रिय स्थानीय स्वार्थी, ज़िले के अधिकारियों और स्थानीय राजनेताओं द्वारा दूसरों द्वारा अर्जित सर्वस्व येन केन प्रकारेण हथिया लेने को अपने कल्पना आधारित लेखन में ‘राग दरबारी’ में बताया है। अगर श्री लाल शुक्ल द्वारा वर्णित कथ्य ही मात्र राग दरबारी हैं तो यह साफ़ जाहिर है कि भौगोलिक और तथ्यात्मक विश्लेषण दोनों ही नज़रियों से इसका फलक बहुत संकीर्ण है। इसे स्वयं श्री लाल शुक्ल ने 2007 के राग दरबारी के संस्करण की भूमिका में स्वीकार भी किया है। यह सही है कि यह एक सतत चलायमान सनातनी प्रक्रिया देश के सभी ऐतिहासिक कालों में अपने नैसर्गिक रूप में चलती रही है। तटस्थ समालोचकों की नज़र में यह राग दरबारी तभी हो सकती है जब यह देश के राज तख्त दिल्ली दरबार की कारगुजारी से, जहाँ से यह पूरा देश चलती है; सरोकार रखे। यह भी उतना ही सही है कि राग दरबारी लखनऊ के निकट के ग्रामों की पारिस्थिकी पर केंद्रित है। इस सांस्कृतिक-भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या पिछड़ों की है। इसके बावजूद भी यह उल्लेखनीय है कि राग दरबारी में पिछड़ों का ज़िक्र नहीं आया है? राग दरबारी में इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया गया कि पिछड़ों में सामाजिक पूंजी क्यों नहीं होती थी? उनमें से जो भी पिछड़े 1960 के दशक से आगे अपने पुश्तैनी पेशे छोड़ कर और पढ़ लिख कर दूसरे पेशों में (खास तौर पर दिमागी हुनर के इश्तेमाल करने वाले पेशों में आते गए हैं) उनका योगदान कैसे दूसरों (विशेषकर द्विजों) द्वारा ऐसे अधिग्रहित किया जाता रहा है जैसे पिछड़ों के पुश्तैनी पेशों का प्रतिफल हड़प लिया जाता था। उन्हें लगातार बिना वज़ह क्यों तिरस्कृत और प्रताड़ित किया जाता रहा है? यह सतत चलायमान सनातनी प्रक्रिया देश की उच्च शोध, प्रशिक्षण, शिक्षण और शहरी योजना निर्माण संस्थाओं में किस प्रकार चलती है, इसे हरनाम सिंह वर्मा ने अपने संस्मरणों के पहले खंड, ‘अपने-पराये’ में दर्शाया था। उनके संस्मरणों के दूसरे और तीसरे खंड ‘राज रोग’ और ‘पत-दर-पत’ इसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों और केंद्रीय सरकार की बड़ी संस्थाओं (जैसे कि योजना आयोग, सामाजिक सेवाओं और सामाजिक न्याय संबंधित विभिन्न मंत्रालय), अंतरराष्ट्रीय संगठन (जैसे कि यूनिसेफ, यूनेस्को

और विश्व बैंक) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, सिडको, टाटा सामाजिक विकास संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान (अहमदाबाद), गिरि संस्थान, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (उत्तर प्रदेश), इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उनके बार, पेशेगत व्यावसायिक संस्थाएँ जैसे कि इंडियन सोसलजिकल सोसाइटी, एथनोग्राफिक एंड फॉक कल्चर सोसाइटी, इत्यादि सम्मिलित हैं, की अप-संस्कृतियों को इतने बड़े फ़लक पर प्रस्तुत करते हैं।

वर्मा ने इस देश के राज नेताओं की धूर्तता की अप-संस्कृति का एक कच्चा चिट्ठा “अज़ादी अउरू परजातंतरू क्यार मतलबु” के शीर्षक से एक सात किस्तों वाली शृंखला के रूप में शुद्ध अवधी में लिखा था, जो फेसबुक के एक समूह, चिरैय्या और उनके ब्लॉग पर पोस्ट भी हुआ था। लेकिन यह शृंखला इन तीन खंडों के संस्मरणों में शामिल नहीं है। यह विश्लेषण देश के सामंती प्रजातंत्र की असलियत का दो टूक बयान करता था। इस प्रकार की राजनीतिक और संस्थागत अप-संस्कृतियों का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विकास पर क्या दुष्परिणाम होता है इसे वर्मा ने बड़ी प्रवीणता से उजागर किया है। अपने एक चर्चित अध्ययन का संदर्भ देते हुए वह लिखते हैं :

“मुख्य मुद्दा यह है कि क्या दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा यह भी है कि क्या मायावती की तुलना में सपा की अखिलेश यादव की सरकार ने विकास के झंडे गाड़ दिए हैं? एक तीसरा संबंधित मुद्दा यह है क्या उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई शैली उभरी है या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में विकास की एक पिछड़ेपन की संस्कृति का अभ्युदय हुआ है? मैंने इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में दो प्रमुख मुद्दे उठाये थे : एक, उत्तर प्रदेश के समाज, अर्थतंत्र और राजतंत्र के व्यवहार की क्या प्रमुख विशेषताएं उभरी हैं? दूसरे, इन विशेषताओं के एक साथ देखने पर क्या यह कहा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य में विकास की एक पिछड़ेपन की संस्कृति का अभ्युदय हुआ है? इन सभी मापदंडों को प्रयोग में लाते हुए आँकलन से यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ेपन की ही एक शासकीय अप-संस्कृति का विकास हुआ है।”

अगर रेणु और श्री लाल शुक्ल के ही साहित्यिक योगदान की तुलना की जाए तो साफ़ पता लगता है कि यद्यपि रेणु शुक्ल से पहले साहित्य में आए और उनका लेखन शुक्ल से किसी भी मापदंड पर उन्नीस नहीं था तथापि मात्र पिछड़े होने के कारण हिंदी के द्विज प्रदेश ने उन्हें वह दर्जा नहीं दिया जिसके वह वाजिब हकदार थे।

वर्मा के संस्मरण होलिस्टिक आटो एथनोग्राफी और गंभीर सामाजिक व्यंग का एक अभूतपूर्व उदाहरण

वर्मा पहले से ही एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री और योजनाकार रहे हैं। उनके एक उपेक्षित व्यक्ति से एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व बनने में 50 साल का समय लगा है। मौलिकता उनकी मुख्य प्रोफेशनल पहचान रही है लेकिन वह अपने शोधकार्य क्षेत्रों को समय-समय पर बदलते रहे हैं।

आपको शायद ही कोई ऐसा दूसरा समाजशास्त्री मिलेगा जिसने ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, आद्योगिक समाजशास्त्र, संगठन समाजशास्त्र, विकास समाजशास्त्र, राजनैतिक समाजशास्त्र, वंचित वर्गों का समाजशास्त्र और महिलाओं के समाजशास्त्र इन सभी उप-क्षेत्रों में इतना मौलिक काम किया हो।

आटो एथ्नोग्राफी एक ऐसा प्रणालीगत प्रयोग होता है जो व्यक्तिगत अनुभवों को इस प्रकार विश्लेषित करता है जिससे कि उन्हें सांस्कृतिक अनुभव के रूप में सटीक रूप से समझा जा सके। इसे उपयोग करने पर एक लेखक आत्मकथा और एथ्नोग्राफी दोनों का एक साथ उपयोग करता है। ऐसा लेखन शोध और एथ्नोग्राफी दोनों होता है। प्रणालीगत दृष्टिकोण से इसे बड़ी कठिन विधा माना जाता है। भारत के बहुत कम समाजविज्ञानियों/साहित्यकारों ने इस विधा में लिखने की प्रवीणता और साहस दिखाया है। समाजविज्ञानियों में कंचा इल्लैया की लघु पुस्तक ‘मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ?’ और विनय कुमार श्रीवास्तव का ‘ड्राई लैत्रिस’ पर हाल के दिनों में ‘सोशल चेंज’ पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र दो ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक विषय विशेष पर आटो एथ्नोग्राफी की विधा का प्रयोग हुआ है। यद्यपि हिंदी साहित्य पर द्विजो का ही पूरा वर्चस्व स्थापित है लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उनमें से किसी समाजविज्ञानी ने अभी तक कोई होलिस्टिक आटो एथ्नोग्राफी लिखने की सामर्थ्य नहीं दिखाया। हिंदी में इसे प्रारंभ करने का श्रेय दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जाता है जिनकी ‘जूठन’ ऐसी पहली कृति थी। प्रो. तुलसी राम की ‘मुर्दहिया’ और ‘मणिकर्णिका’ ‘जूठन’ की कड़ी को आगे ले गई है। पिछड़े वर्गों में से हरनाम सिंह वर्मा पहले लेखक हैं जिन्होंने अपने पूरे निजी और प्रोफेशनल जीवन के वृहद फलक पर अपने तीन खंडों के संस्मरण ‘अपने-पराये’, ‘राज रोग’ और ‘पर्त-दर-पर्त’ हिंदी में किस्सागोई शैली और हरिशंकर परसाई और शंकर पुंतांबेकर की परंपरा के गंभीर व्यंग के रूप में लिख कर एक होलिस्टिक आटो एथ्नोग्राफी की विधा द्वारा समाजविज्ञान और हिंदी साहित्य दोनों ही में एक नया मानक स्थापित करते हुए अपने को हिंदी का एक अनूठा साहित्यकार भी स्थापित कर लिया है। कोई अचरज की बात नहीं कि प्रो. नदीम हसनैन और हितेंद्र पटेल जैसे समाजविज्ञानियों और अवधेश प्रीत, भगवान स्वरूप कटियार और संध्या नवोदिता जैसे साहित्यकारों ने उन्हें समाज विज्ञान और साहित्य का अनूठा सम्मिश्रण और होलिस्टिक आटो एथ्नोग्राफी का एक नायाब उदाहरण बताया है।

मनुष्य होने के संघर्ष का स्वर : दलित साहित्य

पम्मी राय¹

“हजार साल पुराना है उनका गुस्सा
हजार साल पुरानी है उनकी नफ़रत
मैं तो सिर्फ़
उनके बिखरे हुए शब्दों को
लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ
मगर तुम्हें डर है कि
आग भड़का रहा हूँ”

- ‘गोरख पांडेय’

यह आग कुछ और नहीं अपितु अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और शोषण के विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध की आग है। शोषण का रूप चाहे सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक हो, उसके विरुद्ध विद्रोह होगा ही। उसमें शताब्दियाँ लग सकती हैं पर जैसे ही सामाजिक, आर्थिक व मानसिक शोषण को सहने वाले वर्ग में अस्मिता चिंतन की चेतना आयी, विद्रोह का विस्फोट हुआ। भारतीय समाज में इसी विस्फोट का परिणाम है- ‘दलित साहित्य’। दलित साहित्य मानववादी चिंतन का साहित्य है। इसके मूल में सदियों से शोषित, पददलित जनता को मनुष्य के समकक्ष करने का प्रयास निहित है। मानव मन व आत्मा के सौंदर्य को परखने वाला साहित्य है। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर के दलित साहित्य के संदर्भ में विचार हैं- “कलावादी लोग कविता द्वारा साहित्य को सुंदर बनाने की बात करते हैं तो हम मानववादी साहित्य द्वारा मानव को सुंदर बनाना चाहते हैं”¹ इस मानवीय चेतना के व्यापक पक्ष को समेटकर अभिव्यक्त करने वाला साहित्य दलित साहित्य है। दलित चेतना का सरोकार इस प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि ‘मैं कौन हूँ?’, ‘मेरी पहचान क्या है?’ दलित साहित्य स्व-अस्मिता का साहित्य है। दलित साहित्य केवल दलितों के अधिकार एवं मूल्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संदर्भों के साथ जुड़कर समूचे समाज की अस्मिता और मूल्यों की पहचान बनता है। दलित अस्मिता के अभिव्यक्ति के स्वर साहित्य में तमिल भाषा के अलवार संतों के साथ-साथ कबीर, रविदास की रचनाओं में भी आरंभिक रूप में मिलता है। आधुनिक युग में यह अभिव्यक्ति अपने परिपक्वता को प्राप्त कर साहित्य के नये मान-मूल्यों का सृजन करती है।

वर्तमान साहित्यिक परिवेश की यदि बात की जाए तो वर्तमान में दलित और उनकी समस्याओं पर अनेक आयामों के परिदृश्य में चिंतन-विश्लेषण कर समाधान को ढूँढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस लेखन के निहितार्थ पर प्रकाश डालते हुए शरण कुमार लिंबाले कहते हैं- “दलित साहित्य अपना केंद्र-बिंदु मनुष्य को मानता है। दलित वेदना, दलित साहित्य की जन्मदात्री है। वास्तव में यह बहिष्कृत समाज की वेदना है। दलित साहित्य समाज के दुःख-दर्द, शोषण और भूख के भयानक प्रश्नों से जूझकर मनुष्य की लड़ाई लड़ता है। दलित

¹ शोध छात्रा, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी. Email- pammirai9@gmail.com

साहित्य समाज के उस तबके का प्रतिनिधित्व करता है जो सदियों से अपने अधिकारों-संसाधनों और जीवन-जगत की यथार्थ परिस्थितियों में अपने अस्मिता से वंचित कर हाशिए पर ढकेल दिया गया था। यह हाशिए के समाज की दीर्घ जीवंत चेतना को केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। दलितों की समस्या पर जितना भी चिंतन, विचार और समाधान का प्रयास हुआ है उसके दो पक्ष रहे हैं। एक पक्ष स्वयं उन दलितों, उपेक्षितों और पीड़ित जनों का है जिन्होंने इस पीड़ा-यातना को अपने मन-मस्तिष्क, शरीर यहाँ तक कि आत्मा पर भी सीधे-सीधे भोगा है, दूसरा पक्ष वह है जिसमें उन लोगों ने 'डि कास्ट' हो कर इस वर्ग के साथ अपना तादात्म्य स्थापित किया और ऊँच-नीच पर आधारित अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी जो स्वयं इस वर्ग के नहीं थे। गैर दलित वर्ग के रचनाकारों ने भी उस भीषण मानवीय दोहन और संत्रास के साथ तादात्म्य कर अपनी रचनाओं को दलित वर्ग के पक्ष में रचा है। रचनाकार का भाव सामान्य पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर लोक के साथ एकलय हो जाता है तभी रचना में जीवंतता का सर्जन होता है और दलित साहित्य में यह सर्जनात्मकता भीतरी तलों तक व्याप्त है। प्रतिरोध के गंभीर व स्पष्ट स्वर ने दलित चेतना को सामाजिक विषमताओं के चक्रव्यूह से उबारने में सक्रिय भूमिका निभाई है।"²

वर्तमान दलित लेखन का आरंभ आत्मकथात्मक लेखन से होता है जो की भोगे हुए यथार्थ पर आधारित एक इस्पाती दस्तावेज है जो समाज की कई सदियों की हिंसात्मक और उपेक्षित करने वाले कार्यवाहियों से उत्पन्न परिस्थितियों का नग्न और स्पष्ट चित्र पाठक वर्ग के समक्ष ला खड़ा करता है। 'मैं भंगी हूँ' (भगवानदास), 'अपने-अपने पिंजरे' (मोहनदास नैमिषराय), 'जूठन' (ओमप्रकाश बाल्मीकि), 'मेरा सफर मेरी मंजिल' (डी.आर. जाटव) हिंदी की प्रारंभिक दलित आत्मकथाएँ हैं। इन आत्मकथाओं में लेखक अपने आस-पास के परिवेश में जीते हुए भोगे हुए यथार्थ, गरीबी का दंश, तिरस्कार, अस्पृश्यता की कठोर चोट आदि की वेदना को उद्घाटित करने के साथ-साथ अपने समाज तथा अपने वर्ग की समस्याओं का सिंहावलोकन भी करते हैं। दलित वर्ग में जो वर्गगत चेतना और प्रतिरोध का प्रयास आरंभ हुआ वह शिक्षा के फलस्वरूप ही। शिक्षा वह मुख्य कारक है, जो किसी भी मनुष्य को आत्म-चैतन्य बनाती है। शिक्षा से वंचित करके ही दलित वर्ग को सदियों से अभिजात्य वर्ग ने पददलित और शोषित किया। आज के इतिहास में मजबूत रूप से खड़े दलित वर्ग का कारक शिक्षा ही है। "शिक्षित का मतलब केवल शिक्षा प्राप्ति से ही नहीं है, पढ़ना-लिखना ही नहीं है वरन् स्व-अस्मिता को पहचानना भी है।"³ शिक्षा का मुख्य ध्येय अपने इतिहास को पहचानकर वर्तमान के स्वरूप को निर्धारित करना है। दलित साहित्य अपनी इस भूमिका को पूरी सजगता के साथ निभा रहा है।

भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था वाला जाति आधारित जटिल समाज रहा है। इस वर्ण व्यवस्था को धार्मिक व्यवस्था से जोड़कर मनुष्य की चेतना को नियंत्रित किया जाने लगा। उसके अनुसार दंड विधान बनाये गए जिसमें दलितों को पशुवत समझा गया। यहाँ तक कि कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भी कहता है कि 'यदि शूद्र किसी वस्तु को चुराता है, तो उसका हाथ काट दिया जाए, उसी वस्तु को वैश्य चुराए तो कुछ पण (मुद्रा) दंड स्वरूप वसूल किए जाएँ, यदि क्षत्रिय चुराए तो उसे फटकारा जाए, किंतु उसे ब्राह्मण चुराए तो उससे प्रार्थना की जाय कि वह दोबारा चोरी न करे।' यद्यपि आधुनिक समाज में ये मूल्य धीरे-धीरे ध्वस्त हो

रहे हैं तथापि इनके कुछ रूप अभी भी विषमताओं के रूप में भारतीय समाज में मौजूद हैं। दलित साहित्य इन विषमताओं को उजागर कर उनके प्रति विरोध के स्वर का साहित्य है। दलित साहित्य जातिवाद, अस्पृश्यता, ऊँच-नीच, पवित्र-अपवित्र की संस्कारजनित धारणा के कारण उत्पन्न सामाजिक विषमता और विद्रूपता के प्रति आक्रोश का साहित्य है। दलित चेतना की कवयित्री रमणिका गुप्ता ने दलित साहित्य की रचना, विचार, इतिहास, दिशा और संघर्षशील चेतना के संबंध में लिखा है- “दलित चेतना की सबसे पहली शर्त है, उसका विरोध का स्वर, पीड़ा की छटपटाहट, आक्रोश का तेवर और उसके साथ ही कहीं परिवर्तन के लिए उगता हुआ एक संकल्प। दलित लेखन को धारदार बनाने के लिए अपने समाज के प्रेरणास्रोत से जुड़े रहकर, उनके बीच जाकर अपने साहित्य को खड़ा करना होगा।”⁴

यदि कविता की परंपरा में दलित अस्मिता के स्वर को परखा जाए तो सामाजिक, धार्मिक और अन्य कुरीतियों के प्रति दलित साहित्यकार लामबद्ध हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसके सशक्त हस्ताक्षरों में केवल भारती, अरविंद कुमार, प्रकाश लखनवी, प्रभाकर माचवे, दुलारे लाल जाटव और ओमप्रकाश वाल्मीकि तथा रमणिका गुप्ता का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी-कविता और दलित चेतना को जोड़कर देखा जाए तो रामधारी सिंह ‘दिनकर’, बच्चन, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, धूमिल आदि प्रमुख कवियों ने दलित जीवन की पीड़ा को अपनी कविता में अभिव्यक्ति दी है। प्रगतिवाद के दौर से साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप समाज के हर शोषित वंचित तबके को हिंदी कविता ने अपनी केंद्रीय विषय-वस्तु बनाया। तथापि दलित-लेखकों और समीक्षकों का एक बड़ा वर्ग मार्क्सवाद का विरोध करता है। ये लोग मार्क्सवादी चिंतन और दलित चिंतन के समन्वय को नकारते हैं। चूँकि मार्क्सवाद का स्वरूप भारतीय सामाजिक ढाँचे की विषमता और समस्याओं की जटिलता के समाधान के लिए अपर्याप्त है। दलित समीक्षकों के अनुसार मार्क्सवादी साहित्य को दलित साहित्य के चिंतन के साथ समन्वयित करने पर एक घालमेल की स्थिति पैदा होगी जो दलित चेतना के प्रति अनुदार होगी। प्रो. चमनलाल इस संदर्भ में लिखते हैं कि- “प्रगतिशील विचारधारा के प्रभाव में दलित जीवन की पीड़ाओं को वर्ग समाज द्वारा किए जा रहे शोषण के साथ में चित्रित किया गया व दलित वर्ग को शोषित वर्ग के रूप में देखा गया। इस चित्रण में आर्थिक शोषण पर ध्यान रहा व दलित के आत्मसम्मान को कम उभारा गया।”⁵

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिंदी के अनेक कवियों ने डॉ. अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर दलित जीवन को अभिव्यक्ति दी। इन कविताओं में इस वर्ग की अनेक समस्याओं, यंत्रणाओं, जीवन संघर्ष को मार्मिक रूप से उकेरा गया है। इस चेतना के तईं लिखे गए काव्य संकलनों में ‘सदियों का संताप’ और ‘बस! बहुत हो चुका’ (ओमप्रकाश बाल्मीकि), ‘दर्द के दस्तावेज’ (डॉ. एन. सिंह), ‘सुनो ब्राह्मण’ (मलखान सिंह), ‘व्यवस्था के विषय’ (कुसुम वियोगी) आदि का नाम गणनीय है। डॉ. मधु भारतीय की कविता में आर्थिक, शोषण और सामाजिक जीवन के विडंबनापूर्ण व्यवस्था को उजागर करने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है-

“समय ने इस तरह बाँटा अनेकों खंड में जीवन।
पराया सा लगा छलने, हमें अस्तित्व का हर क्षण॥”

इसी प्रकार कँवल भारती ने मानव सृष्टि के निर्माण की पूरी परिकल्पना को कठघरे में खड़ा करके उसको उल्टा आँकने का प्रयास किया है-

“यदि वेदों में लिखा होता
ब्राह्मण ब्रह्म के पैर से हुए हैं पैदा
उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं
तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती।”

यदि हिंदी की दलित चेतना के कथाकारों पर नज़र डाली जाए तो प्रेमचंद, निराला, यशपाल, मार्कंडेय, अमरकांत, राजेंद्र यादव, नैमिषराय, ओमप्रकाश बाल्मीकि, पुन्नी सिंह, प्रेम कपाड़िया, डॉ. दयानंद बटोही, डॉ. तेज सिंह, बाबूलाल खड़ा, रामाचंद आदि चर्चित रचनाकार हैं। महिला कथाकारों में उषा चंद्रा, रमणिका गुप्ता, रजत रानी ‘मीनू’, मैत्रेयी पुष्पा, सुभद्रा कुमारी आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद की कहानियों के विस्तृत कैनवास में भारतीय समाज का प्रत्येक अंग विद्यमान है। इसके भीतर प्रविष्ट होते ही धर्म से आक्रांत, समाज द्वारा उपेक्षित, गाँव के सीमांत पर फँका गया तथा कथित अछूत समाज, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करता मजदूर वर्ग तथा सदियों से शोषित और मनुष्य से एक दर्जा नीचे करार दिये गए वर्गों की झलक अपने यथार्थ रूप में उपस्थित मिलती है। प्रेमचंद की दलित चिंतन संबंध चेतना ‘पूस की रात’, ‘कफन’, ‘शूद्र’, ‘मुक्तिमार्ग’ आदि कहानियों में देखी जा सकती है। इसी क्रम में निराला कृत ‘चतुरी चमार’, ‘बिल्लेसुर बकरिहा’, ‘कुल्ली भाट’ आदि प्रसिद्ध दलित कथाएँ हैं। इन रचनाओं में दलित चेतना सिर्फ़ व्यवस्था के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाती अपितु सदियों से चली आ रही परंपरा पर प्रश्न भी खड़े करती है। उदय प्रकाश की कहानी ‘टेपचू’ दलित चेतना से लैस क्रांतिधर्मी कहानी है। रमणिका गुप्ता की ‘बहू-जुआई’ में शोषण के खिलाफ संघर्ष की यथार्थ झांकी प्रस्तुत हुई है। वास्तव में दलित साहित्यकार जहाँ अपनी रचनाओं में सामाजिक समता, स्वतंत्रता और आर्थिक खाई को पाटने के लिए जातिगत, धर्मगत व नस्ल या रंग जैसे किसी भी विभेद को सिरे से खारिज करता है, वहीं वह धर्म या सत्तादर्शन या वर्चस्वशीलता के आधार पर उत्कृष्टता और निकृष्टता की अवधारणा को भी नकारता है। श्री जय प्रकाश कर्दम के शब्दों में- “बीसवीं सदी के हिंदी कथा साहित्य का उज्ज्वल पक्ष यही है कि कुलीनता और अभिजात्य की परिधि से बाहर निकलकर उसने समाज के हाशिए पर खड़े मनुष्य की पीड़ा-दर्द को समझने की चेष्टा के साथ अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष को भी प्रतिपाद्य बनाया है।”⁶

दलित साहित्य इंसानियत, परंपरागत, सामाजिक मूल्य, थोथी नैतिकता के सिद्धांत, भेदभाव, छुआछूत, घृणा, नारी, शोषण, बंधुआ जीवन, धार्मिक कठमुल्लापन और उन सभी धारणाओं के विरुद्ध है जो एक इंसान और दूसरे इंसान के मध्य सीमा रेखा खींचता है। दलित साहित्य के इसी स्वभाव की ओर संकेत करते हुए डा. सोहनलाल सुमनाक्षर लिखते हैं- “जो इंसानियत प्रेमी हैं, उनकी यह प्रशंसा करता है, जो

दलितोत्थान से जुड़े हैं, उनको यह फूल चढ़ाता है। जो मानवीय अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, उनका सम्मान करता है और जो दासता और शोषण से मुक्ति दिलाते हैं उनकी आराधना करता है।”⁷

दलित चेतना का अभ्युदय दो स्तरों पर हुआ है। प्रथम दलित साहित्य विशुद्ध मनुष्यता की माँग करता है। द्वितीय दलित जीवन की भयावह यातनाओं का खुला और निर्मम चित्रण करता है। वह मनुष्य के भावनात्मक पक्ष के साथ-साथ उसकी संघर्षशील चेतना का भी चित्रण करता है। दलित साहित्य मात्र दलित वर्ग की दुःख-दर्द की गाथा न होकर उनके प्रतिरोध का भी स्वर है। इस ओर संकेत करते हुए बुद्धशरण हंस लिखते हैं- “दलित साहित्य कोई मर्सिया नहीं है, जो दलितों की दीनता और दुर्दशा पर लिखा-पढ़ा जाए।दलित साहित्य को प्रेरणा का साहित्य बनाना है।”⁸

चूँकि दलित साहित्य आज के वर्तमान समय में साहित्य का एक मुख्य क्षेत्र बन गया है अतः इसके स्वरूप व दलित आंदोलनों की आंतरिक प्रक्रियाओं का भी गहन अध्ययन और परिस्थितियों की व्यापक पड़ताल होने लगी है। साथ ही साथ इसकी दिशाओं, सीमांतों और स्वरूप पर भी चिंतन होने लगा है। दलित वर्गों की विभिन्नताओं, उनकी सामाजिक स्थितियों, शैक्षिक स्तरों तथा आर्थिक उपादेयता के साधनों से प्राप्त आय को समुचित विकास की प्रक्रिया के बरक्स रख कर परखा जा रहा है। दलित विमर्श का आज नितांत नया और सशक्त दृष्टिकोण वाला चेहरा साहित्य या समाज दोनों जगह उभर कर आया है। इस ओर संकेत करते हुए कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं- “आज की दलित अस्मिता के साथ इतिहास और भूगोल, राजनीति और समाज व्यवस्था, वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म आदि के कई भँवरदार प्रश्न जुड़े हुए हैं।नया दलित-विमर्श समतामूलक, शोषणमुक्त, आत्मसम्मानपूर्ण, छुआ-छूत रहित समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता है।”⁹

इस प्रकार दलित साहित्य समाज में अन्याय, शोषण, अत्याचार आदि से पिसते दलित वर्ग में एक नयी चेतना भरता है। उन्हें अधिकारों के प्रति संघर्ष करने, प्रतिरोध करने की चेतना से लैस करता है। दलित, साहित्य दलितों को यह याद कराने का प्रयास करता है कि उसने जो संघर्ष किया है, कर रहा है, वह अपने संपूर्ण वर्ग, समाज का शोषण, भेदभाव, अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाने का संघर्ष है। दलित साहित्य मनुष्य का मनुष्य होने के लिए संघर्ष का साहित्य है। यह मानवीय प्रतिरोध के स्वर का साहित्य है।

संदर्भ सूची-

1. पुरुषोत्तम, डॉ. (1997). सत्यप्रेमी दलित साहित्य: रचना और विचार. अतिश प्रकाशन. पृ. सं. 9.
2. भारती, कँवल. (2006). दलित साहित्य की अवधारणा. बोधिसत्व प्रकाशन. पृ. सं. 43.
3. सुमनाक्षर, डॉ. सोहनलाल. (2006). दलित अपना प्राचीन इतिहास जाने और अपनी असलियत पहचानें. हिमायती. पृ. सं. 3.
4. ठाकुर, हरिनारायण. (2009). दलित साहित्य का समाजशास्त्र. ज्ञानपीठ प्रकाशन. पृ. सं. 70.
5. चमनलाल, प्रो. (2001). दलित साहित्य का मूल्यांकन. राजपाल एंड संस प्रकाशन. पृ. सं. 66.

6. प्रसाद, सुरेंद्र. (2008, जनवरी-मार्च). हिंदी कहानी में दलित चेतना. युद्धरत आम आदमी अंक. पृ. सं. 90.
7. सत्यप्रेमी, डॉ. पुरुषोत्तम. (1997). दलित साहित्य: रचना और विचार अतिश. प्रकाशन. पृ. सं. 53.
8. पालीवाल, कृष्णदत्त. (2008, द्वितीय सं०-2010). उत्तर आधुनिकतावाद और दलित. साहित्य वाणी प्रकाशन. पृ. सं. 167.

मध्य भारत में जनजातियों में विस्थापन व पुनर्वास

सौरभ¹

प्रस्तुत अध्ययन भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं से उपजे विस्थापन और पुनर्वास की समस्याओं पर केंद्रित है। भारतीय जनजातियाँ प्रमुखतया प्रकृति व प्राकृतिक स्रोतों तथा फल-फूल, कंद-मूल, पशु-पक्षी, नदी-पर्वत, घाटियों व वनों आदि पर निर्भर हैं। इनका सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन वहां की पारिस्थितिकी से प्रभावित होता है। बदलते परिवेश में विकास से संबंधित योजनाएँ, औद्योगिकीकरण तथा विकास की नीतियाँ इन जनजातियों के लिए एक नई समस्या पैदा कर रही है। जो कि विस्तृत एवं जटिल है। इन परियोजनाओं के चलते जनजातियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो कि इनके आचार-व्यवहार, रहन-सहन, रीति-रिवाज, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ललित व कला आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं।

विकास तथा विस्थापन :

आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति विस्थापित हुए हैं; विशेषरूप से प्रशासकीय भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप। विकास के कार्य में भूमि और पानी के इस्तेमाल के प्रकार में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है और इन परिवर्तनों के कारण अक्सर बस्तियों को विस्थापित करना भी जरूरी हो जाता है। विस्थापन और बस्तियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाएँ हैं। अन्य कारण खदानें, ऊष्मा और आणविक शक्ति के कारखाने, औद्योगिक बस्तियाँ, सैनिक संस्थाओं की स्थापना, अस्त्र-शस्त्र परीक्षण के मैदान, नए रेलपथ तथा नई सड़क, आरक्षित वनों का विस्तार, वन्य पशुओं के शरणस्थल एवं पार्क जिसमें बड़े पैमाने पर जनजातियों का विस्थापन व हस्तकारों, कारीगरों के समुदायों पर भी इस बदलाव का बुरा प्रभाव पड़ा है।

मध्य भारतीय क्षेत्र तथा प्रमुख जनजातियाँ :

इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश आदि सम्मिलित हैं। पश्चिम बंगाल में बेड़िया, बैगा, भूटिया, बिरहोर, गारो, हो, शेरपा, संथाल, उराँव, सौरिया पहाड़िया आदि जनजातियों का जमावड़ा पाया जाता है। बिहार में असुर, बंजारा, बेड़िया, बिरहोर, गोंड, हो, चेरौ, खड़िया उराँव, संथाल, सौरिया पहाड़िया, मुंडा, भूमिज आदि जनजातियाँ रहती हैं। उड़ीसा में जुआंग, बंजारा, बैगा, खारिया, बिरहोर, चेंचु आदि तथा मध्य प्रदेश में अगरिया, बैगा, भील, बिरहोर, कारूकू, खड़िया, उराँव, मुंडा, पनिका, माझी, कोल आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें से ज्यादातर जनजातियाँ अस्थायी कृषि के द्वारा जीवनयापन करती हैं, किंतु ओराँव, संथाल, मुंडा, गोंड जनजातियों ने पड़ोसी ग्रामीण लोगों से सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप हल से कृषि करना सीख लिया है।

¹ मानव विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद. ई-मेल: saurabh.anthro@gmail.com

मध्य भारतीय क्षेत्र में जनजातियों की संख्या:

राज्य	राज्य की जनसंख्या (करोड़ में)	राज्यवार कुल जनजातियों की संख्या	कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत
मध्य प्रदेश	7.25	15316784	21.1%
उड़ीसा	4.19	9590756	22.8%
बिहार	10.40	1336573	1.3%
झारखंड	3.29	8645042	26.2%
छत्तीसगढ़	2.55	7822902	30.6%
पश्चिम बंगाल	9.13	5296953	5.8%

स्रोत : भारतीय जनगणना – 2011

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 86 मिलियन जनजाति में से 80% मध्य भारत के ही क्षेत्रों में निवास करती हैं। सन् 1951 से 2000 के बीच आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से लगभग 21.3 मिलियन लोग विस्थापित हुए। इनमें से 8.54 मिलियन (40%) जनजातियाँ हैं। इसमें से केवल 2.12 मिलियन (24.8%) लोग पुनर्वासित किए गए। परंतु इनमें से ज्यादातर लोग नये पारिस्थितिकी में समन्वय न स्थापित कर पाने के कारण सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकृतियों के शिकार बनते जा रहे हैं।

विस्थापन और पुनर्वास के कारण :

विकास और विस्थापन के मामले में प्रभावित होने वालों में सबसे बड़ी संख्या मुख्यतः जनजातियों की है, जो कि सदियों से प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं और उन्हीं पर उनकी गुजर-बसर आधारित है। जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 8% है तथा विस्थापितों का लगभग 50% हिस्सा इन्हीं का है। विस्थापन और पुनर्वास परस्पर एक-दूसरे से जुड़ी समस्याएँ हैं। विस्थापन का अर्थ “अपने मूल निवास से अन्यत्र निवास करना” है। विस्थापन कई कारणों से होता है। जनजातीय संदर्भ में विस्थापन के कारण निम्नवत् हैं:-

1. भूमि हस्तांतरण के परंपरागत तत्त्व।
2. परियोजनाएँ एवं औद्योगिकीकरण।

भूमि हस्तांतरण के परंपरागत तत्त्व :

आरंभ से ही प्रत्येक जनजाति समूह अपने क्षेत्र में स्थित वन और भूमि के मालिक थे, भले ही औपचारिक रूप से उसके अधिकार को मान्यता मिली हो या नहीं। ब्रिटिश शासनकाल और स्वतंत्र भारत में इस औपचारिक व्यवस्था की गति में वृद्धि हुई और जनजातियों के परंपरागत अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। भूमि-रक्षा कानून भी इनके आधारभूत आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाए गए। भूमि हस्तांतरण के प्रमुख कारण निम्न हैं:-

1. ऋणग्रस्तता व अज्ञानता के कारण अपनी भूमि को गैर जनजाति वालों के पास बंधक रखना।
2. जनजाति क्षेत्रों में गैर जनजातियों द्वारा तरह-तरह के प्रलोभन देकर धीरे-धीरे उनकी भूमि पर अपना अधिकार जमाना।

जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी व्यापक रूप से घटित होती रही है। “अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग” की रिपोर्ट में इनकी स्थितियों के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जनजातियों की भी अपने भूमि पर स्वामित्व की तीव्र इच्छा रखते हैं, परंतु निर्धनता एवं शोषण की वजह से ये जनजातियाँ अपनी ही जमीनों पर अपना अधिकार खोते जा रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, जनजातीय जनसंख्या का 88% भाग कृषक है। जीवन-यापन के लिए कृषि ही इनके लिए एक ऐसा साधन है, जिस पर ये लोग सदियों से निर्भर हैं। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भूमि एक एकड़ से भी कम है। कृषि पर निर्भर प्रत्येक व्यक्ति के पास औसत रूप से 1.6 एकड़ भूमि है। जबकि मध्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति भूमि लगभग 2.57 एकड़ है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि की माँग में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जनजातीय विकास खंडों के कुछ गाँवों में आर्थिक सर्वेक्षण किया है, जिससे यह पता चला कि एक परिवार के पास औसतन रूप से 15.59 एकड़ भूमि है। इन जनजातियों की भूमि अधिकतर अनउपजाऊ है। यद्यपि कि इन लोगों की भूमि का क्षेत्र अजनजातीय कृषकों से अधिक है, परंतु भूमि के अनउपजाऊ होने के कारण इससे इनको कोई लाभ नहीं होता। संचार व्यवस्था में विस्तार होने के कारण बाहरी लोग इनके क्षेत्रों में प्रवेश किए तथा अपने-अपने उद्देश्यों व स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनजातियों को परेशान करने के साथ-साथ उनकी भूमि का भी अधिग्रहण करना शुरू कर दिया।

भूमि हस्तांतरण के पीछे प्रमुख कारण एवं जनजातियों पर इसका प्रभाव :

धन की कमी भूमि हस्तांतरण के मुख्य कारणों में से एक है। अज्ञानता और आर्थिक रूप से कमजोर जनजातियों को विवाह, उत्सवों, कपड़ों, मदिरा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए सदैव धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये जनजातियाँ साहूकारों तथा दुकानदारों आदि पर निर्भर होते हैं। भूमि हस्तांतरण के जरिए जनजातियाँ साहूकार से कभी भी बिना शर्त के ऋण प्राप्त भी कर लेते हैं। जनजातियों को सौदे के तौर पर एक सादे कागज पर अंगूठा लगाना होता है, जिसे ये अनपढ़ आदिवासी पढ़ नहीं सकते। कुछ लोगों को अपनी भूमि गंवाने के साथ-साथ दासता का जीवन भी व्यतीत करना पड़ता है। केंद्र तथा राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं के तहत कई सहकारी ऋण समितियों की स्थापना की, परंतु यह समितियाँ जनजातियों के अनुरूप खरे नहीं उतरे, क्योंकि ये ऋण समितियाँ केवल उत्पादक उद्देश्यों जैसे कृषि आदि के लिए दिए जाते हैं। इस ऋण को वापस करने का समय भी कम होता है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं के लिए भी ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सहकारी समितियाँ नहीं कर पाईं और इन जनजातियों को पूरी तरह साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इन सहकारी समितियों को ऋण वापस न कर पाने की स्थिति में इन्हें जेल जाने व संपत्ति जब्त करने की घटनाओं से भी डर लगने लगा है और ये

जनजातियाँ बढ़े हुए दर पर साहूकारों से ही ऋण लेना अधिक सुरक्षित समझते हैं। मध्य भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्रों की जनजातियों ने भूमि अधिग्रहण एवं हस्तांतरण की सबसे अधिक घटनाएँ देखी गई हैं। मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले की कोरवा जनजातियों का पूरा क्षेत्र मुस्लिम साहूकारों से भरा पड़ा है। ये साहूकार आर्थिक तंगी से परेशान कोरवा जनजाति के लोगों को किसी भी समय ऋण देने को तैयार रहते हैं। इनकी एक ही शर्त होती है कि वे अपने जमीन का हिस्सा गिरवी (बंधक) रख दें। गरीबी व भुखमरी से त्रस्त ये लोग जब ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं तो साहूकार इनकी जमीन हड़प लेते हैं। इन जनजातियों की प्रशासनिक-राजनैतिक पकड़ ना होने के कारण 50% से भी अधिक जनजातियाँ अपनी ही जमीन से बेदखल कर दी गई हैं।

परियोजनाएँ एवं औद्योगिकीकरण तथा जनजातियों पर इसका प्रभाव :

केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली लगभग सभी बड़ी परियोजनाएँ आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों में ही शुरू की जाती हैं। इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संपदा की अपार संभावना होना जिसका भरपूर उपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके। विस्थापन की प्रक्रिया दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल (1956-1961) में ही आरंभ हो गई थी। पिछले तीन दशकों में इसकी तीव्रता में गति आई है। राष्ट्रीय हित के लिए छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निर्माण, सिंचाई के लिए बांध निर्माण, रेल व सड़क परियोजनाएँ आदि से जनजातीय बिखराव व प्रवास का सिलसिला जो सातवें दशक से शुरू हुआ, वह आज भी निरंतर जारी है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी कारगर सिद्ध नहीं हुए और इनको विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है। मूलरूप से विस्थापित लोगों में जनजाति व गैर जनजाति दोनों हैं, परंतु जनजातियों की संख्या अधिक है। सरकारें विकास के नाम पर इन अशिक्षित लोगों की भूमि ले लेती हैं, जिसके फलस्वरूप ये लोग अपनी ही अचल भूमि से वंचित हो जाती हैं। पिछले चार दशकों में दक्षिण बिहार, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग (बस्तर) तथा बिलासपुर, दुर्ग क्षेत्रों में कोयला चलित शक्ति उत्पादन इकाईयाँ, इस्पात संयंत्र, सीमेंट के कारखानों की स्थापना हुई है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बाक्साइट जैसे खनिजों के अंबार वाले क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं।

कुछ प्रमुख परियोजनाएँ तथा उससे प्रभावित जनजातियों में विस्थापन :

क्रम संख्या	परियोजना	विस्थापित जनजातीय परिवारों की कुल संख्या
I	मध्य प्रदेश	
1.	मलजखंड कॉपर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट	497
2.	बोधघाट हाइड्रो - इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	1700
3.	बैलाडिला ऑयरन ओर प्रोजेक्ट	16
4.	सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	23240
5.	माहेश्वर प्रोजेक्ट	672

II	उड़ीसा	
6.	बलिमेला हाइड्रो - इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	1174
7.	अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट	3000
8.	अपर कोलार डैम प्रोजेक्ट	1567
III	गुजरात	
9.	सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	1880
10.	दमन गंगा रिजर्वायर प्रोजेक्ट	1554
IV	महाराष्ट्र	
11.	सरदार सरोवर प्रोजेक्ट	1357
12.	तुलतुली रीवर इरिगेशन प्रोजेक्ट	1275

स्रोत : अनुसूचित जनजातियों के विकास पर कार्यकारी समिति की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 1984.

उड़ीसा में इंद्रावती पन-बिजली परियोजना :

यह परियोजना सन् 1979 में प्रारंभ हुई। इस परियोजना में सूखाग्रस्त कालाहांडी जिले की स्थिति बदलने का आँकलन किया गया है। इससे 600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होने तथा 1.20 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का अनुमान था। यह परियोजना 1986 में पूर्ण होनी थी जो कि जनजातियों के विरोध के फलस्वरूप समय से पूर्ण नहीं हो सकी थी। इस परियोजना के परिणामस्वरूप 5,256 जनजातीय सदस्यों को विस्थापित होना पड़ा था जिनका अभी तक पुनर्वास संभव नहीं हो सका है। परियोजना से प्रभावित होने वाली जनजातियों में मुख्यतः उराँव, बैगा, जुआंग, भील तथा खारिया आदि हैं। सन् 1989 से विस्थापित जनजाति सदस्यों को कृषि योग्य भूमि खरीदने, आवास निर्मित करने व अन्य आवश्यकताओं हेतु लगभग 40,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गए। परंतु नवीन पारिस्थितिकी, अशिक्षा, जागरूकता में कमी के कारण ये जनजातियाँ प्रदत्त धनराशि का केवल एक तिहाई भाग अचल संपत्ति बनाने में व्यय किया तथा शेष राशि जुए, शराब व शादी-ब्याह में खर्च कर दिया। यह जनजातियों के नवीन पारिस्थितिकी से समन्वय न बैठ पाने के कारण इनके सामाजिक-सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक असंतुलन की ओर संकेत करती है। नवीन स्थान, परंपरागत कृषि- मक्का, ज्वार, बाजरा आदि के स्थान पर धान की खेती हेतु उपयुक्त तकनीकी ज्ञान और जानकारी के अभाव में नुकसानदायी सिद्ध हुआ। इस प्रकार विस्थापित जनजातीय सदस्य अनेक प्रकार की समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं तथा आर्थिक तंगी आदि के शिकार हुए।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का कोरबा संयंत्र :

डी. एन. तिवारी (1989) में अपनी किताब “कोरबा संयंत्र से ग्रस्त स्थानीय पर्यावरण में प्रदूषण” में लिखते हैं- “भारत एल्युमीनियम कंपनी” (बाल्को) के तत्वाधान में ‘एल्युमीनियम संयंत्र’ की स्थापना बिलासपुर जिला के कोरबा क्षेत्र के अमरकंटक में ‘बाक्साइट खनिज’ की उपलब्धता के आधार पर की गई थी। इसकी क्षमता ‘एक लाख टन’ प्रतिवर्ष थी। पूर्व आँकलन की तुलना में जब बहुत कम बाक्साइट खनिज

उपलब्ध हुआ तो पास के ही क्षेत्र में गंधमर्दन पर्वत पर लगभग 12.8 कि.मी. लंबाई में 'बाक्साइट की खानों' को ढूँढ़ा गया परंतु स्थानीय जाति एवं जनजातियों के विरोध में एवं पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण जैसे मुद्दों के चलते इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इस कोरबा संयंत्र की स्थापना से कई जनजातियों का विस्थापन हुआ। जिनमें से कई जनजातियों को अभी तक पुनर्वासित नहीं किया जा सका।

मौजूदा संघर्ष में से एक झारखंड में छोटा-नागपुर के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है जहाँ स्थानीय जनजातियों (हो, मुंडा, उराँव, संथाल आदि) ने 'नेतरहत पाइलट प्रोजेक्ट टेस्ट फायरिंग रेंज' का विरोध किया। यह मामला जनजातियों के तीव्र विरोध के कारण लंबित कर दिया गया है। यह परियोजना गुमला और पालामु के जिलों में कार्यान्वित की जाने वाली थी। इससे लगभग तीन लाख व्यक्ति विस्थापित होने वाले थे। राँची और गुमला जिलों में कोयला कारों-बाँध की वजह से लगभग एक लाख व्यक्तियों के विस्थापित होने का खतरा था। पालामु जिले की उत्तरी कसपुरा घाट की कोक खादानें जो लगभग एक लाख व्यक्तियों को विस्थापित करती और सिंहभूम जिले का सुवर्ण रेखा बाँध भी कम से कम एक लाख लोगों को विस्थापित करता। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की 'इंदिरा सागर परियोजना' से दो लाख जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा था। नर्मदा बाँध का मुद्दा तो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँच चुका है। देश के दूसरे राज्यों में भी परियोजनाओं से इसी प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई हैं।

कुल 179 वैयक्तिक अध्ययनों में 21% ऐसे मामले थे जिसमें जबर्दस्ती भूमि हड़प ली गई थी। 38% मामलों में सरकारी अनुमति बिना भूमि प्राप्त की गई थी। 14% मामलों में गैर-जनजाति इस कारण भूमि अपने नाम हस्तांतरित करवा लिया क्योंकि उक्त जनजाति परिवार वाले ऋण अदा नहीं कर सके थे। 11% मामलों में गैर-जनजाति वाले लोगों ने अपने नौकर (जनजाति) के नाम भूमि खरीदी थी। 5% मामलों में स्वयं को जनजाति घोषित कर भूमि ले ली गई। शेष मामले मौखिक हस्तांतरण वाले थे। (स्रोत: ए.आर.एन. श्रीवास्तव- 'जनजातीय विकास के पाँच दशक-2000')

औद्योगिकीकरण का जनजातियों पर प्रभाव :

जनजातीय जीवन में सर्वाधिक समस्याएँ संस्कृति संपर्क के परिणामस्वरूप उभर कर सामने आई हैं। औद्योगिकीकरण से समस्त जनजातीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के लोगों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। अनेक जनजातीय क्षेत्रों में खान, चायबागान, वन संपत्ति आदि स्थित है। जिनके दोहन हेतु उद्योगपति आकर्षित हुए व मिल, खानों से संबंधित कार्य व उद्योग धंधे पनपे तथा जनजातियाँ विस्थापित होने के लिए मजबूर हुईं। जिसके कारण उनकी सुचिता पर आघात पहुँचा है। दास व बनर्जी (1964) के अनुसार औद्योगिकीकरण से निम्न ऐसे परिवर्तन आए जिनसे जनजातीय लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनमें से प्रमुख निम्नवत हैं-

1. सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन प्रभावित हुआ तथा ये जनजातियाँ पूर्णतः नवीन धार्मिक तथ्यों को ग्रहण न कर सके, इससे मानसिक उलझन व विघटन की समस्याएँ उभरकर सामने आईं।

2. नगरीकरण व औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप परंपरागत सामाजिक ढाँचा प्रभावित हुआ। जिससे युवा गृहों का पतन प्रारंभ हुआ। जो दूसरे प्रभावी विकल्प ढूँढ़ने में असमर्थ रही। जिससे समाजीकरण व अन्य समस्याएँ उजागर हुई।
3. ललित कलाओं का हास, नगरीय व औद्योगिक प्रभाव के परिणामस्वरूप संभव हुआ। लोग मशीनों से निर्मित सामान कम दरों पर व देखने में बेहतर होने के कारण खरीदने लगे, जिससे ललित कलाओं का हास दिनों-दिन संभव हुआ।
4. औद्योगिकीकरण ने जहाँ एक ओर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए वहीं दूसरी ओर इनका शोषण भी किया गया व पारिश्रमिक भी बहुत कम दिया गया।
5. जनजातीय समूह मुख्य रूप से ठेकेदारों, व्यापारियों व साहूकारों के शोषण का शिकार हुए।
6. नगरों में स्थानांतरित जनजातीय लोगों के रहने की उचित व्यवस्था न होने पर झुग्गी, झोपड़ियों में शरण लेनी पड़ी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएँ दैनिक जीवन में झेलनी पड़ती हैं।
7. वेश्यावृत्ति एवं यौन रोग आदि भी नगरीय व औद्योगिक सभ्यता की ही देन है।
8. औद्योगिकीकरण के प्रभाव से सामाजिक नियंत्रण, परंपरागत चिकित्सकीय प्रणाली व शांति में कमी दृष्टिगोचर हुई।

विस्थापन सामान्यतः अनैतिक होता है, जिससे मनोवैज्ञानिक व सामाजिक सांस्कृतिक तनावों के साथ आर्थिक तंगी भी बढ़ती है। इससे जनस्वास्थ्य, रूग्णताएँ, मृत्युदर में बढ़ोत्तरी देखने को मिली। नशाखोरी, सामाजिक विषमताएँ आदि हावी हो जाती हैं। इसी के साथ-साथ निःसहाय कमजोर व अलग-थलग पड़ने की मनोभावना प्रबल हो जाती है। विस्थापन से सदैव उत्पादन पद्धति, धार्मिक महत्त्व के स्थल, संस्कारों में परिवर्तन, बंधुत्वता, रिश्तेदारी व पारिवारिक संबंधों का बिखरना प्रारंभ हो जाता है। इन तथ्यों के परिणामस्वरूप अंततोगत्वा, निर्धनता, अशिक्षा, स्वास्थ्य स्तर में कमी जीवन को दूँधर कर देती है।

भूमि हस्तांतरण से मुक्ति के प्रयास :

जनजातियों की भूमि की सुरक्षा के लिए ‘अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग’ ने कुछ मुख्य सलाह दिए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. जनजातीय भूमि से संबंधित सभी नियमों के पुनरावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि जनजातियों को समुचित सहायता नहीं मिली। जनजातीय भूमि के अजनजातीय लोगों के पक्ष में हो रहे हस्तांतरण पर रोक लगानी चाहिए।
2. किसी भी जनजाति की जमीन का हस्तांतरण कलेक्टर के अनुमति के बिना न किया जाए। ‘जनजातीय सलाहकार समिति’ की सलाह से ही सरकार को नियम बनाने चाहिए, जो कि इनकी प्रत्येक क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाए।

3. इस संबंध में उपायुक्त या कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों पर किसी भी प्रकार के मुकदमों पर रोक होनी चाहिए। न्यायालय को इस प्रकार के विक्रय, रेहन, उपहार या पट्टे से संबंधित मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
4. उपायुक्त या कलेक्टर को शोषित जनजातीय लोगों के प्रतिनिधित्व पर 12 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार की जाँच कराने तथा बिना किसी भुगतान के भूमि वापस दिलाने का अधिकार होना चाहिए। इस प्रावधान के अंतर्गत सभी प्रकार के भूमि हस्तांतरण जो 26 जनवरी, 1950 के बाद हुए, आने चाहिए।
5. अंत में, आयोग ने यह सलाह दिया कि सभी प्रकार के समर्पण या स्वीकृति राज्य सरकार के समक्ष होनी चाहिए जो इनकी भूमि को ट्रस्टी की भाँति अपने पास रख सके।

भूमि हस्तांतरण संबंधी अधिनियम :

विस्थापन व पर्यावरण की समस्या से जूझ रहे जनजातियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र भारत में कई नियम लाए गए-

1. अनुसूचित क्षेत्र में संपत्ति विनियम, 1951.
2. मध्य भारत में अनुसूचित जनजाति (भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण) विनियम, 1954.
3. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व कोड, 1959.
4. उड़ीसा, अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजाति) विनियम 1956.

सुरक्षात्मक कानून तथा भूमि सुधार अधिनियम प्रशासनिक उपेक्षा के कारण कारगर सिद्ध नहीं हुए एवं जनजातियों का शोषण जारी रहा। परंतु ज्यादातर मामलों में केवल एक ही कानून लागू किया जा सका है। वह है “भूमि अर्जन अधिनियम 1894” (1984 में संशोधित)। जिसके अंतर्गत सरकार नकद मुआवजा दे सकती है। इस प्रक्रिया में उनके साथ एक बड़ी नाइंसाफी होती है, उनके हितों और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। नकद रूपयों में दिये जाने वाले मुआवजे की पद्धति भी काफी जटिल होती है और मुआवजा पाने वालों की गहरी क्षति पहुँचाने वाली होती है। उल्लेखनीय बात यह है कि अधिनियम में केवल व्यक्ति के मुआवजे को मान्यता दी गई है, सामूहिक या सामुदायिक अधिकारों की बात का उसमें जिक्र नहीं है। जनजातियों से ली गई ज्यादातर भूमि सम्मिलित संपत्ति साधनों के अंतर्गत आती है। यदि वह वन-भूमि है तो कानून उस पर वनवासियों का कोई अधिकार नहीं मानते भले ही वे इसका इस्तेमाल अनेक पीढ़ियों से करते आए हों।

परंतु वर्तमान समय में भूमि हस्तांतरण व पुनर्वास की समस्या को दूर करने के लिए तथा “भूमि अर्जन अधिनियम”, 1894 की खामियों को दूर करने के लिए “भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक-2013” को लोकसभा में पारित किया गया जिसमें लोगों के विस्थापित किए जाने की अवस्था में उन्हें उचित मुआवजे के साथ पुनर्वास की समुचित व्यवस्था का भी प्रावधान किए जाने की बात की गई है, किंतु पुनर्वास की समस्या किसी भी परियोजना में संतोषप्रद ढंग से हल नहीं की जा सकी है। अधिकांश

परियोजनाएँ 'भारत सरकार के पर्यावरण व वन मंत्रालय' के निर्देशों का 20 से 30 प्रतिशत तक ही पालन कर पाती है, जिसकी वजह से पुनर्वास की समस्या वहीं की वहीं बदतर स्थिति में देखने को मिलती है।

मानव वैज्ञानिकों की भूमिका :

बहुत से नृ-विज्ञानियों ने अध्ययन में विस्थापन के अनेक कुप्रभावों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक 'प्रो. एल. पी. विद्यार्थी' ने जनजातियों की समस्याओं को समझने के लिए "प्रकृति-मानव-जीवात्मा सम्मिश्र" (1963) की संकल्पना को प्रस्तुत किया। यह संकल्पना विद्यार्थी ने बिहार में संथाल परगना जिले के राजमहल पहाड़ियों में रहने वाली सौरिया पहाड़िया जनजाति की विभिन्न तरीकों की समस्याओं से अवगत होने के बाद दिया। इसके बाद अनेक नृ-विज्ञानियों ने कई जनजातियों पर अध्ययन कर उनके मंगलमय जीवन के लिए कई सुझाव भी दिए, जिसमें यह भी कहा गया कि पुनर्वास सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी को दृष्टि में रखकर संपन्न करने चाहिए। इस कार्य में स्थानीय जनजातियों की धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण व विकास पर भी विशेष बल देना चाहिए। पुनर्वास के कार्य में संलग्न संबंधित कर्मचारी व अधिकारी मानववैज्ञानिक दृष्टि से प्रशिक्षित होने चाहिए, जिससे जनसहभागिता व कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पुनर्वास हेतु संपन्न किया जा सके।

निष्कर्ष :

आधुनिकता के दौर में जहाँ एक ओर रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनजातियों को उपेक्षित होना पड़ रहा है। विस्थापन एवं पुनर्वास की स्थिति में नवीन पारिस्थितिकी से संबंध व अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने के कारण इन्हें मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक-सांस्कृतिक असंतुलन एवं आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ रहा है। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने की वजह से उपजे मानसिक तनाव इनको आंदोलन और हिंसा की राह पकड़ने को मजबूर कर रही है। अतः पुनर्वास व विस्थापन, पारिस्थितिकी जन आवश्यकताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं को दृष्टि में रखकर संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। पुनर्वास से संबंधित अधिकारी को मानववैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि जनजातियों के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो सके, जिससे कि सहभागिता व कार्यक्रमों को पुनर्वास हेतु प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

संदर्भ सूची -

1. तिवारी, डी. एन. (1982). वन आदिवासी एवं पर्यावरण. इलाहाबाद : शांति प्रकाशन.
2. विद्यार्थी, एल. पी. (1982). ट्राइबल डेवलपमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. नई दिल्ली : कान्सेप्ट पब्लिशर.

3. विद्यार्थी, एल., और पी. एवं राय, बी. (1976). ट्राइबल कल्चर इन इंडिया. नई दिल्ली : कान्सेप्ट पब्लिशर.
4. शर्मा, अवधेश., और शर्मा, निवेदिता. (1999). सामाजिक- सांस्कृतिक मानव-विज्ञान. इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन.
5. शर्मा, ए. एन. (1999). भारतीय मानव-विज्ञान। इलाहाबाद : अभिव्यक्ति प्रकाशन.
6. श्रीवास्तव, ए. आर. एन. (1990). ट्राइबल एनकाउंटर विथ इंडस्ट्री. नई दिल्ली : रिलायन्स पब्लिकेशन.
7. श्रीवास्तव, ए. आर. एन. (1990). व्यावहारिक मानव-विज्ञान एवं जनजातीय कल्याण. इलाहाबाद : के. के. पब्लिकेशन.
8. सहाय, वी. एस., और सिंह, पी. के. (1998). भारतीय मानव-विज्ञान. इलाहाबाद : के. के. पब्लिकेशन.
9. हसनैन, नदीम. (2004). समकालीन भारतीय समाज एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य. लखनऊ : भारत बुक सेंटर.

रिपोर्ट-

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर की वार्षिक रिपोर्ट-2015.
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक रिपोर्ट-2015.
- भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट 2014-15.
- मानव विकास रिपोर्ट-2015.
- राष्ट्रीय जनगणना-2011.

‘आखिरी कलाम’ में धर्म और राजनीति

स्कंद स्वामी नारायण सिंह¹

“धर्म शब्द ‘धृ’ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना। ‘धार्यति इति: धर्मः’ अर्थात् धर्म वह है जो धारण किया जाता है।”¹ धर्म मनुष्य को संस्कारित करता है उसका परिमार्जन करता है। वह समाज को संगठित करता है क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है, उसके अंदर सोचने समझने की प्रवृत्ति होती है। वह सही और गलत में भेद कर सकता है। “धर्म शब्द का उल्लेख ऋग्वेद की ऋचाओं में विशेषण के रूप में या संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है।”² यह सब करने के लिए शुरू में मनुष्य ने प्रतीक के रूप में कुछ स्थान निर्धारित करके मौखिक नियम बनाया, जिससे मनुष्य इससे कुछ प्रेरणा ले, लेकिन धीरे-धीरे वह रूढ़ हो गया और जैसे-जैसे उनकी समझ और जनसंख्या बढ़ी उनमें वैचारिक मतभेद आने लगे। इस कारण कई धर्मों का उदय हुआ और वे विभिन्न नामों से जाने गए।

प्रारंभ में धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक थे किंतु एक समय के बाद इनका अलगाव हुआ और आज राजनीति में धर्म को एक हथियार की तरह प्रयोग किया जाने लगा है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्म को आगे बढ़ाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता जरूरी समझने लगे हैं। धर्माचार्य और राजनीतिज्ञ के एक साथ आने पर जहाँ धर्म के प्रचार प्रसार में राजनीति से सहायता मिलती है वहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षी नेताओं को धार्मिक अनुयायी सत्ता तक पहुंचा देते हैं।

जब एक धर्म के अंदर कोई वैचारिक मतभेद होता है, तब उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता किंतु जब यह दो धर्मों के बीच होता है तो वह तुरंत सांप्रदायिक रूप लेने लगता है। जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो शायद इसका रूप ज्यादा खतरनाक होता है।

धर्म व्यक्ति को वैज्ञानिक और तार्किक बनाने के बजाय उसे आस्थापरक बनाता है जिससे उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है। धर्म व्यक्ति को एक ऐसे शून्य की स्थिति में पहुंचा देता है जहाँ उसे सिर्फ धर्म ही नजर आता है। धर्म से इतर वह कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रहता। ‘आखिरी कलाम’ उपन्यास को जिस रूप में देखा जाना चाहिए उस रूप में आज तक नहीं देखा गया बल्कि लेखक पर तमाम आरोप लगाए गए। उपन्यास आज भी अपनी उचित व्याख्या और स्थान पाने के लिए सही विश्लेषण की मांग करता है। सांप्रदायिकता की जिस घटना को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है देश आज भी उस तरह की विभत्स घटनाओं से बाहर निकलने की बजाय और लिप्त होता जा रहा है। उपन्यास धर्म और राजनीति को केंद्र में रखकर यह दिखलाने का प्रयास करता है कि इन दोनों के मेल से समाज में सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ावा मिलता है और समाज को किस तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं।

¹शोधार्थी, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा, महाराष्ट्र.

E-mail - skandsingh15@gmail.com

‘आखिरी कलाम’ की शुरुआत ही इस वाक्य से होती है कि “किताबें शक पैदा करती हैं।”³ यह वाक्य ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिर जो किताबें हमारा मार्गदर्शन करती हैं, हमारे अंदर ज्ञान और विवेक पैदा करती हैं, वहीं किताबें शक कैसे पैदा करती हैं? यह लिखकर लेखक यह समझाना चाह रहा है कि किताब बस आँख मूढ़कर ही नहीं पढ़ी जानी चाहिए बल्कि अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। लेखक ने एक जगह यह भी लिखा है कि “मैं कहना यह चाहता हूँ की भारतीय धर्मशास्त्र और लगभग सारे धर्मशास्त्र और बहुत हद तक भारतीय दार्शनिक प्रणालियाँ भी तर्कातीत पर आधारित हैं। वे अमूर्तन की सृष्टि करती हैं, फिर उस अमूर्तन के लिए तर्क, जो असत् है, जो है ही नहीं। जो न कुछ है उसके लिए तर्क।”⁴ इस व्यक्तव्य से लेखक किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी के बारे में हमें चेताने की कोशिश करता है।

तस्लीमा नसरीन ने भी अपने एक लेख में लिखा है “जितने दिन धर्म विद्यमान है, कट्टरवाद भी जरूर रहेगा।”⁵ इसी धर्म की कट्टरता के प्रति लेखक ने अपने उपन्यास में लोगों को आगाह करने की कोशिश की है। धर्म को लेकर जहां पर भी जिस तरह से हमें लिखित रूप में मिले उसे हमें अपनी कसौटियों पर और समाज पर लागू करके देखना चाहिए। इसका कितना सार्थक परिणाम व एक अच्छा संदेश हमारे समाज के लिए जा सकता है। समय-समय पर सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। इसलिए उसका मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

दूधनाथ सिंह को हम कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र व निराला के नजदीक पाते हैं तो कभी हम उन्हें कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लेखक के रूप में पाते हैं क्योंकि इन लेखकों ने भी कभी प्रोगंडावादी पंडितों व कठमुल्लाओं का जमकर विरोध किया था। ठीक उसी राह पर चलता हुआ इनका यह उपन्यास दिखलाई पड़ता है। इन्होंने धर्म के अंधानुकरण को कभी स्वीकार नहीं किया। ‘आखिरी कलाम’ उपन्यास मूल रूप से बाबरी विध्वंस पर आधारित है लेकिन इसके विषय के केंद्र में धर्म और राजनीति से उपजी सांप्रदायिकता है। लेखक ने प्रो. तत्सत पांडेय के घर में उनकी बहू गायत्री के द्वारा पूरे परिवार में धर्म के अंधानुकरण प्रवेश के कारण, उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। लेखक तत्सत पांडेय और उनके दो शिष्यों के माध्यम से पूरी कथा का निर्माण करते हैं। उन्होंने दर्शाया है कि धर्म की अंध भक्तता के कारण किस तरह से हमारे समाज का सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है, जो कभी धर्म के आधार पर ही संगठित और सुगठित समाज कहलाता था। वह आज इतना जर्जर कैसे हो गया। इस धर्म में जब से राजनीति का प्रवेश हुआ है तब से इसका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। इसका इस्तेमाल राजनीति में आज खूब हो रहा है। जय प्रकाश नारायण ने अपने लेख ‘सांप्रदायिकता : एक गंभीर रोग’ में लिखा है कि “अमीरों और गरीबों की दो दुनियाओं की तरह ही हमारे देश में एक ओर प्रबुद्ध और बंधन मुक्त विशिष्ट जनों की दुनिया है तो दूसरी ओर उन लाखों शिक्षितों और अशिक्षितों की दुनिया है जो पूर्वाग्रह, अंधविश्वास और अज्ञान के बंदी हैं।”⁶

जिस समय सचल ग्रामीण पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए सविनय ने अपने गुरु तत्सत पांडेय को बुलाया था, अयोध्या में वहां पर अमीरों और गरीबों की दो दुनियाओं के बीच राजनीतिक

प्रबुद्धजनों की उपस्थिति के कारण भाषण की दिशा को ही मोड़ देते हैं और उसका भरपूर लाभ उठाते हैं। लेखक का मतव्य यह नहीं है कि वह उपन्यास के माध्यम से धर्म का प्रतिकार करे बल्कि उसका उद्देश्य तो यह है कि धर्म की कट्टरता को नज़रअंदाज़ करना चाहिए। उससे होने वाले नुकसान को भी देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ ही नहीं क्योंकि इससे हमारे देश का भाईचारा तथा अमन व चैन बिगड़ सकता है। लेखक के शब्दों में “सरयू यहाँ कहाँ है? यहाँ लुप्त सरस्वती हैं, उसका असत्या। एक नदी होने का असत्या। अनस्तित्व के अस्तित्व का ढोंग, पंडे पुजारियों का ताना हुआ ठाठ। जो नहीं है वहीं है। तुम यहाँ सरयू को ढूढ़ रहे हो? सरयू अयोध्या में है सर। सर्वात्मन ने कहा। फिर गलत, कहो अयोध्या सरयू के तट पर है। कोई नदी किसी शहर में नहीं होती। शहर नदी के तट पर होते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहो सरयू के तट पर।”⁷

विचारों की ऐसी तर्काधारित व्याख्या करके लेखक ने पाठकों के मन में समय सापेक्ष सत्य की खोज करना ही सबसे बड़ा सत्य माना है। धार्मिक पुस्तकों का ठीक ढंग से विवेचन न हो पाने के कारण उसका लाभ हमारे राजनेता उठाते हैं। लोगों को दिश्रमिit करके समाज में प्रभुत्व बढ़ाने के लिए सांप्रदायिकता जैसी विभिन्न प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोई भी लेखक जब कोई पुस्तक रचता है तो उस समय के समाज को ठीक वैसा ही प्रस्तुत करे ऐसा संभव नहीं क्योंकि लिखते समय वह अपने विचारों से तथा समय से प्रभावित जरूर होता है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म की अथवा किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों की निंदा कभी नहीं करता। उन धर्म की पुस्तकों को मनुष्य ही लिखता है। इस पृथ्वी पर मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और उसी मानवता की रक्षा करना लेखक का सबसे बड़ा धर्म होता है।

इसी उपन्यास में एक जगह लिखा है “यह जो सई पार करने का उल्लेख है वह राम का नहीं हैं दरअसल वह तुलसीदास का है। गोसाईं जी बार-बार उस नदी को पार करते हैं— बनारस से अयोध्या, अयोध्या से बनारस। कहीं चैन नहीं।गोसाईं जी कहते हैं— ‘डासत ही गइ बीति निशा, कबहूँ न नाथ नींद भर सोये।’”⁸ जिस धार्मिक पुस्तक रामचरित मानस को लेकर लोग इतना मार काट मचाते हैं “उसके लेखक भी बस अयोध्या से बनारस और बनारस से अयोध्या करते रह गए कहीं चैन नहीं मिला।”⁹ उसी प्रकार उपन्यास के मुख्य पात्र प्रो. तत्सत पांडेय भी देश विदेश में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किये जाते रहे हैं। लेकिन उनका मान उनके अपने देश में ही नहीं किया जाता रहा। वे अपने देश में ही नास्तिक और कठमुल्ला व न जाने क्या-क्या जाने गए। जैसे की तुलसीदास को वो स्थान उस समय न मिल पाया जितना की बाद में मिला।

लेखक ने अपनी पुस्तक में ज्ञान और विवेक को इस्तेमाल करके बखूबी समझाने का प्रयास किया है। किताबों को पढ़ने से ज्ञान मिल सकता है, किंतु विवेक हमें भोगे हुए यथार्थ से ही मिलता है। लेखक ने पुस्तक में यह दर्शाने की कोशिश की है कि “धर्म ही एक षड्यंत्र है, तो जाहिर है की धर्म निरपेक्षता का क्या मतलब।धर्म एक बृहद अनजाना षड्यंत्र है मानवता के खिलाफ। धर्म एक ठगी है। धर्म डराता है, अंधत्व प्रदान करता है। धर्म कहता है अंधे होकर चलो, तुम्हारी लाठी मैं हूँ। धर्म में अब कुछ ऐसा नहीं जिसे हासिल किया जा सके। धर्म मनुष्य की सांस्कारिक मनोवैज्ञानिक कमजोरी को भुनाता है। जो आज के नैतिक सवाल

हैं, धर्म के बिना भी हल किये जा सकते हैं।”¹⁰ अगर मनुष्य नैतिक और चारित्रिक रूप से मजबूत है तो उसे धर्म की आड़ या यों कह लीजिये धर्म का सहारा कभी नहीं लेना पड़ेगा। धर्म का इस्तेमाल तो वहीं लोग आज सबसे ज्यादा कर रहे हैं जो नैतिक रूप से व चारित्रिक रूप से कमजोर हैं। उसके आड़ में वे अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं। समाज के अंध भक्त भी उनका खूब साथ देते हैं। कारसेवकों के रूप में मंदिर पूजन के लिए लोगों को इकट्ठा करना तथा उसकी आड़ में अपना मतलब साधना एक समुदाय विशेष का काम है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति का एक मात्र उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य तक पहुँचना, कार्य चाहे जो भी हो, तरीका चाहे कुछ भी हो।

सविनय और सर्वात्मन जब अपने गुरु प्रो. तत्सत पांडेय को उद्धाटन करने के लिए बुलाते हैं जिसका विषय था “सचल ग्रामीण पुस्तकालय, उद्धाटन प्रो. तत्सत पांडेय, चार बजे अपराह्न।”¹¹ उसके नीचे संगोष्ठी का विषय टंका था— “किताबें शक पैदा करती हैं, मुख्य अतिथि, मुख्या वक्ता— तत्सत पांडेय।”¹² वहां पर सविनय और सर्वात्मन के बार-बार कहने पर की यह पुस्तकालय ग्रामीणों के लिए है, कारसेवकों के लिए नहीं तो भी वे बस धार्मिक पुस्तकों की ही मांग कर रहे थे। वहां सब कुछ पूर्व नियत था, उनका कहना था जिस पुस्तकालय में कोई धार्मिक पुस्तक न हो उस पुस्तकालय का क्या मतलब। कार्ल मार्क्स ने अपने एक लेख में धर्म को अफीम के नशे की तरह बताया है। उसका यह कहना गलत नहीं था क्योंकि धर्म ही वह नशा है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को लगभग मोड़ा जा सकता है। उससे किसी भी प्रकार का काम लिया जा सकता है। पुस्तक में “प्रो. तत्सत पांडेय कहते हैं आप सभी मान्यवर हैं, मान्यवर हैं क्या मतलब? यह सभी उन गुणग्राहक लोगों के लिए था जो उत्सुकता से उमड़ रहे थे।”¹³ फिर तत्सत पांडेय जब किताबों पर आते हैं “यह दुःस्वप्न के भीतर एक स्वप्न है। किताबों और जनता के बीच आखिर कौन है? कौन खड़ा है? भूख और गरीबी और पस्ती-बदहाली। अज्ञान और अशिक्षा, बेचारगी। एक अंधी उदासीनता, लूटपाट-लूटपाटा दमन और दमन, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष। किताबों और जनता के बीच कौन खड़ा है? धर्मग्रंथ और तुलसीदास। तभी मैंने कहा दुःस्वप्न के भीतर एक स्वप्न।”¹⁴ अंत में उन्होंने कहा “एक वृद्ध और बंजर और अपाहिज और दैत्याकार किताब से लड़ने के लिए सदा तैयार रहो।”¹⁵ उसके बाद वहां पर खड़े लोग प्रश्रवाची मुद्रा में हाथ खड़े करते हैं और भाषण की दिशा को ही मोड़ देते हैं और दनादन कुर्सियां हवा में उछलने लगती हैं। वहां पर पुस्तकालय व टेंटों को आग के हवाले कर दिया जाता है और अराजकता फैलाने वाले अपने काम में सफल हो जाते हैं।

इस काम को और बढ़ावा तब मिलता है जब मीडिया और दूरदर्शन वालों ने बगैर सोचे समझे बाल की खाल निकालते हुए उसमें मिर्च मसाला अपनी तरफ से लगाकर, खबर को उत्तेजक बनाने के लिए व्याख्या दर व्याख्या वे लोगों तक गलत सूचना पहुँचाने लगते हैं, जो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते थे उनके लिए मन माफिक ही हो रहा था। जब इसकी भनक राजनीतिक गलियारे में पहुँचती है तो माहौल बिल्कुल सांप्रदायिक हो जाता है। उस समय मीडिया द्वारा पेश किये गए कुछ अंश को नीचे दिया जा रहा है—

1. ‘अयोध्या कारसेवकों का सामूहिक शौचालय’¹⁶

2. ‘जनता और कारसेवकों के बीच तुलसीदास’¹⁷
3. ‘एक पूर्व कम्युनिस्ट द्वारा गोस्वामी तुलसीदास का अपमान’¹⁸
4. ‘अपाहिज धर्मग्रंथो से बचो’¹⁹
5. ‘राम की नगरी में पुस्तक दहन’²⁰
6. ‘किताबें शक पैदा करती हैं’²¹
7. ‘कम्युनिस्टों और कारसेवकों में भिड़ंत’²²
8. ‘अयोध्या में एक विदेशी जासूस’²³
9. ‘कठमुल्ला फिर आया’²⁴

उपर्युक्त वाक्यों से समाचार पत्रों की लाइनें अटी पड़ी थी। जिससे दूसरे दिन का माहौल और आराजक होने में देर न लगी। कितनी भी सुरक्षा व्यवस्था थी लेकिन सबको धता-बता करते हुए पूरी अयोध्या नगरी गुंजायमान थी। वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक और आततायी हो गई। देखते ही देखते मस्जिद जर्मीदोज हो गई। अल्पसंख्यक अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे। सांप्रदायिकता को तूल देने में समाचार पत्रों का भी बड़ा हाथ रहता है। उन्हें भी ऐसी खबरों से थोड़ा बचना चाहिए ताकि इस तरह की अफवाहों से आपसी सद्भाव न बिगड़े, लोगो का आपसी भाईचारा व समाज की फ़िजा न बदले। मनुष्य की जीवन रक्षा से बड़ा कोई ईमान नहीं होता। लेखक आचार्य जी के माध्यम से कहलाता है कि “यानी वो सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार ब्रह्म के अवतार भी मृत्यु को प्राप्त हुए, मरे तभी तो चिता जलाई गई। तभी तो स्वर्ग द्वार का मिथक बना। लेकिन यह बात भारतीय धर्म-प्राण, मूर्ख मन के गले कुछ उतरती नहीं, जो स्वयं अमरत्व प्रदान करने वाला है। जो अजर अमर है, मोक्ष का कारक है जो परम अनुग्रही है, शरण्य है। वह मर कैसे सकता है। यह जगह स्वर्ग द्वार है तो वह स्वर्ग किधर को है। वाल्मीकि ने भी छोड़ दिया, तुलसीदास ने भी और व्यास ने भी। जनता की कल्पना और जनता के प्रश्न को उस ओर धकेलने में खतरा है।”²⁵ लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से विचारों की कितनी ग़ज़ब उद्भावना दी है जो एक बड़ा लेखक ही कर सकता है। वे इतने बड़े साक्षात प्रमाण के साथ ही तो कह रहे हैं कि जब सब कुछ यहीं पर था, जिस भगवान ने सबको अमरत्व प्रदान किया वह खुद अपने आपको अमर क्यों नहीं किया। स्वयं अपना आत्मघात सरयू नदी में किया। ऐसा क्यों? क्या वे नहीं जानते थे कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। जब उन्होंने आत्महत्या ही कर लिया, तो उनकी चिता क्यों नहीं जलाई गई। क्या उनके परिवार के लोग नहीं जानते थे की जिस व्यक्ति की मृत्यु अपने आप नहीं होती वह आत्मा सदियों तक भटकती रहती है।

जब उन्होंने आत्मघात किया तो उन्हें स्वर्ग कैसे मिल सकता है। लेखक ने तमाम प्रश्नों को अपने इसी उपन्यास के माध्यम से उठाया है। जिस पर लेखक एक सार्थक बहस चाहता है। जिस भगवान को लोग पूजते हैं, जिसे कवियों ने घर-घर स्थापित किया उस भगवान ने आत्मघात किया, उसी के जन्म स्थान को लेकर आज इतना मारकाट मचा हुआ है। वहां सांप्रदायिकता का तांडव हो रहा है जिसके कारण पूरा देश आग में जल रहा है। कितना नुकसान इस देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। यह सोचने वाला कोई भी नहीं, सिवाय प्रो. तत्सत पांडेय और उस पात्र को रचने वाले लेखक के। यही है धर्म का नशा। आचार्य जी को

घायलावस्था में लेकर चलते समय आचार्य जी की मृत्यु हो जाती है। उसे स्टेशन तक, फिर उनके शव को घर तक ले जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ उसी समय की बात नहीं है, जब कभी भी माहौल इस तरह से सांप्रदायिक होता है तो शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है जिससे दिक्कतों का सामना आम इंसान को करना पड़ता है। लोगों को समझ में नहीं आता की क्या करें। धर्म के पीछे कितना सामाजिक नुकसान हो जाता है। किसी धर्म में यह नहीं लिखा होता की तुम समाज में रहने वाले व्यक्तियों को नजर अंदाज करो। जिस ट्रेन से उनके शव को ले जाया जा रहा था वह पूरी ट्रेन कारसेवकों से भरी पड़ी थी। उसका कुछ निश्चित नहीं था वह कब तक पहुंचेगी। जहाँ कहीं खाने वाली फसलों के पास ट्रेन रुकती या कारसेवकों द्वारा रोक दी जाती, पूरी की पूरी फसल उनके द्वारा चौपट कर दी जाती। लेखक ने इस उपन्यास के माध्यम से यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस तरह से छोटी-छोटी घटना समाज के लिए विकराल समस्या खड़ी कर देती है।

दूधनाथ जी को उपन्यास से ज्यादा कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि मिली क्योंकि उपन्यास लिखने के पहले ही वे सठोतरी कहानीकारों में अपनी पहचान दर्ज करा चुके थे। इनके द्वारा लिखे गये तीन उपन्यास समाज की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित हैं तीनों के विषय एक दुसरे से भिन्न हैं जो की एक बड़े लेखक की पहचान होती है। बड़ा लेखक कभी भी अपने आप को दुहराता नहीं है। वह समाज को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है और अपने से ज्यादा समाज के बारे में सोचता है। उसका चिंतन समाज के लिए होता है। जिसे वह रचता है, वह उसके चिंतन का ही नतीजा रहता है। वह समाज के लिए जीता है और समाज के लिए ही मर जाता है।

संदर्भ ग्रंथ –

1. अमरनाथ, डॉ. (2012). हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. पृ. सं. 180.
2. वहीं, पृ. सं. 180.
3. दूधनाथ, सिंह. (2013). आखिरी कलाम. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. पृ. सं. 13.
4. वहीं, पृ. सं. 33.
5. रणजीत, डॉ., और तस्लीमा, नसरीन. (2011). साम्प्रदायिकता का जहर. लेख. धर्म रहेगा तो कट्टरवाद भी रहेगा. इलाहाबाद : महात्मा गाँधी मार्ग. पृ. सं. 115.
6. नारायण, जयप्रकाश. साम्प्रदायिकता एक गंभीर रोग. पृ. सं. 46.
7. दूधनाथ, सिंह. (2013). आखिरी कलाम. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन प्रा. लि. पृ. सं. 105-106.
8. वहीं, पृ. सं. 143-144.
9. वहीं, पृ. सं. 144.
10. वहीं, पृ. सं. 150.

11. वहीं, पृ. सं. 171.
12. वहीं, पृ. सं. 174.
13. वहीं, पृ. सं. 175.
14. वहीं, पृ. सं. 175.
15. वहीं, पृ. सं. 227-233.
16. वहीं, पृ. सं. 268.

मध्य भारत के अदिवासियों में जल, जंगल और जमीन की समस्याएँ एवं समाधान

पवन कुमार पांडेय¹

जनजातियों में भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की समस्या बहुतायत है। 1962 में बस्तर के दंतेवाड़ा तहसील में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के कारण भूमि अधिग्रहण की गई। ऋणग्रस्तता के कारण भी जनजातियों ने अपनी भूमि साहूकारों को बेंच दी है। हालांकि कृषि भूमि को गैर जनजातीय लोगों के स्थानांतरण पर कानूनी दृष्टि से रोक लगाई है। किंतु बढ़ती जनसंख्या के दबाव ने कृषि भूमि की कीमतों में वृद्धि कर दी है। गैर जनजाति सदस्य जितने अच्छे पैसे या कीमत देते हैं उतने इनके स्वयं के जनजातीय सदस्य बेहतर अधिक स्थिति के बावजूद नहीं दे पाते हैं। इस कारण कानूनों को अनदेखा कर या बेनामी पट्टे आदि तरीकों के माध्यम से भूमि स्वतः अंतरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसके कारण जनजातीय जीवन में बेरोजगारी, गरीबी व कुपोषण जैसी समस्याएँ पनपती हैं।

अभ्यारण्य पार्कों की स्थापना की वजह से सरकार ने वन-भूमि की बिक्री शुरू की। वन-भूमि की बिक्री ने जनजातियों को अपने परंपरागत ठिकानों से उखाड़ दिया उनकी परंपरागत अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। किसी-किसी को मुआवजा भी मिला तो वह भी नाम मात्र का था। जनजातियों के लोग निरक्षर थे। उन्हें कानूनों का ज्ञान नहीं था। चूँकि उनकी भू-संपत्ति जंगलों के बीच में थी और उन्हें परंपरा से प्राप्त हुई थी। इसलिए उनके पास उसकी कोई कानूनी लिख-पढ़ी न थी। होती भी कैसे? उस भूमि का न कभी सर्वेक्षण हुआ था और न कभी उसके स्वामित्व का पंजीकरण। गलत ढंग से कबीले के सरदार को उसका स्वामी मान लिया गया था। लेकिन सरकार अधिकार के मामलों में असली और लिखित कागजात को मान्यता देती है। सामुदायिक आधार पर सामान्य अधिकारों का उसकी निगाह में कोई महत्त्व नहीं है।

वृक्षों के कटने से जल, जमीन तथा पर्यावरण का हास हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों पर से वृक्षों का आवरण छंट चुका है, जिससे भू-क्षरण, बाढ़ बढ़ रही है :-

1. 1971 की तुलना में बाढ़ का क्षेत्र दो गुना बढ़ गया है और उससे प्रतिवर्ष लगभग 2000 करोड़ का नुकसान होता है। अभी हाल में आयी उत्तराखंड में तबाही इसका उदाहरण है, जिसमें लाखों लोग मारे गए।
2. भू-क्षरण के कारण लगभग 1750 लाख हेक्टेअर भूमि अपरदनीय है। चारागाह बंजर भूमि में बदल रहे हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो रही है।
3. जलाशयों में भूक्षरण या अपरदन के कारण गाढ़ या नीचे बैठने वाली मिट्टी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे सरोवरों की जिंदगी लगभग आधी रह गई है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए सरकार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 लागू किया जो निम्नलिखित है :-

¹ एम. फिल. – शोधार्थी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र).

अनुसूचित जनजातियों तथा पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों के संदर्भ में सरकार ने 18 दिसंबर, 2006 की अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक को संसद में पेश किया। इसके माध्यम से जनजातियों को वन अधिकार दिए गए हैं, जिनकी 13 दिसंबर, 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियाँ (75 वर्ष) वन में रह रही थी और अपने जीवन-यापन के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं। यह कानून 31 दिसंबर, 2007 को लागू हुआ। इस अधिनियम को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य केरल है। इस कानून के द्वारा जनजातीय लोगों और अन्य वन निवासियों की अपने अधिकार क्षेत्र से संबंध वनभूमि पर खेती करने लघु-वनोपज को एकत्र तथा विपणन करने तथा वनों के भीतर पशु चराने जैसे परंपरागत वन अधिकार प्राप्त हुए। वनाधिकार कानून की विशिष्ट बात यह है कि ग्रामसभा की व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और उनका स्वरूप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव परित करने का अधिकार है। जो अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को दिये जा सकते हैं इसको (कानून की) अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रावधान है कि ग्राम पंचायत द्वारा बुलाई गई अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा अपने सदस्यों का चुनाव करेगी। इस समिति में वन अधिकार समिति के सदस्य के रूप में कम से कम दस और अधिक से अधिक पंद्रह लोग होंगे। जिसमें एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजातियों के और एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भी वनवासी की मान्यता तथा उसकी पहचान की प्रक्रिया पूरी होने तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। इस कानून में जैव विविधता रखने में वनवासियों की भूमिका का मान्यता देने के साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि सरकार के पास स्कूलों, आंगनबाड़ियों, पेयजल आपूर्ति और पाईप लाईने बिछाने, सड़क, बिजली और फोन का अधिकार है। इससे प्रभावित व्यक्ति या समुदाय की वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इस कानून में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकार वंशानुगत हैं और वे अधिकार किसी को हस्तांतरित करने के लिए नहीं हैं।

वनाधिकार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यानों की पूर्णतः अथवा इनके किसी भाग विशेष को 'क्रिटिकल एरिया' के रूप में चिन्हित किया जा सकता है तथा ऐसे चिन्हित क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के द्वारा वनवासियों को वह अधिकार प्राप्त हो गए जो 'इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927' के द्वारा उनसे छीन लिए गए थे।

मध्य प्रदेश के सरगना जिले की कोरवा जनजाति तथा उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की थारू तथा मोंइसा जनजातियाँ भूमि अधिग्रहण व हस्तांतरण की सबसे अधिक शिकार हुई हैं। मध्य भारत में भूमि के संबंध में अनेक कानून बनाए गए हैं।

1. अनुसूचित क्षेत्र में संपत्ति (किरायें में कमी संशोधन) विनियम, 1951.
2. मध्य भारत अनुसूचित जनजाति (भूमि आवंटन एवं हस्तांतरण) विनियम, 1954.
3. मध्य प्रदेश भूमि राजस्व कोड, 1959.
4. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजाति) विनियम, 1956.

उपरोक्त नियम बाहरी लोगों की जनजातीय भूमि हथियाने से रोकने तथा दूसरे भूमि सुधार के प्रयास करने से संबद्ध है।

मानव सांस्कृतिक विकास जल स्रोतों व संसाधनों के साथ संलग्न देखने को मिलता है। जैविक आवश्यकता व स्वास्थ्य हेतु स्वच्छ जल एवं कृषि के विकास हेतु जल स्रोतों का प्रबंधन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्तमान समय में अधिकांश जनजातियाँ स्वच्छ जल व कृषि हेतु जल व्यवस्था के अभाव में जीवन व्यतीत कर रही हैं तथा गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं।

सतपुड़ा पहाड़ियों के पास जनजातियों के गाँव में सरकार पाइप से पानी पहुँचाती है परंतु एक ही हैंडपंप लगाया गया है जिससे पानी लेने के लिए सुबह से कतार में खड़ी होकर जनजातीय महिलाएँ पीने का पानी ले जाती हैं। इस प्रकार अधिकांश समय पानी लेने में लग जाता है। कपड़ा बर्तन तथा पशुओं के लिए पानी कुएँ से प्राप्त होती है जिसमें बरसात का पानी एकट्ठा रहता है। परंतु प्रशासन कभी भी इसकी सुध नहीं लेता है। अधिकांश बार हैंडपंपों की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया गया परंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अतः अधिकारियों की अनदेखी से भी जनजातियों में असंतोष फैलता है। यह हाल सोनभद्र (उ.प्र.) में रहने वाली जनजातियों का भी है।

समस्या एवं समाधान

वर्तमान समय में तकनीकी परिवर्तन से जनजातियों के समक्ष अस्तित्वगत चुनौती खड़ी हो चुकी है। आज उनका परंपरागत आजीविका का साधन छिन गया है। बेरोजगारी, गुणवत्तापरक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं का अभाव स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव कच्चा माल व उत्पादित वस्तुओं हेतु बाजार की दिक्कत, सरकारी कल्याण कार्यक्रमों में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, जनजातीय समुदाय में अंधविश्वास व कुरीतियाँ, शराब का अत्यधिक सेवन, वन क्षेत्र में बसे गाँवों को वन विभाग द्वारा हटाने की समस्या इत्यादि। संक्षेप में कहें तो पूरा जनजातीय समुदाय समस्याओं के भवरजाल में फंसा हुआ है।

दूरस्थ क्षेत्रों में होने के कारण जनजातीय समुदाय आज भी पिछड़ा हुआ है। आदिवासी समुदाय आज भी अपनी पुरानी ढाँचागत व्यवस्था एवं साधनों पर निर्भर हैं। जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय हैं तो शिक्षक नहीं, सड़क है तो मरम्मत नहीं, अस्पताल है तो दवा व डाक्टर नहीं, आदि जिससे जनजातीय में समुदाय के विकास का रथ अवरूद्ध है। अतः इस प्रकार फैली समस्याओं को निम्नलिखित आधार पर कम किया जा सकता है-

1. ईमानदार तथा मानवशास्त्रियों को जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त करके काफी हद तक उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है।
2. जनजातीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की जाए।

3. जनजातियों को सीमेंट, कंक्रीट, सरिया इत्यादि वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए।
4. भवनों के निर्माण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाएं ये सुविधाएं 'स्वर्ण जयंती मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना' के अनुसार बने भवनों के बाद भी प्रदान की जाएं।
5. विद्यालयों में ज्यादातर जनजातीय शिक्षकों को नियुक्त किया जाए।
6. जनजातियों के प्रत्येक परिवार को कृषि के लिए इतनी भूमि दी जानी चाहिए जो खाद्यान्न के मामलों में उसे आत्मनिर्भर बना दे। इसके लिए खाद की व्यवस्था मुफ्त में करनी चाहिए। उन्नत बीज तथा आधुनिकतम उपकरण व बैलों की खरीद के लिए ऋण देने की व्यवस्था करें तथा समय-समय पर ऋण माफी भी दी जाए। वन संपत्ति के दोहन के लिए आदिवासी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएं और इसमें ज्यादा से ज्यादा जनजातीय लोगों की नियुक्त किया जाए।
7. जनजातियों से प्राप्त वस्तुओं पर सरकार उचित मूल्य प्रदान करें।
8. पुश्तैनी उद्योग-धंधों को बढ़ाने में मदद की जाए और उचित प्रशिक्षण दिया जाए। घरेलू उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए।
9. ट्राईफेड पर उचित निगरानी तथा मूल्यांकन प्रत्येक छः माह में हो।
10. कोशा उद्योग एवं तसर कीटपालन को बढ़ावा दिया जाए तथा छत्तीसगढ़ के अलावा विभिन्न राज्यों में लागू किया जाए।
11. अर्जुन, आम, आँवला, नीम पेड़ बहुतायत में लगाये जाएं, और प्रत्येक तीन माह बाद बचे वृक्षों का मूल्यांकन किया जाए और नगद पुरस्कार राशि तीन सालों तक दिए जाएं।
12. विभिन्न प्रकार की योजनाएँ तथा वनाधिकार कानून के बारे में जानने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में पुस्तकें तथा पंपलेट बाँटे जाएं।
13. अच्छी नस्लों की गायें तथा भैंसें जनजातियों को उपलब्ध कराई जाएं।
14. जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल न्यायालय तथा अस्पताल उपलब्ध कराए जाएं।
15. मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रत्येक गाँवों का एक से दो दिन का समय महीने में निर्धारित किया जाए।
16. जमीन की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए और एक दल बनाया जाए जिसमें जिलाधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही पर भी नज़र रखी जा सके।
17. झूम कृषि पर रोक लगाई जाए तथा इसकी वैज्ञानिक विधि से नियमित करने का प्रयास किया जाए।
18. मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में कृषि बस्तियाँ स्थापित की गई हैं, जिसका विस्तार किया जाए और अच्छी फसल होने पर उन्हें पुरस्कार दिया जाए।
19. जनजातीय कृषि बस्तियों को उन्हीं के क्षेत्रों में विकसित किया जाए और सारी सुविधाएँ प्रदान किये जाएं।
20. जनजातीय लड़के तथा लड़कियों को सरकार शहरों में पढ़ने के लिए भेजे और संपूर्ण खर्च वहन करें। मेडिकल और कानून की पढ़ाई में प्रवेश दिये जाएं, बाद में जनजातीय क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाए।

21. सड़के बनाने वाले ठेकेदारों पर भी नियंत्रण किया जाए। ज्यादातर सड़कें वनों के बीच से ही बनायी जाती है और वनों की अंधा-धुंध कटाई इनके द्वारा की जाती है। संभव हो तो सड़कें वनों के किनारों से बनायी जाएँ।
22. वनों की कटाई रोकने के लिए स्थानीय जनजातियों के धार्मिक मूल्यों व महत्त्वों के वृक्षों का रोपण किया जाए।
23. पानी के प्रबंध उचित तरीके से किये जाएँ तथा नलों की संख्या बढ़ाई जाए और कुओं में क्लोरिन की गोलिएँ डाली जाए।
24. हैंडपंपों की मरम्मत के लिए प्रत्येक गाँव के दो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाए।
25. जल संसाधन प्रबंधन सदैव भौगोलिक पारिस्थितिकी व अभिरूचियों, मूल्यों आदि को दृष्टिगत रखते हुए संपन्न करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के पातालकोट में पीने के पानी हेतु प्राकृतिक झरना बनाया गया है।

अतः कहा जा सकता है कि सरकार ने योजनाएँ तो बहुत बनाई परंतु उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो सका। इसका अच्छा उपाय यह है कि जनजातियों को जागरूक तथा शिक्षित किया जाए जिससे वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

निष्कर्ष

जनजातियों के लिए चलाए जा रहे सरकारी कल्याण कार्यक्रम दिशाविहीन है। अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में असफल साबित हो रहे हैं जिसका प्रमुख कारण क्रियान्वयन का लचरी तरीका अव्यवस्थित तथा बेमन का है। नये वनाधिकार कानून के आने से कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। बस जरूरत संगठित व जागरूक करने की है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ माने जाने वाला मीडिया इनकी समस्याओं को सामने लाकर समाधान में रचनात्मक योगदान दे सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त होने वाले अधिकारी भी इन जनजातियों की प्रति संवेदनशीलता दिखाएँ। बहुसंख्यक जनजातियों को नियमित आय व रोजगार तभी मिलेगा जब उनके परंपरागत हुनर को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ा जाए और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर विकास है। जनजातीय उत्पादों की देश-विदेश में भारी मांग है लेकिन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त अधिकतर मूल्य बिचौलियों की जेब में चला जाता है। जब तक इस शोषणकारी व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा तब तक जनजातियों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा।

संदर्भ सूची -

1. तिवारी, डी. एन. (1982). वन आदिवासी एवं पर्यावरण. इलाहाबाद : शांति प्रकाशन.
2. विद्यार्थी, एल. पी. (1982). ट्राइबल डेवलपमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. नई दिल्ली : कान्सेप्ट पब्लिशर.
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमिश्नर की वार्षिक रिपोर्ट - 2015.

आदिवासी और दलित का अंतःसंबंध

अंकिता¹

भारत में आदिवासी और दलित ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा से हाशिये पर ही रहते आ रहे हैं, मुख्यधारा में इन दोनों को कभी शामिल नहीं किया गया। आज यदि ये दोनों किसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो केवल संघर्ष के कारण। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में जाति व्यवस्था एक सच्चाई है। यह व्यवस्था काफी लंबे समय से चली आ रही है। इसको खत्म करने के प्रयास लगातार जारी हैं लेकिन इसके बावजूद यह आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। जाति के नाम पर भारतीय समाज में शोषण, अत्याचार एवं हत्याएं तक देखने को मिलती हैं। आज भी जाति के नाम पर शोषण हो रहा है जो कि टी.वी. चैनलों, अखबारों आदि में हमें प्रतिदिन देखने को मिलता है।

आदिवासी एवं दलित दोनों ही भारत की जातियाँ हैं एवं सदियों से अपमान एवं शोषण का दंश झेलते आए हैं। दलित हिंदू धर्म में चार वर्णों के अंतर्गत आने वाले शूद्र हैं, दलितों के लिए कहा गया कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, इसलिए इन्हें सबसे हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इनके छूने तक से लोग अपवित्र हो जाते हैं लेकिन आज दलितों के अंदर चेतना का विस्तार हुआ है, अब ये स्वयं को हिंदू धर्म के अंतर्गत स्वीकार नहीं करते। उन्हें ऐसी व्यवस्था और धर्म स्वीकार नहीं जो इंसानियत के धर्म से संचालित न हों। दलितों का संघर्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर और ज्योतिराव फूले के विचारों और संघर्षों पर टिका है। दलितों का जीवन सामाजिक उत्पीड़न, शोषण, दमन, अत्याचारों से भरा है। स्वयं व्यवस्था के नाम पर लादी गई मर्यादाएं, बंधन दलित जीवन की विपन्नता बनकर रहे हैं। आर्थिक विवशताओं ने एवं विसंगततापूर्ण स्थितियों ने आदिवासी एवं दलितों के जीवन को नर्क बना दिया है। ग्रामीण परिवेश के जातीय उत्पीड़न से पलायन कर शहरों, महानगरों की ओर आने वाले दलितों के भीतर हीनता बोध इतना गहरा होता है कि उसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। दलितों का किसी भी अन्य ताकतवर एवं सत्ता संपन्न शक्तियों द्वारा अथवा शक्ति संपन्न वर्चस्वशाली जातियों द्वारा दलन-शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है। ये जातियाँ मानवीय अधिकारों से हमेशा वंचित रहीं हैं तथा सामाजिक दृष्टि में हमेशा इनके प्रति तिरस्कार की भावना निहित रही है। अतः ये सदियों से शोषण के शिकार रहे हैं और उच्च वर्गों द्वारा इन्हें हमेशा से हाशिए पर जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा है।

हिंदू धर्म में इनके स्पर्श, छाया आदि से ही स्वयं को अपवित्र माना गया। इनके लिए मनु ने कुछ विधान निश्चित किए। जैसे-ये संपत्ति जमा न करें, गाँव से बाहर रहें, मिट्टी के बर्तनों में अन्न ग्रहण करें, कफन का वस्त्र के रूप में प्रयोग करें तथा अपने अभद्र एवं अमंगल नाम रखें। आज दलित जातियों में वे जातियाँ शामिल हैं जिन्हें सदियों से अपवित्र माना गया है। इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर, धोबी, मोची, भंगी, बसौर,

¹ शोध-छात्रा, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
E-mail - ankitajnu09@gmail.com

सेवक जातियाँ जैसे- चमार, डंगारी (मरे पशु उठाने वाले), सउरी (प्रसूति ग्रह कार्य के लिए ढोल-डफली बजाने वाले) आदि आते हैं। परंपरागत कार्य करने के अतिरिक्त ये लोग कृषि मजदूरी का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार दलितों से जीवन जीने के सारे साधन छीने जाते रहे हैं। मूलतः दलित वे लोग हैं जिनके शारीरिक स्पर्श होने के फलस्वरूप उच्च जाति के हिंदुओं को अपनी शुद्धि करना आवश्यक हो जाता है। आज समय बदला है लेकिन परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही हैं मंदिरों में दलितों का प्रवेश आज भी वर्जित है अर्थात् जहां उच्च जतियों का वर्चस्व है वहां परिस्थितियाँ आज भी विकट रूप धारण किए हैं। आज भी दलितों के कुएं अलग हैं कुछ समय पूर्व तक इन्हें पाठशालाओं में नहीं बैठने दिया जाता था और बाहर ही रहना पड़ता था। इस प्रकार दलित उच्च सामाजिक असमानताओं से पीड़ित हैं। आज भी ये स्थितियाँ हमारे समाज में मौजूद हैं जो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति अमानवीयता को दर्शाता है।

दलितों की इस पहचान से पता चलता है कि इन्हें हिंदू समाज में कभी बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में ओमप्रकाश बाल्मीकि का कहना है कि- “लोकतंत्र के नाम पर सबसे ज्यादा दलित ही छला गया है गाँव के खेतिहर मनुष्य दलित ही होते हैं। बेगारी प्रथा ने दलितों को घोर विपन्नता ही दी है। बेगार यानि बिना मूल्य का श्रम। दिनभर मेहनत मजदूरी करके भी शाम को भूखा रहे, यह अभिशाप नहीं तो क्या है? यह आर्थिक शोषण भारतीय ग्राम व्यवस्था का हिस्सा था। आज प्रजातंत्र के युग में भी सामंती व्यवस्था का खुला नृत्य गाँव-कस्बों में होता है। इन सबसे भागकर दलित नगरों में आते रहे हैं। जहाँ उन्हें सुरक्षा और रोटी-रोजी की गुंजाइश ज्यादा दिखाई पड़ती है। कल-कारखानों में मजदूर बनकर दलितों ने एक नया जीवन शुरू किया।”¹ किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दलित आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि जाति का दंश उन्हें प्रत्येक जगह झेलना ही पड़ता है।

आदिवासी समुदाय का शोषण छुआछूत के स्तर पर तो नहीं लेकिन आर्थिक स्तर पर जरूर हुआ है लेकिन दलितों का शोषण आर्थिक एवं छुआछूत दोनों ही स्तरों पर देखने को मिलता है। आज दोनों ही समुदाय के लोग शहरों की तरफ अग्रसर हैं लेकिन इनकी वजहें अलग-अलग हैं। दलित यदि नगरों में जीवन-यापन के लिए जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि गाँव में उन्हें वह जीवन झेलने को मिलता है जो वर्णव्यवस्था से संचालित है। उन्हें शहर का जीवन ज्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर उन्हें उद्योग-धंधों में या किसी भी कारखाने में कार्य करने का अवसर मिलता है। मजदूरी के बदले उपयुक्त धनराशि भी मिलती है। इससे वे अपनी निजी जिंदगी जीते हैं। इतना होने पर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई है, जाति पता चलने पर आज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता है।

आदिवासी भी आज अपनी जगह छोड़कर शहरों की तरफ जाने को मजबूर हैं लेकिन वे स्वेच्छा से नहीं बल्कि उन्हें अपनी जगह एवं जड़ से खदेड़ा जा रहा है। वे किसी भी परिस्थिति में अपने जंगल, जमीन एवं जल को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनके जीवन का आधार ये जंगल ही हैं। वे जंगल के कंदमूल, फल एवं खेती कर अन्न उपजाना आदि पर ही आश्रित रहना चाहते हैं। वे जिस स्थिति में हैं वैसी ही स्थिति में रहना चाहते हैं। इसी वजह से वे अब मजदूरी के लिए ही विवश हैं और कार्य के लिए शहरों में गमन कर रहे हैं। इन

सबसे आदिवासी अत्यंत दुःखी एवं परेशान हैं। आदिवासी के शोषण का कारण सरकारी तंत्र है और दलितों के शोषण का ब्राह्मणवादी मनुवादी वर्णव्यवस्था। इतना होने पर भी कहीं न कहीं दोनों के बीच आर्थिक कारण मुख्य बन जाता है। इसकी पुष्टि दलित विचारक शरण कुमार लिंबाले के कथन से होती है- “गाँव की सीमा के बाहर रहने वाली सभी अछूत जातियाँ, आदिवासी, भूमिहीन, खेत मजदूर, श्रमिक कष्टकारी जनता और यायावर जातियाँ सभी की सभी दलित के अंतर्गत आती हैं। दलित केवल अछूत जाति ही नहीं बल्कि इसमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों का भी समावेश करना होगा।”² शरण कुमार लिंबाले का मानना है कि किसी भी शोषण में उसकी आर्थिक स्थिति प्रमुख मुद्दा बन जाती है जो कि काफी हद तक ठीक भी है। आदिवासियों का कहना है कि- सरकार और ठेकेदारों द्वारा जंगल नष्ट किए जाने के कारण जंगलों, घाटियों में रहने वाले आदिवासियों का जीवन विखिन्न हो चुका है। फल-फूल हैं नहीं, औषधियाँ भी नहीं। जीवन का आधार नष्ट होने के कारण आदिवासियों को जीवन के मानवीय मूल्यों की संस्कृति छोड़कर मात्र जिंदा रहने के लिए जातीय ऊँच-नीच और शोषण वाली संस्कृति में प्रवेश कर अपना जीवन जीना पड़ रहा है।

अंग्रेज उपनिवेश की स्थापना से पहले आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन था। आदिवासी अपने प्रदेशों को स्वाधीन रियासतें मानते थे और किसी भी बाहरी शासन का प्रतिरोध करते थे। आदिवासी और दलित दोनों के जीवन में परिवर्तन औपनिवेशिक काल में ही हुए। एक को इससे अपने अधिकार मिले तो दूसरे से उसके अधिकार छिनने शुरू हुए। दलितों को इस समय अपने अधिकारों को पाने में काफी सफलता मिली, अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक मिला, सदियों से झेल रहे संताप से छुटकारा मिलने के प्रयास शुरू हुए, दलित साहित्य की कई विधाओं में हमें यह देखने को मिलता है कि गोरे शासक अच्छे थे क्योंकि इसी समय दलित आंदोलन की शुरुआत हुई और उनके अंदर चेतना का विस्तार हुआ। लेकिन आदिवासियों के लिए ये बहुत ही संकट का समय साबित हुआ। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए कीमती खदानों को निकाला, जंगलों की कटाई की, प्राकृतिक संपदा का दोहन किया, आदिवासियों की निजी जिंदगी पर अपना अधिकार जमाकर उनको मजदूर वर्ग में तब्दील कर दिया। उनकी निजी संपत्ति का दोहन किया। उनके चले जाने पर आज भी यह स्थिति भयावह है, पहले अंग्रेजों ने शोषण किया अब सरकार की नीति, या यों कहें कि अंग्रेजों द्वारा सिखाई गई नीति का पालन कर रही है।

स्पष्ट है कि दलितों को अपना अस्तित्व शहरों में दिखाई पड़ता है जहां उनके लिए मजदूरी उपलब्ध है दूसरी ओर आदिवासी वनों को छोड़ना नहीं चाहते जबकि सरकार वनों को उनकी स्थायी संपत्ति भी नहीं मानती है। आए दिन खनिज उत्पादन और अन्य वन्य प्राणियों के लिए वर्जित क्षेत्र घोषित कर उन्हें बेदखल किया जा रहा है। दलितों के सामने अस्मिता का वह संकट नहीं है जो आदिवासियों के सामने है।

आदिवासी और दलित दोनों धार्मिक आधार पर भिन्न हैं। आदिवासियों का धर्म प्रकृति पर आधारित होता है जिसमें वह पेड़ों एवं अपने पूर्वजों की पूजा करता है। रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि “उसका धर्म उसके जीने का नियम है इसलिए वह व्यवहारिक है उसका बोंगा उसका देवता है। जो पेड़ों पर निवास करता है। आदिवासी अपने को हिंदू नहीं स्वीकार करता क्योंकि वह स्वयं को आदिवासी कहता है। वह हिंदू

ही नहीं बल्कि मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई धर्मों को भी नहीं मानता। वह इन सबसे परे है।³ इनके देवता किसी कल्पना पर आधारित नहीं बल्कि इन्होंने पहले जीवन जिया है आदिवासियों में प्रायः यह भ्रम फैलाया जाता रहा है कि उनके देवता हिंदू देवता हैं। आदिवासियों के सबसे बड़े देवता राजा पानठा, गांडा ठाकुर और रानी काजल हैं, लेकिन आदिवासियों को इसमें भी भ्रमित किया जाता है और यह कहा गया कि राजा पानठा यानि अर्जुन, रानी काजल यानी द्रौपदी और गांडा ठाकुर यानी कृष्ण हैं ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। राजा पानठा ने जलाऊ लकड़ी खत्म होने पर अपना ही पैर चूल्हें में डालकर दारू छानी थी लेकिन अर्जुन के संबंध में ऐसा कहीं पर हमें देखने को नहीं मिलता। आदिवासियों के देवता इसी धरती के देवता हैं जिन्होंने धरती पर रहते हुए संघर्ष करते हुए अपना जीवन-यापन किया जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वे ही उनके देवता बन जाते हैं जिसमें उनकी कहानी सम्मिलित हो जाती है। हिंदुओं के देवता कल्पना पर आधारित हैं। उनका कहना है कि हम किसी देवता के पैरों पर अपना सिर नहीं रखते। आज इक्कीसवीं सदी में आदिवासी जंगलों, वनों, गिरिकुहरों में अपना जीवन गुजार रहा है; दैत्य, पिशाच, असुर आदि शब्द उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। रामायण की शबरी भीलनी, निषाद गुह और एकलव्य भारतीय समाज में सहानुभूति के पात्र हैं जो हास्यापद दिखावा भर है।

इतना ही नहीं रामायण में राम की सहायता करने गए आदिवासियों को रीछ, वानर, भालू आदि की संज्ञा दी गई। आदिवासियों में बलि देने की प्रथा भी है, जिसमें किसी मुर्गा पशु की बलि दी जाती है। लेकिन जैसे-जैसे आदिवासी समाज मुख्यधारा के संपर्क में आ रहे हैं बलि प्रथा जैसी रूढ़ी कुछ हद तक समाप्त हो रही है। किंतु इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे अपनी जड़ों एवं धर्म से दूर जा रहे हैं आज भी उनके पूर्वज ही उनके देवता हैं।

दलित चिंतक हिंदू धर्म में होते हुए भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हम ऐसे समाज को अपना धर्म नहीं मानते जिसके स्पर्श मात्र से ही लोग अपवित्र हो जाएं। उनका उसी धर्म में रहते हुए मंदिर प्रवेश वर्जित हो। दलित एवं आदिवासी दोनों ही जाति व्यवस्था के विरोधी हैं। दलित हिंदू धर्म व्यवस्था के प्रतीकों, प्रतिमानों एवं मिथकों का पुरजोर विरोध करता है। उनका स्पष्ट उद्घोष है कि शंबूक का वध करने वाला राम हमारे लिए पूज्य और देवता नहीं हो सकता और न ही हमारा आदर्श हो सकता है। इसी तरह गीता में चातुर्वर्ण का समर्थन है वह हमें मान्य नहीं। वे ईश्वरवाद एवं अवतारवाद दोनों का ही विरोध करते हैं। वे हिंदू धर्म को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि जिस धर्म में अछूत को ढोल और झाड़ू के साथ गाँव में प्रवेश दिया जाए ऐसे धर्म में रहना हम स्वीकार नहीं करते। उन्हें समानता एवं बराबरी का समाज चाहिए। जबकि दूसरी तरफ वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है।

दलित सबसे पहले इस प्रश्न पर बहस करता है कि किसी भी समानता पर आधारित समाज व्यवस्था में क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों का ऊँच-नीच में वर्गीकरण न्याय संगत है? ऐसी व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहिए। इसी के तहत 14 अक्टूबर, 1956 में डॉ. अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की

दीक्षा ग्रहण की। आज बहुत से दलित बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें मनुष्य के समानता की बात कही गई है।

आदिवासी स्वेच्छा से अपने पूर्वजों को ही अपना देवता मानता है। वह धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता लेकिन दलित अपने धर्म को परिवर्तित कर ऐसे धर्म को स्वीकार कर रहा है जिसमें मनुष्यता की बात कही गई है।

दलितों ने यदि बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसमें भी तर्क को प्रधानता दी। बौद्ध का मानना था कि तर्क के आधार पर बात को स्वीकार करो। भगवान और मिथक से निजात पानी होगी क्योंकि सदियों से धर्म के द्वारा पशुवत जीवन जीने को मजबूर किया जाता रहा है। यह मानसिकता हिंदू धर्म में व्याप्त है। उनका कहना है कि क्या अपने ही धर्म के लोगों को पशु समान जिंदगी जीने को मजबूर करने वाले धर्म पर कोई गर्व कर सकता है? क्या ऐसे धर्म के अनुयायियों के साथ रहने में शर्म नहीं आनी चाहिए? या तो हिंदू इस मानसिकता को छोड़ें या फिर इससे अच्छा कि दलित ही ऐसे धर्म को छोड़ दें। रमणिका गुप्ता का कहना है कि- “भारत में हमेशा से दो संस्कृतियां पनपती रहीं- एक सवर्ण, दूसरी अवर्ण यानि दलित। हमेशा से इन सवर्णों ने दलितों को सताया है। दलित और सवर्णों की लड़ाई काफी पुरानी है दलितों को अशिक्षित रखने की चाल अत्यंत पुरानी है ताकि वे अपने अधिकारों को न पहचानें। अभिजनों, सवर्णों की मनुवादी संस्कृति दरअसल अपसंस्कृति है। जिसने मानवता का अर्थ और मानव संवेदना का दायरा केवल कुछ जातियों तक ही सीमित रखा, इधर अधिकार प्राप्त किए और बाकी जनसमूह को अधिकारविहीन बनाकर दासता से बदतर पशुतुल्य जीवन जीने को बाध्य ही नहीं किया, उनकी संवेदना को जड़ बनाकर उन्हें उसी में संतुष्ट रहना सिखाया।”⁴ किंतु अब अपने अंदर चेतना का भाव होने के कारण ये लगातार अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे हैं।

आदिवासी एवं दलित दोनों इसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। आदिवासी एकलव्य को शिक्षा का अधिकार नहीं। अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर यदि मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसने धनुर्विद्या सीखी तो अर्जुन से होशियार साबित हुआ। इस पर द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा में अगूंठा ही मांग लिया। गुरु को भी आदिवासी का शिक्षित होना भारी पड़ा। आज भी द्रोणाचार्य को खलनायक की संज्ञा नहीं दी जाती। यही हाल दलितों का रहा है। दलितों को सवर्णों ने शिक्षित होने से वंचित रखा क्योंकि उनको साफ-सफाई का कार्य, मैला ढोना और ब्राह्मणों की सेवा करना था, यदि वे शिक्षित हो जाएंगे तो ब्राह्मणों की सेवा कौन करेगा। ‘ओमप्रकाश बाल्मीकि’ की कहानी ‘पच्चीस चौका डेढ़ सौ’ इसका उदाहरण है। लेकिन आज आदिवासी और दलित दोनों ही शिक्षित होने के लिए अग्रसर हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं।

दलितों में शादी की सभी रस्में आज भी हिंदू विधि-विधानों से होती हैं जिसमें फेरे में अग्नि आदि को साक्षी माना जाता है। लेकिन आदिवासियों में ब्राह्मण या पंडित शादी नहीं कराते। ब्राह्मणों के लिए दारू नहीं चलती। आदिवासियों की शादी उनके बीच का ही पुजारी या प्रधान कराता है। दलितों के गहने हिंदू लोगों की तरह ही होते हैं जिसमें सोने, चांदी के आभूषण शामिल हैं किंतु आदिवासियों के जेवरात हाथी दांत,

पत्थर, सीपी आदि के होते हैं। आज आदिवासियों में बाह्य संपर्क होने के कारण पंडितों को आमंत्रित किया जाने लगा है एवं हिंदू रीति-रिवाजों से शादी संपन्न होने लगी है। फिर भी उन्होंने अपने अस्तित्व एवं पहचान के लिए कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। अपने आपको मूल निवासी घोषित किया है और भारत में अन्य लोगों से स्वयं को भिन्न बताने के लिए कुछ प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आदिवासियों ने मूल निवासियों संबंधी निम्नलिखित प्रतिमान निश्चित किए हैं। जिसका उल्लेख रमणिका गुप्ता ने किया है-

- “1. समुदाय का भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अलग होना।
2. आहार और अन्य आवश्यकताओं के लिए समुदाय के क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध वनों, पूर्वजों से प्राप्त भूमि और जल स्रोतों पर निर्भरता।
3. एक विशिष्ट संस्कृति जो मूलतः समुदायोन्मुख है और प्रकृति को प्रधानता देती है।
4. समाज के भीतर अपेक्षाकृत स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता।
5. श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का अभाव।
6. आहार संबंधी वर्जनाओं का अभाव।”⁵

इन तथ्यों का अध्ययन करने के बाद दलितों की स्थिति यदि आदिवासियों के संदर्भ में की जाए तो दोनों को सही ढंग से समझा जा सकता है। आदिवासियों का समुदाय भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अलग होता है। दलितों का रहने का क्षेत्र गाँव की सीमा से बाहर होता है जहाँ से किसी सवर्ण का रास्ता न हो ऐसी जगह पर दलितों को रहने का स्थान निर्धारित किया जाता था।

आदिवासियों का आहार वनों, पूर्वजों से प्राप्त भूमि और जल स्रोत हैं, जबकि दलितों का आहार ब्राह्मणों का जूठा भोजन मांस का सेवन और कपड़ों की जगह कफन का प्रयोग आदि इनकी निर्भरता का साधन है। आदिवासियों की संस्कृति प्रकृति को प्रधानता देती है। जबकि दलितों की संस्कृति को सवर्णों ने निर्धारित किया है किंतु आज ये बौद्ध संस्कृति को काफी हद तक अपना रहे हैं।

समाज के भीतर इन दोनों ही समुदाय की स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली है लेकिन इस स्वतंत्रता में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आदिवासी स्त्री अपने समाज में पुरुषों की तरह बराबर की हकदार है। वह अपने तरीके से जीवन व्यतीत करती है। कहीं-कहीं तो आदिवासियों में मातृसत्तात्मक परिवार होने की प्रथा भी है लेकिन दलित स्त्री अपने ही समाज में शोषण का शिकार है। फिर भी इतना जरूर है कि सवर्ण स्त्रियों की तरह दलित स्त्री घर की चहारदीवारी में नहीं कैद है। वह घर से बाहर कार्य के लिए निकलती है जहाँ उसे सवर्ण पुरुषों से भी शोषण का शिकार होना पड़ता है। एक आदिवासी स्त्री पुरुष के साथ खेत-खलिहानों में जाती है, साथ में कार्य करवाती है और अपने समाज में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन व्यतीत करती है। उसके साथ जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं है लेकिन दलित स्त्री अपने ही समाज में तिहरे शोषण का शिकार होती है।

आदिवासी और दलित दोनों ही जातिवाद के खिलाफ हैं। दोनों का कहना है कि हमारा समाज मोटे तौर पर समता मूलक है। “आदिवासी सिद्धांततः जातिवाद के खिलाफ हैं तथा वे इसलिए भी जातिवाद का

विरोध करते हैं कि इसे आधार बनाकर उन्हें निम्न सामाजिक स्तर पर रखा जा सकता है।”⁶ यही वजह है कि उनके समाज में जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती सबको बराबरी के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है।

इसी प्रकार आदिवासी और दलित ये दोनों ही एक समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। भारत में आदिवासी हो या दलित तरह-तरह के नियमों के तहत इन दोनों का ही शोषण किया गया और आज भी हो रहा है। कुछ हद तक आर्थिक स्थिति भी इसमें जिम्मेदार है। आर्थिक स्थिति सुधरने पर शायद इनका दुःख कुछ कम हो। लेकिन जो समाज छुआछूत पर आधारित हो, उसके सुधार की गुंजाइश कम ही मालूम होती है। असमानता एवं शोषणकारी व्यवस्था का ये दोनों ही बहिष्कार करते हैं। एक समतामूलक समाज की स्थापना करना दोनों का लक्ष्य है।

संदर्भ सूची-

1. बाल्मीकि, ओमप्रकाश. (2008). दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र. दिल्ली : राधा कृष्ण प्रकाशन. पृ. सं. 76.
2. लिम्बाले, शरण. कुमार. (2000). दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र. दिल्ली : वाणी प्रकाशन. पृ. सं. 42.
3. गुप्ता, रमणिका. (2008). आदिवासी कौन. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. सं. 6.
4. गुप्ता, रमणिका. (2001). दलित चेतना साहित्यिक एवं सामाजिक सरोकार. दिल्ली : समीक्षा प्रकाशन. पृ. सं. 50.
5. गुप्ता, रमणिका. (2008). आदिवासी कौन. दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. सं. 31.
6. वही, पृ. सं. 31.

भारत-पाक संबंधों में चीन फैक्टर

डॉ. दीपक¹

दक्षिण एशिया के केंद्र में स्थित भारत की विशिष्ट भू-राजनैतिक व भू-सामरिक स्थिति के फलस्वरूप न केवल यह देश महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहा है अपितु चीन व पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों द्वारा भारत की सुरक्षा निरंतर आहत होती रही है। उल्लेखनीय है कि इन दो पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों का अतीत बहुत सुखद नहीं रहा है। युद्ध, संघर्ष, परस्पर अविश्वास जिसकी विशिष्ट पहचान रही है जबकि दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के परस्पर संबंध दक्षिण एशिया के भू-राजनीति की एक सुदृढ़ एवं लगातार बनी रहने वाली खूबी कही जा सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी के शब्दों में ही जैसा की एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि “कोई भी दो प्रभुता संपन्न देशों के बीच का संबंध इतना अनोखा और स्थायी नहीं है, जितना पाकिस्तान और चीन के बीच।”¹ निःसंदेह यह वक्तव्य इन दोनों देशों के मध्य सहनशीलता और सामाजिक गहनता को प्रदर्शित करता है। वास्तव में इस स्थाई मित्रता का मुख्य लक्ष्य भारत की प्रगति को रोकना है जिसका आधार “शत्रु का शत्रु मित्र” जैसे नीति वाक्य को चरितार्थ करता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने इन दो पड़ोसियों के साथ संबंधों के निर्धारण में बड़ी ही सतर्कता बरतनी पड़ती है क्योंकि² -

- भारत की प्रादेशिक सार्वभौमिकता एवं सुरक्षा के समक्ष अन्य पड़ोसी देशों की अपेक्षा पाकिस्तान और चीन सीधी चुनौती पेश करते हैं।
- भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं परंतु इस परिप्रेक्ष्य में चीन भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है।
- चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश गुप्त रूप से या खुले तौर पर भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को काफी हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- भारत को दोनों ही देशों के साथ युद्ध/संघर्ष का कड़वा अनुभव रहा है।
- दोनों ही देश अपने क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य संधियों द्वारा भारत संबद्ध क्षेत्रों के शक्ति संतुलन में परिवर्तन की ताकत रखते हैं।
- शीत युद्ध काल में भारत की विदेश नीति के लिए चीन और पाकिस्तान महत्वपूर्ण घटक थे।
- शीत युद्धोत्तर काल में भी इन देशों के साथ संबंधों से भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
- दक्षिण एशिया और भारत की सीमा पर दीर्घकालिक शांति के लिए भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर निर्भर रहना होता है।

¹ असि. प्रोफेसर - सैन्य अध्ययन, हे. नं. ब. राजकीय स्ना. महाविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद.

उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में भारत और पाकिस्तान के अनिश्चितता भरे संबंधों एवं उसमें चीन की बढ़ती हुई रणनीतिक अभिरूचि अर्थात् चीनी फैक्टर से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा चुनौतियों एवं खतरों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

भारत और पाकिस्तान: अनिश्चितता भरे संबंध

भारतीय उपमहाद्वीप में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद दोनों देशों के स्वतंत्रता के समय से ही भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध संघर्ष और तनाव से भरा रहा है। पाकिस्तान, भारत का एक ऐसा ही पड़ोसी देश रहा है, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक अंग था। ब्रिटिश सरकार की 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत "सांप्रदायिकता का वातावरण उत्पन्न करके द्विराष्ट्र सिद्धांत (Two Nation Theory) के आधार पर पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, परंतु पाकिस्तान का जन्म जिस सांप्रदायिकता एवं द्वेष की भावना के वातावरण में हुआ उसके स्राव एवं घाव आज तक भारत-पाक संबंधों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं।

दक्षिण एशिया में अपनी महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति के कारण ये दो देश सदैव बड़ी शक्तियों के रुचि के केंद्र रहे हैं, परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव उत्पन्न करने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद तो कश्मीर के मामले को लेकर स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो गया था परंतु 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) के अलग हो जाने से भारत की भूमिका को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद और गहरे हो गए। परंपरागत हथियारों के स्तर से पिछले पांच दशकों में भारत और पाकिस्तान चार युद्ध/संघर्ष 1948, 1964 तथा 1971 में लड़ चुके हैं। इसके अलावा तीन बार 1987, 1990 तथा 2002 में युद्ध के समीप थे। परंपरागत युद्धों में हारने के पश्चात पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष उपायों का भी सहारा लिया, जिससे जनरल जिया के समय शुरू हुआ "आपरेशन टोपाक" का असर कश्मीर में दिखाई देने लगा। कश्मीर में छाया युद्ध की शुरुआत वैसे तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही शुरू हो गया था परंतु वहां उसके वर्तमान दौर की शुरुआत 1984 में पाकिस्तान सेना की Field Intelligence Unit (FLU) ने की। सन् 1985 में पाकिस्तान गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. (ISI- Inter Service Intelligence) ने भी इस गतिविधि में अपने को जोड़ दिया³, साथ ही साथ पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद तथा निम्न तीव्रता संघर्ष (LIC- Low Intensity Conflict) जैसी भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देता रहा है⁴ तथा आज भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुद्दों में कश्मीर समस्या, नियंत्रण रेखा, सरकारी विवाद, तुलबुल जल परियोजना (सिंधु जल बंटवारा) तथा सियाचिन ग्लेशियर जैसे विवादास्पद मुद्दे विद्यमान हैं।

यद्यपि 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने से पूर्व भारत की परंपरागत हथियारों के क्षेत्र में सर्वोच्चता पाकिस्तान से अधिक थी परंतु पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय हथियारों को प्राप्त कर लेने के बाद भारत अब वह सर्वोच्चता भी खो चुका है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि किसी विवाद या समस्या का निपटारा युद्ध स्तर से या द्वितीयक प्रहारक क्षमता द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नितांत ही बचकाना

लगता है क्योंकि पाकिस्तान के शक्ति स्रोत तो अमेरिका तथा चीन जैसी शक्तिशाली महाशक्तियां ही हैं जिसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने में हमें स्वयं डर लगा रहता है। एशिया में उत्पन्न नाभिकीय-प्रतिरोधकता के बावजूद पाकिस्तान ने दुःसाहसिक ढंग से कारगिल में घुसपैठ करके यह सिद्ध कर दिया कि उसके लिए समझौतों व मंत्रीपूर्ण वार्ताओं का कोई विशेष अर्थ नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में एक कमेंटरी है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर के रास्ते पर थे तो जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल पर हमले की योजना को अंतिम रूप दे रहे थे।⁵ कारगिल संघर्ष ने यह भी सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान की सेना युद्ध और शांति पर बगैर नागरिक नेतृत्व की जानकारी के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। दक्षिण एशिया में अमेरिका के (फ्रंटलाइन स्टेट तथा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर त्रासदी के उपरांत) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के उन्मूलन-अभियान में सहयोगी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करके पाकिस्तान अमेरिका का गैर नाटों सहयोगी राष्ट्र बन गया है।

हालांकि हाल के वर्षों में “आपसी विश्वास की कमी” को दोनों देशों ने स्वीकारा है और “विश्वास उत्पादक उपायों” पर बल दिया है। फिर भी ऐतिहासिक तौर पर भारत का पाकिस्तान के साथ संबंधों का आंकलन एक असुरक्षा की भावना के आधार पर ही किया जाता है, जिसके मूल में भारत की अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक रूप से सैन्य व नाभिकीय शक्ति के रूप में महत्त्व, स्थिर लोकतंत्र, आर्थिक शक्ति और क्षेत्रीय सहयोग के पहल में एक धुरी के रूप में इसकी महत्ता शामिल है। परिणामस्वरूप पाकिस्तान की विदेशनीति शुरुआत से ही इस गलतफहमी का शिकार रही है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रभुत्व पाकिस्तान की सुरक्षा और विकास के लिए नुकसानदेह है। भारत की इस अवधारणात्मक चुनौती को न्यूनतम करने के प्रयास में पाकिस्तानी नीति निर्माताओं ने अमेरिका और चीन के साथ संबंध स्थापित कर भारतीय शक्ति को संतुलित करने की कोशिश की है। फलतः भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक चतुर्मुखी संबंध स्थापित हुआ जिसका इस प्रकार से दोहन होता है कि जब भी भारत के संबंध अमेरिका से बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान, चीन के साथ जो कि ऐतिहासिक तौर पर भारत के विरोधी रहे हैं, अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में लग जाता है।⁶

यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व की वास्तविकताओं का पूर्वानुमान करके जहाँ एक ओर चीन भारत के साथ अपने विवादों को दरिक्त करके सहयोग के अन्य मामलों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं पाकिस्तान का इस्तेमाल कर वह भारत को ‘घेरने की नीति’ के तहत प्रयासरत भी है जिससे भारतीय शक्ति को शिथिल करके एशियाई नेतृत्व की स्पर्धा से उसे वंचित किया जा सके। निःसंदेह चीन-पाक सामरिक गठजोड़ भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। अतएव संभावित चीन-अमेरिका शक्ति स्पर्धा में भारत को अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से तय करनी होगी।

चीन फैक्टर: पाकिस्तान में चीन की रणनीतिक अभिरूचि

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ एवं भारतीय स्तंभकार ब्रह्मा चेलानी के अनुसार “धोखे से अचानक हमला करने का सिद्धांत चीन में ढाई हजार वर्ष पहले की एक पुस्तक “युद्ध कला” में वर्णित है। चीनी लेखक सुनत्जु की इस पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि अपने विरोधी देश को काबू करने के लिए उसके पड़ोसियों को

उसका दुश्मन बना दो।” चीन आज भी इसी मार्ग पर चल रहा है। भारत के पड़ोस में स्थित छोटे-बड़े देशों को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देकर अपने पक्ष में प्रबल सैन्य शक्ति खड़ा करने में चीन ने सफलता प्राप्त की है।

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीन की बढ़ती रणनीतिक अभिरूचि निश्चय ही भारतीय सुरक्षा परिदृश्य को एक संवेदनशील स्थिति में पहुँचा देती है। जैसा कि स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपने जन्म के समय से ही भारत के विरुद्ध असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। कारगिल, सियाचीन के अतिरिक्त तीन युद्धों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि सैनिक शक्ति की सहायता से पाकिस्तान अपनी राजनीतिक शर्तें भारत पर थोप नहीं सकता है। भारत, आकार, जनसंख्या, संसाधनों एवं आर्थिक शक्ति की दृष्टि से पाकिस्तान की तुलना में कहीं बड़ा राष्ट्र है। इस तथ्य के बोध ने पाकिस्तान की भारत के विरुद्ध रणनीति को द्विआयामी बना दिया है, जिसमें पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। भारत-पाक संबंधों की इस स्थिति का लाभ उठाकर एवं अपनी रणनीतियों के अनुरूप चीन पाकिस्तान को हर संभव मदद दे रहा है, जिससे भारत को घेरा जा सके।

उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 100 अरब डॉलर से भी अधिक की धनराशि पाकिस्तान पर चीन खर्च कर चुका है।⁷ चीन वहां बलूचिस्तान और पंजाब में खदानों की खुदाई, ग्वादर में बंदरगाह को समुन्नत बनाने, कश्मीर के उत्तरी इलाके में पनबिजली की परियोजनाओं, एफ.ए.टी.ए. क्षेत्र और पंजाब में तेल और गैस की खोज में योगदान दे रहा है। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली कराकोरम सड़क बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार के साथ रेलवे संपर्क बढ़ाने पर बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त इस बात की भी विश्वस्त रिपोर्ट है कि पी.एल.ए. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी इलाकों में एस.एस.जी. और ऊँचे इलाकों में युद्ध करने के लिए सैनिकों को कमांडों ट्रेनिंग दे रहा है।⁸ इसके अतिरिक्त मिसाइलों, युद्धक विमानों और अन्य अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति जगजाहिर है। संक्षेप में कहें तो चीन भारत के पड़ोसी पाकिस्तान का सदाबहार पार्टनर है, जो अपनी भू-राजनीतिक रणनीति को अंजाम देने के लिए व्यापक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसके संबंध में निम्नलिखित गतिविधियाँ उल्लेखनीय हैं-

चीन द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता

इस बात का पता लगाना कठिन है कि चीन-पाक के इस सैन्य सहयोग के शुरुआत की सही तारीख क्या है, पर ऐसा माना जाता है कि सहयोग के इस इतिहास की शुरुआत 1960 के दशक से प्रारंभ होती है⁹, जब चीन ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के निकट बड़े जेट और वैमानिकी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी। यहीं से वर्तमान में भी पाकिस्तान के मुख्य युद्धक टैंकों और बख्तर बंद सैनिक गाड़ियों का उत्पादन एवं लड़ाकू विमानों की मरम्मत का कार्य होता है।

चीन, पाकिस्तान को परंपरागत और परमाणु हथियारों की आपूर्ति वर्षों से करता आ रहा है। वर्ष 92-1990 में पाकिस्तान को 300 किमी. रेंज की नाभिकीय क्षमतावाली एम-11 मिसाइल (गजनी) मुख्य संघटकों सहित चीन से मिली¹⁰ 1990 के दशक में चीन ने परमाणु हमला वाले 600 से 700 किमी. रेंज वाले

मध्यम दूरी के डी.एफ. 15, एम-9 प्रक्षेपास्त्र (शाहीन) इस्लामाबाद को उपलब्ध कराया। जबकि यह आपूर्ति मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का उल्लंघन था। एम-9 की क्षमता इतनी है कि वह उत्तर भारत के अधिकांश शहरों और नगरों को अपना निशाना बना सकता है।

यद्यपि अमेरिका ने चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक हस्तांतरित करने के कारण चीन और पाकिस्तान दोनों पर सन् 1991 में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था परंतु चीन द्वारा एम.आर.सी.टी. को मानने की सहमति व्यक्त कर देने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध हटा लिया था। हालांकि चीन ने पाकिस्तान को 1996 और 1997 में पुनः मिसाइल प्रौद्योगिकी प्रदान की।¹¹ 6 अप्रैल, 1998 को जमीन पर मार करने वाली 1500 किमी. रेंज की गौरी मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया, जिसके संबंध में पाकिस्तान यह दावा करता है कि यह पाकिस्तानी कार्यक्रम के तहत निर्मित उत्पाद है जबकि गौरी मिसाइल चीन द्वारा विकसित नई मिसाइल का उत्पाद है। जो कि चीन द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण का स्पष्ट संकेत है।¹²

तीन दशकों से भी ज्यादा समय से चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स वर्तमान में चीन के बने ए.एफ.17-., काराकोरम-8 जेट ट्रेनर के साथ-साथ एफ-17, एम-7, पी.जी. और ए-5 लड़ाकू विमान उड़ा रहा है। दोनों देशों के मध्य सैन्य संबंधों की वृद्धि के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का समझौता भी हो चुका है। चार युद्धपोत के निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है साथ ही कई अत्याधुनिक लड़ाकू जेट विमान के संबंध में भी समझौते हुए हैं जो भविष्य में भी जारी रह सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जी. पार्थ सारथी का यह कहना प्रासंगिक है कि चीन रूस से मिलने वाली सैन्य प्रक्षेपास्त्र तकनीकी को पाकिस्तान में रास्ता मिलता है, यह एक ऐसा विषय है जिसे भारत को उचित कूटनीतिक स्तर पर उठाना चाहिए।¹³

पाक अधिकृत कश्मीर में ढांचागत विकास

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में चीन की उपस्थिति भारत के लिए सदा से ही चिंता का विषय रहा है। सिक्यांग व पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य लगभग 480 किमी. की लंबी सीमा है।¹⁴ काराकोरम राजमार्ग भी यही पर है जो चीन के सिंजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्तिस्तान क्षेत्र से जोड़ता है। वर्तमान में चीन इस विवादित क्षेत्र में तेजी से ढांचागत विकास करने में लगा है जिसका सीधा प्रभाव भारतीय सुरक्षा पर पड़ना निश्चित है।

चीन और पाकिस्तान 2006 में ही काराकोरम राजमार्ग को अपग्रेड करने के लिए एक समझौता पहले ही कर चुके हैं, जिसे कार्य रूप भी दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में परिवहन की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। जिससे चीन काराकोरम राजमार्ग से बिना किसी बाधा के तेल से परिपूर्ण खाड़ी एवं बलोचिस्तान में स्थित पाकिस्तानी ग्वाडर बंदरगाह तक अपनी पहुंच आसानी से बना लेगा। काराकोरम राजमार्ग के लगभग समानांतर एक रेलमार्ग बनाने की संभावना के लिए

पहले ही समझौता हो चुका है। अगले 10 से 15 सालों में काशगर (पुराने सिल्क रोड का एक शहर, जहाँ चीन 'आर्थिक विकास क्षेत्र' बना रहा है) और ग्वादर के बीच मार्ग बनना कोई कपोल कल्पना नहीं रह जायेगी।¹⁵ डॉ. सुभाष कपिला के मुताबिक, "चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान के कहने पर काराकोरम कॉरिडोर के निर्माण से चीन की रणनीतिक पहुँच उत्तरी अरब सागर और खाड़ी तक हो जायेगी। इस कॉरिडोर के रास्ते गैस पाइपलाईन का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पश्चिमी तिब्बत और जिंगजियां में भारत और चीन के इर्द-गिर्द नाटो की घेराबंदी दोनों के खिलाफ चीन की सैनिक स्थिति मजबूत हो जायेगी। काराकोरम कॉरिडोर न सिर्फ शुरू में विवादित क्षेत्र से निकलता है, बल्कि चीन इस बड़ी परियोजना से अमेरिका की मौजूदगी वाले अफगानिस्तान की सीमा तक अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर लेगा। साथ ही होरमुज खाड़ी में ग्वादर बंदरगाह पर नौसैनिक मौजूदगी से चीन की ताकत बढ़ जायेगी।"¹⁶

26 अगस्त, 2011 में न्यू न्यूयार्क टाइम्स में छपे सेलिंग हैरिसन लेख के अनुसार इस्लामाबाद ने 7 से 11 हजार चीनी सैनिकों को पी.ओ.के. में प्रवेश की इजाजत देकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों का वास्तविक नियंत्रण चीन के हाथ में दे दिया है।¹⁷ जहाँ पी.एल.ए. के अन्य फौजी बांधों, एक्सप्रेस वे और अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि पी.एल.ए. के सिपाही उन 22 गुप्त स्थानों, जहाँ पाकिस्तानियों के जाने की अनुमति नहीं है वहाँ सुरंगें बना रहे हैं, ऐसा अनुमान है कि इन सुरंगों की आवश्यकता ईरान से चीन जाने वाली गैस पाइपलाईन परियोजना (जो गिलगिट से होकर काराकोरम पार करेगी) में पड़ेगी। लेकिन इसका उपयोग मिसाइलों के संचयन के लिए भी किया जाएगा। चीन बड़े पैमाने पर यहां रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है।¹⁸ निःसंदेह चीन की ओर से आक्रमकता बढ़ती जा रही है। यद्यपि भारत ने चीन की इन गतिविधियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है पर वह मात्र विरोध दर्ज तक ही सीमित है।

कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की भूमिका

कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य एक केंद्रीय सरोकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जो पिछले 68 वर्षों से दोनों देशों के मध्य अलगाव की स्थिति को जन्म देता रहा है, जिसका लाभ उठाकर चीन अब धीरे-धीरे कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के झगड़े के बीच तीसरा पक्ष बनने की कोशिश कर रहा है।¹⁹ जिसके लिए पर्याप्त परिस्थितियां भी मौजूद हैं, क्योंकि जहाँ तक जम्मू कश्मीर के भौतिक कब्जे का संबंध है तो यह कहा जा सकता है कि भारत के पास 45 प्रतिशत, पाकिस्तान के नियंत्रण में 35 प्रतिशत तथा चीन ने लगभग 20 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर के भू-भाग पर अधिग्रहण कर रखा है।²⁰ इसमें अक्षय चीन और साक्षगाम घाटी का 5180 वर्ग किमी. का वह क्षेत्र भी शामिल है जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गैर कानूनी तौर पर सौंप दिया था।²¹

ऐसी स्थिति में कश्मीर में चीन के तीसरे पक्ष की भूमिका भारत के लिए चिंता का विषय है जिसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा 27 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे इंडियन हैंड्स ऑफ मिशन के सम्मेलन में दिये गए भाषण में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा कि- "चीन कश्मीर मुद्दे का दोहन करके 'भारत को एक निम्न स्तर के संतुलन' ये रखना चाहता है।" स्पष्ट है कि भारत

और चीन के मध्य निरंतर चल रहे मतभेदों से चीन जैसे देशों को यह मौका प्राप्त हो जाता है कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करके दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत की प्रगति को सीमित कर सके²²

उल्लेखनीय है कि 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के उपरांत भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फीकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसके अनुसार दोनों देशों ने कश्मीर समस्या को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करने के लिए सहमति व्यक्त की थी।²³ परंतु जहाँ भारतीय नेतृत्व ने सदैव इस समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की अर्थात् कश्मीर समस्या का समाधान दोनों पक्षों द्वारा किसी तीसरे पक्ष के बिना खोजा जाएगा वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी दृष्टिकोण इससे भिन्न रहा है, जिसमें हमेशा एक तीसरे पक्ष अथवा मध्यस्थ को जगह दी गयी, चाहे वह अमेरिका हो या चीन।

पाकिस्तान की उक्त मंशा के अनुरूप चीन अब पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कश्मीर को भारत का अंग न मानकर एक विवादित क्षेत्र मानता है। जिसके तहत कश्मीरियों को नत्थी बीजा जारी करता है एवं कश्मीर मुद्दे पर बातचीत के लिए मीरवायस फारूक को अपने यहां आमंत्रित भी किया था। इसके अतिरिक्त चीन संयुक्त राज्य की सुरक्षा परिषद में जिहादी संगठनों के निषेध के मुद्दे का विरोध करके पाकिस्तान और कश्मीरी अलगाववादियों को सहायता देता रहा है। भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के प्रयासों का विरोध भी चीन और पाकिस्तान दोनों करते रहे हैं।

होरमुज खाड़ी में ग्वादर बंदरगाह का विकास

पाकिस्तान ने होरमुज की खाड़ी से होकर जाने वाले जहाजों के रास्ते में पड़ने वाले ग्वादर बंदरगाह का प्रबंधन चीन को सौंप दिया है, क्योंकि यह बंदरगाह पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने वाला स्थल है। जिसका प्रयोग वो आर्थिक एवं सामरिक दोनों ही रूपों में कर सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भी यह स्वीकारा था कि पड़ोसी देश के बंदरगाह पर चीन का नियंत्रण चिंताजनक है, क्योंकि बंदरगाह का काम पूरा होने के बाद चीन की नौ सेना इसका इस्तेमाल कर सकेगी, जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है।

निःसंदेह ग्वादर पर चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के खिलाफ चीनी और पाकिस्तानी गठजोड़ के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। पाकिस्तान सरकार मानती है कि ग्वादर पोर्ट में कराची पोर्ट के संभावित भारतीय अवरोध के खिलाफ बचाव व्यवस्था का सामर्थ्य है जो कि लगभग 90 प्रतिशत पाकिस्तानी समुद्री व्यापार को संभालता है। 1.2 अरब डॉलर की लागत से बने ग्वादर पोर्ट में ज्यादातर धन चीनी सरकार द्वारा लगाया गया है। चीन के लिए यह बंदरगाह एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थल है जो कि होरमुज की जल संयोगी से मात्र 240 मील की दूरी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि 2013 में, सरकारी स्वामित्व वाली चीन ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी को आधिकारिक

रूप से पोर्ट के संचालन का नियंत्रण प्रदान कर दिया गया है, जिसने ग्वादर परियोजना पर चीन के प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया।²⁴

ग्वादर बंदरगाह पर चीन के कब्जे से उसे अरब देश से तेल आयात करने में बहुत आसानी हो जायेगी क्योंकि चीन 60 प्रतिशत कच्चा तेल इन्हीं देशों से आयात करता है। चीन की योजना है कि ग्वादर से गिलगिट तक दो तरफा राजमार्ग विकसित करके तेल और गैस पाइप लाइने तथा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाए। इसके अतिरिक्त ग्वादर पर तेल शोधन कारखाना स्थापित करने की योजना भी लंबित है, क्योंकि यह उस होरमुख स्टेट के मुहाने पर स्थित है जहाँ से दुनिया का 40 प्रतिशत तेल गुजरता है। निश्चय ही ग्वादर बंदरगाह चीन के लिए न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक महत्त्व का स्थल है। संभावना यह है कि इस बंदरगाह का उपयोग चीनी एवं पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किया जा सकता है। यह बंदरगाह चीन को अरब सागर और हिन्द महासागर में एक रणनीतिक आधार भी उपलब्ध कराता है और चीन को फ़ारस की खाड़ी से होने वाले ऊर्जा के आवागमन पर नजर रखने की सुविधा भी दे सकता है। खाड़ी के रास्ते भारत के अधिकांश ऊर्जा आयात ग्वादर के बहुत पास से गुजरते हैं, इसीलिए वहाँ मौजूद सैन्य बल उसमें बाधा डाल सकते हैं।

निष्कर्ष :

किसी भी देश को अपने पड़ोस और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में अपना रणनीतिक संबंध विकसित करने का पूरा अधिकार होता है। इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक चीन के प्रभाव विस्तार का प्रश्न है तो चीन दक्षिण व दक्षिण एशियाई शक्ति न होते हुए भी इस क्षेत्र में अपने वर्चस्व हेतु प्रयत्नशील रहा है, जहाँ भारत उसके समक्ष सबसे बड़ा बाधा है। फलतः रणनीतिक कारणों से चीन भारत के पड़ोसी देशों का भरोसेमंद और स्थायी मित्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए एक आक्रामक नीति को अपना रहा है। भारत के पड़ोस में स्थित पाकिस्तान पैर जमाने के लिए रणनीतिक रूप से सबसे अनुकूल जगह है। इसीलिए चीन, पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा धनराशि व्यय कर चुका है। चीन और पाकिस्तान की यह सदाबहार मित्रता भारत के लिए चिंता का विषय है खासकर तब जब चीन अपनी सुनियोजित रणनीति के तहत भारत को घेरने की नीति का अनुपालन कर रहा हो और पाकिस्तान उसमें प्रमुख सहयोगी की भूमिका में हो। ऐसी स्थिति में न केवल पाकिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव बल्कि भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी चीन की सैन्य उपस्थिति, वहाँ उसके द्वारा सैनिक अड्डों का विकास एवं इन देशों के साथ चीन के बढ़ते रणनीतिक संबंधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि 1962 की पराजय के बाद भी लगभग चार दशकों तक हमारी सारी रणनीति पाकिस्तान पर ही केंद्रित रही है जबकि वस्तु स्थिति यह है कि आज चीन की दीर्घकालीन सामरिक रणनीति में हम खुद फँसते जा रहे हैं।

अतः भारतीय नेतृत्व एवं सुरक्षा के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि वह चीन के प्रति प्रतिक्रियात्मक उत्तर तक ही सीमित न रहकर अपनी कूटनीतिक आर्थिक तथा सैनिक नीतियों में सुधार लाएँ एवं एक स्पष्ट केंद्रीकृत सामरिक नीति को अपनाएँ जिसके तहत न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों में बल्कि एशिया के अन्य देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को नया आयाम दें। साथ ही ऐसे

विकल्प की भी तलाश की जानी चाहिए जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित किया जा सके। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को लेकर कंप्यूचिया और वियतनाम काफी चिंतित हैं, इन सब परिस्थितियों का लाभ भारत उठा सकता है। वियतनाम को भारत उस रूप में देख सकता है जिस रूप में चीन पाकिस्तान को प्रस्तुत करता है, क्योंकि वियतनाम भारत को एक प्रवेश स्थल प्रदान करता है जहाँ से वह चीन की परिधि में घुस सकता है। इसी तरह ग्वादर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने हेतु नई दिल्ली और तेहरान द्वारा पाकिस्तानी सीमा से सटे ओमान की खाड़ी के तट पर छाबर बंदरगाह को विकसित करने का निर्णय निश्चय ही सराहनीय कदम है। यद्यपि वर्तमान में चीन और भारत सीमा-विवाद के बावजूद एक दूसरे के बहुत भरोसमंद, व्यापारिक और आर्थिक साझेदार बने हुए हैं फिर भी इस प्रतिस्पर्धा और सहयोग के संयोजन में सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जवाबी प्रभावों क्षमताएं भी विकसित करनी चाहिए जिससे देश चीन के साथ अपने व्यवहार में अधिक मुखर बन सके।

संदर्भ-स्रोत

1. दास, डॉ. रूप. नारायण. (2011, अप्रैल). भारत ओर चीनी पाकिस्तान संबंध. वर्ल्ड फोकस. (नं. 2), पृ. सं. 56.
2. यादव, डॉ. आर. आर. (2011, नवंबर-दिसंबर). भारत की पड़ोस नीति: बदलती रूपरेखा. (नं. 3-4), पृ. सं. 49.
3. Noorani, A. G. (1992, January). Pakistan Complicity in Terrorism in J&K: The Evidence and the Law, Indian Defence Review. New Delhi. pp. 26.
4. Sinha, K. S. (2002). Low Intensity conflict in Jammu & Kashmir. Indian Journal of strategic studies. (Vol. XXIII), pp. 143.
5. कलीम, प्रो. बहादुर. (2011, नवंबर-दिसंबर). पाकिस्तान भारत का पड़ोसी: बहुत नजदीक, पर बेहद दूर. वर्ल्ड फोकस. (नं. 3-4), पृ. सं. 58.
6. चक्रवर्ती, मोहन. (2011, नवंबर-दिसंबर). भारत व पाकिस्तान: सुलह और कलह के क्षितिज के पीछे. वर्ल्ड फोकस. (नं. 3-4), पृ. सं. 10.
7. कृष्णधर, मलय. (2012, फरवरी-मार्च). भारत के इर्दगिर्द: चीनी मोतियों का घेरा. वर्ल्ड फोकस. (नं. 6-7), पृ. सं. 75.
8. वही, पृ. सं. 75.
9. Kapur, Ashok. (1987). Pakistan's Nuclear Development. New York. pp. 247.
10. Bindanda, M. Chengappa. (2004). India-China Relation: Post conflict Phase to Post Cold War Period. New Delhi. pp. 307.
11. Arms Control Reporter, (1998). pp. 706.

12. Gupta, Sishir. (1998, 5 May). Decides to Develop missile system. Hindustan Times.
13. दास, डॉ. रूप. नारायण. वही. पृ. सं. 56.
14. Shukwal, B. L. (1971). India: A Political Geography. New Delhi. pp. 20.
15. दास, डॉ. रूप. नारायण. वही. पृ. सं. 58.
16. कृष्णधर, मलय. वही. पृ. सं. 75.
17. वही, पृ. सं. 75.
18. दास, डॉ. रूप. नारायण. वही. पृ. सं. 58.
19. कृष्णधर, मलय. वही. पृ. सं. 76.
20. दास, डॉ. रूप. नारायण. वही. पृ. सं. 57.
21. Rappai, M. V. (2000, March). India- China: Need for Border Settlement, Indian Defence Review. pp. 127.
22. चक्रवर्ती, मोहन. (2011, अप्रैल). भारत व पाकिस्तान में द्विपक्षीय संबंधों का पुनरावलोकन. वर्ल्ड फोकस. (नं. 2), पृ. सं. 33.
23. त्यागी, डॉ. अनुपम. (2014). भारत-पाकिस्तान संबंध: कटुता का पटाक्षेप- एक नये युग का शुभारंभ. नई दिल्ली : पृ. सं. 75.
24. Kostecka, Daniel. (2010, 19 November) Hambantota, Chittagong, and maldives- Unlikely Pearls for the Chines Many. China Brief. pp. 11.

मैत्रीभावना : सुखद जीवन हेतु मानसिक योग

पंकज कुमार सिंह¹

मैत्रीभावना गौतम बुद्ध के द्वारा विकसित किया गया मानसिक योग है। इसमें मन से, अपने साथ पूरे विश्व के भले व सुखी होने की कामना की जाती है, जो मन से निकल कर व्यवहार में परिणत हो जाता है। इसमें न केवल मैत्री करने वाले का लाभ होता है, अपितु जिसके प्रति मैत्री करते हैं उसका भी लाभ होता है। यह व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है न कि अलौकिक शक्ति पर। अतः यह वैज्ञानिक है। इसको करने के लिए न तो कोई धर्म, जाति, देश व काल आड़े आते हैं और ना ही कोई आर्थिक क्षति होती है। यह 'वसुधैवकुटुम्बकम्' व अद्वैत के दर्शन पर आधारित है। दुर्भाग्य से मैत्रीभावना जन सामान्य से ओझल है; बौद्ध धर्मावलंबियों में तो इसका ज्ञान है किंतु वहाँ भी व्यापक रूप नहीं है।

प्रस्तावना

मैत्रीभावना गौतम बुद्ध द्वारा विकसित किया व बताया गया मनः आध्यात्मिक (Psycho-spiritual) अभ्यास है, जिसमें मन में ही सबकी भलाई की कामना की जाती है। यह एक प्रकार का ध्यान (Meditation) है जिसे मैत्री-ध्यान (Maitri-meditation) कह सकते हैं (मिश्र, 2009)। जैसा कि मेत्ता सुत्त में गौतम बुद्ध कहते हैं :-

“अतूपमाय सब्बेसं सत्तानं सुखकामतां। पस्सित्वा कमतो मेत्तं सब्बसत्तेसु भावये ॥1॥
सुखी भवेय्यं निदुक्खो अहं निच्चं अहं विया हिता च मे सुखी होंतु मज्झता चथ वेरिनों ॥2॥
इमस्मि गामक्खेत्तस्मि सत्ता होंतु सुखी सदा। ततो परञ्च रंज्जेसु चक्कवाळेसु जन्तुनो ॥3॥
समन्ता चक्कवालेसु सत्तानन्तेसु पाणिनो। सुखिनो पुग्गला भूता अत्तभावगता सियुं ॥4॥
तथा इत्थी पुमा चेव अरिया अनरियापि च। देवा नरा अपायट्ठा तथा दस दिसासु चाति ॥5॥

अर्थात् अपने समान सब प्राणियों को सुख चाहने वाला देखकर क्रमशः सब प्राणियों पर मैत्री-भावना करें॥1॥ मैं सदा अपने समान सुखी और दुःख रहित होऊँ। मेरे हितैषी, मध्यस्थ और बैरी-जन भी सुखी हों॥2॥ इस ग्राम-क्षेत्र के प्राणी सदा सुखी हों, उसके बाद अन्य राज्यों और चक्रवालों के प्राणी॥3॥ चारों ओर चक्रवालों में रहने वाले अनंत प्राणी, जन्म लिए हुए जीव और पुद्गल सुखी हों॥4॥ वैसे ही दसों दिशाओं के स्त्री, पुरुष, आर्य, अनार्य, मनुष्य और नारकीय प्राणी भी॥5॥ (धर्मरक्षित, 1968/2001, पृ 102)।” आष्टांगिक मार्ग इसका व्यापक रूप है। इससे स्पष्ट होता है कि मैत्री भावना में गौतम बुद्ध ने जीव मात्र के लिए कल्याण की कामना करने की बात कही है।

¹ योग एवं स्वास्थ्य अध्ययनम. गां. अं. हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र).

Mob. - 9823696685; E-mail. - gandhikhadi@gmail.com

वैसे मैत्रीभावना की अवधारणा गौतम बुद्ध से पहले भी विविध कालों में रहा। जैसे कि वैदिक प्रार्थना में कहा गया है, “मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वभूतानि समीक्षे” अर्थात् मैं सभी लोगों को मित्र की आँखों से देखूँ। पौराणिक काल में प्रसिद्ध श्लोक है, “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तुनिरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥” बाइबिल का आदेश है, “...And thou shall love thy neighbor as thyself” (तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करेगा)। इस्लाम में भी हमसाया को यानी साथ रहने वालों को प्यार करने का निर्देश किया गया है।

अब प्रश्न उठता है कि इतना सब गौतम बुद्ध से पहले था तो मैत्रीभावना के लिए गौतम बुद्ध का क्या योगदान है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उन्होंने मैत्रीभावना की विधा को न केवल संहिताबद्ध (Codify) कर योगसाधना के रूप में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित किया अपितु मैत्रीभावना के परिणामस्वरूप बाह्य व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं या आने चाहिए उन्हें भी व्याख्यायित किया (मिश्र, 2009; संघरक्षित, 2012)। गौरतलब है कि गौतम बुद्ध योगी थे और ध्यानयोग में माहिर थे। उनका उपदेश स्वयं पर अनुभव किया हुआ होता था। वे लोगों से कहते थे कि जो बातें तुम्हें अच्छी न लगे वह कदापि इसलिए न मान लो कि मैं कहता हूँ। यही कारण है कि बौद्ध धर्म सुखी होने की खातिर किसी ईश्वरीय ताकत पर निर्भर होने की बजाय, स्वयं के परिवर्तन पर जोर देता है। मैत्रीभावना भी कोई ईश्वरीय ताकत पर निर्भर नहीं है बल्कि स्वयं के मैत्रीभावना के अभ्यास पर निर्भर है। यह वैज्ञानिक है और इंद्रियानुभूति पर आधारित है। मैत्रीभावना का अभ्यास करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ ही दिनों में लाभ का अनुभूति करने लगता है।

उद्देश्य

मैत्रीभावना ध्यानयोगी गौतम बुद्ध द्वारा विकसित किया व बताया गया मनः आध्यात्मिक मानसिक योग है। बौद्ध धर्मावलंबियों में तो इसका ज्ञान है किंतु वहाँ भी व्यापक रूप में नहीं है। इस शोधपत्र का उद्देश्य मैत्रीभावना को जनसामान्य की समझ लायक बना कर उनके समक्ष रखना है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में गुणात्मक शोध प्राविधि का प्रयोग किया गया है। तथ्यों के लिए विषयाधारित प्रकाशित ग्रंथों का उपयोग किया गया है। यह शोध का व्याख्यात्मक प्रकार है। इसमें तथ्यों की विवेचना करते हुए उनके वैचारिक विश्लेषण को व्याख्यायित किया गया है।

विवेचन एवं व्याख्या

यदि कोई जानना चाहे की मैत्रीभावना किस हद तक किया जाए यानी इसका आदर्श शिखर क्या हो? करणीय मेत्तसुतं में गौतम बुद्ध कहते हैं, “माता यथा नियं पुत्तं, आयुसा एक पुत्त मनुरक्खे। एवम्पि सब्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं॥ अर्थात् माता जिस प्रकार जान की परवाह न कर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राणिमात्र के प्रति असीम प्रेम-भाव बढ़ावे (धर्मरक्षित, 1968/2001, पृ. 26)।” यहाँ एक तो माता का पुत्र प्रेम से मैत्रीभावना (प्रेम) के शिखर का भान होता है तो दूसरे इकलौते पुत्र से इसकी

ममत्व का भान होता है। गौतम बुद्ध ने इस गाथा से सबके लिए सहज और अनुभवजन्य उदाहरण लोगों के समक्ष रखा है।

बुद्ध धर्मावलंबियों के अलावा वर्तमान में 'शिवचर्चा' का प्रचलन बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बहुत तेजी से फैल रहा है। उसका दार्शनिक सिद्धांत गौतम बुद्ध के मैत्रीभावना से मिलता है। उसमें लोग अपने सगे-संबंधियों के लिए दया मांगते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। यह वर्तमान समय में मैत्रीभावना का परिवर्तित रूप कहलाएगा।

मैत्रीभावना का दर्शन

मैत्रीभावना का दर्शन अद्वैत, अभेद, सर्वात्मवाद, एकात्मवाद आदि नामों से जाना जा सकता है। यानी सभी वस्तुतः एक हैं, सबमें तात्त्विक एकता है। यह दर्शन कल्पना पर या कोरे विश्वास पर आधारित न होकर अनुभव पर आधारित है। हम अज्ञानवश दूसरों को पराया समझ बैठते हैं, जब एकत्व का ज्ञान हो जाता है तो मैत्रीभावना स्वतः प्रस्फुटित हो जाती है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, “करूँ मैं दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो मेरा।” जब तथाकथित दुश्मन भी मेरा ही है तो उसका हित भी मेरा हित है।

हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि दो भाई अपने बचपन में ही बिछुड़ जाते हैं। बड़े होने पर दोनों के अलग-अलग रास्ते हो जाते हैं। उन दोनों के कार्य एक दूसरे के विरुद्ध होता है, जिससे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। एक दूसरे को मारने दौड़ते हैं। ज्योंहि उनको यह पता हो जाता है कि हम दोनों बिछुड़े भाई हैं त्योंहि उनकी दुश्मनी मित्रता में बदल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि दुश्मनी का आधार एक दूसरे को पराया मानना है। मैत्रीभावना का दर्शन इस परायापन को पहले खत्म करता है। प्रो. कमलाकर मिश्र (2009) के अनुसार पहला मैत्री-मंत्र है – “आप हमारे ही हो (You are my own)।”

मैत्री-मंत्र

किसी के प्रति मैत्रीभावना करने के लिए निम्नलिखित तीन मंत्र² का सहारा लेते हैं -:

1. आप हमारे ही हो (You are my own)
2. आप भला हो जाओ (Be good)
3. आप सुखी होओ (Be happy)

मंत्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मन में बार-बार इसकी भावना करते हैं (मननात् मंत्रः)। जैसे कि मंत्र जाप करते हैं। चूँकि इसे मन में ही मनन किया जाता है इसलिए यह एक प्रकार का ध्यान है। जिसे मैत्री-

² यह तीनों मंत्र गौतम बुद्ध ने नहीं बनाया है बल्कि कमलाकर गुरु जी या उनके गुरु प्रो. लालजी राम शुक्ल या उनके गुरु प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान एवं साधक भिक्षु जगदीश कश्यप जी ने बनाया होगा। यह भावना जन सामान्य के लिए उपयोगी है। जब प्रो. कमलाकर गुरु जी से बोला कि इसके अलावा दूसरा भी मैत्री के कामना कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला जरूर। इसमें कोई बंधन नहीं है। हर किसी की भावनाएँ अलग-अलग हो सकती हैं।

ध्यान कहा जाता है। यह बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि मन में मैत्री करने का अर्थ यह कतई नहीं है कि इसका व्यवहार में मैत्री प्रकट नहीं होगा। गौतलब है कि किसी भी कार्य का प्रारंभ मन में ही होता है। इसलिए बाह्य व्यवहार में बदलाव का आधार मानसिक बदलाव से है अन्यथा वह दिखावा हो सकता है। किसी ने ठीक ही कहा है, “मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोए, मन उज्जीयारा जब-जब फैले जग उज्जीयारा होए, मेरा मन दर्पण कहलाए...” इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैत्रीभावना का अभ्यास अंतर्मन को बदलने का अभ्यास है।

मैत्रीभावना से हम न केवल अपने समाज अपितु पूरे विश्व की सेवा करते हैं। भले यह सेवा मानसिक आधार पर हो। वैसे व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो हमारी क्षमताएँ सीमित है इस सीमित क्षमता से हम न तो सबका शारीरिक और ना ही आर्थिक रूप से सेवा कर सकते हैं। किंतु मानसिक भाव की सेवा तो असीम है, इसके द्वारा हम सबकी सेवा निर्बाध रूप से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इससे दूसरों को क्या लाभ? इसका उत्तर है कि दूसरे को इससे बहुत लाभ होगा। सामान्य तौर पर देखें तो लोक में यह धारणा है कि “आपकी दुआ से अच्छा हो रहा है” या “उसकी बददुआ लग गई, सब खराब हो गया।” यह लोक धारणा कोरा नहीं बल्कि लोगों ने ऐसा महसूस किया है। जिस तरह से टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन की तरंगें दिखाई नहीं देती है किंतु टेलिफोन, रेडियो व टेलीविजन के सेट द्वारा उसे ग्रहण कर ली जाती है। उसी तरह मैत्रीभावना की तरंगें मस्तिष्क से निकलकर वातावरण में प्रवाहित होती है और लक्षित व्यक्ति के मस्तिष्क को छूती हैं और प्रभावित करती हैं। प्रो. कमलाकर मिश्र (2009) ने मैत्री-मंत्र की व्याख्या की है जिसे जान लेना आवश्यक है, ताकि उनके मंत्र का निहितार्थ समझ में आ सके। वह निम्नलिखित है :-

1. आप हमारे ही हो (You are my own) :- “जब हम कह रहे हैं कि ‘तुम हमारे ही हो’ तो इसका प्रयोग स्वामित्व (possessive) अर्थ में नहीं लिया जा रहा है वरन एकत्व या तादात्म्य या अपनत्व (unity, affinity) के अर्थ में किया जा रहा है। ...मैं अपने आप को अपना समझता हूँ वैसे ही उस व्यक्ति को भी अपना समझता हूँ (पृ.61)।”

वस्तुतः सभी अपने ही हैं हम अज्ञानवश या भूलवश अपनापन का दायरा बना बैठे हैं। योगी, मनीषियों, संतों व पैगंबरों ने इस सत्य को जाना है कि विश्व में कोई पराया नहीं है, यहाँ तक की पेड़, पहाड़, नदी आदि से भी आत्मीय संबंध है।

2. आप भले हो जाओ (Be good) :- “मैत्रीमंत्र का दूसरा अंश है कि हम मैत्री दिए जानेवाले व्यक्ति के प्रति उसके भला होने की भावना या कामना करते हैं। वह भला हो ऐसी भावना करने की आवश्यकता यह है ... कि बिना भला हुए कोई सुखी नहीं हो सकता। बिना भला हुए कोई अनैतिक तरीके से धन-दौलत प्राप्त कर ले सकता है (वह भी स्थायी रूप से नहीं), किंतु बिना भला हुए उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती (मिश्र, 2009, पृ.63)।”

जब हम दूसरे को भला होने की भावना या कामना करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम खुद भला बनते हैं। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम दूसरों के प्रति जैसा भाव बार-बार करते हैं वैसा हम अपने अनजाने ही स्वयं बन जाते हैं (मिश्र, 2009)। ‘जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी।’

3. आप सुखी होओ (Be happy) :- सुखी होने की कामना या भावना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है, किंतु एक बात का ध्यान देना निहायत जरूरी है कि वह सुख जीवन नाशक न हो। उदाहरण के तौर पर शराबी को यदि शराब मिले तो वह प्रसन्न हो जाएगा किंतु वह प्रसन्नता उसके लिए जीवन नाशक है। अतः हम अपने मैत्री भावना में उसे शराब छोड़ने की कामना करेंगे। दूसरी बात यह कि कोई रोगी, दुखी व्यक्ति के लिए विशेष मैत्रीभावना करते हैं तो उसके रोग मुक्त व दुःख के कारणों के खत्म होने की कामना करते हैं।

दैनिक जीवन में मैत्रीभावना की उपयोगिता

प्रकृति ने हमारे दैनिक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण चीजों को निःशुल्क दिया है। जैसे हमारा खुद का शरीर, पृथ्वी, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश आदि। इसी में प्रेम (प्रेम और मैत्रीभावना पर्यायवाची शब्द है) एक ऐसा वस्तु है जो प्रकृति ने निःशुल्क दिया है। चूँकि यह सहज ही सर्वसुलभ है इसलिए इसकी अहमियत तब तक नहीं होती जब तक इसमें गड़बड़ी नहीं पैदा होती। उदाहरणस्वरूप हममें से बहुत लोग शरीर के प्रति तब तक सजग नहीं होते जब तक कि उनका स्वास्थ्य खराब न हो जाए। ऐसे ही प्रेम (मैत्रीभावना) के संदर्भ में है। किसी ने कहा है, “Loving is the art of living.” अर्थात् प्रेम करना जीने की कला है। यह कला (प्रेम करने की) देकर प्रकृति ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। किसी ने कहा है, “प्रेम जीवन का पोषक अमृत-रस है।” “यदि हम मन से पूर्ण स्वस्थ एवं सुखी होना चाहते हैं और अपने जीवन में तृप्ति एवं परिपूर्णता चाहते हैं तो हमारे लिए मैत्रीभावना से बढ़कर कोई दूसरी विधा नहीं है (मिश्र, 2009, पृ. 67)।” मैत्री भावना के अभ्यास से अपना और दूसरों का अनगिनत लाभ है। देखने में लगता है कि हम तो दूसरों के लाभ के लिए मैत्रीभावना करते हैं तो मुझे कैसे लाभ होगा। यह समझने के लिए गेंद का उदाहरण लेते हैं। जब गेंद दिवाल पर फेंकते हैं तो गेंद दिवाल से टकरा कर पुनः हमारे पास ही आता है। क्रिया तो फेंकने की हुई किंतु प्रतिक्रिया पाने की हुई। मैत्रीभावना के महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित हैं:-

1. आनंद व तृप्ति :- हमारे सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य आनंद व तृप्ति की प्राप्ति ही है। मैत्रीभावना मन से किया गया शुभ भावना है जो हीन भावना, नीच भावना, संकीर्ण भावना से ऊपर उठाती है। ज्यों ही इन भवनाओं से ऊपर उठते हैं हमारे हार्मोस संतुलित रूप में सक्रिय हो जाते हैं। हृदय में प्रेम का संचार होने लगता है, जिससे मन तृप्त हो जाता है। सकारात्मक सोच का विकास होने लगता है, जिससे सर्वत्र आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है।

2. मानसिक स्वास्थ्य :- “बौद्ध परंपरा में साधक को पालिभाषा में “पीतिभक्खा” (प्रीतिभक्षक या प्रेमभोजक) कहा जाता है। साधक की चेतना प्रेम का भोजन कर पुष्ट होती है और उसकी साधना पूर्ण होती है

(मिश्र, 2009, पृ. 72)। खाने का अर्थ प्रेम पाना नहीं अपितु प्रेम देने से है। यह बात सत्य है कि प्रेम पाने पर प्रेम देने की प्रतिक्रिया और नफरत पाने पर नफरत देने की प्रतिक्रिया होती है, किंतु नफरत में भी प्रेम देने की प्रतिक्रिया जगे तो वह मानसिक स्वास्थ्य को पुष्ट करता है।

जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अध्ययन जरूरी होता है उसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रेम (मैत्रीभावना) की जरूरत होती है। वैसे मानसिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य का मूलधार है। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है मन के जीते जीता।”

3. दूसरों के मानसिक दुष्प्रभाव से बचाव :- “व्यक्ति के मन में रहने और उठने वाले विचार केवल उसके मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं रहते वरन अदृश्य रूप में बाहर आकर एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबकी विचार-तरंगें मिलकर एक अदृश्य मानसिक वातावरण (Psychic environment) तैयार करती हैं और उसमें आने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। यदि हम बुरे विचारों से निर्मित मानसिक वातावरण के संपर्क में अथवा बुरे विचार वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़कर हममें भी बुराई आ जाती है। अतः अपने मन को दूसरों के विचारों के दुष्प्रभाव से बचाना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब बुरे विचार वाले व्यक्ति के मन से हमारा मन अधिक तगड़ा हो। तब उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता वरन हमारा ही प्रभाव उस पर पड़ता है (मिश्र, 2009, पृ. 73)।”

उदाहरण के तौर पर जब हम किसी तलाब से एक बाल्टी पानी निकालते हैं तो आस-पास की पानी उसे आकर भर देता है, किंतु जब एक बाल्टी पानी डालते हैं तो वह चारों तरफ फैल जाता है। ठीक यही स्थिति मानसिक वातावरण की होती है। हम बहुतायत नजर लगने की बात सुनते हैं उसका भी कारण यही है कि हम अपने मानसिक वातावरण में नजर लगाने वाले के मानसिक वातावरण से कमजोर पड़ जाते हैं और हम पर उसका नजर लग जाता है। इससे बचने के लिए मैत्रीभावना का अभ्यास करना होगा।

4. वासनाओं का उदात्तीकरण :- “मैत्रीभावना के अभ्यास का एक बहुत बड़ा लाभ है वासनाओं का उदात्तीकरण (Sublimation of desires) जो अन्य किसी प्रयास से प्राप्त नहीं होता। वासनाओं में सबसे सशक्त एवं महत्वपूर्ण वासना कामवासना (sex-desire) है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह शक्तिरूप (energy) है और यदि इसका सही उपयोग और सही अभियोजन (proper utilization and adjustment) नहीं हुआ तो यह व्यक्ति को मानसिक रोगी, पागल और अपराधी बना देगी; और यदि इसका सही रूपांतरण (transformation) एवं उदात्तीकरण (sublimation) हो जाय तो यह जीवन में चमत्कार कर देगी, फिर व्यक्ति इससे जीवन के बड़े बड़े काम एवं सुंदर काम कर सकेगा (मिश्र, 2009, पृ. 77)।

उदाहरण के तौर पर नाली के किनारे उगे सेव के पेड़ नाली के पानी मिट्टी से बढ़ता फलता है किंतु उसके फल में नाली के गंदे पानी व मिट्टी की बू तक नहीं आती। यह नाली के पानी व मिट्टी का रूपांतरण और उदात्तीकरण सेव के रूप में मिलता है जो सर्वग्राही है। अतः जिसके प्रति कामवासना जगे उसके प्रति

मैत्रीभावना का अभ्यास करें तो वह काम वासना प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इससे उस महिला को लाभ हो या न हो किंतु स्वयं का लाभ जरूर होता है।

5. सुख-समृद्धि :- ‘कर भला तो होए भला’ या ‘जैसा बोयेंगे वैसा पायेंगे’ की कहावत लोक में प्रचलित है यह बहुतों की आँखों देखी बात है। इसके अपवाद से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता, किंतु सत्य यही है कि बुरा का फल बुरा ही होता है, न हो तो करके देखों, नहीं तो उसके घर को देखों। हमारा एक शरीर विचारों का बना होता है जो स्थूल शरीर को प्रभावित करता है। यदि हम अच्छा विचार (मैत्रीभावना) करते हैं तो अच्छा कर्म भी करते हैं और अच्छा फल भी मिलता है, जिससे हम सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। इस बात को एक फिल्म सेक्रेट ऑफ सक्सेज (Secrets of Success) में वैज्ञानिक रूप से दिखाया गया है।

मैत्रीभावना के लिए आवश्यक निर्देश

समय का निर्धारण : “हमारे पास समय नहीं है।” यह हमेशा सुनने को मिलता है, किंतु इसका आशय यह होता है कि अमुक काम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इस कार्य के लिए समय नहीं है। कुछ काम तुरंत करना जरूरी होता है उसे कोई नहीं टालता किंतु कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे टाला जा सकता है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, समुचित योग करें, उचित भोजन करें, आवश्यक विश्राम करें आदि आदि। किंतु तात्कालिक रूप से आवश्यक न होने के कारण इसे टालते जाते हैं; एक दिन ऐसा समय आता है कि हम गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जो अर्जेंट हो जाता है। कभी-कभी उसका समाधान बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह से मैत्रीभावना है इसको टालने के बजाए प्रतिदिन करना चाहिए।

वैसे तो मैत्रीभावना कभी भी समय मिलने पर किया जा सकता है। जैसे यात्रा करते समय, इंतजार के क्षण में, अत्यधिक ईर्ष्या-द्वेष होने पर, चित्त अस्थिर होने पर आदि, किंतु जैसे हम दैनिक क्रिया का समय निर्धारित करते हैं उसी तरह मैत्रीभावना का भी समय निर्धारित करना चाहिए। मैत्री भावना पूजा के समय, बिस्तर पर सोने से पहले या जगने के ठीक बाद मैत्री भावना करना अधिक लाभदायक होता है।

बगैर समय प्रबंधन के मैत्रीभावना करने से बोझिल लगेगा और एक समय ऐसा आयेगा कि हम मैत्रीभावना करना छोड़ देंगे। वैसे भी और कार्यों के तरह ही प्रारंभ में मैत्रीभावना करना बोझिल लगता है। शुरुआत में पाँच मिनट मैत्रीभावना करना चाहिए उसके बाद समय का विस्तार अपने विवेक से करना चाहिए। कुछ समय के नियमित अभ्यास से मैत्रीभावना करना सहज हो जाएगा और आनंद भी मिलने लगेगा तब मैत्रीभावना करना हमारी जरूरत हो जाएगी।

उपयुक्त आसन व विधि : मैत्रीभावना किसी भी बैठने के आसन व मुद्रा में किया जा सकता है। जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन या भैरव मुद्रा, भैरवी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा आदि। वैसे इसमें आसन व मुद्रा की कोई प्रतिबद्धता नहीं है जिसमें जिसको आराम मिले वही उसके लिए सही है। आँखें जरूर

बंद कर लें, इससे अभ्यास सुगम हो जाता है, चूँकि आँख बंदकर करने में ध्यान स्थिर होने में सहायता मिलती है।

इसके बाद मन में छोटे व निकट के वृत्त से बड़े वृत्त के तरफ मैत्रीभावना की शुरुआत करेंगे। इसमें तीन मैत्रीमंत्र³ का अपने मन में भावना करेंगे। आप मेरे हो, आप भला होओ और आप सुखी होओ (You are my own, be good, be happy)। निकट के वृत्त से बड़े वृत्त क्रमशः निम्न होंगे –

1. स्वयं⁴ < माता-पिता, पत्नी < मित्र < पड़ोसी < गाँव < जिला < राज्य < देश < विदेश

जैसा कि गौतम बुद्ध मेत्ताभावना में कहते हैं, “अहं अवरो होमि, अब्यापज्झो होमि, अनीघो होमि, सुखी अत्तानं परिहरामि। अहं विय मय्हं आचरियुपज्झाया मातापितरो हितसत्ता मज्झतिकसत्ता वेरीसत्ता अवरो होन्तु, अब्यापज्झा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु दुक्खा मुञ्चन्तु यथालब्धसंपत्तितो मा विगच्छन्तु कम्मस्सका (धर्मरक्षित, 1968/2001, पृ. 96-98)।” अर्थात् मैं बैर रहित हूँ, व्यापाद रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ, सुखपूर्वक अपना परिहरण कर रहा हूँ। मेरे समान मेरे आचार्य उपाध्याय, माता, पिता, हितैषी प्राणी, मध्यस्थ रहने वाले प्राणी, बैर रहित हों, व्यापाद रहित हों, उपद्रव रहित हों, सुखपूर्वक अपना परिहरण करें। दुःख से छुटकारा पायें। प्राप्त संपत्ति से वंचित ना हों, कर्म-स्वक हों।

2. सारे प्राणिमात्र (जलचर, थलचर, नभचर) के प्रति यही भाव कीजिए। आप सभी भी हमारे हो, आप भला होओ, आप सुखी होओ। जैसा कि उरगेन संघरक्षित (2012) अपने पुस्तक ‘लिविंग विद् काइंडनेस’ में कहते हैं, “बिल्कुल सूर्य की तरह, जो प्रकाश और ऊर्जा देते समय चुनाव नहीं करता, जब भी आप मैत्री महसूस करते हैं, तब कौन योग्य है, कौन अयोग्य इसका कौन प्राप्तकर्ता है, कौन नहीं, ऐसा चुनाव न करें (पृ. 87)।”

3. वनस्पतियों एवं पूरे पर्यावरण के प्रति भी इस रूप में शुभकामना करें— “पेड़-पौधे स्वस्थ एवं हरे भरे रहें, धरती शस्य-श्यामला हो, नदियों में निर्मल जल प्रवाहित हो, वायु शुद्ध हो, सारा पर्यावरण एवं वातावरण शुद्ध एवं सुखद हो, आदि (मिश्र, 2009, पृ. 113)।”

4. हम वृत्त का और विस्तार करेंगे, “वह है अशरीरी या सूक्ष्म शरीरधारी जीवों का वृत्त। शरीर छोड़े हुए लोग (अर्थात् मरे हुए लोग), पितर लोग, सूक्ष्म एवं वायवीय अस्तित्व वाली आत्माएं, भूत-प्रेत आदि अशरीरी जीव इस वृत्त में आते हैं। इन सबका भी मन ही में ध्यान कर इन सबको भी पूर्वत रीति से मैत्रीभावना दें।

³ ये तीन मैत्रीमंत्र प्रो. कमालाकर मिश्र व उनके गुरु द्वारा सुविधा की दृष्टि से बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी शुभ भावना किया जा सकता है। जैसा कि नीचे मेत्ताभावना से स्पष्ट है।

⁴ स्वयं पर मैत्री करने का सीधा सा अर्थ है कि वास्तविक वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देना। आपने जो कुछ भी किया हो, चाहे, आपके हिस्से में बड़ी से बड़ी असफलताएँ क्यों न आई हो, लेकिन स्वयं के प्रति और दूसरे जीवित प्राणियों के प्रति मैत्री बढ़ाने की आपकी सदिच्छा आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाएगी। स्वयं के प्रति मैत्री की अनुभूति सच्चे संतोष की कुंजी है (संघरक्षित, 2012)।

यदि कोई दुष्ट⁵, पापी या शत्रु⁶ मर गया है तो उसके सुधरने, पश्चाताप करने एवं आगे का जीवन-मार्ग सही करने की मैत्रीभावना दें। कई घरों में प्रेतात्माओं द्वारा उत्पीड़न होने की खबरें अखबारों में आती रहती हैं। वहाँ संदिग्ध प्रेतात्माओं का ध्यान कर उनके प्रति मैत्रीभावना करने से समस्या का हल हो जाता है (मिश्र, 2009, पृ. 113)।” प्रो. कमलाकर मिश्र ने ऐसा सफल प्रयोग किया है।

ऐसा करने के दौरान कई बार मन भटक जाता है, तो इससे परेशान होने की कोई बात नहीं है। दुबारा मैत्रीभावना पर ध्यान ले जाएं। दूसरी बात यह कि मैत्रीभावना के उक्त चक्र जल्द ही पूरा हो जाता है, तब जरूरी होता है कि पुनः दुबारा, तबारा चक्र शुरू किया जाए। तीसरी बात यह कि दुष्ट व्यक्ति के प्रति मैत्रीभावना करने का मन नहीं बनता है किंतु वह दुष्ट व्यक्ति मन में पीड़ा उत्पन्न करते रहता है। इससे निजात पाने के लिए उसके प्रति कठोर मैत्रीभावना दें। मन ही मन उससे दृढ़ मानसिक शब्दों में कहे जैसा कि हम अपने बिगड़े बच्चे व प्रियजन को कहते हैं, - “तुम भी हमारे ही हो, तुम रास्ता भटक गए हो और बिगड़ गए हो। तुम रास्ते पर आओ और अपना सुधार करो। अपने किए पर पश्चाताप करो और भला हो जाओ। यदि नहीं सुधरते हो तो प्रकृति तुम्हें दंड देगी ही, अतः सुधर जाओ ताकि दुःख से बच सको, इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण है (मिश्र, 2009, पृ. 114)।” ऐसा करना ही चाहिए। गौतम बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, “सब्बे तसन्ति दंडस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो। अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्यन घातये।। अर्थात् सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है। इसलिए सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे, न मरवाये (कौसल्यायन, 1993)। वैसे भी दुष्टता का निवारण दुष्टता से नहीं किया जाना चाहिए। आँख के बदले आँख की परंपरा से सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। चौथी और अंतिम बात हमें जो कुछ पाने की इच्छा हो रही है, वह दूसरों के लिए कामना करनी चाहिए। इससे वह वस्तु दूसरे को मिले या न मिले अपने को जरूर मिल जाती है। जैसा कि लोकोक्ति है कर भला तो होए भला।

समवेत मैत्रीभावना

समवेत मैत्रीभावना का अभिप्राय दो या दो से अधिक लोगों का एक साथ बैठ कर मैत्रीभावना से है। परिवार के लोगों को एक साथ बैठ कर मैत्रीभावना जरूर करना चाहिए, इससे अनेक लाभ हैं। परिवार के सदस्यों का किसी एक समय साथ बैठना और मिलना भी अपने आप में एक लाभकारी उपलब्धि है। परिवार

⁵ गौरतलब है कि हमें दुष्ट, पापी व्यक्ति से नफरत नहीं होती है बल्कि उसके दुष्टता से होती है, यदि वह अपनी दुष्टता व पाप करना छोड़ दे तो हम उसे उसी तरह से प्यार करेंगे जिस तरह से अन्य सज्जन व्यक्तियों को। ठीक ही कहा गया है पाप से घृणा करो पापी से नहीं।

⁶ शत्रु के प्रति मैत्री के संदर्भ में उरगेन संघरक्षित जी अपने पुस्तक ‘लिविंग विद् काइंडनेस’ में कहते हैं, “अभ्यास के इस चरण में आप उस व्यक्ति को इस आधार पर मैत्री का विषय नहीं बनाते कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया, बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह वहाँ पर मौजूद है।” आगे आचार्य शांतिदेव की पुस्तक ‘बोधिचर्यावतार’ के हवाले से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमें हानि पहुँचाता है, वह संस्कारों के कारण पहुँचाता है तथा जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई व्यक्ति पहले से ही क्रोधित होने की इच्छा नहीं रखता है कि ‘मुझे क्रोधित होना है।’ दरअसल, द्वेष और क्रोध के बीज हमारे जागरूक नियंत्रण से परे उत्पन्न होते हैं और जिस द्वेष का प्रतिउत्तर हम द्वेष से देते हैं, वह भी अकारण होता है। इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता और यह मुद्दा भी नहीं है। क्रोध और द्वेष वास्तव में बड़ी ही दुःखद और तनाव से भरने वाली मनोवस्थाएँ हैं। वह किसी भी सूरत में लाभदायक नहीं हो सकती।

के सदस्य एक साथ मैत्रीभावना का ध्यान (अभ्यास) तो करें ही, इसके साथ पारिवारिक एवं अन्य समस्याओं पर गणतांत्रिक (democratic) ढंग से विचार कर सकते हैं। मैत्रीभावना का अभ्यास एवं गणतांत्रिक विचार-विमर्श से तमाम पारिवारिक समस्याओं का हल निकल आता है। समवेत पारिवारिक अभ्यास के लिए आवश्यक है कि एक समयावधि निश्चित कर ली जाय – आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा या जितना समय मिलना संभव हो— शाम को या छुट्टी के दिन या जब भी संभव हो। उस समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर मैत्री-ध्यान करें और ध्यान के बाद पारिवारिक अभिवृद्धि के लिए भी साथ बैठकर विचार विमर्श करें (मिश्र, 2009, पृ. 116)।”

इसी तरह गाँव के लोग या तो एक स्थान पर या एक निश्चित समय पर बैठ कर कर समवेत मैत्रीभावना का अभ्यास कर सकते हैं और उसके बाद गाँव की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इससे लाभदायक और प्रभावी परिवेश का निर्माण होता है। जैसे कई नदियों की धारा एक साथ मिल जाए तो जल की मात्रा और वेग दोनों बढ़ जाता है।

ऐसे में मैत्रीध्यान शुरू करने से पहले और अंत में घंटी बजावें या कोई संकेत दें। जैसे ऊँ... या अल्लाह.... या आमीन... आदि शब्दों का सहारा लिया जा सकता है। इससे समूह के सभी लोग समझ जाएंगे कि मैत्रीभावना कब शुरू हो रहा है और कब बंद। जहाँ बैठे हैं वहाँ के लोग ही सबसे पहले वृत्त में आएंगे फिर पूर्व की तरह वृत्त को आगे बढ़ाते जाएंगे।

इस प्रकार हम महसूस करते हैं कि सामाजिक दृष्टि से मैत्री भावना का अत्यंत महत्त्व है, क्योंकि मैत्रीभावना से पारस्परिक संबंधों की रक्षा की जा सकती है तथा समस्त अनाचार, दुराचारों से भी बचा जा सकता है। सदाचार मूलक कर्मों से ही समाज में सुख-शांति की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

निष्कर्ष

हवा की तरह मैत्रीभावना भी प्रकृति से निःशुल्क रूप से मिली हुई है। यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितनी की हवा। हम सब मैत्रीभावना करते हैं किंतु उसका दायरा या तो छोटा होता है या अव्यवस्थित, यदा-कदा, अल्प व बेहोशी में किया गया होता है। यदि हम मैत्रीभावना को परिवार के दायरे से निकाल कर गौतम बुद्ध के सुझाये मार्ग पर व्यवस्थित, हमेशा व सजगता से करें तो हम न केवल मानसिक तौर पर अपितु शारीरिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होंगे।

मैत्रीभावना के संदर्भ में गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिक्षाओं में एक मेत्ता सुत्त (सुत्त-निपात) के रूप में और दूसरा करणीय मेत्त सुत्त के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा चार ब्रह्म विहारों में प्रथम मैत्रीविहार के संदर्भ में उनकी शिक्षाएँ भी पालि भाषा में सुरक्षित है। बाद के भिक्षुओं, आचार्यों ने इसे अपने अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार व्याख्यायित किया है। उसमें उरगेन संघरक्षित(2004) जी का ‘Living with kindness’ और प्रो. कमलाकर मिश्र का ‘मैत्रीभावना : मानसिक स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन का चामत्कारिक योग’ सर्व सुलभ है। कोई पाठक इसे पढ़ कर मैत्री भावना के लाभों को जान सकता है।

मैं मैत्रीभावना के अभ्यासी होने के नाते कह सकता हूँ कि इसने लोगों के प्रति मेरी भावना को सकारात्मक रूप से बदला है। इसकी गहराई में मैं नहीं जा पाया हूँ किंतु यह स्पष्ट हो गया है कि मैत्रीभावना सुखद जीवन हेतु मानसिक योग है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Sangharakshita, (2004). Living with kindness: The Buddha's Teaching on Metta. United Kingdom : Cambridge Windhorse Publications.
2. कौसल्यायन, भ. आ. (1993). धम्मपद. नागपुर : बुद्ध भूमि प्रकाशन.
3. धर्मरक्षित, भि. (1968/2001). श्रामणेर विनय (तृतीय सं.). लखनऊ : भारतीय बौद्ध समिति.
4. बुद्धघोष, आ. (2008). विसुद्धिमग्ग (भाग-1). (भि. धर्मरक्षित, अनु.) नई दिल्ली : सम्यक प्रकाशन.
5. मिश्र, क. (2009). मैत्रीभावना: मानसिक स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन का चामत्कारिक योग. वाराणसी : काशी योग एवं मूल्य शिक्षा संस्था.
6. शांतिदेव, आ. (2000). बोधिचर्यावतार (तीसरा सं.). (शां. शास्त्री, अनु.) नागपुर : बुद्ध भूमि प्रकाशन.
7. संघरक्षित, उ. (2012). लिविंग विद् काइंडनेस. (प्रसन्नबोधि, अनु.) नागपुर : धम्मदूत प्रकाशन.

नवें दशकोत्तर हिंदी उपन्यासों में आदिवासी विमर्श

निशांत मिश्रा¹

हिंदी साहित्य जगत के पिछले दो-तीन दशकों पर दृष्टि डालें तो यह चित्र उभरकर सामने आता है कि स्त्री और दलित विमर्श की प्रमुख चर्चाओं, वाद-विवाद-बहसों के बीच आज 'आदिवासी विमर्श' भी गतिमान हो चला है। यह एक ऐसा विमर्श है जिससे आदिवासी समाज की परंपरा, रूढ़ियाँ, संस्कृति, अन्याय, अपमान, शोषण, अत्याचार इत्यादि सब कुछ व्यक्त हो रहा है। 'आदिवासी' जो कि भारतीय संविधान के अनुसार 'इस देश के विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय हैं' इस समय अपने अस्तित्व और अस्मिता के संकट से जूझ रहे हैं। आजादी प्राप्ति के छः दशक बाद भी सरकारें उन्हें मुख्यधारा में नहीं ला पाई हैं। इससे भी अधिक विडंबनापूर्ण बात यह है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के लोक-लुभावन विकासवादी सपनों के बीच आज आदिवासी समाज और संस्कृति को बेहिसाब तरीके से उजाड़ा जा रहा है।

साहित्य चूँकि समय और समाज के साथ चलते हुए उन्नत भविष्य के सृजन का दूसरा नाम है, अतः जीवन और जगत की कोई समस्या या विडंबना उसकी परिधि से बाहर नहीं है। आदिवासी जनजीवन और उनकी समस्याओं का स्वर नवें दशक के पूर्व के उपन्यासों में भी बखूबी सुना जा सकता है, लेकिन नवें दशक के बाद उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के दौर ने जब पूँजीपति वर्गों और बाजार को छूट दी और आदिवासी जल, जंगल, जमीन के हक से उनका विवाद होना शुरू हुआ, तब से हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जनजीवन, संघर्ष और प्रतिरोध को प्रमुखता से उठाया जाने लगा। आदिवासी जीवन-शैली और प्रतिरोध को अपने उपन्यासों का आधार बनाने वाले आदिवासी उपन्यासकारों में जहाँ – पीटर पॉल एक्का, मंगल सिंह मुंडा, हरिराम मीणा, वाल्टर भेंगरा तरुण एवं शंकरलाल मीणा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं, वहीं गैर-आदिवासी उपन्यासकारों में – रणेन्द्र, राकेश कुमार सिंह, महुआ माजी, मनमोहन पाठक, श्याम बिहारी श्यामल, पुन्नी सिंह, तेजिंदर, भगवानदास मोरवाल, श्रीप्रकाश मिश्र, संजीव, वीरेंद्र जैन, रमणिका गुप्ता, मैत्रेयी पुष्पा इत्यादि की सशक्त उपस्थिति मिलती है। इन सभी लेखकों के उपन्यासों में आदिवासी जीवन के बहुविध आयामों का चित्रण देखने को मिलता है।

आदिवासियों के सामंती शोषण को 'मनमोहन पाठक' का 'गगन घटा गहरानी'(1991) और 'श्याम बिहारी श्यामल' का 'धपेल'(1998) बड़ी संजीदगी से प्रस्तुत करता है। आदिवासियों के जीवन-संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखे गए हिंदी उपन्यासों में – 'संजीव' का 'धार'(1990), 'पीटर पॉल एक्का' का 'पलास के फूल'(2012) एवं 'राकेश कुमार सिंह' का 'पठार पर कोहरा'(2003) जैसी कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। 'पलास के फूल' में 'कुसुमपुर' अंचल के आदिवासियों के बहुआयामी शोषण और जीवन-संघर्ष को पूरी मार्मिकता और संवेदनशीलता के साथ उकेरा गया है। उपन्यास की पात्र 'सलोमी' द्वारा कहे गए अग्र कथन में

¹पी-एच.डी. - शोधार्थी, हिंदी (तुलनात्मक साहित्य), म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा, महाराष्ट्र – 442005.

E-mail. – mishranishant10@gmail.com

हम आदिवासी शोषण और जीवन-संघर्ष का स्वर स्पष्ट तौर से सुन सकते हैं – “क्या करें आनंद बाबू, हम आदिवासियों का इतना ही भाग्य है। जमींदार, सेठ, साहूकार, शहरी बाबू सभी तो तंग करते हैं हमें। जीने कौन देता है? आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे।”¹ भटकाव की ऐसी ही बेबसी को ‘मंगल सिंह मुंडा’ के उपन्यास ‘छैला सन्दु’(2004) में भी देखा जा सकता है। उपन्यास के नायक ‘सन्दु’ के नाना शोषण और भटकाव की बेबसी को बयां करते हुए कहते हैं कि – “सन्दु बेटा, हम अपने ही देश में परदेशी हो गए हैं। हम दूसरी जगह से भटकते-भटकते यहाँ आ डटे हैं। हमारे बाप दादों का देश और कहीं था।”² इसी अंतहीन भटकाव के संदर्भ में ‘रमणिका गुप्ता’ लिखती हैं कि – “देश में आदिवासियों की मुख्य समस्या विस्थापन रही है। वे पहले भी खदेड़े जाते रहे हैं, आज भी खदेड़े जा रहे हैं। ये खदेड़ना सदियों से चालू है, बस केवल रूप या तरीका बदल गया है।”³

कभी ये खदेड़ना जंगल प्रवेश निषेध के नाम पर था तो आज राष्ट्रहित की योजनाओं; बाँध निर्माण, अभयारण्य निर्माण या फिर चतुर्भुज कॉरिडोर निर्माण इत्यादि के नाम पर। ‘वीरेंद्र जैन’ के ‘पार’(1994), ‘पीटर पॉल एक्का’ के ‘सोन पहाड़ी’(2012) एवं रणेन्द्र के ‘ग्लोबल गाँव के देवता’(2009) इत्यादि उपन्यासों में इन्हीं विकास योजनाओं की भेंट चढ़ने वाले विस्थापित आदिवासियों की पीड़ा और दंश को बयां किया गया है। पीटर पॉल एक्का ने ‘सोन पहाड़ी’ उपन्यास के माध्यम से विकास योजनाओं और उसके सच की शिनाख्त करने की कोशिश की है। सोन पहाड़ी अंचल में स्थापित ‘कोकिला परियोजना’ के अंतर्गत बनने वाले डैम के डूब क्षेत्र में बहुत से गाँव आने के कारण विस्थापित होंगे। डैम इंजीनियर ‘सुनील’ की मनःस्थिति में विस्थापितों की नियति देखिए – “सोचता हूँ जब डैम बनने लगेगा तो इन आदिवासियों का क्या होगा। काफी बड़ा इलाका पानी में डूब जायेगा। फिर तो ये न घर के रहेंगे, न घाट के। फिर शुरू होगा वही भटकने का अनदेखा, बेतरतीब सिलसिला – मेहनत-मजदूरी, तन मन बेचने की बेबसी।”⁴ ऐसी ही बेबसी और चिंता ‘वीरेंद्र जैन’ के उपन्यास ‘पार’ के ‘जीरोन खेरे’ के राउत आदिवासियों की भी है – “अब ये शहर वाले नदी बांध रहे हैं। तब प्रलय आएगी। जो अब तक बचा है वह सब भी स्वाहा हो जाएगा। तब हम कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे?”⁵

विस्थापन का यह दंश आदिवासियों के लिए कितना भयावह होता है, इसे ‘अनिल किशोर सिन्हा’ के शब्दों में देखिए – “जनजातियों के लिए भूमि न केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पादक संसाधन आधार है, बल्कि यह उनके सामाजिक और धार्मिक आचार के मुख्य आश्रय के रूप में, उनके मानस में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।”⁶ इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिवासी विस्थापन का मतलब है – जीविका खोने के साथ ही अपनी जड़ों से उखड़ना। गौरतलब बात यह है कि अपनी जड़ों से उखड़ने के बाद कोई पेड़ कैसे हरा-भरा रह सकता है! ठीक ऐसा ही मंतव्य और दर्द ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ उपन्यास के पात्र ‘रुमझुम असुर’ द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी से बयां होता है – “महोदय, शायद आपको पता हो कि हम असुर अब सिर्फ आठ-नौ हजार ही बचे हैं। हम बहुत डरे हुए हैं। हम खतम नहीं होना चाहते। भेड़िया अभयारण्य से कीमती भेड़िये जरूर बच जाएँगे श्रीमान्; किंतु हमारी जाति नष्ट हो जाएगी। सच कहें तो हम बिना चेहरे वाले इंसान होकर जीना नहीं चाहते श्रीमान्।”⁷

बिना चेहरे वाले इंसान होने का दर्द बद-से-बदतर होता है। विस्थापन-जनित इस दर्द और पीड़ा का कोई पारावार नहीं होता। यह एक ऐसा दंश है जिसका ताप कभी नहीं उतरता और जिसकी पीड़ा कभी खत्म नहीं होती। इसी पीड़ा और पहचान के संकट को 'रणेन्द्र' अपने उपन्यास 'गायब होता देश'(2014) में लेकर उपस्थित होते हैं। झारखंड के 'मुंडा' आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखे गए इस उपन्यास के माध्यम से समस्त आदिवासी समाज पर छाये अस्मिता के संकट को व्यक्त किया गया है। विस्थापित आदिवासियों की खोती अस्मिता से ही संदर्भित है – गायब होता देश।

धार्मिक बेड़ियों से आजादी के लिहाज से धर्मांतरण पर सवाल उठाता 'तेजिंदर' का 'काला पादरी'(2002) एवं सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में 'भगवानदास मोरवाल' का 'काला पहाड़'(1999) उपन्यास सशक्त दस्तावेज हैं। तेजिंदर के 'काला पादरी' में इस बात पर बल है कि धर्म-परिवर्तन से कोई भी आदिवासी समस्या हल न होगी। सांप्रदायिकता का क्या असर 'मेलो' जनजाति पर हुआ है, उसकी सुंदर मीमांसा भगवानदास मोरवाल के 'काला पहाड़' में हुई है। आदिवासी स्त्री-जीवन के शोषण और संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यासों में – रमणिका गुप्ता कृत 'सीता'(1996) एवं 'मौसी'(1997), मैत्रेयी पुष्पा कृत 'अल्मा कबूतरी'(2000) और वाल्टर भेंगरा तरुण कृत 'लौटते हुए' – विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आदिवासियों द्वारा किये विद्रोहों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर उपस्थित होने वाले उपन्यासों में – पीटर पॉल एक्का का 'जंगल के गीत'(2013) एवं हरिराम मीणा का 'धूणी तपे तीर'(2008) उल्लेखनीय उपन्यास हैं। पीटर पॉल एक्का के उपन्यास 'जंगल के गीत' में बिरसा के नेतृत्व में हुए उलगुलान के संदर्भ में 'तुंबाटोली' के नायक 'करमा' द्वारा जमींदार 'हरसुख' के खिलाफ उलगुलान की भावना को जीवित करने की चेष्टा मिलती है – "उसे धरती आबा का उलगुलान फिर से सुलगना होगा – लोगों को समझाना होगा, उनकी आँखें खोलनी होगी, आत्म सम्मान जगाना होगा, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए साहस जोड़ना होगा। तभी पूरे पहाड़ी अंचल में अमन चैन हो सकता है।"⁸ करमा का यह प्रयत्न और बलिदान अंततः 'तुंबाटोली' के आदिवासियों के जीवन में आजादी और उन्मुक्तता का परिवेश पुनः वापस लाता है।

महुआ माजी का उपन्यास 'मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ'(2012) यूरेनियम खुदाई-जनित विकिरण की त्रासदी झेल रहे आदिवासी समुदाय 'हो' के साथ पर्यावरण संतुलन पर भी नई बहस छेड़ता है। 402 पृष्ठों में रचित यह उपन्यास आदिवासी जीवन के समग्र पहलुओं - समाज, धर्म, संस्कृति, परम्परा, रूढ़ियों, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, विस्थापन एवं प्रतिरोध को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से उभारता है। आदिवासी समाज में गरीबी, भुखमरी एवं बेबसी का आलम क्या है? इसे उपन्यास की एक अंश कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। उपन्यास का पात्र 'सगेन' अपनी बीमारी के दौरान, अपनी माँ से कुछ मीठा खाने की मांग करता है, लेकिन घर में मीठा तो क्या, खाने को ही कुछ नहीं है। इस मांग पर अपनी बेबसी व्यक्त करती हुई सगेन की माँ कहती है – "मेरे पास कुछ होता तो तुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ती क्या।"⁹ इस गरीबी और बेबसी के मार्मिक चित्रण के साथ ही 'मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ'। अत्यधिक सुविधाभोगी होते समाज के लिए आवश्यक बिजली की पूर्ति हेतु यूरेनियम खनन के दुष्परिणामों को भी विश्व स्तर के फलक पर उकेरता है।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखें तो हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन के बहुविध आयामों का चित्रण गहन संवेदनशीलता के साथ मिलता है। आदिवासी भाषा जैसे विषय को छोड़ दें तो शायद ही आदिवासी जीवन का कोई ऐसा कोना हो जो इनकी पहुँच से अछूता हो। इन उपन्यासों में देश के विभिन्न भागों में स्थित आदिवासियों के जीवन के विभिन्न संदर्भ रूपायित हुए हैं। विकास की धारा से दुष्प्रभावित, संक्रमण से गुजरते तथा जीवन के मूल-स्रोत एवं संस्कृति की रक्षा करने में प्रयासरत आदिवासियों के विभिन्न आयामों को इन उपन्यासों में प्रस्तुत किया गया है। इन उपन्यासों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट तौर से उभरकर सामने आती है कि आज आदिवासी जीवन के ऊपर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के लोक-लुभावन विकासवादी सपनों के बीच आदिवासी समाज और संस्कृति को बेहिसाब तरीके से उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापन का है। सदियों से जिस पुश्तैनी जंगल-पहाड़ों में वे निष्कंटक भाव से जी रहे थे, आज वे स्थान ही ग्लोबल गाँव के देवताओं की खनिज रूपी भूख मिटाने के लिए उनसे देश के विकास के नाम पर छीने जा रहे हैं। वैश्वीकरण ने उनकी हालत को बद-से-बदतर कर दिया है। इसके अलावा बाहरी लोगों की घुसपैठ भी बढ़ी है, फलतः क्षेत्र में बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आदिवासी अगर 'संघर्ष समिति' बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध करते भी हैं तो उनकी जायज एवं लोकतांत्रिक आवाज को या तो अनसुना कर दिया जाता है या फिर नक्सलवाद के नाम पर दबा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वे या तो भूखे मरने को विवश हैं या फिर विस्थापित होने को।

और ये सब हो रहा है तथाकथित देश के विकास के नाम पर, पूंजी और सरकारी गठबंधन के द्वारा। 'रोहिणी अग्रवाल' इसी गठबंधन की शिनाख्त करती हुई लिखती हैं कि – “नवउदारतावादी अर्थव्यवस्था और उपभोक्तावाद के गठबंधन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनायास ही यह अधिकार दे दिया है कि विकास के नाम पर मदद हेतु वे तीसरी दुनिया के तंबू में ऊँट की भाँति पाँव पसारें और फिर मूल निवासियों को ही वहाँ से खदेड़ दें।”¹⁰ चूँकि आदिवासी क्षेत्र ही प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं, अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सर्वभक्षी भूख की आहुति वे ही चढ़ रहे हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से जहाँ मरंग गोड़ा नीलकंठ होने का दंश झेल रहा है, वहीं पर्यावरण संकट भी गहराता जा रहा है।

कहना अनावश्यक न होगा कि आदिवासी लोगों को वह सब कुछ प्राप्त कराया जाना चाहिए जो मूल रूप में उनका था। गलत आर्थिक नीतियों और शोषण के कारण जिससे आदिवासियों को वंचित होना पड़ा। आज आवश्यकता ऐसी आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं की है जिससे पर्यावरण संतुलन भी न बिगड़े और विकास का लाभ सभी वर्गों को मिले। सभी का समावेशी विकास हो। हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन की अभिव्यक्ति हमें गंभीर एवं सार्थक विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित करती है। इस आमंत्रण के संदर्भ में 'दुष्यंत कुमार' की दो पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा कि-

“फिर धीरे-धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है,
वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है।”¹¹

आज आवश्यकता इस मौसम बदलने की आहट को सुनने और समझने की है। साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने की कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के लोक-लुभावन विकासवादी सपनों के बीच आदिवासी समाज और संस्कृति को उजड़ने से बचाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. एक्का, पीटर. पॉल. (2012). पलास के फूल. डॉ. कामिल बुल्के पथ. राँची : सत्य भारती प्रकाशन. पृ. सं. 58.
2. मुंडा, मंगल. सिंह. (2004). छैला सन्दु. राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड. नई दिल्ली : नेताजी सुभाष मार्ग. पृ. सं. 19.
3. गुप्ता, रमणिका (2008). आदिवासी विकास से विस्थापन. राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड. नई दिल्ली : अंसारी रोड दरियागंज. पृ. सं. 10.
4. एक्का, पीटर. पॉल. (2012). सोन पहाड़ी. डॉ. कामिल बुल्के पथ. राँची : सत्य भारती प्रकाशन. पृ. सं. 66.
5. जैन, वीरेन्द्र. (2012). पार. नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन. दरियागंज. पृ. सं. 51.
6. सिन्हा, अनिल. किशोर. (2006). छत्तीसगढ़ की आदिम जनजातियाँ. नार्दन बुक सेंटर. नई दिल्ली : अंसारी रोड दरियागंज. पृ. सं. 357.
7. रणेन्द्र, (2013). ग्लोबल गाँव के देवता. भारतीय ज्ञानपीठ. नयी दिल्ली : इन्स्टीट्यूशनल एरिया. लोदी रोड. पृ. सं. 84.
8. एक्का, पीटर. पॉल. (2013). जंगल के गीत. डॉ. कामिल बुल्के पथ. राँची : सत्य भारती प्रकाशन. पृ. सं. 179.
9. महुआ माजी: मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ. नेताजी सुभाष मार्ग. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन.
10. दुबे, कुमार. अभय. (2013, जनवरी-जून). प्रतिमान. नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन. दरियागंज. (वर्ष1, खण्ड1, अंक1), पृ. सं. 218-219.
11. दुष्यंत कुमार : साये में धूप. अंसारी मार्ग. नई दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन. पृ. सं. 22.

सूफी साहित्य की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि

गौरव वर्मा¹

इस्लाम के रहस्यवाद को अपनी आध्यात्मिक परिपाटी में संजोकर, प्रेम साधना से अपने प्रिय परमात्मा की उपासना और उसे पाने के यत्न करने वाले फकीरों को सूफी कहा गया। सूफी साधकों ने धर्म और संप्रदाय से विलग होकर एक नई साधना पद्धति का विकास किया, जिसमें रूढ़ि परंपराओं का कोई स्थान न था। ये सूफी साधक प्रेम को साधना का जरिया बना कर धार्मिक कर्मकांडों से मुक्त रहते थे। अलौकिक सत्ता की साधना ने इन्हें सभी धर्म, नियम, कानूनों और सांसारिक झमेलों से मुक्त कर दिया था, यही इनकी साधना पद्धति है। इस संबंध में रामपूजन तिवारी ने लिखा है – “ये साधक अत्यंत उदार थे और धार्मिक तथा सांप्रदायिक बंधनों के प्रति उदासीन से ही रहते थे। प्रारंभिक कालीन उन साधकों की न बंधी-बंधाई बोली है और न नियम कानूनों की जबरदस्त शृंखला में ही वे बंधे दिख पड़ते हैं। इसके साथ ही वे अपने आपको संसार के झमेलों से अलग रखना चाहते थे और अपने मत के प्रचार का उनमें कोई आग्रह नहीं था।”¹

धार्मिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त इन साधकों की एक बड़ी विशेषता का भी रामपूजन जी ने वर्णन किया है कि ‘अपने मत के प्रचार को लेकर इनमें कोई आग्रह नहीं था।’ यह विशेषता सरहनीय है, इन्हें अपने अस्तित्व का कोई खतरा नहीं था। उनका धर्म मानव केंद्रित था जिसमें आग्रह और पूर्वाग्रह का स्थान नहीं था।

सूफी शब्द को लेकर आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है। इसकी उत्पत्ति के भिन्न कारण अपने मतों के अनुरूप प्रस्तुत किए गए हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ, सफा, सुफ्फाह, सफ्फ, आदि शब्दों से बताई जाती है, जिनका अर्थ क्रमशः ऊन, पवित्रता, मस्जिद के सामने वाली पटिया पर बैठने वाले, ईमान लाने वालों की प्रथम पंक्ति है। परंतु सूफ अर्थात् ऊन शब्द को छोड़ कर अन्य शब्द भाषिक विकास कि दृष्टि से असंगत हैं। भाषाशास्त्री इस व्युत्पत्ति को सही मानते हैं। इस संबंध में रामपूजन तिवारी कि कुछ पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं – “अबू नसर अल-सराज ने अपनी पुस्तक ‘किताब अल-लुमा’ में ‘सूफी’ शब्द पर विचार करते हुए बतलाया है कि ‘सूफी’ शब्द अरबी के ‘सूफ’ शब्द से निकला है जिसका अर्थ ‘ऊन’ है। भाषाशास्त्री इस व्युत्पत्ति को ठीक मानते हैं। इस व्युत्पत्ति को ठीक मानने का कारण बतलाते हुए अल-सराज ने कहा है कि ऊन का व्यवहार पैगंबर, संत तथा साधक करते आए हैं। इसका पता विभिन्न हदीसों और विवरणों से मिल जाता है। अतएव ऊन का वस्त्र धारण कर एकांत जीवन बिताने वाले साधकों के जीवन को दृष्टि में रख यह नाम रख लिया हो तो इसमें कुछ असंगति नहीं मालूम होती।”²

¹ एम.फिल. (तुलनात्मक साहित्य). महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र.

इन साधकों का आविर्भाव किस कारण हुआ यह प्रश्न थोड़ा कठिन है, परंतु अति मानवीय दृष्टिकोण के तहत इस तरह की विचारधारा और साधना का जन्म इस्लाम के कट्टरवाद के कारण हुआ होगा। ‘इस्लाम’ शब्द का प्रयोग कर मैं इस धर्म को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता और न ही इसे मांसल कट्टरवाद से जोड़ना चाहता हूँ। इसके पीछे तर्क यही है कि क्या कारण रहा जो इस्लाम क्षेत्रों में ही इस्लाम धर्म मानने वालों ने इस व्यापक मानव आंदोलन की शुरुआत की जिसकी जड़े भारत तक पहुँच गईं। आलोचक अमर नाथ की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उल्लेखनीय हैं – “इस्लाम के रहस्यवादी साधक सूफी नाम से जाने जाते हैं। ‘सूफी’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘सूफ’ शब्द से मानी जाती है। ईस्वी सन् की आठवीं-नवीं सदी में उन का व्यवहार करने वाले संसार-त्यागी साधकों का पता इस्लामी देशों में चलता है।”³

जब सूफियों के लिए ‘इस्लाम का रहस्यवादी’ शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सहज ही आभास होता है की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ये साधक इस्लाम धर्म से जुड़े हैं। यह भी सर्व विदित है कि इनकी उत्पत्ति इस्लामी देशों से हुई। इसका कारण इस्लाम की धर्माधिता और कट्टर रूढ़ि-परंपरा हो सकती हैं। अनहलक की घोषणा कर सूली पर चढ़ने वाले ये क्रांतिकारी साधक एक विश्व स्तर के आंदोलन को सहज ही जन्म दे रहे थे। इतिहास हमेशा उनका गुणगान करता है जो समय की धारा के विपरीत चलते हैं।

इतिहासकारों के पास सूफी संप्रदाय की उत्पत्ति के अलावा बहुत कुछ लिखने को होगा, परंतु जो समय को बदलने और परिस्थितियों को सुधारने का कार्य करते हैं समय और समाज उनके आगे शीश नवाता है। सूफी कुछ इस प्रकार का ही काम उन दिनों कर रहे थे। उस समय ईसाई और पारसी जैसे धर्मों के सामने उभरती हुई शक्ति इस्लाम थी और इस्लाम में भी संप्रदाय विभाजन चलने लगा यही कारण रहा की मानव की कसौटी पर खरे उतरे सूफियों ने अपनी अलग अमन की दुनिया और अपना राग ‘अमन का राग’ बनाया। इस्लाम धर्म और सूफी संप्रदाय के संबंधों के बारे में संकेत करते हुए अमरनाथ लिखते हैं – “सूफी ‘कुरान’ द्वारा प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इस्लाम मतावलंबी की भांति ही वे भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपने ढंग से उसका अर्थ करते हैं।”⁴

अमरनाथ जी ने कुरान का जिक्र कर के सूफी साधकों को सीधा इस्लाम से जोड़ दिया जो मुनासिफ भी है। यह तो थी सूफी शब्द और उसके साधकों की भावात्मक, सामाजिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि सूफी साहित्य की बात करें तो वह भी शुरू में इस्लाम बहुल क्षेत्रों से ही उत्पादित हुआ था। अरबी, फ़ारसी, उर्दू में सर्वप्रथम इस काव्य की रचना हुई जब यह भारत आया तब भारतीय परिवेश से कई नए तत्त्व प्राप्त हुए। मसनवी शैली जो अरबी-फ़ारसी काव्य की शैली थी उसे हिंदी के प्रेमाख्यानक महाकाव्यों में एक हद तक आत्मसात किया गया। सूफी साधकों का पता 8वीं-9वीं शताब्दी में चलता है। इस संबंध में रामपूजन जी की पुस्तक में मरूफ़ अल-करखी के संबंध में उल्लेख है – “मरूफ़ अल-करखी (सन् 815 ई०) खलीफा हारुन अरशीद के काल में एक साधक हो चुके हैं। कहा जाता है कि वे परमात्मा के पीछे पागल थे। उन्होंने सूफीमत की चर्चा करते हुए बतलाया है कि परमात्मा संबंधी सत्य का जानना और मानवीय वस्तुओं का त्याग ही सूफी का धर्म है।.....। नूरी का समय सन् 907 ई० के लगभग है।”⁵

मरूफ अल-करखी और नूरी ही नहीं जुन्नेद , बिशर अल-हफीफी, आदि कई सूफी साधकों का उल्लेख 8वीं-9वीं शताब्दी में मिलता है। परंतु सूफी साहित्य की बात करें तो इसकी शुरुआती भाषा फ़ारसी-अरबी ही रही बाद में भारत के संदर्भ में भाषा-और संस्कृति को आत्मसात करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक काल के सूफी कवियों ने अपने जन आंदोलन के काव्य की भाषा को तत्कालीन कवियों के समान ही रखा और रूपक और उपमान भी वही प्रयोग में लाये बस फर्क इतना था कि लौकिक वस्तु वर्णन के सहारे वे अलौकिक सत्ता का गुणगान करते थे इस संबंध में रामपूजन जी का कथन है – “प्रारंभिक काल के सूफी कवियों ने तत्कालीन कवियों की भाषा और प्रकाशन भंगी को अपनाया। इसलिए उनकी कविताओं में साकी, शराब, प्याला, माशूक, जुल्फ, लब आदि शब्द देखने को मिलते हैं। उन कवियों ने प्रेम संबंधी कविताओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें सूफी कवियों ने ज्यों का त्यों ले लिया और उन्हें सांकेतिक अर्थ प्रदान किया।”⁶

सूफी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फ़ारसी से जुड़ी हुई है। प्रारंभिक सूफी साहित्य फ़ारसी-अरबी क्षेत्रों में और वहीं की क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया। अनेक फ़ारसी-अरबी कवियों ने प्रेम और रहस्यवाद संबंधी सूफी काव्यों की रचना की और इस काव्य को दूर-दूर तक ख्याति भी प्राप्त हुई। अपने काव्य की प्रसिद्धि के कारण कुछ प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक ‘मध्यकालीन भारत’ में कुछ प्रसिद्ध फ़ारसी कवियों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है – “अनेक फ़ारसी कवियों ने रहस्यवादी मिलन एवं प्रेम के सूफी संदेश को काफी दूर-दूर तक प्रसारित किया। इनमें से चार सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे – सनाई (लगभग 1131 ई. में मृत्यु), अत्तार (1230 ई. में मृत्यु), ईराकी (1289 ई. में मृत्यु) एवं रूमी (1273 ई. में मृत्यु)। उनकी कविताओं को रहस्यवादी उमंग एवं प्रेम की उच्चतम अवस्था माना जाता है और वे भारत समेत विश्व के सभी भागों में पहुंच गई।”⁷

इस्लामिक क्षेत्रों से शुरू होता सिलसिला धीरे-धीरे विश्व स्तर का आंदोलन बन गया और एक समय बाद इसकी अभिव्यक्ति में काव्य और कवि शुमार हो गए। यह सिलसिला भारत तक इस्लामी साम्राज्यवादी शक्ति के साथ पहुँचा। शुरुआत में भारत में मुस्लिम सल्तनत के चलते इस्लाम उपदेशक आए और अपने धर्म को अपनाने का आग्रह उनका लक्ष्य था। इस संबंध में रामपूजन जी की पुस्तक में उल्लेख मिलता है – “भारतवर्ष में सूफीमत के प्रवेश की निश्चित तिथि बताना कठिन है लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मुसलमानों के आक्रमण के तुरंत बाद से ही सूफी-साधकों का यहाँ आना जाना प्रारंभ हो गया।”⁸

भारत में इस्लाम का प्रवेश 711 ई. के आसपास हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने जब पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर आधिपत्य जमा लिया था। सूफी साधकों के पहले बहुत से मुस्लिम धर्म प्रचारक मुस्लिम विजेताओं के साथ भारत आए थे। साफ है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ इन धर्म प्रचारकों के अनुकूल थी, वरना इन धर्म प्रचारकों को संरक्षण और सुविधाएं प्राप्त न होती। ऐसी परिस्थिति में समाज भी आक्रांत ही था दूसरी तरफ भारत में भी भक्ति आंदोलन का प्रसार था। भक्ति-आंदोलन के चलते 13वीं-14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने सूफी संतों को भी अपने दल में एकत्रित कर लिया। राजनीतिक दबाव में धर्म

परिवर्तन करने की बजाय हिंदू समाज की चित्तवृत्ति पर सहज सूफी प्रेमी साधकों का प्रभाव अधिक पड़ा। यहाँ रामपूजन तिवारी का मत उल्लेखनीय है – “जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करने वालों का प्रभाव हिंदुओं पर नहीं पड़ा लेकिन शांत और उदार सूफी साधकों ने उनके हृदय पर विजय प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। महमूद गजनवी के आक्रमण के दो सौ वर्षों बाद तक इस प्रकार के धर्म प्रचारकों के नाम सुनने को नहीं मिलते। लेकिन ईसा की तेरहवीं शताब्दी में तथा उसके बाद भी बड़े-बड़े धर्म प्रचारकों, पीरों और सूफी-साधकों के नाम सुनने को मिलते हैं। ईसा की चौदहवीं शताब्दी में इनका पूरा जोर रहा। धर्म-प्रचारकों का यह वेग ईसा की पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में बहुत कम हो गया और सत्रहवीं शताब्दी में प्रायः लुप्त हो गया।”⁹

जिस समाज में उपनिवेश स्थापित होता है वहाँ की सामाजिक परिस्थिति परिवर्तन के चरम तक पहुँच कर ध्वस्त होने जा रही होती है ‘म्लेच्छाक्रांत देशेषु’ कहते हुए दक्षिण से आ रहे भक्ति आंदोलन में रच-बस कर सूफी आंदोलन भक्ति-आंदोलन का अभिन्न अंग बन गया। भारत में सूफी साहित्य और तहजीब ने एक नई संस्कृति और समाज से साक्षात्कार किया और दोनों संस्कृतियाँ और तहजीब एक दूसरे में रच-बस गई। इस तरह ही हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल में सूफी निर्गुण धारा या प्रेममार्गी शाखा का उदय हुआ। इस साहित्य काल में लिखा गया उत्कृष्ट काव्य ‘पद्मावत’ जायसी का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रेमाख्यानक महाकाव्यों में पद्मावत पर अनेक आलोचना प्रस्तुत की जा चुकी हैं। साथ ही अकादमी पाठ्यक्रम में इसका मुख्यतः नागमती वियोग खंड अध्ययन में प्रयुक्त होता है। यह कुछ प्रमाण काफी हैं, पद्मावत की शौर्य गाथा के लिए।

जैसा की पहले विवेचन किया गया है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में सूफी साहित्य और साधना का चरम उत्कर्ष हो रहा था। इसी विकास क्रम में मौलाना दाऊद का ‘चांदायन’ भी पहले हस्ताक्षर के रूप में प्रेमाख्यानक काव्य धारा में प्राप्त होता है। मृगावती, मधुमालती दो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जो प्रेमाख्यानक महाकाव्य में विरचित हैं। मुख्य रूप से सूफी साहित्य में हिंदू संस्कृति का प्रयोग मिलता है। सूफी साहित्य लिखने वाले मुख्य कवि मुसलमान थे। वे इस्लाम के रहस्यवाद को अपने काव्य में स्थान देते थे। मसनवी शैली के गुणों को उन्होंने आत्मसात किया हुआ था अर्थात् वे अनेकता में एकता को स्थापित कर रहे थे और भारत की भावभूमि ने भी इन संतों को पर्याप्त सम्मान दिया। हिंदू समाज की मानसिकता पर इतिहासकार मोहम्मद हबीब का कथन उल्लेखनीय है – “हिंदू हमेशा से उदार रहा है। वह विश्वबंधुत्व में विश्वास करता था। इसलिए उसने इन मुसलमान सूफियों को भी ऋषियों में शुमार किया। जल्द ही आपसी भाईचारा स्थापित हुआ और हिंदू-मुसलमान संतों की एक सामान्य सूची बन गई। यह सब तेरहवीं सदी में हो गया था जो आज भी कायम है।”¹⁰

यह साफ है कि सूफी साहित्य के विकास में विभिन्न परिवेशों का योगदान रहा। भिन्न-भिन्न कालों और समाजों में इसका स्वरूप और प्रारूप बदलता रहा। जहाँ एक तरफ इसने अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इस्लाम का रहस्यवाद प्राप्त किया वही दूसरी ओर तत्कालीन समाज में रहकर इस साहित्य ने हिंदू लोकजीवन को भी अपनाया। भारत में मुसलिम साम्राज्यवाद के उदय के साथ दो संस्कृतियों का मिलन हुआ। एक

अलग-थलग रह कर धर्म परिवर्तन कर राजनीतिक लाभ उठाती रही दूसरी हिंदुओं में रच बस कर आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू मुसलमानों को जोड़ती रही। यहाँ हिंदू कि बुत परस्ती भी है और मुसलमान का एकेश्वरवाद भी। इतिहासकार हबीब इस संबंध में निजामुद्दीन औलिया से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन करते हैं – “मध्यकाल के सूफियों में शेख निजामुद्दीन औलिया की बड़ी ऊंची हैसियत है। एक दिन अपने खानकाह की छत की सीढ़ियों से गुजरते हुए उन्होंने कुछ हिंदुओं को अपनी देवमूर्तियों की पूजा करते हुए देखा। इन मूर्तियों को आदमियों ने अपने हाथों से पत्थर को तराश कर बनाया था। उदारपंथी शेख के फलसफे में बुतपरस्तों के लिए भी जगह थी। उन्होंने फरमाया, ‘हर कौम का अपना रास्ता होता है, उसका मजहब और मंदिर होता है।’ दरअसल यही हमारे मध्य काल का धार्मिक समझौता था।”¹¹

उपरोक्त प्रसंग से साफ है कि सूफी अत्यंत उदार थे। वे प्रेम साधना के साधक थे। धार्मिक कट्टरता और रूढ़ि को उन्होंने स्थान नहीं दिया। परंतु सूफी साहित्य में समय के साथ कुछ कमियाँ आने लगी क्योंकि 13वीं शताब्दी के बाद सूफी साधक नहीं केवल कवि जन्म ले रहे थे, जो राज्याश्रित थे और स्वतंत्र समाज कल्याण की भावना से ओत-प्रोत नहीं थे। वे मन बहलाने वाले कवि मात्र लगते हैं। वर्णनात्मक शैली में अतिशयोक्ति वर्णन करना और दैहिक कामुक शैली का प्रयोग करना प्रेम अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक समझते थे। राजा-रानी को पात्र बना कर महाकाव्य को अतिशयोक्ति और समाशयोक्ति के जाल में फंसना केवल इन्होंने सीखा था परंतु यहाँ भी उस समाज का वर्णन पर्याप्त मिलता है क्योंकि हर युग का साहित्य उस युग के समाज का दर्पण होता है। इस समय के कवियों के बारे में इतिहासकार हबीब का कथन उल्लेखनीय है – “तेरहवीं सदी तक आते-आते सभी शिक्षित लोग और कवि सूफी होने का दावा करते थे और सूफी लहजे और शब्दावली का इस्तेमाल करते थे। मगर तवस्सुफ के फैलाव की वजह से इसका असल मानी गायब हो गया। सभी लोग तवस्सुफ की बातें तो करते थे, मगर सूफियों के अनुशासित जीवन को अपनाने और दुनियावी कैरियर को छोड़ने को तैयार नहीं होते थे। इसलिए ऐसे सूफियों को मुतसव्वुफ़ या सिंथेटिक सूफी कहते थे।”¹²

सूफी कवि साधकों के मानदंड से दूर हो गए थे जिसके पीछे तत्कालीन राजनीतिक कारण थे। राजदरबार में रहने वाले और राजतंत्र में रहने वाले कवि आखिर कर भी क्या सकते हैं। इसका मतलब यह आंदोलन केवल भावात्मक आंदोलन बनकर रह गया था, जिसमें बातें तवस्सुफ की हो रही थी और शुरूआत में शाहे वक्त और राजा का शौर्य गाना। यह कागजी सूफीवाद था जो कवि को कवि ही छोड़ गया वरना सूफी साधक तो भगवान बनाकर पूजे जाने लगे इसके उदाहरण विभिन्न दरगाह हैं।

परंतु साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वही काव्य है जो हिंदी के मध्यकालीन काव्य को स्वर्ण काव्य घोषित करता है। कलात्मक कसौटी पर कसकर विभिन्न सूफी कवियों ने एक हद तक अतिशयोक्ति में भी सूफी पैगाम दे दिया है। हिंदी का प्रेमाख्यानक काव्य ही है जिसके केंद्र में नीरस शास्त्र न होकर प्रेम है। वही प्रेम जो गोपियों, मीरा और कबीर आदि कवियों में है।

पीरम समुंद अतिय अवगाहा। जउ जग बूड़ न पावइ थाहा।
चहु दिसि कइस थाह न पावइ। मानुस बुड़इ तीर न आवइ।¹³

- कड़वक-360

प्रेम के विराट स्वरूप की अभिव्यक्ति करती दाऊद की इन पंक्तियों को पढ़कर प्रतीत होता है कि प्रेम अलौकिक और सर्वशक्तिमान है यह प्रेम ही परमात्मा है। जिस प्रकार माध्यम अध्ययन के आलोचक 'मैक्लूहान' ने कहा था कि 'माध्यम ही संदेश है' वैसे ही लगता है कि प्रेम ही परमात्मा है। इतना ही नहीं तत्कालीन समाज की अभिव्यक्ति के साथ यह काव्य और तहजीब अन्य कवियों को भी धीरे-धीरे सूफी रंग में ही डुबो रहा था और स्वयं नाथों की घुमंतू सिद्धि प्राप्त कर रहा था।

एंडनोट्स

¹ तिवारी, रामपूजन. सूफीमत साधना और साहित्य. वाराणसी : ज्ञानमंडल लिमिटेड. पृ. सं. 167.

² वहीं . पृ. सं. 170.

³ अमरनाथ, हिंदी आलोचना कि पारिभाषिक शब्दावली. नई दिल्ली : राजकमल. पृ. सं. 382.

⁴ वहीं . पृ. सं. 382.

⁵ तिवारी, रामपूजन. सूफीमत साधना और साहित्य. वाराणसी : ज्ञानमंडल लिमिटेड. पृ. सं. 167.

⁶ वहीं . पृ. सं. 523.

⁷ चंद्र, सतीश. मध्यकालीन भारत. नई दिल्ली : जवाहर पब्लिशर्स. पृ. सं. 245.

⁸ तिवारी, रामपूजन. सूफीमत साधना और साहित्य. वाराणसी : ज्ञानमंडल लिमिटेड. पृ. सं. 404.

⁹ वहीं . पृ. सं. 407.

¹⁰ हबीब, मोहम्मद. भारतीय इतिहास का आरंभिक मध्यकाल. दिल्ली : ग्रंथ शिल्पी. पृ. सं. 34.

¹¹ वहीं. पृ. सं. 34.

¹² हबीब, मोहम्मद. भारतीय इतिहास का आरंभिक मध्यकाल. दिल्ली : ग्रंथ शिल्पी. पृ. सं. 160.

¹³ गुप्त, माताप्रसाद. चांदायन. नई दिल्ली : जवाहर पब्लिशर्स. पृ. सं. 385.

परंपरा बनाम आधुनिकता: जाति बनाम वर्ग

अनुराग कुमार पांडेय¹

भारत एक परंपरावादी राष्ट्र है और साथ ही वह आधुनिकता की दौड़ में भी कुछ कम नहीं है। इस देश में परंपरा और आधुनिकता की जद्दोजहद अब पुरानी हो चुकी है। हम भारत को आधुनिकता अथवा पारंपरिकता में से किसी एक के आईने से संदर्भित नहीं कर सकते हैं। यहाँ दोनों प्रकार के विचार, व्यवहार, मान्यताएँ परिलक्षित होती हैं। इन्हीं के आधार और परिणाम के रूप में दो अन्य बहसें उभरती हैं- जाति और वर्ग की बहस। परंपरा और आधुनिकता के समान जाति और वर्ग के मसले को भी निश्चित तौर पर अलग अथवा विशिष्ट नहीं किया जा सकता है। ये दोनों आपस में इस प्रकार से गुथे हुए हैं कि कब कौन सा पद किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इसका भान कर पाना दुष्कर है। इस दिशा में यदि ध्यानपूर्वक मंथन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि परंपरा और जाति तथा आधुनिकता तथा वर्ग का संबंध प्रत्यक्ष तौर पर परिलक्षित होता है।

समाज सुधारकों का मानना है कि जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करने के प्रयोजन से लाभकारी कदम उठाए जाने चाहिए। जाति प्रथा को नष्ट करके; जन्म के स्थान पर योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसी के बरक्स में वर्ग व्यवस्था का स्वरूप फलीभूत हुआ है। विचारधारा की दुनिया के दो महान विद्वान कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर ने जाति प्रथा पर अपने भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। मार्क्स का मानना है कि औद्योगीकरण का प्रसार जैसे-जैसे होता जाएगा, वैसे-वैसे जाति प्रथा कमजोर होती जाएगी और उसका स्थान वर्ग व्यवस्था द्वारा अनुग्रहित कर लिया जाएगा। इससे इतर वेबर का मत है कि जाति प्रथा सदैव पूंजीवाद के उदय का विरोध करती है। इन दोनों विचारों को विश्लेषित करने पर यह प्रतीत होता है कि जाति व्यवस्था, आधुनिकता के मूल तत्त्वों औद्योगीकरण और पूंजीवाद के मार्ग को अवरुद्ध करती है। आधुनिकता का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ा है और इससे उसका जीवन एक आयामी हो गया है। अतीत में मंदिर, नगर, परिवार, समाज आदि एक सूत्र में बंधे रहते थे। सभी के मध्य विभिन्न अनुष्ठान, धर्म, संस्कृति, परंपराओं का एक अदृश्य जाल बिछा रहता था परंतु समकालीन संदर्भ में विज्ञान की तेज आंधी में ये सारे तत्त्व धूमिल होने लगे हैं।

भारत एक बहुलवादी राष्ट्र है और यहाँ अनेक मत, संप्रदाय, धर्म, भाषा, जाति आदि प्रकार की परंपराएँ और संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। ये सभी अपने-आप में विशिष्ट और विलक्षण छवि को धारण किए हुए हैं। हिंदू धर्म (सनातन धर्म) अत्यंत प्राचीन धर्मों की सूची में शामिल है। इसमें नाना प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद, महाग्रंथ (रामायण, महाभारत आदि) का लिखित विस्तृत विवरण मिलता है और साथ ही अनेक प्रकार के अनुष्ठान और परंपराएँ भी परिलक्षित होती हैं जो जीवन को बेहतर दिशा की ओर उन्मुख करने व

¹ एम.फिल. - समाज कार्य, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र - 442001

E-mail. - anurag.100pandey@gmail.com

उसे व्यवस्थित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती हैं। धर्म का तात्पर्य पूजा-पाठ ही नहीं होता है अपितु इसके इतर वह समाज व मनुष्य के दुर्गुणों को दूर करने में भी हितकारी होता है। धर्म सभी के लिए समान दृष्टि रखता है, जो उसके अनुयाई हैं उनके लिए भी और जो अनुयाई नहीं हैं उनके लिए भी। किंतु स्वतंत्रोत्तर भारत में धीरे-धीरे इस धारणा में परिवर्तन आने लगा और अन्य संप्रदायों अथवा धर्मों के अनुयायियों को हिन दृष्टि से देखा जाने लगा। मूर्तिपूजा, अंधविश्वास सरीखे अवैज्ञानिक पुरातन पंथी विचारों ने पारंपरिक धार्मिक विचारों को इस तरह से खोखला कर दिया कि वे स्वयं की व्यवस्थित आधारशिला के लिए तरसने लगे।

धर्म का पुरातन स्वरूप सहिष्णु और समता निदेशित था और तत्कालीन परंपराएँ भी उसी के अनुरूप कार्यान्वित होती थी। जाति की उत्पत्ति को भी प्रायः धर्म के माध्यम से ही विद्वानों द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, फिर भी यहाँ जाति व्यवस्था और उसके गतिशील दौर के बारे में विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। जाति प्रथा की उत्पत्ति को ऋग्वेदिक काल से आरंभ माना जा सकता है। ऋग्वेद में वर्ण (रंग) शब्द का उल्लेख मिलता है जो इस बात की ओर संकेत करता है तब संस्तरण का आधार वर्ण होता था। आर्य का आशय गोरे वर्ण और दास का आशय श्याम वर्ण से है। हालांकि ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों के संबंध में उल्लेख नहीं मिलते हैं। ये दोनों वर्ण न केवल चर्म में अलग थे अपितु इनकी संस्कृति, बोली आदि भी भिन्न थे। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय) और वैश्य, आर्य वर्ण में थे जबकि अनार्य, दास वर्ण में थे। ऋग्वेद के ही एक अंश 'पुरुषसूक्त' में जातिभेद के बीज-मंत्र में लिखा है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के उदर से और शूद्र ब्रह्मा के पैर से जन्मे हैं।

हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, जहाँ यह विश्लेषित किया गया हो कि ये वर्ण वंशानुगत हो गए। इनके निर्धारण का आधार कर्म होता था। पुरोहित (ब्राह्मण) और योद्धा (क्षत्रिय) की प्रस्थिति वैश्य और शूद्रों से उच्च थी परंतु यह प्रस्थिति वंशानुगत न होकर कर्म और योग्यता के आधार पर निर्धारित होती थी। अंतर्वर्गीय विवाहों को मान्यता थी, खान-पान संबंधी निषेध नहीं थे, छुआछूत संबंधी विचारों का लोप था।

उत्तर-वैदिक काल में 'यज्ञ' की धारणा को महत्त्व दिया जाने लगा। इस काल में अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ब्राह्मण-संहिताएँ आदि शामिल की जाती हैं। उपनिषदों में कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा-परमात्मा, माया, मुक्ति आदि सिद्धांतों का विशद वर्णन मिलता है। यज्ञ और कर्मकांडों को संपन्न करने/कराने वालों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई और पवित्र व धार्मिक कार्यों के कारण उन्हें उच्च प्रस्थिति और सम्मान दिया गया। जो आर्य लोग पूर्व और दक्षिण दिशाओं में आगे बढ़े उन्हें मूलनिवासियों से संघर्ष करना पड़ा और वे एक अन्य वर्ग योद्धा (क्षत्रिय) के रूप में उत्पन्न हुए। शेष बचे आर्यों को एक अन्य वर्ग (वैश्य) की संज्ञा मिली। अनार्य लोगों को शूद्र कहा गया। आरंभ में इनमें कठोर प्रभाग नहीं थे परंतु कालांतर में कार्यों में विभेद आवश्यक हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उप प्रभाग बने। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में अनेक जातियाँ और उप-जातियाँ हैं।

धार्मिक और पवित्र कार्यों से संबंधित होने के कारण ब्राह्मणों को अनेक शक्तियाँ और विशेषाधिकार दिए गए। ठीक यही परिस्थितियाँ क्षत्रियों के साथ भी थी, उनके पराक्रम, कौशल और रणनीति के कारण उन्हें भी कुछ शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त थे। परिणामस्वरूप समय-समय पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों द्वारा एक-दूसरे को चुनौतियाँ दी गईं। कालांतर में इन दोनों जातियों ने विशेषाधिकारों का उपभोग किया और वैश्यों व शूद्रों को इससे वंचित कर दिया। इन जातियों में सदस्यों के नामकरण की एक नई व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। चार जातियों में विविध उप-प्रभागों के उदय ने व्यावसायिक विभेदीकरण को आवश्यक रूप प्रदान किया। उच्च जाति के सदस्य निम्न जाति से विवाह कर सकते थे परंतु शूद्रों के साथ विवाह वर्जित था। जबाला उपनिषद में चार प्रकार के आश्रमों का विवरण मिलता है। यथा— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। चतुर्वर्ण्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय में विवाह संबंध के उदाहरण मिलते हैं। जाति में बदलाव असाधारण बात थी परंतु यह असंभव नहीं था।

गुप्तकाल से जातियों और उप-जातियों में विभेद कठोर हो गए और विभिन्न निषेधों का दृढ़ता से पालन किया जाने लगा, जिसने जातिगत नियमों की अवहेलना की उसे जाति से बहिष्कृत किया जाने लगा। स्त्रियों के प्रति व्यवहार और नजरिए में परिवर्तन आया और उनका अपमान किया जाने लगा। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, संपत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया, सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया और उनकी सामाजिक प्रस्थिति को पुरुषों की तुलना में कम माना गया। जाति का निर्धारण जन्म-आधारित होने के कारण कालांतर में यह एक कठोर व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आयी। खान-पान, विवाह, स्पर्श, धार्मिक कर्मकांड आदि के आधार पर जातियों को एक-दूसरे से पृथक् किया जाने लगा और साथ ही साथ इन नवीन मानकों को स्थापित करने के लिए धरातलीय पृष्ठभूमि को गढ़ा जाने लगा। समय बीतने के साथ-साथ यह व्यवस्था जो कर्म से आरंभ हुयी थी, जिसे कोई दृढ़ता के लक्षण नहीं थे, धीरे-धीरे वह एक प्रथा के रूप में पर्णित हो गई, जो जन्म व कठोर बंधनों पर आधारित है।

भारत में जाति व्यवस्था के रूप में सामाजिक स्तरीकरण दुनिया की सबसे जटिल और अनूठी व्यवस्था है। जाति व्यवस्था का अस्तित्व हजारों सालों से है। चाहे हिंदू हो या गैर-हिंदू सभी जातियों को जन्म से ही जाति व्यवस्था का अंश मिल ही जाता है। यह जाति सामाजिक अंतःक्रिया या व्यवहार के लिए उनकी पहचान बन जाती है, लेकिन हिंदुओं और गैर-हिंदुओं के लिए जाति प्रथा का तात्पर्य एक जैसा नहीं है। गैर-हिंदुओं के लिए जाति धार्मिक बाध्यता के रूप में नहीं होती है, यह केवल उस समाज में उनके स्तर को प्रकट करती है जिसके वे भाग होते हैं। हमारे देश की जनसंख्या आज करीब एक अरब के आस-पास है। हमारे देश में करीब दो हजार से ज्यादा जातियाँ हैं। इसी तरह भावों और बोलियों की संख्या भी पाँच सौ से अधिक है।

70 से 90 के दशक में क्रियाशील परिवर्तनों का एक दौर चल रहा था। ये परिवर्तन चाहे पहली गैर-कांग्रेसी पार्टी के रूप में राजनीतिक फलक का हो, चाहे पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण व आधुनिकीकरण के रूप में सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक फलक का हो, चाहे उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक-सामाजिक फलक का हो, चाहे आरक्षण-नीति के संवर्धन के रूप में सामाजिक-

आर्थिक फलक का हो। इन परिवर्तनों ने भारतीय पारंपरिक संरचनाओं को कमोबेश रूप में तोड़ने का काम किया। ये बदलाव जातिगत संरचना, धार्मिक कर्मकांडों और मिथकों के प्रति लोगों के दृढ़ विश्वास को कमजोर करने की दिशा में उन्मुख हुए। इस संक्रमणकालीन अवस्था का परिणाम यह हुआ कि जातिगत संरचनाएँ आंशिक रूप से ही सही पर शिथिल हुईं।

समकालीन संदर्भ का युग विज्ञान, तकनीक और उद्योगों द्वारा संचालित युग है। इस युग ने एक ओर कई परंपराओं के लिए विध्वंसकारी प्रवृत्ति को अख्तियार किया है तो दूसरी ओर उन परंपराओं के बरक्स में दूसरी परंपराओं (आधुनिक जीवनशैली) की रचना भी की है। हम सभी तत्कालीन समाजों में इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यदि 'विवाह', जो कि पारंपरिक संस्कार और संस्था भी है, का उदाहरण लें, तो आज विवाह तो प्रचलित है परंतु उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, परंपराएँ, क्रिया-कलाप लुप्त हो रहे हैं और उसके स्थान पर नवीन अनुष्ठानों, परंपराओं व क्रिया-कलापों को शामिल किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार पश्चिमीकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण व आधुनिकीकरण के प्रत्युत्तर स्वरूप उत्पन्न आधुनिकता ने गाँव, परिवार, धर्म, जाति आदि व्यवस्थाओं को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

आधुनिकता एक जटिल संकल्पना है जो देश-काल और वातावरण के सापेक्ष अपने अस्तित्व का निरूपण करती है। आधुनिकता अतीत से इतर नवीन भावों की अभिव्यंजनात्मक प्रक्रिया होती है। प्राचीन समाज कई अंधविश्वासों, परंपराओं, संस्कृतियों आदि का गढ़ था जो एक निश्चित समय के पश्चात रूढ़ियों में परिवर्तित होकर बाध्यतामूलक प्रवृत्ति को जन्म देता है। आज हम जिसे रूढ़ि के रूप में विश्लेषित करते हैं ऐसा संभव है कि अतीत में वह आधुनिकता का सूचक रहा होगा। अभी यदि कोई व्यक्ति शहर से गाँव चला जाता है तो सभी ग्रामीण उसके हाव-भाव, वेश-भूषा, खान-पान आदि से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शायद वे उसे आधुनिक भी मानने लगते हैं। आज आधुनिकता के मायने बदल गए हैं और ये मानक अतीत की तुलना में बिल्कुल अलग हैं। हालांकि इन नवीन मानकों ने भी रूढ़ियों को निर्मित किया है जिनका स्वरूप अतीत की रूढ़ियों से एकदम अलग है। आधुनिकता से मनुष्य में असंतुष्टि और संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। वह सदैव कुछ नयापन लाने की फिराक में लगा रहता है, जिसके कारण हर आधुनिक रूढ़ि अथवा प्रथा अल्प समय में ही पुरानी अथवा व्यर्थ होने लगती है। आधुनिकता में व्यक्ति की स्थिति त्रिशंकु की तरह होती है, वह ना ही इधर का हो पाता है और ना ही उधर का।

आज व्यक्तिवादिता ही मनुष्य का धर्म हो गया है और उसे स्वयं के अलावा किसी वस्तु के बारे में चिंता नहीं रहती, वह स्वयं में ही खोया हुआ रहता है। यही प्रवृत्ति जब अप्रत्याशित तौर पर उसे उन्मुक्त कर लेती है तो वह समाज से अलगावित होकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। यहाँ अपेक्षाकृत नैतिक संस्थाओं अथवा नैतिक मार्गदर्शन का अभाव होता है जो उसे निर्दिष्ट कर सकें। स्वयं की भौतिक, आर्थिक, राजनैतिक आवश्यकताओं के इतर उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह विशाल आधुनिक सभ्यता का एक अंश मात्र होता है और उसे उसी के अनुरूप व्यवहार, विचार, जीवन शैली आदि

को अनुमोदित करना होता है। वह इस आदर्शलोक में जी रहा होता है कि वह इस आधुनिक सभ्यता को संचालित कर रहा है परंतु वह इस सभ्यता की बाध्यतामूलक प्रवृत्तियों से छूट नहीं पाता है।

इस प्रगतिपरक समाज में आधुनिक मनुष्य के पास किसी व्यक्तिगत सतही भावनाओं की आपूर्ति के लिए प्रायः समय और ऊर्जा का अभाव रहता है। वह अपना संपूर्ण जीवन आधारभूत समस्याओं को ही सुलझाने में लगा देता है। वह जीवन में कई ऊँचाइयों को तो हासिल कर लेता है परंतु उनके बरक्स में वह कई धरातलीय गहराइयों को नजरंदाज कर देता है। आज का आधुनिक व्यक्ति विविध सोशल नेटवर्कों के माध्यम से देश-विदेश के लोगों से संपर्क तो स्थापित कर रहा है परंतु उसके आस-पड़ोस में कौन रह रहा है, इसका उसे जरा भी भान नहीं है।

आधुनिकता ने जाति व्यवस्था को वर्ग व्यवस्था में परिणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वर्ग भी जाति व्यवस्था की तरह ही सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जन्म के स्थान पर योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें किसी भी जाति का सदस्य उच्च अथवा निम्न प्रस्थिति अपनी कुशलता और योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति व्यवसाय और उसके लिए साधनों, तकनीकों का चयन अपनी कुशलता के आधार पर करता है।

मार्क्सवादियों ने जाति को शोषण के लिए उत्तरदाई कारकों में से एक माना है। उनका मानना है कि जाति व्यवस्था लोगों को संगठित होने से रोकती है। यदि जाति और वर्ग एक ही होता तो वर्ग संघर्ष हेतु आवश्यक चेतना का विकास सरलता और शीघ्रता से हो जाता। उदाहरणस्वरूप यदि उच्च जातियों के लोग भू-स्वामी, जागीरदार आदि होते, मध्य जातियों के लोग किसान, कास्तकार आदि होते और निम्न जातियों के लोग खेतिहर मजदूर, घरेलू मजदूर आदि होते, तो जाति तथा वर्ग एक जैसा ही होता।

विभिन्न विद्वानों ने वर्ग व्यवस्था को जाति व्यवस्था में निहित दुर्गुणों के निवारण के रूप में उल्लेखित किया है, परंतु इसे गहनतापूर्वक अवलोकित किया जाय तो यह संज्ञान होगा कि एक ओर तो इसने जाति व्यवस्था की कुछ बुराइयों को दूर तो किया है तो दूसरी ओर तो इसने उसकी कुछ बुराइयों को परिवर्तित करके अनुग्रहित किया तथा कुछ अन्य बुराइयों को भी शामिल कर लिया है। उदाहरण के लिए, जातियों के राजनीतिकरण और आपसी संबंधों के कारण प्रायः जातियाँ संरचनात्मक तौर पर संकुचित तो थीं ही, और अब वे जातियाँ विभिन्न वर्गों के आधार पर राजनीतिकरण तथा आपसी संबंधों में और भी संकुचित होने लगी हैं। मजूमदार का कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। उनके अलावा अन्य विद्वान साथ ही हम-आप सभी इस बात से सहमत ही हैं। हालांकि वर्ग अपेक्षाकृत व्यापक व्यावहारिक परिदृश्य से संबंधित है तथापि यह भी कहीं न कहीं संकुचित ही है क्योंकि इसमें प्रवेश तो कुशलता के आधार पर होता है परंतु इसके बाद व्यक्ति संबंध प्रायः उन्हीं से स्थापित करता है और बनाए रखता है जो उसकी वर्ग प्रस्थिति की परिधि में शामिल होते हैं।

यद्यपि जाति और वर्ग में पर्याप्त अंतर परिलक्षित होते हैं परंतु व्यावहारिक तौर पर विभिन्न वर्गों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए प्रयत्न दोनों में दिखाई पड़ते हैं। समकालीन संदर्भ में अंतर केवल इतना है कि जाति व्यवस्था में निषेधों और बाध्यकारी प्रतिबंध सैद्धांतिक रूप से तो कहीं अधिक हैं परंतु व्यावहारिक जीवन में उनका प्रभाव निरंतर कम होता चला जा रहा है। वहीं वर्ग व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से उदार होते हुए भी व्यावहारिक जीवन में उतनी उदार नहीं है। इसके अलावा जाति का हस्तक्षेप मानवीय जीवन में अभी समाप्त नहीं हुआ है और न ही उसने वर्ग को अपनी सीमाओं में घुसने ही दिया है। आज भी हम अपने चारों ओर इसका आभास कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था कमजोर अवश्य हुई है परंतु हम विवाह हेतु अपनी ही जाति की ओर रुख करते हैं। अखबार में किए जाने वाले विभिन्न वैवाहिक विज्ञापनों में भी यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

स्पष्ट है कि परंपरा और आधुनिकता तथा जाति और वर्ग के मध्य के द्वंद्व को समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें दोनों के गुण अंतर्निहित हों। ना ही परंपरा को अंधभक्ति के आधार पर उचित ठहरना सही है और ना ही आधुनिकता को भौतिकता के आधार पर प्रोत्साहित करना सही है। किसी भी परिस्थिति में अतिवादी होना बहुत घातक होता है। अतः किसी ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जाना चाहिए, जिसमें समाज का संचालन समंजस्यपूर्ण स्थिति में हो सके और सामाजिक समस्याओं की परिणति कम हो तथा उनका निराकरण वैधानिक तरीके से किया जा सके।

समाज कल्याण एवं प्रबंधन में सरकारी प्रयासों का वस्तुपरक अध्ययन

कुशकुल दीप¹

सामाजिक कल्याण सामान्य रूप से व्यक्तियों के जीवन को उन्नत करने एवं उनके कुशलक्षेम तथा विशिष्ट रूप में समाज के निराश्रित, वंचित, अलाभान्वित एवं विशेषाधिकार रहित वर्गों के कष्टों को दूर करने एवं उनकी दशा को सुधारने की ओर लक्षित है। समाज कल्याण के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार सामाजिक नीतियों का निर्माण करती है तथा इनके अनुसार सामाजिक अधिनियम बनाती है, विभिन्न परियोजनाओं कार्यक्रमों एवं स्कीमों को तैयार करती है, वित्तीय प्रावधान करती है एवं मंत्रालयों, विभागों, निगमों, अभिकरणों के रूप में प्रशासकीय संयंत्र एवं संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था करती है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अशासकीय संगठनों का समर्थन एवं सहयोग लेती है। सामाजिक सेवाओं, समाजकार्य, सामाजिक विधान आदि के क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाकलापों का प्रबंधन, समाज कल्याण प्रबंध की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

समाज कल्याण प्रबंध : अर्थ एवं अवधारणा

समाज कल्याण प्रबंधन की अवधारणा को प्रमुखता तब मिलने लगी जब प्रबंधन क्रांति ने सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण व लाभकारी परिवर्तन लाना शुरू किया। प्रबंधन एक व्यापक प्रत्यय है जिसमें नियोजन से लेकर प्रशासन तक की सारी चीजें सम्मिलित हैं। समाज कल्याण प्रबंधन अपने सिद्धांत एवं ज्ञान का पुंज लिए एक अतिरिक्त समाज विज्ञान है। यह किसी भी सामाजिक विज्ञान के निष्कर्षों को जो इसके क्षेत्र से प्रासंगिक है, जो सामाजिक समस्याओं के समाधान है; सामाजिक नीति के क्रियान्वयन एवं सामाजिक कल्याण की उन्नति को सम्मिलित करता है का प्रयोग करता है; परंतु इसकी अलग विशेषता यह है कि यह सामाजिक विज्ञानों के किसी भी निष्कर्ष से लाभ उठाता है एवं जिनका प्रयोग उन कार्यों के निष्पादन में जो विशिष्ट रूप से इसकी चिंता है, उपकरणों के रूप में करता है।

सामाजिक समस्याएँ जो इस विषय का केंद्रिक विषय है, निरंतर परिवर्तनशील है तथा विभिन्न समाजों में इनकी अवधारणाएँ एवं इनका स्वरूप विभिन्न है। अतः इनके प्रति इन समाजों की प्रतिक्रिया एवं प्रबोधन भी विभिन्न रहा है। इस कारण यह विषय स्थैतिक नहीं हो सकता, इसे गतिशील होना होगा। परिणामतः इसकी परिभाषा देना सरल नहीं है। टी.ए. चतुर्वेदी ने इसकी संक्षिप्त परिभाषा केवल दो शब्दों में दी है, जब उन्होंने इसे 'समस्या केंद्रित विषय' एवं 'सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु एक उपागम' बतलाया।

संकुचित रूप में समाज कल्याण प्रबंध समाज सेवाओं के नियोजन, विकास, संरचना एवं व्यवहारों का अध्ययन है जिसमें सामाजिक नीति को समाज सेवा में अकारित करने की प्रत्येक गतिविधि सम्मिलित है।

¹ शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी.

E-mail. – kuldeep9335@gmail.com

प्रो. टिटमस के अनुसार, 'समाज कल्याण प्रबंध को उन समाज सेवाओं, सेवी एवं विधिक दोनों के विकास, समाज क्रिया में निहित नैतिक मूल्यों, सेवाओं की भूमिका तथा उनके कार्य, उनके आर्थिक पक्षों तथा सामाजिक प्रक्रिया में कुछेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनके अंशदान से है- यह सभी महत्वपूर्ण हैं एवं समाज कल्याण प्रबंध में इनका अध्ययन किया जाना चाहिए।'

इस प्रकार समाज कल्याण प्रबंधन की प्रक्रिया उन क्रियाकलापों को सुगम बनाने अथवा जीवन शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया है जो किसी सामाजिक अभिकरण द्वारा प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक एवं सहायक है।

समाज कल्याण प्रबंधन की विशेषताएँ

समाज कल्याण प्रबंध से संबंधित उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इसका अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है तथा इसकी विशेषताओं से संबंधित क्षेत्रों की प्रतिदिन गतिशील समाज में उभरती नयी सामाजिक समस्याओं यथा जनसंख्या विस्फोट, आपदा, गैस रिसाव दुर्घटनाएँ इत्यादि के फलस्वरूप बढ़ती जा रही हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं को अधोलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है:

1. समाज कल्याण प्रबंधन की प्रथम विशेषता यह है कि इसमें समाज में वांछित परिवर्तन/प्रभाव लाने हेतु सर्वप्रथम नियोजन किया जाता है। नियोजन का अर्थ है वे सभी कार्य जो सामाजिक कार्यकर्ता समस्या क्षेत्र में जाने से पूर्व, समाज कल्याण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए करता है। इस सोपान में संपूर्ण प्रणाली का विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात् कल्याण कार्य का विश्लेषण किया जाता है। समाज की समस्या का ठीक तरीके से पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ उनकी आवश्यकताओं का भी पता लगाया जाता है और फिर कल्याण उद्देश्यों के संदर्भ में उन्हें संगठित किया जाता है।
2. समाज कल्याण प्रबंध की द्वितीय विशेषता यह है कि इसमें संगठन किया जाता है। एक प्रभावशाली प्रबंधन समाज कल्याण के स्रोतों तथा साधनों की व्यवस्था अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से करता है। इसके अंतर्गत समुचित कल्याण क्रियाओं का चयन कर उचित विधियों को चुना जाता है जिसके द्वारा समाज कल्याण की क्रिया क्रियान्वित की जाती है।
3. इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कल्याण क्रियाओं के अभिप्रेरण की भी व्यवस्था की जाती है जिससे समाज कल्याण गतिविधियों में वांछित परिवर्तन व शीघ्रता लाई जा सके।
4. इसकी चौथी विशेषता इसके अंतरानुशासनीय प्रकृति का होना है। इसे अपने क्षेत्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों के विशेषतया दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के ज्ञान को भी सम्मिलित करना पड़ता है ताकि समाज एवं मनुष्य को उनकी समग्रता में समझकर तथा इन विज्ञानों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके व्यक्तियों, परिवारों एवं समूहों की समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सके।

समाज कल्याण प्रबंधन के उद्देश्य

समाज कल्याण प्रबंधन के उद्देश्य सामाजिक रूप से हीन वर्गों- अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित कबीलों, अनाथों, विधवाओं, अविवाहित माताओं, नैतिक भय के अधीन महिलाओं, वृद्धों एवं अशक्तों महिलाओं एवं बच्चों, सामाजिक तौर पर कुमंजित, भिखारियों, वेश्याओं, अपराधियों, शारीरिक एवं मानसिक तौर पर अशक्त, बीमार, मंदबुद्धि अथवा मानसिक रोगी तथा आर्थिक रूप से हीन यथा बेरोजगार एवं निराश्रित व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण सेवाओं की व्यवस्था; अतः समाज कल्याण प्रबंधन का उद्देश्य उनकी दशा को उन्नत करना है।

समाज कल्याण के सरकारी प्रयास

समाज कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें (देहाती और शहरी) अपने-अपने क्षेत्रों में उचित संघटनात्मक और प्रशासनिक मशीनरी प्रदान कर रही है। साथ ही वे पिछले अनुभवों के प्रकाश में अपनी संरचनाओं, पद्धतियों, प्रक्रियाओं में उचित परिवर्तन कर रही हैं। जिससे वे अपने लक्ष्यों की ओर अधिक सक्षमता और प्रभावशीलता से बढ़ सके। हमारे संघीय ढांचे की त्रिकोणी समाज कल्याण की प्रशासनिक संरचनाएँ इस तरह हैं :

केंद्रीय स्तर पर कल्याण मंत्रालय

गत वर्षों में समाज कल्याण एक स्वतंत्र विभाग के रूप में या किसी संयुक्त विभाग के रूप में काम करता रहा है। कल्याण संस्था के सृजन की दृष्टि से किये गए आरंभिक प्रयासों में जून 1964 में समाज प्रतिरक्षा के विभाग की स्थापना की गई ताकि शिक्षा, गृहकार्यों, स्वास्थ्य, श्रम, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों के समाज कल्याण से संबंधित विषयों की देखरेख की जा सके। जनवरी 1966 में समाज प्रतिरक्षा विभाग को समाज कल्याण विभाग का नाम दिया गया और अगस्त 1979 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया। इसका नाम शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय रखा गया। सन् 1984 में इस मंत्रालय का नाम समाज और महिला कल्याण रखा गया। 25 सितंबर, 1985 से कल्याण मंत्रालय बना जिसके साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विषयों को जोड़ दिया गया। समाज कल्याण के सरकारी प्रयासों को इनके विशेषीकृत खंडों का आधार पर ज्यादा स्पष्ट से समझा जा सकता है जिन्हें अधोलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट किया गया है:

1. समाज प्रतिरक्षा सेवाएँ

हर एक समाज में कोई न कोई बुराई विद्यमान होती है। भारतीय समाज में शिशु अपराध, भिक्षा मांगना, महिलाओं और लड़कियों का शरीर व्यापार, नशाखोरी आदि बुराईयाँ हैं। ये बुराईयाँ अनेक प्रकार के अपराधों को पैदा करने में उत्तरदायी हैं और इसीलिए व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए इन पर नियंत्रण पाना और इनका उन्मूलन करना आवश्यक है। अपराध से समाज को बचाना ही समाज प्रतिरक्षा है। दूसरे शब्दों में समाज प्रतिरक्षा से यह घोषित होता है कि अपराध को रोकना और अपराधी का इलाज करना। समाज प्रतिरक्षा सेवाओं का प्रशासन प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के दायरे में आता है। समाज प्रतिरक्षा के

क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की मुख्य भूमिका यह रहती है कि वह प्रांतीय सरकारों की कार्य प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करें। इससे संबंधित प्रमुख सुधार इस प्रकार है।

शिशु अपराध : गत वर्षों में शिशु अपराधियों की संख्या इन कारणों से बढ़ी है- निर्धनता और पारिवारिक जीवन का विशृंखलन सामाजिक नियंत्रण में गिरावट, योग्य अवसरों का अभाव और फलस्वरूप होने वाली निराशा, परस्पर विरोधी विचारों और मूल्यों का होना और सहज धन प्राप्ति। भारतीय जेल समिति के अनेक अनुमोदनों पर अनेक प्रांतीय सरकारों ने 1920 से शिशु अधिनियमों को बनाया ताकि अपराधी शिशुओं के कारावास, अभियोग और सुधारात्मक उपचार के लिए उन्हें विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 1960 ई. में भारत सरकार ने शिशु एक्ट बनाया था ताकि उपराज्यों में उनका क्रियान्वयन किया जा सके। इसमें यह प्रावधान था कि शिशु न्यायालयों में उन बच्चों की सुनवाई हो जिन्हें अपराध कानून का उल्लंघन करने के कारण पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। भारत सरकार ने 1986 में शिशु-न्याय एक्ट बनाया था ताकि पिछले सारे प्रांतीय शिशु एक्टों को बदलकर एक समान पद्धति का प्रशासन और न्याय प्रदान किया जा सके। इस एक्ट के अनुसार उपेक्षित बच्चों की देखाभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास करना था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सारे भारत में यह एक एक्ट 2 अक्टूबर, 1987 से लागू है। इस एक्ट के तहत शिशु अपराधियों (16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियों) को आवास, भोजन व्यवस्था और शिक्षा की सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास दिया जा रहा है।

कैदी कल्याण : कैदखाने को अब सजा के स्थान न समझ कर सुधार गृह के रूप में देखा जाने लगा है। भारतीय जेल समिति (1919-20) ने घोषणा की थी कि कारावास का लक्ष्य दंडितों को सुधार और पुनर्वास है। उस समिति ने इस बात पर जोर दिया कि जेलों में कल्याणकारी पग उठाए जाए। इसी प्रकार 1957 में गृह मंत्रालय ने एक अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति के सुझाव को स्वीकार किया।

इसके तहत जेलों में सुधारात्मक प्रक्रिया के आवश्यक अंग के रूप में जेलों में बर्ताव और समाज में रहन-सहन के मध्य एक कड़ी प्रदान कर उनका कल्याण किया जा रहा है।

स्त्रियों और लड़कियों के शरीर व्यापार को दबाने का एक्ट 1956 में संसद के द्वारा पारित हुआ और इस विषय में सभी प्रांतीय एक्टों को हटाकर 1958 में सारे देश में लागू किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य जीने के एक संगठित माध्यम के रूप में वेश्यावृत्ति की व्यापारिकता को दबाना। इस एक्ट में वेश्यावृत्ति के अड़्डे चलाने वाले के लिए, वेश्यावृत्ति से रोजी कमाने वाले के लिए, स्त्रियों और लड़कियों को उन स्थानों पर ले जाने के लिए जहाँ वेश्यालय है। सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यालय चलाने वाले के लिए और वेश्यावृत्ति के लिए किसी को उकसाने या फुसलाने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों और गैर अधिकारी सलाहकार समितियों की स्थापना का भी विधान है।

भिक्षावृत्ति को दूर करना : भिक्षावृत्ति सारे देश में इस हद तक व्यापक है कि इस बुराई को दूर करने के लिए किये गए सभी प्रयास विफल हुए हैं। सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, दुकानों, सड़कों, गलियों और पर्यटन केंद्रों पर भिखारियों की विद्यमानता एक शर्मनाक दृश्य उपस्थित है। जो मूल नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को भी परेशान करती है। भिक्षावृत्ति केवल हमारे सामाजिक-आर्थिक अभाव का ही परिणाम नहीं है।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सभी सरकारों की मान्यता है कि स्वास्थ्य में निवेश मनुष्य एवं जीवन की गुणवत्ता को उन्नत करने में निवेश है, अतएव मानव संसाधन विकास की रणनीति का एक भाग है। स्वास्थ्य केवल मात्र रोगों अथवा अशक्तता की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलक्षेम है जो मौलिक मूल अधिकार है तथा स्वास्थ्य की संभावित सीमा तक प्राप्ति एक सामाजिक उद्देश्य है। तदनुसार भारतीय संविधान में समानता, न्याय स्वतंत्रता एवं व्यक्ति के मान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह निर्धनता, अज्ञानता एवं कुस्वास्थ्य की समाप्ति को लक्ष्य निर्धारित करता है।

नियोजन प्रक्रिया के आरंभ से इस देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजना एक ऐसी संरचना प्रदान करने की व्यवस्था कर रही हैं, जिसमें राज्य अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की आधारमूलक संरचना, चिकित्सकीय शिक्षा की सुविधाओं, अनुसंधान आदि को विकसित कर सकें। इस शताब्दी के अंत तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह है 'सबके लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या स्थिरीकरण' इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं एवं राष्ट्रीय प्रोग्रामों में वृद्धि की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लोगों को उनके घरों के निकटस्थ एवं उनकी पहुँच के अंदर उपलब्ध करायी जाती है। पांच हजार की जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र होता है, परंतु पहाड़ी, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रत्येक 3000 जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र होता है। इस समय 112103 उपकेंद्र, 16954 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1469 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देश में कार्य कर रहे हैं। उपकेंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की यह शृंखला ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें पहाड़ी, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्र सम्मिलित हैं, में अवरोधात्मक, निदानीय एवं सुधारात्मक सेवाओं 'पैकेज' प्रदान करती हैं। कुष्ठ, एड्स, गलंगंड इत्यादि रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए विविध प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें गरीबों, वंचितों व बीमारों की स्वास्थ्य स्तर में सुधार हो रहा है।

राष्ट्रीय रोग निरोधन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना बच्चों में मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के लिए टीका द्रव्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु की गई है। सार्वभौमिक रोग निरोधन प्रोग्राम बाल जीविता दर को बढ़ाने हेतु 307 जिलों में पूर्व से ही चल रहा है। इस प्रोग्राम के अधीन एक वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को डी.पी.टी., पोलियो, खसरा एवं बी.सी.जी के टीके लगाकर रोग निरोधक बना देना है। सभी गर्भवती माताओं को भी टैटनेस टॉक्साइड के दो टीके लगाकर बच्चों की जन्मजात टैटनस से रक्षा करना है। एक अन्य प्रोग्राम जो बच्चों के जीवन से संबंधित है, मौखिक पुनः जलपूर्ति चिकित्सा प्रणाली है जिससे बच्चों को अतिसार के कारण जलविहीनता से उपजित मृत्यु से रक्षा की जाती है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए कानून 1954, जो 1 जून, 1955 से क्रियान्वित है जिसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तुएं प्राप्त हों। इसका लक्ष्य धोखाधड़ी का रोकना तथा न्यायमुक्त व्यापार व्यवहारों को प्रोत्साहित करना भी है।

3. महिला कल्याण

महिलाएं हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग हैं और विकास कार्यों में उनकी भागेदारी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, कोई भी योजना, चाहे वह आर्थिक विकास के क्षेत्र में चाहे समाज विकास के क्षेत्र में, तभी सफल हो सकती है जब इन कार्यक्रमों में महिलाएं रचनात्मक भूमिका अदा करें। समाज में सामाजिक असमानताएं होने पर भी उनके सामाजिक स्तर में बहुत सुधार हुआ है और आज महिलाएं उच्च पदों पर आसीन हैं। जीवन के लिए उनका जन्मजात उत्साह और उल्लास कई घरों को प्रकाशित कर रहा है। समाज के राज्य को दिशा देने और बदलने में स्त्रियों की भरपूर भूमिका है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि, जैसे देश में दहेज से मृत्यु, दुल्हन जाने और महिलाओं को सताने के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। बलात्कार, दुर्व्यवहार, अनैतिक आचरण, अपहरण और अवैध रूप से रखना- ये सब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। इसके कल्याण के संदर्भ में सरकारी प्रयासों में दहेज निषेध अधिनियम 1961 अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि विधेयक बना देने बद्धमूल सामाजिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता। फिर भी भीषण परिणामों वाली सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध वैधानिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शिक्षात्मक प्रभाव डालने के लिए वैधानिकता आवश्यक है।

सती प्रथा अधिनियम 1829 से लेकर वर्तमान तक महिलाओं के कल्याण संबंधित प्रयासों में समान श्रम भत्ता अधिनियम 1976 भी महत्वपूर्ण है जिससे पुरुष और महिला श्रमिकों को एक समान श्रम भत्ता मिले और रोजगार तथा दूसरे संबंधित विषयों में लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव को रोका जाय। इंदिरा महिला योजना जो नवंबर 18, 1989 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिन पर महिलाओं के लिए एक विशेष योजना- इंदिरा महिला योजना घोषित की गई ताकि महिलाओं में उनके समान अधिकारों और सुविधाओं की जागृति पैदा की जाय कि वे समाज में तथा राष्ट्र के निर्माण में समानता का दर्जा रखती हैं। इस प्रकार ये वैधानिक वर्ग महिला के प्रति सामाजिक असमानताओं और सामाजिक कलंकों को दूर करने में चिर सहायक हुए हैं।

4. बाल कल्याण

वर्ड्स बर्थ का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता है। उसके कथन का तात्पर्य था कि प्रौढ़ की उत्पादिकता उन अवसरों पर निर्भर करती है जो उसे बालक के रूप में विकसित एवं बड़े होने के लिए प्राप्त हुए। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी राष्ट्र की गुणवत्ता इसके द्वारा बालकों पर दिये गए ध्यान पर आश्रित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में अंकित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने अथवा किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 39 में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि आर्थिक आवश्यकता से बाध्य होकर बच्चों को उनकी आयु एवं शक्ति के अयोग्य किसी व्यवसाय में कार्य करना पड़े। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। समेकित बाल विकास योजना जो 2 अक्टूबर, 1975 को आरंभ किया गया। इसके उद्देश्य बच्चों के व्यापक कल्याण जैसे- 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषाहार तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चे के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना; बाल मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण एवं स्कूल से हट जाने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना और बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से माताओं की क्षमता बढ़ाना। इसके अतिरिक्त भी बच्चों के कल्याण हेतु बहुआयामी प्रयास सरकारों द्वारा उन्हें पुरस्कार, दिवस व अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता रहा है।

5. युवा कल्याण

भारत में युवकों ने विदेशी सत्ता में मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में प्रशंसनीय भूमिका अदा की है। उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा के अधीन स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति तक दी। भारत सरकार आरंभ से ही युवा वर्ग के प्रति अपने दायित्व को स्वीकारते हुए उनके कल्याण हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाने का प्रयास कर रही है। इस कार्य के लिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में मानव संसाधन मंत्रालय में एक अलग विभाग युवा मामलों एवं खेल के नाम से खोला गया जिसका कार्य अनन्य रूप से युवा हितों की देखभाल करना तथा उनके विकास एवं कल्याण हेतु आवश्यक उपाय करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 'शारीरिक शिक्षा, खेलकूद जिसमें खेल के मैदानों का निर्माण, शारीरिक शिक्षा के प्रध्यापकों एवं प्रशिक्षकों, खेल उपकरण की पूर्ति सहित राष्ट्रव्यापी आधारिक संरचना की व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। तदर्थ, शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक-प्रशिक्षण प्रोग्रामों तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की जनसहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय खेल नीति को भी अंगीकृत किया जिसके दो उद्देश्य थे, प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठ निष्पादन तथा दूसरा अर्थपूर्ण खेल गतिविधियों का प्रसार। ये सभी सरकारी प्रयास युवा कल्याण एवं विकास के लिए प्रशंसनीय हैं।

6. वृद्ध कल्याण

किसी समय वृद्धों का भारतीय समाज की परंपराओं एवं इसके सामाजिक मूल्यों के कारण बड़ा आदर होता था। परंतु अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। युवकों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी बनता जा रहा है तथा वृद्धों के प्रति उनका आदर भाव कम होता जा रहा है। सरकार वृद्धों के प्रति अपने दायित्वों के प्रति सचेत है। कल्याण मंत्रालय ने 1987 में वृद्धों की देखभाल पर गोलमेज विचार-विमर्श आयोजित किया था। 1990 का वर्ष हमारे देश में बड़ी शान-शौकत के साथ 'वृद्ध वर्ष' के रूप में मनाया गया था जिसने हमारे वरिष्ठ

नागरिकों के मस्तिष्क में प्रत्याशित आशाओं को जन्म दिया। संविधान के अनुच्छेद 41 के अधीन राज्य का मौलिक कर्तव्य है कि वह वृद्धों का सार्वजनिक सहायता एवं अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ प्रदान करे।

7. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का कल्याण

महान दार्शनिक एवं विद्वान भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, मनु ने पुरोहित, शिक्षक, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक को चतुर्वर्ण विचारणा को समाज के सभी वर्गों को समान पद, समान मान एवं समान मूल्य देने के विचार से प्रतिपादित किया था परंतु परिवर्तन की आंधी एवं इतिहास की लहरों ने कर्म पर आधारित चतुर्वर्ण की विचारणा को वंशानुगत आधारित जजमानी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जो अंततः देश के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का शब्द प्रयोग हुआ। यह अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, भारतीय संविधान में किया गया है, स्वतंत्रतापूर्व 'आदिम जनजाति', 'पिछड़ी जाति' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था।

संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष तौर पर अथवा नागरिक रूप में उनके अधिकारों को मान्यता देकर उसके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विकास करने एवं उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने हेतु सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। मुख्य सुरक्षाएं अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध (धारा-17) जिससे इनके सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विकास का कल्याण संभव हुआ है। उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सभी रूपों से उसकी सुरक्षा (धारा-46) है जिससे इन वर्गों का शैक्षिक कल्याण हुआ है। फलस्वरूप अन्याय व शोषण में कमी आई है।

संविधान की धारा 330 एवं 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान सुरक्षित किये गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो संविधान के अंतर्गत इन जातियों को प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में सभी विषयों की जांच करेगा एवं राष्ट्रपति को निर्धारित समयों पर सुरक्षाओं की अनुपालना की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निष्कर्ष

समाज कल्याण का क्षेत्र मानव जीवन में बहुविध रूपों में मानव के लिए कल्याणकारी रहा है। इस हेतु किये गए सरकारी प्रयासों में अन्य कई क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जिनका अनुपालन कानून द्वारा नियंत्रित दशाओं में समाज में हो रहा है। सरकार एवं जनता दोनों द्वारा इसे प्रशंसा एवं मान्यता दी गई है, अतएव भविष्य में भी इसे अधिक गौरवमय भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह ठीक ही कहा गया है कि स्वर्ग वहीं पर है जहाँ लोग मिलजुल कर संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु कार्य करते हैं तथा नरक वहाँ है जहाँ पर कोई भी मानवता के प्रति सेवा की बात तक नहीं सोचता।

देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय वस्त्र उद्योग की भूमिका

नरगिस बानो¹

भारतीय वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। देश में कृषि के बाद सबसे अधिक करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला टेक्सटाइल उद्योग देश का महत्वपूर्ण उद्योग है। इस सेक्टर में कॉटन से लेकर यार्न, फैब्रिक व रेडीमेड गारमेंट शामिल हैं। इस समय दुनिया में चीन के बाद भारत टेक्सटाइल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत के टेक्सटाइल उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में करीब 14 प्रतिशत, कुल निर्यात में 12 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4 प्रतिशत का योगदान है। यही देश का एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर पूर्ण उत्पाद तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। खासतौर से जनवरी 2005 में जब टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में कोटा व्यवस्था से मुक्त हुआ, तब से भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को चीन ही नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा नीतिगत उपाय शुरू किए जाने के वजह से, वस्त्र उद्योग पिछले छः दशक के मुकाबले आज कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मूल्य के हिसाब से यह उद्योग जहाँ छः दशक पहले 3-4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था वहीं आज 8 से 9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है तथा आज भारतीय वस्त्र निर्यात में 40-45% का योगदान दे रहा है।

वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान

भारतीय वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ ही इस उद्योग का देश के औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के सृजन और निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इसका केंद्रीय योगदान है। देश के औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा निर्यात आय में 13.50 प्रतिशत वस्त्र उद्योग का योगदान है। यह उद्योग देश के 35 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। महिलाओं और अ.जा./अ.ज.जा. के लोगों की एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित कर रही है। कपड़ा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इस प्रकार, इस उद्योग का सर्वांगीण विकास देश की अर्थव्यवस्था के सुधार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

प्रगतिशील घरेलू अर्थव्यवस्था, कपास उत्पादन में वृद्धि, अनुकूल वस्त्र नीति तथा 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त की गई, बहुरेशा व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र के विकास में काफी तेजी आई। पिछले कुछ सालों से लागू उचित कराधान नीति के कारण सभी विभागों में अवसरों की एकसमान उपलब्धता ने भी इस क्षेत्र के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव रखी

¹ Diploma in Textile Technology, सामुदायिक महाविद्यालय, म.गां.अं.हिं वि.वि., वर्धा, महाराष्ट्र - 442001
E-mail. – nimmynargisha@gmail.com

जा चुकी है, जिस पर विश्वस्तरीय उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक स्थान स्थापित कर लिया है।

भारतीय वस्त्रों का निर्यात

कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, देश के व्यापारिक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत की है। मल्टी फाइबर व्यवस्था (एमएफए) के समाप्त होने के बाद नई तकनीकों और क्षमता विकास के द्वारा उद्योग ने विकास के नए सोपान तय किए हैं। एमएफए के बंद होने के एक साल के भीतर भारतीय निर्यात में 22 प्रतिशत की दर से विकास हुआ है। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में भारतीय वस्त्र और कपड़े का निर्यात क्रमशः 14, 17.52 और 18.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। भारतीय वस्त्र उद्योग कई उतार-चढ़ाव देख चुका है। एक ओर जहां 2007-08 में भारतीय रुपये की कीमतों में बढ़त हुई, तो वहीं दूसरी तरफ 2008-09 में वैश्विक मंदी की मार भी इसे झेलनी पड़ी। वर्ष 2007-08 में भारत का वस्त्र निर्यात 25.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 22.13 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2008-09 में यह 18.51 बिलियन डॉलर रहा (वित्तीय वर्ष अप्रैल-फरवरी 2008-09) जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल (2014-15) 19.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ। फ्यूचर मार्केट इनसाइट्स की 16 जुलाई, 2015 की शोध रिपोर्ट के अनुसार- “तकनीकी वस्त्र बाजार शीर्षक से अपनी ताजा रिपोर्ट में तकनीकी कपड़ा बाजार पर महत्वपूर्ण अंतरदृष्टि उद्घार 2015-2020, रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक तकनीकी कपड़ा बाजार पूर्वानुमान की अवधि के दौरान 4.5% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।”

तकनीकी कपड़ा बाजार के काफी तेजी से हो रहे विकास में मोटर वाहन, कालीन, भू ग्रिड, एप्रन, और दस्तानों के रूप में विभिन्न उत्पादों में इस्तेमाल के लिए कच्चे माल के रूप में अपनी बहुमुखी प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया है। तकनीकी वस्त्र उत्पादन और निर्यात के माध्यम से बढ़ती मांग में तकनीकी प्रगति के निकट भविष्य में तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए ईंधन की मांग करने के लिए प्रत्याशित प्रमुख अंतर्निहित कारक हैं। इस तकनीकी वस्त्र निर्माताओं, वितरकों और उत्पाद कन्वर्टर्स के लिए विकास के अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। ऐसे में ब्राजील, भारत, रूस और चीन दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्पष्ट नजर आ रहा है। इन क्षेत्रों में स्वस्थ व्यापार संबंधों और सरकार के समर्थन तकनीकी कपड़ा निर्यात-आयात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है।

वस्त्र उद्योग की उपयोगिता

परिधान उद्योग एक निर्यात प्रधान उप-क्षेत्र है जो कुल भारतीय वस्त्र निर्यात में 40-45% का योगदान देता है। यह एक कम निवेश आवश्यकता और श्रम प्रधान उद्योग है। उप क्षेत्र में 1.00 लाख रुपये का निवेश 6-8 नौकरियां सृजित करता है।

लघु उद्योग के लिए रखे गये परिधान उत्पाद आरक्षित कर दिए जाने के कारण कपड़ा उद्योग की वृद्धि अवरूद्ध हो गई थी। परिणामस्वरूप, परिधान इकाईयाँ ना तो अर्थव्यवस्था की अधिकतम पैमाने को प्राप्त कर पाई और न ही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन कर सकीं।

बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2002-03 में बुने हुए परिधान को और नीट-वियर क्षेत्र को 2005-06 में आरक्षण से मुक्त कर दिया। इस उद्योग को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्कृष्टता प्राप्त हुई। शुरुआत में इसकी 15-16 प्रतिशत की दर से बढ़त हुई और 2007 -2008 के दौरान, इसकी विकास दर 20-22 प्रतिशत तक पहुँच गई। इस त्वरित विकास दर के लिए उत्प्रेरक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोटा के शासन का अंत, संगठित खुदरा बिक्री में वृद्धि, घरेलू बाजार में उपभोक्तावाद का विकास और एक अनुकूल शासन नीति आदि हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बने बनाए वस्त्रों का निर्यात 13.72 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव तब देखा गया जब 2005-06 में यह 28 प्रतिशत तक बढ़ गया। 2012 तक इस उप क्षेत्र में 21.800.00 करोड़ रुपये की निवेशकिया गया, जो 56.40 लाख लोगों के लिये रोजगार देने में सहायक सिद्ध हुआ, जिसमें से 28.25 लाख लोग अर्ध प्रशिक्षित और 11.30 लाख लोग अप्रशिक्षित थे। वर्तमान (2014-15) में लगभग 56 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वस्त्र और परिधान के उप क्षेत्र में रोजगार और निर्यात की क्षमताओं को देखते हुए, सरकार इसके विकास और विस्तार को प्राथमिकता देगी। कठोर श्रम कानूनों में सुधार के प्रयास किए जाएँगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा। कामन डेटा प्रदान करने के लिए और इस उद्योग के लिये बिक्री के प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई।

वस्त्र उद्योग का विकास-

बुनियादी विकास

सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या 5 करोड़ को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। प्रायः भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मिलें स्थापित हैं, किंतु महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में इनकी प्रमुखता है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में हुआ है, जो भारत की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में 119 मिलों द्वारा सूत एवं वस्त्र उत्पादन किया जाता है। यह राज्य 43 प्रतिशत मिल के कपड़ों का और 17 प्रतिशत यार्न का उत्पादन करता है। यहाँ मुंबई सबसे प्रधान केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। जहाँ 65 बड़ी मिलें स्थापित हैं मुंबई के अतिरिक्त बरसी, अकोला, अमरावती, वर्धा, सोलापुर, पुणे, हुगली, सतारा, कोल्हापुर, जलगाँव, सांगली, बिलमोरिया, नागपुर, आलमनेर आदि इस

उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। मुंबई को 'भारत की सूती वस्त्र की राजधानी' के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ पर 'अमेरिकी वस्त्र' बनाए जाते हैं।

हस्तशिल्प, हथकरघा और विकेंद्रीकृत विद्युतकरणों के समूह, जिनमें कम से कम पांच हजार करघे हों (हथकरघे और विद्युत चालित करघे) को विश्व स्तरीय बुनियादी और उत्पादन सुविधा प्रदान करने के लिए एक समग्र समूह विकास योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत निम्न मेगा समूहों के विकास के लिए काम किया जा रहा है:

- वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और शिवसागर (असम) के हथकरघा समूह
- नरसापुर (आंध्र प्रदेश) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के हस्तशिल्प
- भिवंडी (महाराष्ट्र) और इरोड (तमिलनाडु) के विद्युतचालित करघे

एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना जुलाई 2005 में पहले से चल रही दो योजनाओं एपैरल पार्क्स फार एक्सपोर्ट स्कीम और टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का सम्मिलन करके बनाई गई। इसका लक्ष्य वस्त्र उद्योग के विकास की संभावना वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के अंतर्गत 30 टेक्सटाइल पार्कों के स्थापना को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार ने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का फैसला किया है। एक टेक्सटाइल पार्क 'पल्लाडम हाई-टेक वीविंग पार्क' की शुरुआत 19 अप्रैल 2008 को की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 अतिरिक्त पार्क विकसित किए जाने की योजना की गई जिसे वर्तमान में अमली जामा पहनाए जाने की कोशिश जारी है। ये 40 पार्क चालू होने पर 21,502 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के अलावा 9.08 लाख श्रमिकों के लिए (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार प्रदान करेंगे। इनके द्वारा सालाना उत्पादित सामान की कीमत 3115 करोड़ रुपये है।

सरकारी योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाले ब्याज राशि के 5% (कताई क्षेत्र के लिए 4%) की वापसी सुनिश्चित करती है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना बना रही इकाईयों के पास क्रेडिट की उपलब्धता बनी रहे। वस्त्र और जूट सब-सेक्टर से जुड़ी लघु इकाईयों के लिए ब्याज दर में मिलने वाली पांच प्रतिशत की सब्सिडी के स्थान पर मार्जिन राशि में 15 प्रतिशत की राहत दी जाती है। वहीं विकेंद्रीकृत हथकरघा इकाईयों को टीयूएफएस योग्य मशीनरी में निवेश के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी राहत ब्याज में मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट के बदले उपलब्ध कराई जाती है। वस्त्रों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक मशीनों के लिए योजना के तहत पूंजी लागत में दस प्रतिशत की राहत ब्याज राहत के पांच प्रतिशत के अलावा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आयात की जाने वाली पुरानी मशीनें सहायता या छूट के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे पुराने शटलरहित करघे जिनका मूल्य आठ लाख रुपये से ज्यादा न हो और जो कम से कम दस साल तक काम लायक हों इसका अपवाद है। इस योजना का लाभ वस्त्र उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों को मिलता है।

अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान योजना की प्रगति संतोषजनक थी, और 2004-05 के बाद से इसने गति प्राप्त की। योजना प्रारंभ किए जाने से लेकर 31 मार्च 2009 तक 24,867 आवेदन प्राप्त किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,69,016 करोड़ रुपये है, इनमें से 1,66,839 करोड़ रुपये की लागत वाले 24,685 आवेदन स्वीकृत किए जो वर्तमान में प्रक्रिया में हैं।

वस्त्र उद्योग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेश में उछाल देखा है। निवेश का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) रहा है। निवेश में होने वाली वृद्धि प्रौद्योगिकी उन्नयन, विकास की संभावना वाले क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को मजबूत करने के अलावा अतिरिक्त स्पिंडल्स और करघों की स्थापना को बढ़ावा देगी। इसके अलावा यह योजना वस्त्र निर्माण, तकनीकी वस्त्रों और वस्त्रों के प्रसंस्करण जैसे विकास की भारी संभावना वाले क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

आधुनिक तकनीकी वस्त्रों का विकास

तकनीकी वस्त्र का वैश्विक बाजार वर्ष 2005 में 107 अरब अमेरिकी डॉलर था, तथा साल 2010 में बढ़कर 127 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जबकि तकनीकी वस्त्र के भारतीय बाजार का आकार 2005 के 6.7 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010 तक 12.46 अरब डॉलर होने की उम्मीद की जा रही थी (सीएजीआर 11.25%)। भारतीय संदर्भ में बिल्डटेक, जियोटेक, मेडिटेक और प्रोटेक समूह के तकनीक वस्त्र महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान तकनीकी वस्त्र विकास एवं उन्नयन योजना सरकार द्वारा लागू की गई। स्कीम के तहत 44 करोड़ की लागत से चार उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इनमें से एग्रोटेक, बिल्डटेक, मेडीटेक और जियोटेक के लिए एक-एक उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जा रही है। संश्लेषित और कला रेशम मिल अनुसंधान संगठन मुंबई, मानवनिर्मित वस्त्र अनुसंधान संस्थान सूरत, और नवसारी कृषि विश्वविद्यालय नवसारी, तथा गुजरात को एग्रोटेक तकनीकी वस्त्र विकास के लिए नामित किया गया है। उत्तर भारतीय वस्त्र अनुसंधान संगठन, गाजियाबाद को भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ प्रोटेक तकनीकी वस्त्र विकास के लिए नामजद किया गया है। ‘अहमदाबाद वस्त्र उद्योग संगठन’ अहमदाबाद, और ‘बांबे वस्त्र अनुसंधान संगठन’ मुंबई को जियोटेक तकनीकी वस्त्र विकास के लिए चुना गया है। ‘दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संगठन’ कोयंबटूर और एसी महाविद्यालय, कोयंबटूर को मेडीटेक तकनीकी वस्त्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जियोटेक वस्त्र उत्कृष्ट केंद्र का बांबे वस्त्र अनुसंधान संगठन, मुंबई में उद्घाटन किया जा चुका है जबकि जियोटेक उत्कृष्ट केंद्र जल्द ही कोयंबटूर में काम करना प्रारंभ कर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) एक औद्योगिक संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। समूचे विश्व कपड़ा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा है, और इस परिदृश्य में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाजार हिस्सेदारी

सुधारने और आयातित कपड़ों की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए मानव संसाधन विकास के मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है। मानव संसाधन के विकास के पीछे मूल विचार उपलब्ध बौद्धिक पूंजी का अधिकतम उपयोग कर उत्पादकता और वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

निष्कर्ष –

टेक्सटाइल क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हो जाएगा। इस बात की स्वीकृति राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) और योजना आयोग द्वारा की गई है। रोजगार के अवसरों में विकास के अवसर को पूरा करने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से प्रशिक्षित श्रमिकों का होना महत्वपूर्ण है। कपड़ा उद्योग देश के शीर्ष औद्योगिक नियोक्ताओं में से एक है और विदेशी मुद्रा आय के चौथाई हिस्से के लिए जिम्मेदार है। यह देखते हुए अगले दस साल में इस उद्योग के चौतरफा विकास की उम्मीद है। अब उद्योग के डिजाइन और विपणन क्षेत्र में विकास के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का उपयोग किया जा सकता है।

आंकड़ों के मुताबिक टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट में चीन की कुल हिस्सेदारी 40 फीसदी है। विश्व भर में भारत तीसरा बड़ा टेक्सटाइल और अपैरल मैनुफैक्चरर बन गया है। भारत की कुल इकोनोमी में टेक्सटाइल की हिस्सेदारी 6 फीसदी है, लेकिन इंप्लॉयर के मामले में इस इंडस्ट्री का स्थान पहला है। भारत की कुल वर्कफोर्स के 26 फीसदी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अभी टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री में 12.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और अनुमान है कि वर्ष 2025 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 7.5 करोड़ लोगों को और रोजगार मिलेगा। इसमें अधिकतर कम आय वर्ग, कम पढ़े लिखे और महिलाओं की संख्या अधिक होगी।

पर्यावरण संरक्षण एवं बौद्ध धर्म

रवि शंकर सिंह ¹

मनुष्य के अधिक लालसा और विध्वंसक क्रिया कलापों के कारण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही हैं। पिछले शतकों में अपनी भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जरूरतों की प्राप्ति हेतु प्रकृति प्रदत्त पदार्थों का अंधाधुंध शोषण और विनाश मानव ने किया है जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। मानव-निर्मित कारणों से उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन से पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है इस वजह से मानव सहित अन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पृथ्वी की सुरक्षा संपूर्ण प्रणाली की संरचना पर निर्भर करती है। पृथ्वी पर पारिस्थितिकीय संतुलन के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती है।

मानवीय क्रिया-कलापों द्वारा पर्यावरणीय दशाओं में किये गए बदलावों से उत्पन्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावों के फलस्वरूप स्थानीय पर्यावरण में आये अवांछित एवं प्रतिकूल परिवर्तनों को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र का कार्यान्वयन तथा नियंत्रण भौतिक तथा जैविक प्रक्रमों द्वारा होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में समस्थैतिक क्रियाविधि द्वारा पारिस्थितिक तंत्र (पर्यावरण तंत्र) में सर्वदा संतुलन बना रहता है। भौतिक पर्यावरण के संघटक इस प्रकार क्रियाशील होते हैं कि अगर किसी स्थान या क्षेत्र में किसी समय विशेष पर किसी संघटक या संघटकों में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे परिवर्तनों द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है और शीघ्र ही पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। इस तरह भौतिक पर्यावरण के सभी घटक सामान्यतः संतुलित अवस्था में रहते हैं और यदि कभी असंतुलन उत्पन्न भी होता है तो वह क्षणिक होता है और शीघ्र ही पुनः संतुलन स्थापित हो जाता है। किंतु मानवीय क्रिया-कलापों से उत्पन्न पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ता ही जाता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान पर्यावरण प्रदूषण का जनक आधुनिक मानव समाज ही है।

पाषाण काल में प्रकृति प्रदत्त साधनों के आधार पर मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता था। प्रकृति के स्वरूप तथा संसाधनों को प्रभावित करने की बहुत थोड़ी ही शक्ति मनुष्य के पास थी। इस काल के जीवन निर्वाह का स्वरूप आखेटक व संग्राहक तथा मनुष्य की जीवन पद्धति यायावरी अवस्था में थी। समाज इस सरल सामाजिक अवस्था से संश्लिष्ट सामाजिक अवस्था की ओर धीरे-धीरे उन्मुख हो रहा था। पूर्ण रूप से संश्लिष्ट सामाजिक संरचना कृषि के आगमन के साथ-साथ दृष्टिगत हुई। लौह युग के आते ही कृषि अधिशेष उत्पादन उपलब्ध होने लगी और इसी के साथ नगरीकरण की प्रक्रिया का आविर्भाव हुआ। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास ने अपने चारों ओर प्राकृतिक पर्यावरण से आदान-प्रदान किया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसकी मौलिक धारणा अर्थात् विकास का विचार, नैतिक उन्नति के साथ संबद्ध था। फिर भी प्रगति ने धीरे-धीरे आने वाली शताब्दियों में नैतिक दृष्टिकोण को खो दिया।

¹ सहायक प्रोफेसर, डॉबौद्ध अध्ययन केंद्र .कौ.आ.भ., महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

वर्तमान में विकास और उसकी परिणामी आधुनिकता पर्यावरण के हास का कारण बन चुकी है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए विकास ने न केवल हमारे पर्यावरण को, जो एक जटिल तंत्र है, अशांत किया है बल्कि सामाजिक प्रारूप मानवीय संबंधों को भी अस्तव्यस्त किया है जो स्वयं एक बहुत जटिल तंत्र है। अब समूचा विश्व पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है। निस्संदेह इस संकट का कारण वह विधि है जिसके अनुसार विश्व में औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास हुआ है। मूल प्रश्न यह है कि मानवीय उर्वरता असीम है जबकि मानवीय जीवन का भरण पोषण करने वाली पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। संबद्ध समस्या यहां मनोवृत्ति की है जहां 'आवश्यकताएँ' जीवन शैली की अपेक्षा बहुत अधिक है। इस स्थिति में प्रौद्योगिकी आधारित विकास को आधुनिक सभ्यता की इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि समाज के लिए उपलब्ध अपार शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए इसके लिए कई निर्णय करने पड़ेंगे। प्रौद्योगिक विकास को रचनात्मक सामाजिक लक्ष्यों की दृष्टि से उपयोग करने के लिए व्यवस्थित करना आज अतीत की अपेक्षा अधिक जरूरी है ताकि लक्ष्यों को परिभाषित किया जा सके और प्रौद्योगिकी पर आधारित पर्यावरण तथा विकास के मध्य वर्तमान संबंधों को संशोधित किया जा सके। वर्तमान में समाज व पर्यावरण के मध्य आदान-प्रदान तकनीकी से संबद्ध है जो समाज की भलाई करने में सहायक है। तकनीकी विकास का स्तर ही पर्यावरण के संचालन में मनुष्य के हस्तक्षेप की प्रभावी सीमा को निर्धारित करता है तथा मनुष्य की अपने पर्यावरण के प्रति समझ को निर्धारित करता है। इस पृथ्वी के आरंभ से या यों कहें कि मानव विकास के उस बिंदु से जब उसके पास क्रमबद्ध चिंतन की शक्ति आ जाती है, हम प्रकृति के परिदृश्य में एक परिवर्तन पाते हैं जिसका कारण मानव जनित है। कुछ मुख्य तकनीकी विकास जिन्होंने पर्यावरण को प्रभावित किया कृषि तथा लौह धातु की खोज हैं। इन तत्त्वों के प्रवेश के प्राकृतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़े तथा इन्होंने पर्यावरण के संचालन को प्रभावित भी किया। इसी प्रकार, औद्योगिक क्रांति एक युगांतकारी तकनीकी घटना रही है जिसने पर्यावरण के उपयोग अथवा दोहन को प्रभावित किया। हमें इस रूप में मानव प्रकृति संबंधों को रूपायित करना चाहिए तथा उसका विश्लेषण करना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण

वर्तमान समय में पर्यावरण का संरक्षण एक गंभीर और विस्तृत विषय है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं ने पिछले कुछ दशकों में लोगों का तथा सरकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे संबंधित मुद्दे लगभग प्रत्येक देश में राजनैतिक विवेचना का एक महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। निरंतर बढ़ते पृथ्वी के प्रदूषण के कारण मानव प्रजाति के अस्तित्व पर मंडराने वाला संकट सभी की चिंता का विषय बन गया है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में होने वाले हास ने संरक्षण की आवश्यकता तथा इस संबंध में लोक जागृति को बढ़ावा दिया है। संरक्षण की अवधारणा संभवतः मानव के अस्तित्व जितनी ही पुरानी है।

मानव-प्रकृति अंतर्संबंधों में गुणात्मक तथा युग-प्रवर्तक परिवर्तन औद्योगिक युग के साथ देखने को मिला। औद्योगिक युग के तकनीकी स्तर ने मनुष्य को शारीरिक श्रम से मुक्त किया तथा अजैविक स्रोतों के ऐसे उपयोग से अवगत कराया और उसे प्रतिस्थापित किया जिसने मनुष्य व पशु शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा का

स्थान ले लिया। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग का परिणाम था ऊर्जा के नए-नए रूपों की खोज तथा कोयला व पेट्रोलियम उत्पाद जैसे हाइड्रोकार्बन की खोज जो ऊर्जा के नए रूपों के स्रोत स्वरूप प्रयोग में लाए गए। ऊर्जा के इन नवीकरण के अयोग्य स्रोतों के आगमन के साथ-साथ मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई और इसी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अवधारणा का जन्म हुआ।

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ 'प्रकृति की सुरक्षा' से है अन्य रूप में कहें तो प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग है। हमारा जैव-विविधता का क्षरण हो रहा है। साफ है कि 'संरक्षण' प्रकृति का अथवा जैव-विविधता का परिरक्षण मात्र ही नहीं है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित मुद्दे भी वृहत रूप में सम्मिलित हैं। साथ ही साथ इससे यह भी तात्पर्य निकलता है कि जैव-विविधता का ऐसे स्तर पर परिरक्षण किया जाय जो परिस्थितिकी के परिचालन के लिए आवश्यक है तथा मानव प्रजाति का अन्य जैव प्रजातियों के साथ अस्तित्व सुरक्षित रह सके। आमतौर पर यह धारणा है कि प्रकृति की अपने परिचालन की एक पद्धति होती है तथा इसके अनुरूप मानव प्रजाति तथा प्राकृतिक संसाधनों के मध्य एक संतुलन निरंतर बना रहता है। यह केवल हाल की बात है कि प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप प्रकृति में बना हुआ यह निरंतर संतुलन अब बिगड़ गया है। परिणामस्वरूप पर्यावरणविद् अब इसके तथा विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण पर बल देने लगे हैं।

प्राचीनकाल से ही पर्यावरण के प्रति चिंता भारतीय बौद्धिक तथा प्रचलित परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा रही है। पर्यावरण के प्रति यह संलग्नता हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक नियमों के अभिन्न हिस्से के रूप में दिखाई पड़ती है। प्राचीन अतीत से भारतीय दर्शन ने पर्यावरण उन्मुख जीवन का समर्थन किया है। भारतीय दर्शन में पर्यावरण को सदैव एक जीवित जैविक सत्ता के रूप में देखा गया है। जो परंपराएँ हैं उनमें पर्यावरण को जीवन के एक अभिन्न हिस्से के रूप में देखने व सोचने पर बल दिया गया है अर्थात् पर्यावरण में मनुष्य को एक अवयव के रूप में देखा गया है। मनुष्य की रचना इसी पर्यावरण के संघटकों से मिलकर हुई है तथा इन्हीं में उसे अंत में विलीन हो जाना है।

भारतीय शाब्दिक परंपरा कल्पना करती है कि मनुष्य शेष भौतिक विश्व के समान ऐसे तत्त्वों का बना हुआ है जो मृत्यु के पश्चात् विघटित होकर प्रकृति में विलीन हो जाता है। सामान्यतः नौ तत्त्व होते हैं; पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गगन, समय, दिशा, मस्तिष्क और मृदा। भारतीय पुराणों के अनुसार तत्त्वों की उत्पत्ति कई चरणों में होती है। जल, पृथ्वी और आकाश पहले आते हैं, समुद्री जीव और पक्षी दूसरी पंक्ति में आते हैं, और भूमि का स्थान तीसरा होता है, वायु का स्थान इसके बाद आता है और अग्नि का आगमन अंत में होता है।

भारतीय चिंतन स्पष्ट करता है कि पर्यावरण एक प्रदत्त अस्तित्व है, प्रकृति में उत्कृष्ट है। वह अनुभव करता है कि समस्त प्रकार के जैविक या अजैविक पदार्थों में प्राण है। परस्पर सहयोग और निर्भरता पर विशेष

बल दिया गया है और माना गया है कि मनुष्य का अकेले रहना संभव नहीं है। यह माना गया है कि पर्यावरण से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने से वह सबकी जरूरतें पूरी कर सकता है। वन में निवास करना बहुत अच्छा समझा जाता था जहां कोई भी पर्यावरण को उसके अति शुद्ध रूप में अनुभव कर सकता है। नगरीय केंद्रों में जो अप्राकृतिक और मानव निर्मित में रहने को दूसरा स्थान प्राप्त था। यह कल्पना की गई है कि पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखने पर प्रकृति हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

भारतीय परंपरा में मनुष्य को पशु संसार के अन्य जीवों तथा वनस्पति संसार के साथ-साथ रखा है। वास्तविक रूप में मनुष्य का प्रकृति में स्थान दो-तरफा है भौतिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक संबंधों में समस्त जीवित वस्तुओं तथा अजीवित तत्वों, जो कि पर्यावरणीय प्रतिवेश का हिस्सा है, से मनुष्य के संबंध या पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन है। दूसरी ओर आध्यात्मिक संबंधों से तात्पर्य मानवीय आचरणों में निश्चित नियमों के पालन का अनुसरण करना है। इन नियमों में कई आचरणों द्वारा मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के मध्य कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। इन दोनों प्रकार के संबंधों का मार्गदर्शीय नियम यह है कि मानवीय क्रियाओं का पर्यावरण पर इस प्रकार प्रभाव न हो जिससे उसके अस्तित्व को खतरा हो जाय। इसके निर्धारण मूलतत्त्व के रूप में आचार शक्ति अपेक्षित है तथा प्रकृति में मनुष्य का स्थान इसी आचार संहिता की परिधि के अंदर स्थित है।

मनुष्य का प्रकृति में स्थान के विवेचन में भारतीय दार्शनिक परंपराओं में भी भौतिक तथा आध्यात्मिक अंतर किया गया है। भौतिक संबंधों में मुख्य रूप से वे आवश्यकताएँ हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक होती हैं जैसे कि भोजन तथा जीवित पर्यावरण। यह संबंध भौतिक आवश्यकताओं के लेन-देन पर आधारित है। तथापि भौतिक आवश्यकताएँ तथा भौतिक धन-संपत्ति दो भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं तथा पर्यावरण से मानवीय भौतिक संबंधों के विवेचन में स्पष्ट रूप से इनको सीमांकित या सीमाबद्ध किया गया है। आधुनिक तकनीकी उद्देश्य जो भौतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति के लिए पर्यावरण के आधिपत्य पर जोर देता है। भारतीय परंपरा में पर्यावरणीय आचार संहिता का समावेश किया गया है जो प्रकृति के संरक्षण को प्रोत्साहन, संरक्षण तथा संवर्धन पर जोर देती है।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म रहा है तथा इसमें अहिंसा की प्रधानता रही है। इस धर्म के प्रसिद्ध एवं मान्य ग्रंथों में अहिंसा की प्रेरणा दी गई है कि मन, वचन और कर्म से अन्य प्राणियों को कष्ट न दिया जाए। अहिंसा का पथिक न स्वयं किसी को कष्ट देता है और न अन्य किसी को कष्ट के लिए प्रेरित करता है। स्थूल जीवों की ही बात नहीं, वह पेड़-पौधों को भी कष्ट नहीं पहुंचाता है। भिक्षुओं को उपदेश देते हुए बुद्ध ने तीन प्रकार के शील पर प्रकाश डाला और कहा है आरंभिक, मध्यम और महा ये तीन शील हैं, जो सभी भिक्षुओं के लिए आवश्यक है। इन शीलों में अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य तथा नशीले पदार्थों का परित्याग समाविष्ट है। बुद्ध ने मैत्री भावना, करुणा भावना, मुदिता भावना और उपेक्षा भावना पर बल दिया है। इन भावनाओं में अहिंसा के निर्मल विचार की लहरियां तरंगित हो रही है। बुद्ध ने कहा है अपने मन को सभी

दिशाओं में घुमाओ। तुम्हें अपने से प्यारा अन्य कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्रिय है, वैसे ही दूसरों को अपना जीवन प्रिय है, अतः कभी भी दूसरों को न सताओ। विश्व के समस्त प्राणियों के साथ असीम मैत्री भावना बढ़ाओ। तुम सदा मन में यही भावना रखो कि विश्व के सभी प्राणी सुखी हो। अपने समान सभी प्राणियों को समझकर न किसी का वध करें न दूसरों से वध करवाएं।

बुद्ध ने हिंसापरक यज्ञ को अनुचित कहा। जब राजा प्रसेनजित हिंसापरक यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए और तथागत बुद्ध को यह वृत्त परिज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा से कहा हे राजन्! यज्ञ में हिंसा करने से फल अच्छे नहीं होते। यदि तुम्हें यज्ञ करना है, तो ऐसा यज्ञ करो जिसमें भेड़, बकरी और गायें न कटती हों। ऐसा यज्ञ ही सुमार्ग पर ले जाने वाला है। सुत्तनिपात में बुद्ध ने कहा है जंगम या स्थावर, दीर्घ या ह्रस्व, अणु या स्थूल, दृश्य या अदृश्य, दूरस्थ या निकटस्थ, उत्पन्न या अल्पमान जितने भी प्राणी हैं वे सभी सुखपूर्वक रहें। वे किसी के साथ वंचना न करें, न किसी का अपमान करें। वे सभी प्राणियों को उसी प्रकार देखें जैसे माता इकलौते पुत्र को देखती है।

आर्य की व्याख्या करते हुए बौद्ध धर्म में अहिंसा प्रिय व्यक्ति को आर्य कहा गया है। बुद्ध ने कहा है प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं बनता। सब लोग दंड से डरते हैं, मृत्यु से भयभीत होते हैं। मानव दूसरों को अपनी तरह जान कर न तो किसी को मारे और न किसी को मारने की प्रेरणा दे। जो न स्वयं किसी का घात करता है, न दूसरों से करवाता है, न स्वयं किसी को जीतता है और न दूसरों से जितवाता है, वह सर्व प्राणियों का मित्र होता है, उसका किसी के साथ वैर नहीं होता।

बौद्ध धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धर्म के रूप में स्वीकार करता है। इसके मूल सिद्धांत अहिंसा पर आधारित है तथा अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला कृत, कारित तथा अनुमोदित तीनों प्रकार की हिंसा का वर्जन करता है। विनय पिटक में स्पष्ट उल्लेख आता है कि एकेन्द्रिय वनस्पति को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिये क्योंकि वे भी जीव है, सब जीव समान है। गौतम बुद्ध कहते हैं जंगम और स्थावर प्राणियों का प्राणघात न स्वयं करें न किसी अन्य से करवाएं, न करने वाले का अनुमोदन करें। मज्झिम निकाय में उल्लेख आता है कि सब प्राणियों पर दया रखकर प्राणों का हनन न करें, घात न करें। धम्मपद में बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा, सबको समान समझो, क्योंकि दंड और मृत्यु सबके लिए कष्टकारक होते हैं। प्राणी को मारना हिंसा है, प्राणीयुक्त जल को पीना भी हिंसा है। पीटना, धमकाना सभी हिंसा के अंतर्गत आता है। मारना, मारने की प्रेरणा देना, झूठा आरोप, लांछन लगाना हिंसा है। बोधिचर्यावतार में कहा गया है कि एक प्राणी का घात करके भी मनुष्य हीन बन जाता है। द्वेष सबसे बड़ा पाप है तथा क्षमा सबसे बड़ा तप है। जिसका हृदय द्वेष से दूषित हो उसे कभी भी शांति एवं सुख नहीं मिलता। द्वेष से केवल दूसरों को ही कष्ट नहीं होता बल्कि स्वयं को भी अत्यधिक कष्ट होता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म में क्षमा एवं मित्रता के सिद्धांत के माध्यम से अहिंसा के सिद्धांत को प्रश्रय दिया गया है। बौद्ध परंपरा में अहिंसा को मैत्री भावना के पालन में एक सबल साधन रूप माना गया है। यज्ञ संबंधी हिंसा को यहां धर्मानुकूल नहीं माना गया है। यद्यपि इसमें मानव से लेकर एकेन्द्रिय जीव पर्यंत हिंसा-अहिंसा का विचार किया गया है परंतु अपवाद स्वरूप परिस्थिति के अनुसार हिंसा

को क्षम्य भी माना गया है, शायद इसी कारण बौद्ध परंपरा को मध्यममार्ग के रूप में भी बौद्धिक जगत में स्वीकार किया जाता रहा है।

गौतम बुद्ध का जीवन, जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक प्रकृति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बोधि प्राप्ति के क्रम में सुजाता नामक तरुणी ने बरगद के वृक्ष के नीचे ही सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध उरुवेला के जंगल में पीपल वृक्ष की छाया में दृढ़-चित्त होकर तब तक बैठे रहे जब तक कि बोधि प्राप्ति नहीं हुई। सप्तम सप्ताह के उपरान्त गौतम बुद्ध राजायतन वृक्ष जिसे रजत चन्दन वृक्ष भी कहा गया है के समीप पहुँचे। इन उन्चास दिनों के दौरान शास्ता ने न मुँह धोया न शरीर-शुद्धि की और न भोजन ही ग्रहण किया। पूरे सात सप्ताह तक वे बोधिमण्ड के आसपास ध्यान-भावना में अनंत विमुक्ति-सुख का आनंद लेते रहे। तथागत ने बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर मारसेना को परास्त कर सर्वोत्तम बोधि का अवबोध किया। संबोधि प्राप्ति के बाद वही पीपल वृक्ष 'बोधिवृक्ष' कहलाया। अजपाल नामक न्यागोध तथा राजायतन वृक्षों के नीचे वे विमुक्ति-सुख का आनंद लेते रहे। उसके बाद वे सम्यक संबुद्ध कहलाए। इन वृक्षों के नीचे उन्हें प्रज्ञा उत्पन्न हुई। अतः ये सभी वृक्ष वंदनीय बने और श्रद्धालु श्रावकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। सांसारिक प्राणियों की व्यवथा को देखकर उनका मन महाकरुणा में डूब गया और उन्होंने धम्म देसना करने का निश्चय किया। बोधगया से सारनाथ को जाने वाले मार्ग में वे निकल पड़े। वाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाव वन में जा पहुँचे। पंचवर्गीय परिव्राजक कौंडिन्य, वप्प, भदीय, महानाम और अश्वजित पहले से ही वहाँ रह रहे थे। उन्हें आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन तथागत ने ऋषिपतन की आम्र वृक्षों की छाया के नीचे पंचवर्गीय भिक्षु संबोधित कर 'धम्मचक्कपवत्तन सुत्त' का उपदेश दिया।

गौतम बुद्ध अस्सी वर्ष की अवस्था तक धर्म प्रचारार्थ विहार करते रहे। वैशाली के समीप वेलु ग्राम में गौतम बुद्ध वर्षावास कर रहे थे। जहाँ वे अत्यधिक रुग्ण हो गए, ऐसी अवस्था में वह कुशीनगर को प्रस्थान हुए। बुद्ध प्रकृति की गोद में शुद्ध वातावरण के बीच चिर निद्रा को प्राप्त होना चाहते थे। कुशीनगर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उसके समीप ही मल्लों का उपवन नामक शाल वन था, जो हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर स्थित था। इसी उपवन के शाल वन में बुद्ध ने अंतिम निवास किया और यहीं युगल शाल वृक्षों के नीचे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध के जन्म से निर्वाण काल तक के स्थान को देखते हुए, बुद्ध को पर्यावरण की रक्षा का प्रथम पथ प्रदर्शक तथा उपदेशक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गौतम बुद्ध के समान प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण रक्षक विरले ही हुए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, बोधि प्राप्ति, प्रथम उपदेश तथा परिनिर्वाण की घटनाएँ अक्षरशः सिद्ध करते हैं कि वे पर्यावरण के महान समर्थक थे। गौतम बुद्ध का जीवनदर्शन यह सिद्ध करती है कि पर्यावरण की रक्षा के बिना मानव कल्याण की बात सोचना निरर्थक है। मनुष्य मानव कल्याण की कल्पना तभी कर सकता है, जब उसका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, जीवन की अंतिम यात्रा, स्वच्छ वातावरण एवं शुद्ध पर्यावरण के बीच हो। गौतम बुद्ध लगभग पैंतालीस वर्षों तक पैदल विचरण कर बहुजन हिताय तथा बहुजन सुखाय धम्म का संदेश देते रहे।

गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम विभिन्न जंगलों एवं वन प्रदेशों में चारिका करते रहे तथा अपने समकालीन तपस्या करने वालों से विचार-विमर्श करते रहे। उनके विचारधीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें घास, पेड़-पौधे, फल-फूल, जंगली जानवरों के साथ-साथ मानव के साथ जीवन-यापन करने वाले पशुओं का बौद्ध साहित्य में बार-बार उल्लेख किया गया है। तथागत का संपूर्ण जीवन-वृत्तांत विभिन्न वन प्रदेशों में व्यतीत हुआ। यह भी संसार की एक अनोखी घटना प्रतीत होती है कि अन्य दार्शनिकों को धन-धान्य, मानव, पशुधन और अन्य आवश्यकता की सभी वस्तुएँ दान स्वरूप भेंट की जाती थीं, किंतु सिद्धार्थ गौतम को भोजन, वस्त्र, विहारों के साथ-साथ भिक्षुसंघ के लिए बयालीस वन भी दान में प्राप्त हुए, जिनमें श्रावस्ती के अनाथपिंडक ने चौवन करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का नगद भुगतान करके भिक्षु संघ के लिए जेतवन महाविहार बनवा कर दान किया था। श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध की प्रधान शिष्या मिगारमाता विशाखा ने श्रावस्ती में अट्ठारह लाख स्वर्ण मुद्राओं की लागत से पूर्वाराम का भव्य निर्माण करवाया था। इसी श्रृंखला में राजगृह स्थित जीवकांबाराम भी बहुत सुंदर आमों का उद्यान था, जिसे जीवक वैद्य ने गौतम बुद्ध को दान में दिया था।

लुम्बिनी वन में स्थित शाल वृक्षों के नीचे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, पीपल के नीचे बोधगया नामक स्थापन में ज्ञान प्राप्ति, कुश घास के ऊपर बैठकर ध्यान-साधना और विपश्यना का आविष्कार, आम वृक्ष के नीचे सारनाथ में भिक्षुसंघ को प्रथम उपदेश, बरगद, बाँस, छेवला आदि वृक्षों से युक्त घने जंगलों में भिक्षुसंघ को उपदेश और दो शाल वृक्षों की छाया में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षुओं ने अपनी जीवन-शैली को विभिन्न रूपों में तथागत के काल्पनिक पुनर्जन्मों को विभिन्न योनियों में जातकों के रूप में उतारा, जिन्हें शैल चित्रों आदि पर उतारकर आने वाली पीढ़ी का मार्ग दर्शन किया।

बौद्धों द्वारा लगातार चारिकाएँ करते रहने और धम्म प्रचार एक स्थान से दूसरे स्थान के उपासकों को बताई गई जिससे लगातार धम्म प्रचार-प्रसार का काम चलता रहा। यह प्रथा वर्तमान समय में भी अनवरत रूप से जारी है। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक ऐसा धम्मक-पथ है जो पेड़-पौधों, मानव, पशु-पक्षियों और प्रकृति जिसमें सदृश्य एवं अदृश्य सभी प्रकार के जीव-जंतुओं के कल्याण की व्यवस्था विद्यमान है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित यह धम्म कृषि, वन-वृक्षों एवं पशु-पक्षियों से सीधे रूप में अथवा अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

बौद्ध धम्म में शांतिमय वातावरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। शांति का पर्याय एक शब्द होता है- नीरवा। नी अर्थात् रहित, रव अर्थात् ध्वनि, शब्द या शोर। अर्थात् 'नीरव' शब्द के अर्थ में शोर का निषेध सम्मिलित है। बौद्ध ग्रंथों में बार-बार वर्णन आया है कि जब गौतम बुद्ध धम्मोपदेश करते थे, तो उनके उपदेश सुनने वाले बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे। उनके अनुशासन की यह विशेषता थी कि बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के बावजूद भी वहाँ के वातावरण में घोर शांति व्याप्त रहती थी। इतनी शांति कि सूई के गिरने तक की आवाज भी सुना जा सके। यही कारण है जिससे गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षु एवं भिक्षुणियों को खड़ाऊँ पहनने की सलाह नहीं दी थी।

आज विश्व में पर्यावरण प्रदूषण द्रुतगति से बढ़ता चला जा रहा है। प्रदूषण से असाध्य एवं भयंकर रोगों का प्रसार होता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें वृक्षारोपण, वनों के विनाश पर रोक, परमाणु विस्फोट पर नियंत्रण तथा नगर के वर्जित पदार्थ के निष्कासन की समुचित व्यवस्था आदि पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। इस हेतु पर्यावरण संरक्षण संगठनों की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वे इस दिशा में प्रभावकारी कार्य कर सकते हैं। उत्तर भारत में सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा छेड़ा गया चिपको आंदोलन, इसी प्रकार केरल की संस्थाओं ने साइलेंट वैली क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को विनाश की दिशा में जाने से रोकने का महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है। इस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने में न केवल हमारा या हमारे देश का, वरन संपूर्ण विश्व का भी भविष्य निहित है।

उपरोक्त तथ्यों के सम्यक अनुशीलन के पश्चात हम पाते हैं कि बौद्ध साहित्य में पर्यावरण के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। वन, पर्वत, नदी, गुहा, पशु-पक्षी आदि प्रकृति भिक्खुओं की ध्यान साधना के लिए एक अनिवार्य अंग बन गया था। मानव के अस्तित्व की रक्षा और प्रगति हेतु क्रियाशील प्राकृतिक प्रक्रियाओं एवं प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के बीच समुचित संबंध आवश्यक है। इस धरातल पर मानव का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए उसका प्रकृति के साथ समन्वय होना आवश्यक है।

शाक्यमुनि गौतम बुद्ध महाकारुणिक भी थे, जिन्होंने लोक के समस्त सत्त्वों के सुखी व मंगलमय जीवन हेतु अपरिमित मैत्री-भावना करने का उपदेश दिया है। संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, आकाश में रहने वाला हो या भूमि पर रहने वाला हो, जलचर हो या स्थलचर, सूक्ष्म हो या स्थूल, दृश्य हो या अदृश्य, दूर रहने वाला हो या पास रहने वाला, जिनका जन्म हो चुका हो या जन्म लेने वाला हो, पैर वाले प्राणी हों या पैर-रहित, पशु हों या पक्षी, चार पैर वाले हों या दो पैर वाले, कई पैर वाले हों या रेंगने वाले हों यदि समस्त प्राणियों के प्रति अतुलनीय प्रेमभाव रखते हुए अपरिमित मैत्री-भावना करनी चाहिए। प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना करने का उपदेश देते हुए मेत्तसुत्त में वे कहते हैं कि-

“ये कंचि पाणभूतत्थि तसा वा थावरा वा अनवसेसा॥
दीघा वा येव अदिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे।
भूता वा सम्भअवेसी वा सब्बेत्त सत्ताभवन्तु सुखितत्ता॥”

अर्थात् “इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, फिर भले ही वे चल हों या अचल, वनवासी हों या ग्रामवासी, लंबे हों या बड़े, स्थूल हों या सूक्ष्म। दिखायी देने वाले हों या न दिखायी देने वाले, दूर या समीप रहने वाले, जो यहाँ उत्पन्न हो चुके हैं या होने वाले हैं- ऐसे सभी प्राणी सर्वथा सुखी रहें।”

NOTES FOR AUTHORS, **The Equanimist**...A peer reviewed Journal

1. Submissions

Authors should send all submissions and resubmissions to **theequanimist@gmail.com**

Some articles are dealt with by the editor immediately, but most are read by outside referees. For submissions that are sent to referees, we try to complete the evaluation process within three months. As a general rule, **The Equanimist** operates a double-blind peer review process in which the reviewer's name is withheld from the author and the author's name is withheld from the reviewer. Reviewers may at their own discretion opt to reveal their name to the author in their review, but our standard policy is for both identities to remain concealed.

Absolute technical requirements in the first round are: ample line spacing throughout (1.5 or double), an

abstract, adequate documentation using the author-date citation system and an alphabetical reference list,

and a word count on the front page (include all elements in the word count).

Regular articles are restricted to an absolute maximum of 10,000 words, including all elements (title

page, abstract, notes, references, tables, biographical statement, etc.).

2. Types of articles

In addition to Regular Articles, **The Equanimist** publishes the Viewpoint column with research-based policy articles, Review Essays, Book Review and Special Data Features.

3. The manuscript

The final version of the manuscript should contain, in this order:

(a) title page with name(s) of the author(s), affiliation

(b) abstract

(c) main text

(d) list of references

(e) biographical statement(s)

(f) tables and figures in separate documents

(g) notes (either footnotes or endnotes are acceptable)

Authors must check the final version of their manuscripts. against these notes before sending it to us.

The text should be left justified, with an ample left margin. Avoid hyphenation. Throughout the manuscripts, set line spacing to 1.5 or double.

The final manuscript should be submitted in MS Word for Windows.

4. Language

The Equanimist is a Bilingual Journal, i.e. English and हिंदी. The main objective of an academic journal is to communicate clearly with an international audience.

Elegance in style is a secondary aim: the basic criterion should be clarity of expression. We allow UK as well as US spelling, as long as there is consistency within the article. You are welcome to indicate on the front page whether you prefer UK or US spelling. For UK spelling we use -ize [standardize, normalize] but -yse [analyse, paralyse]. For US spelling, -ize/-yse are the standard [civilize/analyze]. Note also that with US standard we use the serial comma (red, white, and blue). We encourage gender-neutral language wherever possible. Numbers higher than ten should be expressed as figures (e.g. five, eight, ten, but 21, 99, 100); the % sign is used rather than the word 'percent' (0.3%, 3%, 30%). Underlining (for italics) should be used sparingly. Commonly used non-English expressions, like *ad hoc* and *raison d'être*, should not be italicized.

5. The abstract

The abstract should be in the range of 200–300 words. For very short articles, a shorter abstract may suffice. The abstract is an important part of the article. It should summarize the actual content of the article, rather than merely relate what subject the article deals with. It is more important to state an interesting finding than to detail the kind of data used: instead of 'the hypothesis was tested', the outcome of the test should be stated. Abstracts should be

written in the present tense and in the third person (This article deals with...) or passive (... is discussed and rejected). Please consider carefully what terms to include in order to increase the visibility of the abstract in electronic searches.

6. Title and headings

The main title of the article should appear at the top of pg. 1, followed by the author's name and institutional affiliation. The title should be short, but informative. All sections of the article (including the introduction) should have principal subheads. The sections are not numbered. This makes it all the more important to distinguish between levels of subheads in the manuscripts – preferably by typographical means.

7. Notes

Notes should be used only where substantive information is conveyed to the reader. Mere literature references should normally not necessitate separate notes; see the section on references below. Notes are numbered with Arabic numerals. Authors should insert notes by using the footnote/endnote function in MS Word.

8. Tables

Each Table should be self-explanatory as far as possible. The heading should be fairly brief, but additional explanatory material may be added in notes which will appear immediately below the Table. Such notes should be clearly set off from the rest of the text. The table should be numbered with a Roman numeral, and printed on a separate page.

9. Figures

The same comments apply, except that Figures are numbered with Arabic numerals. Figure headings are also placed below the Figure. Example: Figure 1.

10. References

References should be in a separate alphabetical list; they should not be incorporated in the notes. Use the APA form of reference

11. Biographical statement

The biosketch in **The Equanimist** appears immediately after the references. It should be brief and include year of birth, highest academic degree, year achieved, where obtained, position and current institutional affiliation. In addition authors may indicate their present main research interest or recent (co-)authored or edited books as well as other institutional affiliations which have occupied a major portion of their professional lives. But we are not asking for a complete CV.

12. Proofs and reprints

Author's proofs will be e-mailed directly from the publishers, in pdf format. If the article is co-authored, the proofs will normally be sent to the author who submitted the manuscripts. (corresponding author). If the e-mail address of the corresponding author is likely to change within the next 6–9 months, it is in the author's own interest (as well as ours) to inform us: editor's queries, proofs and pdf reprints will be sent to this e-mail address. All authors (corresponding authors and their co-authors) will receive one PDF copy of their article by email.

13. Copyright

The responsibility for not violating copyright in the quotations of a published article rests with the author(s). It is not necessary to obtain permission for a brief quote from an academic article or book. However, with a long quote or a Figure or a Table, written permission must be obtained. The author must consult the original source to find out whether the copyright is held by the author, the journal or the publisher, and contact the appropriate person or institution. In the event that reprinting requires a fee, we must have written confirmation that the author is prepared to cover the expense. With literary quotations, conditions are much stricter. Even a single verse from a poem may require permission.

THE Equanimist

A peer reviewed journal

SUBSCRIPTION ORDER FORM

1. NAME.....
.....
2. ADDRESS.....
.....
.....
.....
.....
TEL.....
MOB.....
....
EMAIL.....
3. TYPE OF SUBSCRIPTION: TICK ONE INDIVIDUAL/INSTITUTION
4. PERIOD OF SUBSCRIPTION: ANNUAL/FIVE YEARS
5. DD..... DATE.....
BANK.....
AMOUNT (IN WORD).....AMOUNT (IN NUMBERS).....

DEAR CHIEF EDITOR,

KINDLY ACNOWLEDGE THE RECIPT OF MY SUBSCRIPTION AND START
SENDING THE ISSUE(S) AT FOLLOWING ADDRESS:

.....
.....
.....
.....

THE SUBSCRIPTION RATE ARE AS FOLLOWS W.E.F. 01.04.2015

INDIA(RS.)

TYPE	INDIVIDUAL	INSTITUTION
ANNUAL	RS.500	RS.800
FIVE YEARS	RS. 2400	RS. 3900

YOURS SINCERELY

SIGNATURE

NAME:

PLACE:

DATE:

Please Fill This Form And The Cash/Demand Draft/Multi City Check Drawn In
Favor Of **Oriental Institute Of Human Development** Payable At **Allahabad** And
Send It To Below Mentioned Address.

Published By

Oriental Institute Of Human Development

121/3B1 Mahaveerpuri, Shivkuti Road.

Allahabad-211004